द्वादश माला, खंड 3, अंक 14

शुक्रवार, 3 जुलाई, 1998
12 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(बारहवं लोक सभा)

(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 3 जुलाई, 1998/12 आषाढ़, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
आवरण पृष्ठ		(बारहन लोक सभा)	(बारहवीं लोक सभा)
81	23	डा॰ उल्लास वासुदेव पाटील	डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील
221	7 (कॉलम 6)	2·-	2·07

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 14, शुक्रवार, 3 जुलाई, 1998/12 आषाढ़, 1920 (शक)

विषय		कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1–2
अध्यक्ष द्वारा घोषणा		2
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	262 से 281	2–31
अतारांकित प्रश्न संख्या	2623 से 2805	31–268

लोक सभा

शुक्रवार, 3 जुलाई, 1998/12 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने सम्माननीय मित्रों सर्वश्री चन्दूभाई देशमुख और ई.आर. कृष्णन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री चन्दूभाई देशमुख गुजरात के भरुच संसदीय-क्षेत्र से लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे।

उन्होंने नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा में भी भरुच संसदीय-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वह 1977-79 के दौरान गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने केबिनेट मंत्री के रूप में अपने राज्य की सेवा की और अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

श्री देशमुख एक योग्य सांसद थे। उन्होंने नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान अनेक संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में सेवा की।

वह एक सक्रिय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने आदिवासियों के सामाजिक शोषण के विरुद्ध उनमें जागरूकता लाने के लिए कार्य किया और उनके लिए निरंतर संघर्ष किया।

श्री देशमुख एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने गुजराती में "वन देवता" (आदिवासी कहानियां) नामक पुस्तक लिखी।

श्री चन्दूभाई देशमुख का निधन 58 वर्ष की आयु में 28 जून, 1998 को बड़ौदा में हो गया।

श्री ई.आर. कृष्णन पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1971–77 के दौरान तमिलनाडु के सलेम संसदीय-चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वह 1967–71 के दौरान तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री कृष्णन एक योग्य सांसद थे और उन्होंने लोक सभा की कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

वे एक प्रख्यात सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे तथा उन्होंने गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए कड़ी महेनत की।

श्री ई.आर. कृष्णन का निधन 75 वर्ष की आयु में 13 मई, 1997 को सलेम, तमिलनाडु में हो गया।

हमें इन मित्रों के निधन का गहरा शोक है और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

सदस्यगण अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 ½ बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह सूचित करना है कि नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आवश्यक सरकारी कार्य पूरा करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध कराने के लिए शनिवार, 4 जुलाई, 1998 को सभा की बैठक होगी।

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

अब सभा कल 4 जुलाई, 1998 को 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

समान बैंकिंग प्रणाली

*262. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी और सहकारी बैंकों को बैंकों की बकाया राशि की वसूली करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान की हैं;

(ख) क्या ये शक्तियां सरकारी बैंकों और अनुसूचित बैंकों को नहीं दी जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें अपनी बकाया राशि की वसूली करने के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें इसके लिए वसूली न्यायाधिकरणों और न्यायालयों में जाना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच ऐसी विसंगति रखने का क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में समान बैंकिंग प्रणाली लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विद्यमान बैंकिंग कानूनों के अन्तर्गत, सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सहकारी बैंकों को, उनकी देयराशियों की वसूली करने के लिए चूककर्ता उधारकर्ताओं की परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जब्ती, कुर्की और बिक्री करने की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं।

(घ) और (ङ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 का अधिनियमन दिनांक 27 अगस्त, 1993 को किया गया था, ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों के शीघ्र न्यायनिर्णयन और वसूली के लिए अधिकरणों की स्थापना करने का प्रावधान किया जा सके। नौ ऋण वसूली अधिकरणों तथा एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत, वसूली अधिकारियों को प्रतिवादियों की चल अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

धनराशि आकर्षित करने सम्बन्धी योजनाएं

*263. **कर्नल सोना राम चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यकरण से राष्ट्रीयकृत बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) वित्तीय क्षेत्र में गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) की भूमिका, जमाराशि संग्रहण और ऋण वितरण में बैंकिंग प्रणाली की भूमिका की पूरक है। गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा जुटाई गई जमाराशियां प्राथमिक स्तर पर दो प्रकार की होती है अर्थात् छूट प्राप्त उधार और विनियमित जमाराशियां, इनमें से केवल विनियमित जमाराशियां बैंक जमाराशियों के समान होती हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के आकार के साथ-साथ कार्यों की विविधता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीयकृत बैंकों के जमाराशि स्वीकार करने के कार्यकलापों पर एन. बी. एफ. सी. का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। जमाकर्ता, जमाराशियों की तुलनात्मक सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जाने वाली बहुविध सेवा सहित विभिन्न कारणों से बैंकों के ग्राहक बन जाते हैं।

कोयले की विपणन और मूल्य निर्धारण नीति

*264. **श्री कमलनाथ** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० की सभी सहायक कंपनियों में कोयले का भंडार निरंतर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन की तुलना में कोयले के भंडार में प्रतिमाह कितनी-कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या इसका कारण कोल इंडिया लि० की गलत विपणन तथा मूल्य निर्धारण नीति हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विपणन तथा मूल्य निर्धारण नीति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) समग्र रूप से कोल इंडिया में 1995-96 और 1996-97 के दौरान कोयले की उठान, कोयले के उत्पादन से अधिक रही। किन्तु, वर्ष 1997-98 में जहां उत्पादन 260.68 मिलियन टन हुआ, वहीं उठान की मात्रा थोड़ी-सी कम, अर्थात् 260.05 मिलियन टन थी। बंद स्टाक 27.5 मिलियन टन था। मई, 1998 के अंत में बंद स्टाक 25.72 मिलियन टन है। अतः यह कहना सही नहीं है कि कोल इंडिया लि० की सभी सहायक कंपनियों में कोयले के स्टाक में लगातार वृद्धि हो रही है।

(ख) चालू वर्ष में प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन और बंद स्टाक का माह-वार ब्यौरा नीचे की तालिका में दर्शाया गया है :

(आंकडे टन में)

	अप्रैल, 1998			मई, 1998		
कंपनी	प्रारंभिक स्टॉक	उत्पादन	बंद स्टॉक	प्रारंभिक स्टॉक	उत्पादन	बंद स्टॉक
ई.को.लि.	35.91	17.83	30.84	30.84	17.82	28.19
भा.को.को.लि.	59.25	23.38	61.20	61.20	25.26	64.18
से.को.लि.	52.04	21.21	46.80	46.80	24.16	45.54
ना.को.लि.	12.63	24.21	9.30	9.30	25.50	8.72
वे.को.लि.	22.96	25.71	23.15	23.15	27.31	24.41
सा.ई.को.लि.	59.88	44.76	57.62	57.62	44.29	54.57
म.को.लि	23.02	35.26	22.90	22.90	34.96	22.07
ना.ई.को.	9.29	0.94	9.54	9.54	0.50	9.47
को.इं.लि.	274.98	193.30	261.35	261.35	199.80	257.15

(ग) को.इं.लि. द्वारा सकारात्मक रुप से सक्रिय विपणन और मूल्य निर्धारण की नीति अपनायी गयी है।

(घ) कोयले के विपणन में सुधार लाने के लिए को.इं.लि. और उसकी सहायक कंपनियों ने विभिन्न कदम उठाए हैं :—

(i) नौवीं योजना के लिए कोयले के संयोजन प्राप्त करने के इच्छुक सभी विद्युत गृहों को संयोजन प्रदान कर दिए गए हैं।

(ii) कोककर कोयले की आपूर्ति हेतु को.इं.लि. के कंपनी समूह और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के बीच पारस्परिक सहमति से एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अनुबंध लागू किया गया है।

(iii) नए उपभोक्ताओं को संयोजन दिए गए हैं और विद्यमान उपभोक्ताओं के संयोजन में वृद्धि की गई है, जोकि 13 मि. टन प्रतिवर्ष से अधिक है।

(iv) विभिन्न स्थानों पर सीमेंट उद्योग, ईंट उद्योग आदि जैसे प्रमुख उपभोक्ताओं के साथ नियतकालिक बैठकें की जाती हैं।

(v) एक ऐसी उदारीकृत बिक्री योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत किसी उपभोक्ता को कोयले की बिक्री उन खानों से की जा सकती है, जिनमें अधिक मात्रा में कोयले के स्टॉक हैं।

(vi) असंयोजित उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति हेतु एक "तत्काल" योजना शुरू की गई है।

(vii) कोयला कंपनियां और विद्युत बोर्ड, गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लदान स्थल पर तथा विद्युत गृह में कोयले का नमूना लेने के लिए सामान्य रूप से सहमत हैं। इसके अलावा, विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति किए जाने में एक विशिष्ट प्रतिमान अनुबंध अंतरग्रस्त हैं।

(viii) ई.को.लि. में उत्पादित "ए", "बी" और "सी" ग्रेड के कोयले की कीमतों में की गई अल्प वृद्धि को छोड़कर 1-4-1997 के बाद से अकोककर कोयले की कीमत में वृद्धि नहीं की गई है।

ऋणों की वसूली

*265. श्री नरेश पुगलीया :
श्री ए.सी. जोस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीयकृत बैंक ऋणों की वसूली करने में पूर्ण रूप से विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1998 को प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कुल कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है;

(ग) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे बैंकों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं और निश्चित समय सीमा के भीतर उक्त ऋण वसूल करने के लिए उन्हें शक्तियां प्रदान की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त ऋणों को वसूल करने के लिए अन्य क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिनांक 31-3-97 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के वसूल किए जाने वाले अग्रिमों (अद्यतन उपलब्ध) को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) बैंकों से कहा गया है कि वे ऋण वसूली नीति तैयार करें, वसूली और आपसी समझौते के माध्यम से अनुपयोज्य आस्तियों में कमी करें, प्रधान कार्यालयों में वसूली कक्ष स्थापित करें। ऋण वसूली अधिकरणों की सहायता लें और चूककर्ताओं/ मुकदमा दायर खातों की सूची को ध्यान में रखें। अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए उठाए गए अन्य कदम इस प्रकार हैं: राष्ट्रीयकृत बैंकों के शीर्ष कार्यपालकों के साथ वार्षिक विचार-विमर्श करना, ऋण प्रबंधन को मजबूत बनाना, कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना आदि।

सरकार के अनुपयोज्य आस्तियों के कारणों की जांच करने और उपचारी कार्रवाई करने के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष श्री पन्नीर सेलवम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति की सिफारिशें बैंकों में अनुपयोज्य आस्तियों की समस्या से निपटने के अनवरत कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

विवरण

31 मार्च 1997 के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के अग्रिमों का विवरण (वसूली के लिए)

क्र.सं.	बैंक का नाम	राशि (करोड रु०)
1	2	3
1.	इलाहाबाद बैंक	4937.90
2.	आंध्रा बैंक	2907.34
3.	बैंक आफ बड़ौदा	16531.63
4.	बैंक आफ इंडिया	18336.86
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3111.34
6.	केनरा बैंक	14412.83
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	8790.31
8.	कारपोरेशन बैंक	3014.75
9.	देना बैंक	4043.73
10.	इंडियन बैंक	6864.90
11.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	7254.02
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4886.42
13.	पंजाब नैशनल बैंक	14066.89
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2791.20
15.	सिंडिकेट बैंक	5832.48

1	2	3
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	9168.36
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3027.31
18.	यूको बैंक	4935.86
19.	विजया बैंक	2475.28

ऋण जमा अनुपात

*266. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका ऋण-जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये राज्य यह शिकायत करते रहे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक उनके संसाधनों को देश के अन्य हिस्सों में ऋण देने के लिए ले जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ग्रामीण बचत को प्रोत्साहन देने और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थक्षम आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने कि लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) दिसम्बर 1997 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्य-वार ऋण जमा अनुपात और अखिल भारत औसत संलग्न विवरण में दिया गया है। कई राज्यों में बैंकों का ऋण जमा अनुपात अखिल भारत औसत से भी कम है।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों से समय-समय पर उन राज्यों में कम ऋण जमा अनुपात के बारे में पत्र प्राप्त हुए हैं। विभिन्न कारणों से अलग-अलग राज्यों में ऋण जमा अनुपात अलग-अलग होते हैं। जहां से निधियों का संग्रह किया गया वहां बैंकों द्वारा उनका अधिनियोजन, पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, क्षेत्र में ऋण खपत की क्षमता, निवेश के लिए सहायक वातावरण और बैंक ऋणों की पर्याप्त वसूली पर निर्भर करता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एल.एल.बी.सी.) नियमित बैठकों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऋण जमा अनुपात सहित बैंक ऋण के सभी पहलुओं की पुनरीक्षा करती है।

(ङ) जबकि वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण बचत तक पहुंच बनाने वाली एजेंसियों में से एक है, कुछ लघु बचत योजनाएं भी हैं जो डाक घरों के माध्यम से परिचालित की जा रही हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थक्षम अर्थिक क्रियाकलापों को ऋण सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का (आर.बी.आई.) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह की नियमित पुनरीक्षा करते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है वाणिज्यिक बैंकों को मार्गनिर्देश जारी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न ऋणों से जुड़ी सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत बैंक भी ऋण प्रदान कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति का भी गठन किया था और इस समिति की रिपोर्ट ने इस क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड की शेयर पूंजी को बढ़ा दिया गया है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजीकरण सहायता प्रदान की जा रही है।

विवरण

दिसम्बर 1997 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्य-वार ऋण जमा अनुपात

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	74.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.6
3.	असम	33.9
4.	बिहार	28.2
5.	गोआ	24.8
6.	गुजरात	47.9
7.	हरियाणा	41.5
8.	हिमाचल प्रदेश	21.1
9.	जम्मू व कश्मीर	35.9
10.	कर्नाटक	88.4
11.	केरल	44.5
12.	मध्य प्रदेश	50.2
13.	महाराष्ट्र	66.7
14.	मणिपुर	59.0
15.	मेघालय	13.1
16.	मिजोरम	23.2
17.	नागालैण्ड	21.6
18.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	70.9
19.	उड़ीसा	45.9

1	2	3
20.	पंजाब	37.1
21.	राजस्थान	44.9
22.	सिक्किम	17.3
23.	तमिलनाडु	92.3
24.	त्रिपुरा	34.9
25.	उत्तर प्रदेश	28.7
26.	पश्चिम बंगाल	44.6
27.	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	14.7
28.	चण्डीगढ़	69.1
29.	दादरा व नागर हवेली	16.6
30.	दमन व द्वीव	20.1
31.	लक्षद्वीप	9.1
32.	पाण्डिचेरी	33.6
	अखिल भारत	55.5

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की इकाइयों में लाभ/हानि

*267. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम की प्रत्येक इकाई द्वारा अर्जित लाभ/हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक इकाई कहां पर स्थित है;

(ख) यदि कोई हानियां हुई हैं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.टी.सी. के प्रत्येक एकक को हुए लाभ/घाटे के राज्य-वार ब्यौरों, प्रत्येक एकक की अवस्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) एन. टी. सी. की मिलों को विभिन्न कारणों से घाटे हो रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अपरिष्कृत मशीन, अतिरिक्त जनशक्ति, कार्यशील पूंजी की जटिल कमी तथा आधुनिकीकरण का न होना शामिल है।

(ग) एन. टी. सी. द्वारा किए गए एककवार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन. टी. सी. की अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसके लिए बीआईएफआर द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बीआईएफआर के मानदंड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण

लाभ/हानि (करोड़ रु० में)

क्र.सं.	मिल का नाम	स्थिति	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6
	एन.टी.सी. (डी.पी.आर.) लि०, पंजाब				
1.	दयालबाग स्पि. एंड वी. मिल्स	अमृतसर	-3.69	-3.28	-4.70
2.	खरड़ टैक्सटाइल मिल्स	खरड़	-2.66	-.99	-2.14
3.	पानीपत वूलन मिल्स	खरड़	-2.84	-1.80	-5.47
4.	सूरज टैक्सटाइल मिल्स	मलौट	-3.11	-1.70	-2.78
	राजस्थान				
5.	एडवर्ड मिल्स	ब्यावर	-2.59	-2.83	-3.39
6.	महालक्ष्मी मिल्स	ब्यावर	-2.24	-2.15	-3.09
7.	श्री बिजय कॉटन मिल्स	बिजयनगर	-1.94	-2.26	-2.67
8.	उदयपुर कॉटन मिल्स	उदयपुर	-3.19	-1.34	-2.45
	एन.टी.सी. (मध्य प्रदेश) लि०				
9.	बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स	राजनंदगांव	-9.53	-10.33	-13.00
10.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	बुरहानपुर	-5.71	-6.73	-8.97
11.	हीरा मिल्स	उज्जैन	-6.78	-6.99	-8.10
12.	इंदौर मालवा यूनाईटेड मिल्स	इंदौर	-10.09	-11.06	-12.52
13.	कल्याणमल मिल्स	इंदौर	-9.00	-10.43	-11.74
14.	न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स	भोपाल	-5.89	-7.01	-8.33
15.	स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स	इंदौर	-5.62	-6.43	-7.46
	एन.टी.सी. (उत्तर प्रदेश)				
16.	आथर्टन वेस्ट मिल्स	कानपुर	-4.73	-6.27	-7.67
17.	बिजली कॉटन मिल्स	हाथरस	-1.85	-2.01	-2.42
18.	लक्ष्मी रत्तन कॉटन मिल्स	कानपुर	-7.85	-10.07	-11.34
19.	लॉर्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स	सहारनपुर	-4.10	-5.65	-5.78
20.	म्यूर मिल्स	कानपुर	-9.88	-11.31	-13.46
21.	न्यू विक्टोरिया	कानपुर	-11.41	-11.25	-13.32
22.	राय बरेली टैक्सटाइल मिल्स	राय बरेली	-2.01	-1.70	-2.74
23.	श्री विक्रम कॉटन मिल्स	लखनऊ	-2.00	-2.14	-2.97

1	2	3	4	5	6
24.	स्व. कॉटन मिल्स मऊ	मऊ भंजन	-2.94	-2.24	-2.86
25.	स्व. कॉटन मिल्स कानपुर	कानपुर	-12.99	12.10	-14.40
26.	स्व. कॉटन मिल्स नैनी	नैनी	-8.10	-8.29	-10.10
27.	अपोलो टैक्सटाइल मिल्स	मुम्बई	-5.08	-5.77	-7.82
28.	औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स	औरंगाबाद	-1.11	-0.78	-1.56
29.	बारशीं टैक्सटाइल मिल्स	बारशी	-0.24	-0.27	-0.02
30.	भारत टैक्सटाइल मिल्स	मुम्बई	-3.68	-5.94	-7.64
31.	चैलीगांव टैक्सटाइल मिल्स	चैलीगांव	-0.80	-1.05	-2.36
32.	दुले टैक्सटाइल मिल्स	दुले	-4.11	-3.68	-4.46
33.	दिग्विजय टैक्सटाइल मिल्स	मुम्बई	-10.61	-9.51	-12.69
34.	एलीफिजन मिल्स	मुम्बई	-6.41	-6.47	-8.08
35.	फिनले मिल्स	मुम्बई	5.65	-6.01	-10.12
36.	गोल्ड मोहर मिल्स	मुम्बई	-3.93	-4.62	-7.47
37.	जुपिटल टैक्सटाइल मिल्स	मुम्बई	-8.43	-9.04	-10.49
38.	मुम्बई टैक्सटाइल मिल्स	मुम्बई	-8.26	-8.71	-10.36
39.	नन्डीड टैक्स्टाइल मिल्स	नन्डीड	-2.68	-3.60	-4.45
40.	न्यू सीटी टैक्स्टाइल मिल्स	मुम्बई	-5.14	-4.81	-6.04
41.	न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल्स	मुम्बई	-9.99	-8.78	-8.86
42.	पोदार प्रोसेसस	मुम्बई	-4.37	-5.34	-5.89
43.	श्री मधुसुदन मिल्स	मुम्बई	-3.81	-3.98	-5.30
	एन.टी.सी. (महाराष्ट्र नार्थ) लिमिटेड				
44.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स नं. 1	मुम्बई	-11.30	-11.34	-13.52
45.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स नं. 2	मुम्बई	-8.37	-7.94	-11.41
46.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स नं. 3	मुम्बई			
47.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स नं. 4	मुम्बई	-12.32	-13.00	-14.10
48.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स नं. 5	मुम्बई	-5.23	-6.00	-8.06
49.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स नं. 6	मुम्बई	-5.81	-5.64	-6.95
50.	जाम मे० मिल्स	मुम्बई	-4.58	-5.43	-6.22
51.	कोहिनूर मिल्स नं. 1	मुम्बई			
52.	कोहिनूर मिल्स नं. 2	मुम्बई	-6.32	-7.59	-9.77
53.	कोहिनूर मिल्स नं. 3	मुम्बई			
54	पोदार मिल्स	मुम्बई	-4.78	-5.67	-7.23

1	2	3	4	5	6
55.	माडल मिल्स	नागपुर	-9.90	-12.22	-14.96
56.	आर.बी.बी.ए. स्पि. विवि.	हिंगारघाट	-2.39	-3.17	-5.04
57.	आर.एस.आर.जी. स्पि. विविंग	अंकोला	-3.35	-3.47	-4.71
58.	साभातरम रामप्रसाद मिल्स	अंकोला	-2.21	-2.68	-3.16
59.	श्री सिताराम मिल्स	मुम्बई	-2.83	-3.61	-4.41
60.	टाटा मिल्स	मुम्बई	-6.85	7.73	-11.30
61.	विदरवा मिल्स	आचालपुर	-3.49	-4.23	-4.90
	एन.टी.सी. (गुजरात) लिमिटेड				
62.	अहमदा. जुपीटर टैक्सटाइल	अहमदाबाद	-7.35	-15.21	-10.73
63.	अह. न्यू टैक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद	-7.51	-12.27	-10.57
64.	हिमादरी टैक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद	-5.21	-8.30	-6.94
65.	जहांगीर टैक्स्टाइल मिल्स	अहमदाबाद	-10.05	-9.21	-12.88
66.	महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स	भावनगर	-6.21	-10.55	-9.14
67.	न्यू मानक चौक टैक्स. मिल्स	अहमदाबाद	-5.85	-7.03	-7.32
68.	पैटलाड टैक्स्टाइल मिल्स	पैटलाड	-2.93	-6.24	-3.98
69.	राजकोट टैक्स. मिल्स	राजकोट	-2.35	-2.27	-2.81
70.	राजनगर टैक्स. मिल्स नं. 1	अहमदाबाद			
71.	राजनगर टैक्स. मिल्स नं. 2	अहमदाबाद	-8.30	-7.41	-11.83
72.	विरामगम टैक्स. मिल्स	अहमदाबाद	-4.96	-4.75	-6.59
	एन.टी.सी. (एपीकेकेएम) लि. आंध्र प्रदेश				
73.	अदोनी कौटन मिल्स	अदोनी	-2.08	-2.15	-1.37
74.	अनन्तापुर काटन मिल्स	ताडापतरी	-2.31	-2.76	2.37
75.	आजम जाही मिल्स	वाराणसी	-3.41	-3.93	-4.54
76.	नटराज स्पिं. मिल्स	आदीलाबाद	-3.44	3.46	-3.37
77.	नेथा स्पिं. मिल्स	सिकंदराबाद	-2.12	-2.42	-1.63
78.	तिरूपति काटन मिल्स	चितौर	-3.04	-4.20	-3.00
	कर्नाटक				
79.	एम.एस.के. मिल्स	गुलबर्गा	-5.21	-5.44	-7.24
80.	मिनर्वा मिल्स	बंगलौर	-7.48	-6.27	-10.43
81.	मैसूर स्पिं. एंड आरपीजी मिल्स	बंगलौर	-3.74	-4.61	-6.14
82.	श्री यालामा मिल्स	तोलाहुनस	-3.53	-3.01	-3.87

1	2	3	4	5	6
	केरल				
83.	अल्पाप्पा टैक्स. मिल्स	केरला	-3.00	-1.79	-2.93
84.	केनानोर स्पिं. विविंग मिल्स	माहे	1.22	-0.82	-1.31
85.	केनानोर स्पिं. विविंग मिल्स	केनानोर	-1.05	-0.76	-0.68
86.	केरला लक्ष्मी मिल्स	तिरुचूर	-2.62	-2.48	-3.16
87.	पार्वती मिल्स	क्यूलन	4.43	-3.38	-7.08
88.	विजय मोहनी मिल्स	त्रिवेन्द्रम	-0.89	-1.45	-1.70
	एन.टी.सी. (टी.एन.पी.) लि. पांडेचरी				
89.	स्वदेशी काटन मिल्स	पांडेचरी	-7.04	-5.47	-4.67
90.	श्री भारती मिल्स	पांडेचरी	-5.95	-4.57	-3.89
	तमिलनाडु				
91.	बालारामवर्मा टैक्सटाइल मिल्स	कोयम्बतूर	-1.25	-0.63	-1.46
92.	कोयम्बोडिया मिल्स	कोयम्बतूर	-0.99	+0.03	+0.33
93.	कोयम्बतूर मुरगन मिल्स	कोयम्बतूर	-2.58	-0.19	-0.24
94.	कोयम्बतूर स्पिं. एंड विविंग मिल्स	कोयम्बतूर	-6.47	-7.26	-8.43
95.	कालेस्वरर मिल्स नं. ए	कोयम्बतूर	-4.93	-4.61	-5.43
96.	किशनावेरी टैक्सटाइल मिल्स	कोयम्बतूर	-2.00	-1.02	-1.10
97.	ओम पारासक्थी मिल्स	कोयम्बतूर	-0.37	-0.06	-1.04
98.	पंकजा मिल्स	कोयम्बतूर	-0.66	-0.33	-0.34
99.	पिनर स्पिनिंग मिल्स	कोयम्बतूर	-0.91	-0.12	+0.35
100.	श्री रंगा बिल्ला मिल्स	कोयम्बतूर	-2.91	-0.20	+0.21
101.	सोमासुन्दरम मिल्स	कोयम्बतूर	-1.28	-1.63	-0.97
102.	श्री शारदा मिल्स	कोयम्बतूर	-2.76	-1.19	-1.08
103.	कालेश्वरर मिल्स नं. बी	कोयम्बतूर	-1.80	-0.13	+0.30
	एन.टी.सी० (डब्ल्यूबीएबी एंड ओ) लिमिटेड, आसाम				
104.	एशोसिएटेड इन्ड.	गोहाटी	-3.27	-2.28	-2.44
	बिहार				
105.	बिहार को.आ. मिल्स	मुकामह	-2.11	-1.84	-2.41
106.	गया काटन मिल्स	गया	-3.36	-2.62	-3.86
	उड़ीसा				
107.	उड़ीसा काटन मिल्स	भागलपुर	-3.29	-3.33	-3.43

1	2	3	4	5	6
	वेस्ट बंगाल				
108.	आरती काटन मिल्स	हावड़ा	-2.12	-1.84	-2.40
109.	बंगाशी काटन मिल्स	सुकचर	-2.27	-2.37	-2.25
110.	बंगाल फाइन मिल्स नं. 1	कोनागर	-3.58	-3.78	-3.77
111.	बंगाल फाइन मिल्स नं. 2	कोटागंज	-1.92	-1.92	-1.54
112.	बंगाल लक्ष्मीकाटन मिल्स	सिरामपोर	-4.27	-3.12	-4.54
113.	बंगाल टैक्सटाइल मिल्स	ब्रहमपुर	-3.28	-3.51	-3.33
114.	ज्योति विविंग फैक्ट्री	कलकत्ता	-1.71	-1.45	-1.91
115.	लक्ष्मीनारायण काटन मिल्स	हुगली	-3.55	-3.50	-3.10
116.	रामपुरिया काटन मिल्स	सिरामपुर	-5.01	-4.79	-5.48
117.	सेन्ट्रर काटन मिल्स	बैलुर मंथ	-4.82	-4.51	-6.24
118.	श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स	डालटा	-4.67	-3.72	-4.79
119.	सोदपुर काटन मिल्स	सोदपुर	-1.46	-1.51	-1.55

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड द्वारा ऋण बट्टे खाते डालना

*268. **श्री जोगेन्द्र कवाडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आई.एफ.सी. आई.) ने 1996-97 और 1997-98 के दौरान अनेक औद्योगिक घरानों को दिए गए ऋण की मूल राशि और उन पर ब्याज की 250 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बट्टे खाते डाल दी थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह राशि किस प्राधिकारी ने बट्टे खाते डाली है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई) ने सूचित किया है कि उसने औद्योगिक संस्थाओं को दी गई सहायता में से लेखा बहियों से वर्ष 1996-97 में 19.99 करोड़ रुपए तथा 1997-98 में 54.86 करोड़ रुपए बट्टे खाते डाल दिए थे। बट्टे खाते डाली गई राशियां केवल ब्याज से सम्बन्धित थीं, कोई मूल राशि बट्टे खाते नहीं डाली गई थी।

(ख) बैंकों से प्रचलित प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संविधियों के प्रावधानों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबन्धों के अनुसार, अलग-अलग ग्राहकों से सम्बन्धित ब्यौरे बताए नहीं जा सकते।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने बताया है कि बट्टे खाते डालने के कारणों में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाईफर) के तत्वावधान में पुनर्वास पैकेजों के फलस्वरूप राहतें एवं रियायतें, एक बारगी भुगतान समझौतों के अनुसार दी गई राहतें एवं रियायतें तथा संस्थागत पैकेजों के अनुसार दी गई राहतें शामिल हैं।

(ग) आई.एफ.सी.आई के निदेशक बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राशि बट्टे खाते डाली गई।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सेवा योजना

*269. **श्री जयसिंहजी चौहान :**
श्री नृपेन गोस्वामी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु उद्योगों के लिए तैयार की गई वित्तीय सेवा योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) लघु उद्यमियों को वित्तीय सेवा देने के लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उद्यमियों को राज्यवार उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता/सेवाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) देश में लघु उद्योगों के लिये वित्तीय सेवा नामक कोई योजना नहीं है। तथापि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) देश में लघु उद्योगों के उद्यमियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अनेक प्रकार की वित्तीय सेवायें उपलब्ध कराती है। इनमें नई परियोजनायें स्थापित करने के लिये तथा विस्तार आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी, उन्नयन, विपणन, निर्यात संवर्धन, ढांचात्मक विकास, आदि जैसे क्रियाकलापों के लिये सहायता प्रदान किया जाना शामिल है।

(ख) उद्यमियों को सहायता मुहैया करने के लिए मानदण्ड संवर्धनकर्ता की प्रबंधकीय क्षमताओं, तकनीकी, विपणन तथा वाणिज्यिक पहलुओं तथा परियोजना की समग्र जीवनक्षमता से संबंधित है। "सिडबी" से सहायता को प्रभारित करने वाले प्रमुख मानदण्ड निम्न हैं — संवर्धनकर्ता का योगदान, ऋण-इक्यूटी अनुपात तथा ऋण सेवा कवरेज अनुपात। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निधियों की कमी के कारण "सिडबी" द्वारा ऋण के किसी व्यवहार्य प्रस्ताव को नामंजूर न किया जाए। प्रथम पीढ़ी के टैक्नोक्रेट, महिला उद्यमियों को तथा ऐसे उद्यमी जो कि अति लघु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन्हें कम संवर्धनकर्ता योगदान तथा अधिक अनुकूल ऋण-इक्यूटी अनुपात से अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों की अवधि के दौरान देश में सिडबी द्वारा राज्यवार स्वीकृत तथा वितरित की गई सहायता का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सिडबी द्वारा राज्य-वार स्वीकृत तथा वितरित की गई सहायता

(करोड़ रु० में)

क्षेत्र	सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता					
	1995-96		1996-97		1997-98	
	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	57.90	51.95	92.93	78.38	105.69	97.69
उड़ीसा	71.75	53.35	100.29	67.08	159.78	124.06
सिक्किम	3.97	1.86	2.57	2.55	2.04	2.01
पश्चिम बंगाल	176.38	157.84	196.47	165.29	309.22	219.09
अंडमान तथा निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र						
अरुणाचल प्रदेश	1.82	1.05	0.83	0.91	1.48	1.67
असम	18.74	17.85	10.10	6.86	17.34	10.06
मणिपुर	2.33	2.30	2.12	2.09	2.53	2.42
मेघालय	2.12	1.97	8.64	4.36	5.00	6.56
मिजोरम	0.45	0.43	0.94	0.93	0.70	0.70
नागालैण्ड	1.13	1.13	1.42	1.24	1.54	1.52
त्रिपुरा	3.96	3.40	4.82	4.78	4.07	3.83
उत्तरी क्षेत्र						
हरियाणा	372.24	280.85	452.88	302.89	472.05	288.39
हिमाचल प्रदेश	45.08	32.51	36.10	29.55	54.48	34.05
जम्मू एवं कश्मीर	11.47	9.85	10.88	9.92	16.83	12.90
पंजाब	241.94	218.70	190.08	129.95	218.84	176.74
राजस्थान	259.52	195.52	190.15	146.58	315.62	225.49
उत्तर प्रदेश	450.93	434.14	445.41	319.75	525.43	375.18
चंडीगढ़	13.51	7.64	9.18	5.35	8.81	5.12
दिल्ली	305.40	211.17	395.27	253.23	526.37	289.86

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिमी क्षेत्र						
गोवा	45.05	31.82	85.33	41.62	107.51	89.64
गुजरात	728.21	514.76	624.52	372.71	816.82	589.75
मध्य प्रदेश	198.73	153.03	169.53	136.86	193.90	154.24
महाराष्ट्र	1039.73	750.71	1144.08	708.49	1176.82	835.71
दादरा तथा नगर हवेली	5.29	1.77	6.43	2.03	28.73	20.82
दमण और द्वीव	8.99	2.53	6.33	1.69	4.04	3.80
दक्षिणी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	301.75	258.41	316.82	228.98	362.70	252.63
कर्नाटक	574.78	488.29	673.26	552.82	567.11	388.03
केरल	233.09	187.52	320.99	258.22	391.53	291.10
तमिलनाडु	792.97	694.63	894.35	689.09	935.81	657.70
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	8.13	3.31	12.00	6.12	8.13	7.33
जोड़	5976.66	4770.29	6404.71	4530.31	7340.92	5168.09
गुणक	50.00	21.00	60.00	44.00	70.00	59.00
ओ.टी.सी.ई.आई परिचालन के लिए एल ओ.सी.	4.00	2.95	0.00	0.25	0.00	0.00
एन.एस.आई.सी.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संस्थानों को उद्यम पूंजी	10.00	1.88	7.00	3.34	58.00	7.42
पी. एंड डी. के अंतर्गत सहायता	9.90	4.71	13.61	6.79	15.24	6.19
कुल जोड़	6065.56	4800.83	6485.32	4584.69	7484.16	5240.7

विद्युत करघा उद्योग को बढ़ावा देना

*270. **श्री थावर चन्द गहलोत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में विद्युत करघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार गत तीन वर्षों में विद्युत करघा उद्योग की बिगड़ती हालत और विद्युत करघा एककों की संख्या में हो रही कमी से अवगत है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विद्युत करघा उद्योगों की संख्या में हो रही कमी को रोकने के लिए कोई विशेष उपाय करने का कोई प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) सरकार द्वारा देश में विद्युतकरघा उद्योग के संवर्द्धन के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

1. विद्युत करघा सेवा केन्द्रों (कुल संख्या-44) की स्थापना प्रमुख विद्युत करघा बाहुल्य क्षेत्रों में की गई है जिसका उद्देश्य करघा अनुरक्षण, आधुनिकीकरण आदि के विभिन्न पहलुओं पर विद्युत करघा बुनकरों को उनकी कुशलता तथा बाजार योग्यता के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण देना है। इसके अतिरिक्त, ये केन्द्र विद्युत करघा उद्योग को डिजाइन सहायता सेवाएं, परामर्शी सेवाएं तथा परीक्षण सुविधाएं भी प्रदान करते हैं।

2. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए विद्युत करघा फैब्रिक्स की गुणवत्ता तथा डिजायन का उन्नयन करने तथा विद्युतकरघा फैब्रिक को समर्थ बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 1993-94 से कंम्प्यूटर सहायित डिजायन केन्द्रों को स्थापित करना शुरू किया है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा अब तक 14 कंम्प्यूटर सहायित डिजायन केन्द्रों की स्वीकृति दी गयी है। इन केन्द्रों को वस्त्र अनुसंधान संघों, वस्त्र आयुक्त के कार्यालय तथा राज्य सरकार के संगठनों द्वारा चलाया जाता है।

3. भारत सरकार ने भी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ विद्युत करघा कामगारों के लिए बीमा योजना शुरू की है जो विद्युत करघा कामगार की मृत्यु पर 10,000/- रु. तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 20,000/- रु. प्रदान करता है। वार्षिक प्रीमियम 120/- रु. है जिसे केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा विद्युत करघा कामगार द्वारा समान रूप से बांटा जाता है।

4. विद्युत करघा क्षेत्र के विकास तथा विद्युत करघा फैब्रिक्स के निर्यात के संवर्द्धन पर बल देने के उद्देश्य से, सरकार ने एक अलग विद्युत करघा विकास एवं निर्यात संवर्द्धन परिषद (पीडीई एक्स सीआईएक्स) स्थापित की थी।

5. इसके अतिरिक्त, विद्युत करघा क्षेत्र के विकास पर बल देने के उद्देश्य से, सरकार ने विद्युत करघा विनिर्माताओं के लिए एम.एफ.ए. द्वारा शामिल किए गए कोटा देशों को फैब्रिक्स एवं मेडअप्स का विशिष्ट निर्यात कोटा उद्दिष्ट किया है। इस योजना को 1992 में शुरू किया गया था जिसमें कोटा 3 प्रतिशत के स्तर पर रखा गया था जिसे वर्ष 1993 में बढ़ाकर 5 प्रतिशत तथा 1997 से 10% कर दिया गया था

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, विद्युतकरघों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज हुई है जिसे नीचे दी गयी तालिका से देखा जा

सकता है :—

1. विद्युतकरघा क्षेत्र में वृद्धि :

वर्ष	एककों की संख्या	विद्युतकरघा की संख्या
1995	3,26,286	13,65,284
1996	3,33,017	14,11,903
1997	3,49,380	15,23,336
1998 (31.5.98)	3,53,461	15,58,327

2. विद्युतकरघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादनः

वर्ष	उत्पादन (मिलि. वर्ग मी०)	कुल उत्पादन में विद्युतकरघा उत्पादन का %
1995-96	17,201	53.94%
1996-97	19,352	55.58%
1997-98 (अनंतिम)	20,303	55.32%

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.टी.डी.सी. के होटलों का विस्तार

*271. श्री भगवान शंकर रावत :
श्री मोहन सिंह :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) का अपने होटलों का विस्तार करने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रहे भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ होटलों को बेचने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम के उन होटलों के नाम क्या है जिन्होंने पिछले वर्ष अपनी क्षमता का 90 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया; और

(च) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर गोवा में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के मौजूदा होटलों में वृद्धि करने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे होटलों को बेचने संबंधी कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 1997-78 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के किसी भी होटल ने 90% औसत धारिता (अर्थात् होटल में उपलब्ध स्थान में से 90% स्थान पर ग्राहकों द्वारा कब्जा) प्राप्त नहीं की है।

(च) भारत पर्यटन विकास निगम की चण्डीगढ़ में 5 सितारा होटल के निर्माण के लिए आबंटित भूमि पर 100 कमरों के 5 सितारा होटल के निर्माण की योजना है। इसके अतिरिक्त भारत पर्यटन विकास निगम समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्य में होटल परियोजनाएं शुरू करने की सम्भावनाएं भी तलाशता है। इस संबंध में भारत पर्यटन विकास निगम ने गोवा पर्यटन विकास निगम को दिनांक 23.9.97 को अन्तिम बार पत्र लिखा था। गोवा पर्यटन विकास निगम से अभी कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

सूती वस्त्र उत्पादन में कमी

*272. श्री चमन लाल गुप्त :
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले दस वर्षों के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन को पहले के स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं। सूती वस्त्रों अर्थात् सूती यार्न तथा सूती कपड़े का उत्पादन 1988-89 से 1997-98 अवधि के दौरान उत्तरोत्तर बढ़ा है। इस अवधि के दौरान सूती यार्न तथा सूती कपड़े के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि क्रमशः 6.2% तथा 4.5% हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बैंकिंग प्रणाली में सुधार

*273. डा० विजय सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों की कार्यकुशलता तथा उनकी शाखाओं के प्रसार के मामले में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने के बावजूद हमारी बैंकिंग प्रणाली में अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अत्यधिक सुधारों की अभी भी आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बैंकिंग प्रणाली में और सुधार करने हेतु बैंकिंग सुधार आयोग का गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसका कब तक गठन किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) कार्य-व्यापार की मात्रा और शाखाओं के प्रसार के मामलों में भारतीय बैंकों ने पर्याप्त प्रगति की है। फिर भी, अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने तथा और अधिक प्रतिस्पर्धा व विविधता की चुनौतियों से जूझते हुए वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए और अधिक सुधारों की आवश्यकता है। हालांकि, बैंककारी, सुधार आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने की दृष्टि से श्री एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में एक बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है। इसमें जिन विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें की हैं, वे हैं: पूंजी पर्याप्तता, विवेकाधीन मानदण्ड और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, आस्तियों की गुणवत्ता, बैंकों की पद्धतियां और प्रणालियां जिनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन और मानव संसाधन विकास, संरचनात्मक मुद्दे और बैंकों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण भी शामिल है। उसमें दी गई सिफारिशें सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली को सक्षम और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के अविरत प्रयासों में मूल्यवान योगदान देती हैं।

प्लाईवुड और टिम्बर उद्योग

*274. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वृक्षों की कटाई को रोकने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर राज्यों में प्लाईवुड और टिम्बर उद्योग बंद होने के कगार पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त उद्योग के कर्मचारियों और उद्योग से अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 के अपने आदेश के तहत, अन्य बातों के अलावा, यह निर्देश दिये थे "कि अधिनियम (वन संरक्षण अधिनियम, 1980) में "वन" शब्द के अर्थ के परिप्रेक्ष्य में, यह स्पष्ट है किसी भी "वन्य" क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी गैर-वन्य कार्यकलाप करने के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के अनुसार समूचे देश में किसी भी राज्य के किसी भी वन में केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना चल रहे सभी कार्यकलापों को तत्काल बंद कर दिया जाये। अतः यह स्पष्ट है कि मुलम्मा (विनियर) अथवा प्लाईवुड सहित किसी भी प्रकार के आरा मिलों का संचालन, और किसी भी खनिज का खनन किया जाना गैर-वन्य प्रयोजन के रूप में है और इसलिए ये क्रियाकलाप केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त के बिना अनुमय नहीं है। तदनुसार, ऐसे कार्यकलाप वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबंधों का प्रत्यक्षतः अतिलंघन है। प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे सभी कार्यकलापों को पूर्णतः बंद किए जाने का तत्काल सुनिश्चय करे।"

"उपर्युक्त के अलावा, अरूणाचल प्रदेश राज्य के तीरप और चंगलांग के ऊष्ण आर्द्र सदाबहार वनों में जैव-विविधता बनाये रखने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकीय संतुलन बनाने की विशेष महत्ता को दृष्टिगत करते हुए यहां पर किसी भी प्रकार के वृक्षों की कटाई पर पूर्ण रोक रखी जाएगी। अरूणाचल प्रदेश के तीरप और चंगलांग क्षेत्र में और असम में इसकी सीमा से 100 कि.मी. की दूरी के अंतर्गत सभी आरा मिलों, मुलम्मा मिलों और प्लाईवुड मिलों को भी तुरंत बंद किया जाये। अरूणाचल प्रदेश और असम की राज्य सरकारें इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें।"

"केन्द्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित राज्य सरकारों की कार्य योजनाओं को छोड़कर सभी वनों में वृक्षों की कटाई संबंधी क्रियाकलाप बंद रखे जाएंगे। किसी भी राज्य में, विशेषकर जैसे अरूणाचल प्रदेश में जहां कि अनुमति-पत्र प्रणाली विद्यमान है तथा कोई कार्य-योजना न होने की स्थिति में केवल राज्य सरकार के वन विभाग अथवा राज्य के वन निगम द्वारा ही अनुमति-पत्रों के अंतर्गत वृक्षों की कटाई की जा सकती है।"

माननीय न्यायालय ने दिनांक 4 मार्च, 1997 के अपने आदेश के तहत एक उच्चाधिकार समिति का गठन किए जाने का आदेश दिया है। "यह समिति समस्त टिम्बर को सभी स्वरूप में टिम्बर उत्पाद, जोकि

(क) वन में अथवा परिवहन डिपो में पड़े हुए हैं और

(ख) मिल परिसरों में पड़े टिम्बर सहित" की सूची को तैयार करने के कार्रवाई पर निगरानी रखेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 15.01.1998 के अपने आदेश में अन्य बातों के अलावा यह टिप्पणी की कि "यद्यपि भारी मात्रा में काष्ठ आधारित उद्योगों का होना पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों की अधोगति का मुख्य कारण रहा है, फिर भी वनों का क्षेत्र (जो कि भूगोलिक क्षेत्र का 64% है) और स्थानीय लोगों की वन्य संसाधनों पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, टिम्बर व्यापार अथवा काष्ठ आधारित उद्योगों के संचालन पर पूर्णतया रोक लगाना न तो व्यवहार्य है और न ही वाछंनीय है। तथापि, उनकी संख्या और क्षमता को वन्य पैदावार की पोषणीय-उपलब्धता के अनुसार विनियमित किये जाने की आवश्यकता है और उन्हें विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में पुनः स्थापित किया जाना भी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति और पारिस्थितिकी तथा वास्तविक स्थानीय जरूरतों की पूर्ति करके करनी होगी।"

तदनुसार माननीय न्यायालय ने अन्य बातों के अलावा, यह निर्देश दिए कि "राज्य सरकारें, पर्यावरण और वन मंत्रालय के

परामर्श से काष्ठ आधारित औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए औपचारिक रूप से औद्योगिक सम्पदाओं को अधिसूचित करेंगी।"

माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उच्चाधिकार समिति द्वारा स्वीकृत सूची के अनुसार, टिम्बर को परिवर्तन/ इस्तेमाल करने की अनुमति उक्त न्यायालय के दिनांक 15.01.1998 के निर्देशों में निहित शर्तों के अधीन ही दी जाये।

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 के अपने निर्देशों के तहत यह उल्लेख किया कि "इन निर्देशों का अनुपालन करते हुए किसी भी आरा मिल अथवा अन्य काष्ठ आधारित उद्योग के बंद होने की स्थिति में भी, इन एककों में नियोजित श्रमिकों को उनकी देय पूरी परिलब्धियां मिलती रहेंगी और इन एककों के बंद होने से उनकी छंटनी नहीं होगी अथवा उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जायेगा।

[हिन्दी]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी बैंकों को छूट

*275. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्यरत कुछ विदेशी बैंकों ने सरकार से यह अनुरोध किया था कि उन्हें उनकी अधिशेष निधियों और लाभ को भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बिना उनके देशों को भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान पद्धति का ब्यौरा क्या है और यह कब से अस्तित्व में आई तथा विदेशी बैंकों ने किस आधार पर छूट मांगी थी;

(ग) क्या सरकार ने उनके कुछ अनुरोधों/मांगों को मान लिया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और वर्तमान प्रथा में छूट देने से भारत को क्या लाभ होंगे;

(ङ) क्या विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों को भी भारत में अपनी अधिशेष निधियां एवं लाभ भेजने में किन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विदेशों में भारतीय बैंकों के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) अब तक अनुसरण की जा रही प्रथाओं के अनुसार, विदेशी बैंकों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने विदेश स्थित मुख्यालयों को शुद्ध लाभ/अधिशेष भेजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। विदेशी बैंकों द्वारा लाभ/अधिशेष भेजने पर कोई सामान्य प्रतिबन्ध नहीं था और इसीलिए ऐसे बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेषण सम्बन्धी नीति में कोई छूट मांगने की आवश्यकता नहीं थी। दिनांक 04 जून, 1998 के परिपत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वानुमोदन की आवश्यकता को ही समाप्त कर दिया, जो चालू लेन-देनों पर बिना प्रतिबन्ध के धनराशि प्रेषित करने की अनुमति हेतु नीतिगत निर्णय के अनुरूप है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आटोमोबाइल्स के निर्यात में कमी

*276. **श्री पी. उपेन्द्र :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98 के दौरान आटोमोबाइल्स के निर्यात में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) निर्यातित वाहनों की संख्या के संदर्भ में, यद्यपि कछ श्रेणी के वाहनों जैसे कि बहु-उपयोगी वाहन, हल्के वाणिज्यिक वाहन, स्कूटरों तथा मोपेडों ने सकारात्मक निर्यात वृद्धि दर दर्शायी है, 1997-98 में आटोमोबाइलों का समग्र निर्यात 1996-97 की तुलना में लगभग 5% कम था।

(ख) निर्यात प्रक्रिया विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, अवस्थापनापरक सुविधाएं, विश्व व्यापार की प्रवृत्ति, आदि शामिल है। 1997-98 में विश्व व्यापार में आम मंदी आ जाने से तथा विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में कई देशों में, जापान व जर्मनी में मंदी से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ग) औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल में किये गये कुछेक उपायों में शुल्क पात्रता पास-बुक (डी.ई.पी.बी.) की दरों में संशोधन किया जाना, करीब 300 नई निर्यात मदों के लिए शुल्क पात्रता पास-बुक दरों की घोषणा किया जाना, निर्यात-वृद्धि के लिए एक मध्यम निर्यात नीति तैयार किया जाना, लैटिन अमेरिकी देशों की योजना पर विशेष ध्यान दिया जाना, प्रोत्साहन योजनाओं को सुदृढ़ किया जाना और ऐसे ही अन्य उपाय शामिल हैं।

विदेशी पूंजी का देश में आना

*277. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से देश में आने वाली विदेशी पूंजी में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से कितनी विदेशी पूंजी अर्जित की गई;

(ग) क्या इस संबंध में पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में विदेशी पूंजी में कोई कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ङ.) विदेशी पूंजी के आधार को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) कम्पनियों द्वारा विदेशी उधार लेने का निर्णय विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित ब्याज दरों आदि सहित कई बातों पर निर्भर करता है।

(ख) 1 अप्रैल, 1998 से 30 जून, 1998 के दौरान 1430.85 मिलियन अमरीकी डालर के विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति प्रदान की गई।

(ग) विदेशी वाणिज्यिक उधार अनुमोदनों के पश्चात् कम्पनियों को वित्तीय निष्पादन करने तथा करार को प्रलेखित करने के लिए न्यूनतम 6 महीने की अनुमति दी जाती है। अतः इस स्तर पर तुलना करने का कोई अर्थ नहीं होगा।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय कम्पनियां विदेशी वाणिज्यिक उधार का सहारा तभी लेती हैं, जब घरेलू उधार की तुलना में विदेशी उधार ज्यादा लाभप्रद होता है।

[हिन्दी]

क्रेडिट कार्ड

*278. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों को क्रेडिट कार्ड सम्बन्धी कारोबार की वजह से भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों द्वारा इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बैंकों को क्रेडिट कार्डों के लेन-देन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त निर्णय को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले सरकारी क्षेत्र के छः बैंकों और कार्ड जारी करने वाले अन्य बैंकों के साथ समझौते के तहत क्रेडिट कार्ड रखने वाले सरकारी क्षेत्र के आठ बैंकों में से 5 को 31-3-97 को समाप्त वर्ष के लिए तथा 4 को 31-3-98 के लिए क्रेडिट कार्ड के व्यवसाय में हानि हुई है।

(ख) बैंक की देयराशि की वसूली के लिए चूककर्ताओं के मामले में बैंकों द्वारा नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और क्रेडिट कार्ड खातों वाले चूककर्ताओं से सम्पर्क करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। आवश्यक समझे जाने पर चूक करने के आदि हो चुके ग्राहकों के मामले में कानूनी कदम भी उठाए जाते हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के 2 जून, 1998 के परिपत्र के द्वारा बैंकों को स्वतंत्र रूप से या कार्ड जारी करने वाले अन्य बैंकों के समझौता व्यवस्था के माध्यम से घरेलू क्रेडिट कार्ड व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऐसे प्रस्तावों को अब पूर्वानुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बैंकों से कहा गया है कि वे क्रेडिट कार्य का कारोबार ठोस नीतियों के आधार पर अपने बोर्डों की अनुमति से करें। क्रेडिट कार्ड का व्यवसाय शुरू करने के लिए अलग से अनुषंगी स्थापित करने की इच्छा रखने वाले बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें।

[अनुवाद]

नारियल जटा उद्योग का संवर्धन और आधुनिकीकरण

*279. **श्री एन. डेनिस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में नारियल जटा उद्योग का संवर्धन करने और उसका आधुनिकीकरण करने के संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : भारत सरकार ने देश में कयर उद्योग को बढ़ावा देने तथा उसका आधुनिकीकरण करने के लिए कयर बोर्ड के माध्यम से अनेक उपाय किये हैं। सरकार द्वारा कयर बोर्ड को पर्याप्त मात्रा में योजनागत एवं गैर-योजनागत निधियां प्रतिवर्ष, विशेष करके पिछले 2-3 वर्षों की अवधि में अधिकाधिक आधार पर मुहैया की जा रही है। सरकार ने कयर क्षेत्र के लिए 9वीं योजनावधि के दौरान योजना परिव्यय को कई गुना बढ़ा दिया है। कयर उद्योग को एकीकृत रूप में वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत कयर विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों को सहायता भी प्रदान की जा रही है।

कयर उद्योग के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए कयर बोर्ड द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्यकलापों को क्रियान्वित किया जा रहा है :–

(क) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान व विकास कार्यकलापों को शुरू किया जाना।

(ख) नये उत्पादों तथा नये डिजाइनों का विकास।

(ग) निर्यात तथा आंतरिक बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रचार किया जाना।

(घ) कयर तथा कयर उत्पादों का भारत तथा विदेशों में विपणन।

(ङ) उत्पादकों तथा निर्यातकों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोका जाना।

(च) दक्षता बढ़ाने, आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(छ) उत्पादों के विनिर्माण के लिए कारखाने स्थापित करने में सहायता करना।

(ज) नारियल भूसी, नारियल रेशे, नारियल तंतु उत्पादकों और कयर उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच सहकारी संगठनों को बढ़ावा देना।

(झ) उत्पादकों और विनिर्माताओं के लिए आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना।

2. कयर बोर्ड भारत में कयर उद्योग के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से उपर्युक्त कार्यकलापों को क्रियान्वित कर रहा है :–

I. **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना**

1. कयर रेशा निष्कासन तथा प्रसंस्करण प्रक्रिया का अधुमातन

(क) आधुनिक रेटिंग

(ख) कयर की बायो ब्लीचिंग, नरम बनाना, रंजन तथा छपाई।

(ग) हस्क कर्बो एवं दो टाई और टाई ब्रिसल फाइबर का उत्पादन।

2. कयर मशीनरी का विकास

(क) पूर्ण आटोमेटिक स्पिनिंग मशीन का विकास।

(ख) कयर प्रसंस्करण मशीनरी में सुधार।

(ग) लच्छेदार रेशों के उत्पादन के लिए उपकरणों का विकास।

(घ) नीडलेड फैल्ट प्लांट का स्वदेशीकरण।

3. उत्पाद विकास तथा विविधीकरण

(क) चटाइयों, मैटिंग, दरियों, आदि के लिए उपयुक्त कम्प्यूटर से बने डिजाइनों का विकास।

(ख) नये कयर मिश्रित उत्पादों का विकास।

(ग) विविध उपयोग के लिए कयर पिथ का विकास।

(घ) रबड़ आधारित लच्छेदार कयर उत्पादों का विकास।

4. विस्तार सेवा

(क) रंगाई, विरंजन तथा सुखाने के लिए रंग गृहों में सेवा-सुविधाओं का विस्तार।

(ख) कयर उत्पाद, कयर पिथ का परीक्षण, कयर जीओटेक्सटाइल, आदि के परीक्षण के लिए ए.एस.टी.एम. और बी.एस.एस. लैब की स्थापना।

(ग) कयर बायो-उर्वरक के लिए सहायता।

(घ) कयर मशीनरी विनिर्माता एकक की स्थापना के लिए सहायता।

(ङ) चलती-फिरती कार्यशाला।

5. प्रशिक्षण

(क) राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण तथा डिजाइन केन्द्र के प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ख) आर.सी.टी. तथा डी.सी. के प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ग) मोटरीकृत रैट्ट कताई में प्रशिक्षण (महिला कयर योजना के तहत)

(घ) मोटरीकृत रैट्ट पर कयर यार्न की कताई, चटाइयों की बुनाई तथा चटाई बनाने में क्षेत्रीय प्रशिक्षण।

(ङ) सहकारी समितियों/एन.जी.ओ. के माध्यम से महिलाओं को मोटरीकृत रैट्ट पर कयर यार्न कताई में प्रशिक्षण।

II. **घरेलू बाजार विकास**

(क) शोरुमों की स्थापना, शो-रूमों का आधुनिकीकरण एवं रखरखाव।

(ख) प्रचार-प्रसार, कयर एक्सपो सहित घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(ग) बाजार विकास सहायता योजना/शोरूम कनसाइनरों की सहायता के लिए छूट तथा आवर्ती निधि।

III. **निर्यात संवर्धन तथा व्यापार सूचना सेवा**

(क) अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी में भाग लेना तथा विदेशों में प्रचार।

(ख) परिवहन राज सहायता तथा निर्यात विकास सहायता योजना।

(ग) सर्वेक्षण सहित व्यापार सूचना सेवा।

IV. कल्याण संबंधी उपाय

(क) आदर्श कयर ग्राम।

(ख) केरल कयर श्रमिक कल्याणनिधि बोर्ड की सहायता दिया जाना।

(ग) केरल को छोड़कर, राज्यों के लिए कल्याण सहायता योजना।

V. गुणवत्ता सुधार

(क) गुणवत्ता शिविर, क्यू.आई.पी. तथा ई.डी.पी.

(ख) संयंत्र के भीतर निरीक्षण।

(ग) काधा शेड बनाने हेतु सहायता।

(घ) सामान्य सुविधा केन्द्र।

VI. भूरा रेशा क्षेत्र का विकास

(क) इकाइयों की स्थापना किया जाना तथा विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण किए जाने हेतु वित्तीय सहायता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन

*280. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों को उनके अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन सम्बन्धी योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या तारीख निर्धारित की गई है;

(ग) क्या किसी मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम के पुनर्गठन सम्बन्धी योजना प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के घाटे को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) सरकार ने प्रशासनिक मंत्रालयों को सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में विशिष्ट उपाय करने तथा समयबद्ध आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का परामर्श दिया है।

(ग) और (घ) कुछेक मंत्रालयों ने प्रत्येक सरकारी उपक्रम के पुनर्गठन की योजना के सम्बन्ध में पृथक-पृथक स्थिति पत्र प्रस्तुत किया है, जो एक उपक्रम से दूसरे उपक्रम के मामले में भिन्न-भिन्न है। इनमें उत्पाद-विविधीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, संयुक्त उद्यम जैसे विकल्प शामिल हैं।

(ङ) प्रशासनिक मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट कार्रवाई की जाती है, जैसे कि संयुक्त उद्यमों की स्थापना, निदेशक मण्डलों का व्यावसायीकरण, श्रमशक्ति को तर्कसम्मत सीमा तक कम करना, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, निधि प्रवाह आदि।

सहकारी मिलों के लिए ऋण

*281. **श्री माधवराव पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों से सहकारी मिलों की स्थापना के लिए दीर्घावधि ऋण मंजूर करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध किन-किन राज्यों से प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार अथवा केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रत्येक राज्य को आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रति वर्ष कितना-कितना ऋण मंजूर किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः असम, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दादरा एवं नागर हवेली तथा पांडिचेरी में स्थित सहकारी मिलों (चीनी, कपड़ा एवं अन्य) से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई), इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (आईएफसीआई) तथा भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड (आईसीआईसीआई) द्वारा सहकारी मिलों (चीनी, कपड़ा एवं अन्य) को मंजूर की गई सहायता निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए)

राज्य	चीनी	कपड़ा	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5
गुजरात	8.25	13.39	732.64	754.28
महाराष्ट्र	244.93	42.86	52.10	339.89
उत्तर प्रदेश	1.00	--	1050.00	1051.00
कर्नाटक	13.44	0.01	--	13.45

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	15.40	--	--	15.40
मध्य प्रदेश	--	7.26	7.60	14.86
पाण्डिचेरी	--	--	6.85	6.85

पॉलिस्टर कपड़े का उत्पादन

2623. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र में पॉलिस्टर कपड़े का उत्पादन आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने इस परिवर्तन को स्वीकार किया है;

(ग) उक्त कार्य आरंभ होने के बाद से कितने कपड़े का उत्पादन हो चुका है; और

(घ) सरकार द्वारा उत्पादकों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) 1987-88 की हथकरघा गणना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पाण्डिचेरी राज्य पोलिस्टर एवं मिश्रित कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं और ऐसे कपड़े का कुल उत्पादन 30.83 मिलियन मीटर था।

(घ) हथकरघा क्षेत्र में पोलिस्टर तथा मिश्रित कपड़े के उत्पादकों सहित सभी हथकरघा कपड़े के उत्पादक सरकार की विभिन्न चालू हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत सहायता लेने के पात्र हैं, जिसमें निवेश आपूर्ति सहायता, प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, उत्पादन कल्याण क्रियाकलाप आदि शामिल हैं।

बी. सी. सी. एल. के स्थाई आदेश

2624. **श्री मोइनुल हसन** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.सी.सी.एल के स्थायी आदेश में खंड 28 प्रबंधन को बिना जांच किए किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस खंड के अंतर्गत 31.3.1998 तक कितने श्रमिकों की सेवा समाप्त की गई है;

(घ) क्या इस तरह का खण्ड आदर्श स्थायी आदेश या किसी अन्य कोयला कंपनी के स्थायी आदेश में नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो बी.सी.सी.एल. के स्थायी आदेश में इसे सम्मिलित करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या किसी मजदूर संघ ने इस स्थायी आदेश को प्रमाणित करते हुए इस खण्ड का अनुमोदन किया था; और

(छ) यदि हां, तो उन मजदूर संघों के नाम क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) भा.को.को.लि. के प्रमाणीकृत स्थायी आदेश के खंड 28.0 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए : —

कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया :

"जहां किसी श्रमिक को न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोषी सिद्ध किया गया हो अथवा जहां कंपनी के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक लिखित रूप से रिकार्ड किए जाने वाले उन कारणों से संतुष्ट हों, कि किसी श्रमिक के नियोजन को जारी रखना अनुचित है अथवा सुरक्षा के हितों के विरुद्ध होगा, तो उस श्रमिक को स्थायी आदेश सं. 27 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना भी सेवा से हटाया अथवा मुक्त किया जा सकता है।"

(ग) 41 (इकतालीस) श्रमिक।

(घ) 4 अन्य कोयला कंपनियों के प्रमाणिकृत स्थायी आदेश अथवा मॉडल स्थायी आदेश में ऐसा कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है।

(ङ) चूंकि भा.को.को.लि. को प्रारंभ में इस्पात मंत्रालय के अधीन रखा गया था, अतः भारतीय इस्पात प्राधिकरण के स्थायी आदेश में विद्यमान इसी प्रकार के प्रावधानों के समान ही भा.को.को.लि. के स्थायी आदेश में यह खंड शामिल किया गया था। मजदूर यूनियनों तथा प्रबंधन के साथ उचित विचार-विमर्श किए जाने के बाद ऐसा किया गया था और इसे भारत सरकार के प्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा उचित रूप से अनुमोदित भी किया गया था।

(च) और (छ) जी, हां। कोयला पट्टी में कार्यरत विभिन्न मजदूर यूनियनों को नोटिस भेजे गए थे। केन्द्रीय रूप से सम्बद्ध 5 (पांच) मजदूर यूनियनों, नामतः राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इंटक), कोयला इस्पात मजदूर पंचायत और जनता मजदूर संघ (दोनों ही एच.एम.एस.) भारतीय कोलियरी कामगार यूनियन (सीटू), युनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन (आईटक) तथा धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ (बी.एस.एस.) सहित 15 यूनियनों के प्रतिनिधि प्रमाणित किए जाने की तिथि पर उपस्थित थे। विभिन्न यूनियनों तथा प्रबंधन के विचार सुनने के बाद, तत्कालीन अपीलीय प्राधिकरण अर्थात् संयुक्त प्रमुख श्रम आयुक्त ने दिनांक 12-10-1990 को उन स्थायी आदेशों को प्रमाणीकृत कर दिया, जिसमें खंड 28.0 भी शामिल था।

[हिन्दी]

बैंक आफ बड़ौदा में धोखाधड़ी

2625. श्री कीर्ति वर्धन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व फैजाबाद स्थित बैंक आफ बड़ौदा की एक शाखा से जाली हस्ताक्षर करके लाखों रुपए निकाल लिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उसमें शामिल व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा कितनी धनराशि का गबन किया गया था; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि फैजाबाद की रफीगंज शाखा में वर्ष 1991 में जाली एम टी/जाली ओ.बी.सी. जमापत्रों को भुनाकर दो धोखाधड़ियां की गई थी, जिनमें 1,27,600 रुपए की धनराशि अंतर्ग्रस्त थी। एक अधीनस्थ कर्मचारी, श्री राम नरेश सिंह ने उक्त धोखाधड़ियां करने की बात स्वीकार की और उससे धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त 49,500 रुपए जो राशि बैंक द्वारा वसूल की गई है। इस कर्मचारी को जुलाई, 1997 में बर्खास्त कर दिया गया था।

[अनुवाद]

गरम पानी के प्राकृतिक चश्मे

2626. डा० जयंत रंगपी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार गरम पानी के प्राकृतिक चश्मे कहां-कहां हैं;

(ख) क्या सरकार का इन स्थानों को पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए विशिष्ट योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) पर्यटक रुचि के देश में हाट स्प्रिंग (उष्ण झरने) हिमाचल प्रदेश में ताता पानी और मनीकरन में, उड़ीसा में ताता पानी, सिक्किम में फुरचाचू और युमथंग, बिहार में राजगीर तथा हरियाणा में सोहना में स्थित हैं।

(ख) से (घ) पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास की एक योजना शुरू की गयी है जिसमें शामिल हैं-प्राकृतिक झरनों के आस-पास पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराना। राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वे ऐसी परियोजनाओं के विस्तृत प्रस्ताव, जो पर्यटन की दृष्टि से आवश्यक हो, भेजें।

करेंसी नोटों की कालाबाजारी

2627. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि कम मूल्य वर्ग यथा, 1 रुपया, 2 रुपये तथा 5 रुपये मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों की कमी ने इन नोटों की कालाबाजारी को बढ़ावा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में उपचारात्मक उपाय करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) सरकार को एक रुपए, दो रुपए और पांच रुपए के नोटों की काला-बाजारी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन (आई.डी.ए.) से ऋण

2628. श्री संदीपान थोरात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.डी.ए. (अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन) भारत को 30 से 40 साल की परिपक्वता पर ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां तो आई.डी.ए. ने इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ग) सरकार द्वारा अभी तक कितने ऋण का लाभ उठाया गया है;

(घ) किन क्षेत्रों में इन ऋणों का उपयोग किया गया है;

(ङ) ऐसी ऋण राशि का उपयोग करते समय सरकार द्वारा क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं;

(च) इस ऋण से शुरू की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(छ) आज की तिथि के अनुसार ये परियोजनाएं किस अवस्था में हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन के ऋणों की परिपक्वता अवधि 35 से 40 वर्ष है जिसमें मूल राशि की पुनः अदायगी के संबंध में 10 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है। लघु सेवा प्रभार को छोड़कर जिस पर वर्तमान में 0.75 प्रतिशत का ब्याज प्रभार लिया जाता है, किसी और ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता।

(ग) 28 जून, 1998 तक सरकार द्वारा प्राप्त की गई कुल ऋण राशि अमरीकी डालर में 21453.7 मिलियन है।

(घ) इन राशियों का उपयोग विद्युत, जल संसाधन, भूतल परिवहन, कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों, शहरी स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण, ग्रामीण विकास, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में किया गया था।

(ङ) से (छ) सरकार से धन ऋणों का भली भांति उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। सभी परियोजनाओं की सूची जिनके समक्ष ऋण हैं, संलग्न विवरण-I में उपलब्ध है और जो परियोजनाएं चालू हैं, उन्हें संलग्न विवरण-II में सूचीबद्ध किया गया है।

विवरण-I

भारत 28 जून, 1998 की स्थिति के अनुसार ऋण स्थिति

वित्तदाता विकल्प आई.डी.ए. (राशि मिलियन में)

चुनिंदा 285 चालू और निष्क्रिय ऋण परियोजना नाम	मूल राशि	असंवि०	संवि०	अनुमोदन	ह० तिथि	प्रभावी ति.	समापन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
राजमार्ग	60.00	0.00	59.47	20.06.61	21.06.61	25.08.61	30.6.67
नलकूप	6.00	0.00	6.00	5/6/61	6/9/61	12/12/61	30.9.64
शेतरून्जी सिंचाई	4.50	0.00	3.39	14.11.61	22.11.61	31.01.62	31.12.65
सलांदी सिंचाई	8.00	0.00	7.50	14.11.61	22.11.61	31.01.62	30.06.69
पंजाब बाढ़ नियंत्रण	10.00	0.00	10.00	14.11.61	22.11.61	3/2/62	30.9.66
दुर्गापुर विद्युत विस्तार	18.50	0.00	16.50	13.02.62	14.02.62	7/11/62	31.12.69
सोन सिंचाई	15.00	0.00	15.00	29.6.62	29.06.62	23.10.62	31.12.67
पूर्णा सिंचाई	13.00	0.00	13.00	7/7/62	18.07.62	23.10.62	30.09.68
कोयना सिंचाई	17.50	0.00	17.50	7/8/62	8/8/62	24.10.62	30.09.70
मुम्बाई पत्तन	18.00	0.00	15.00	10/7/62	14.09.62	1/11/62	31.12.67
दूर संचार I	42.00	0.00	41.79	13.09.62	14.09.62	1/11/62	30.4.67
रेलवे	67.50	0.00	67.50	21.03.62	22.03.63	2/5/63	31.08.64
कोठागुदेम विदूयम	20.00	0.00	20.00	23.05.63	24.05.63	3/7/63	31.12.68
औद्योगिक आयात I	90.00	0.00	90.00	4/6/64	09.06.64	16.07.64	30.06.66
दूरसंचार I	33.00	0.00	33.00	2/7/64	06.07.64	4/8/64	31.03.67
रेलवे	62.00	0.00	62.00	26.10.64	26.10.64	19.11.64	31.01.66
औद्योगिक आयात II	100.00	0.00	100.00	10/8/65	11/8/65	10.9.65	30.6.67
रेलवे	68.00	0.00	68.00	28.06.66	29.06.66	3/8/66	30.6.68
बीस विद्युत उपस्कर	23.00	0.00	22.73	28.06.66	29.06.66	31.10.66	30.06.74
औद्योगिक आयात III	150.00	0.00	150.00	18.08.66	19.08.66	3/10/66	31.12.68
औद्योगिक आयात IV	65.00	0.00	65.00	22.12.66	23.12.66	26.01.67	31.12.69
औद्योगिक आयात V	125.00	0.00	125.00	14.01.69	22.01.69	26.02.69	30.06.70
दूर संचार I	27.50	0.00	27.50	17.06.69	18.06.69	14.07.69	31.12.72

1	2	3	4	5	6	7	8
रेलवे x	551.00	1.00	551.00	23.09.69	24.09.69	4.11.69	30.09.71
कडाना सिंचाई	35.00	0.00	35.00	3/2/70	9/2/70	29.07.70	30.09.76
औद्योगिक आयात IV	75.00	0.00	75.00	21.04.70	24.04.70	27.05.70	31.12.71
गुजरात कृषि ऋण	35.00	0.00	35.00	5/5/70	3/6/70	14.09.70	31.03.75
पंजाब कृषि ऋण	27.50	0.00	27.50	11.06.70	24.06.70	4/9/70	30.06.77
ऋण–आंध्र प्रदेश	24.40	0.00	24.40	15.12.70	8/1/71	10.05.71	30.06.77
कृषि	6.00	0.00	0.00	20.10.70	28.01.71	25.05.71	31.12.74
दूरसंचार I	78.00	0.00	78.00	27.04.71	3/5/71	25.06.71	30.09.75
विद्युत पारेषण	75.00	0.00	72.93	27.04.71	3/5/71	29.07.71	31.03.77
ऋण–हरियाणा	25.00	0.00	25.00	1/6/71	11/6/71	2/11/71	30.06.77
ऋण–तमिलनाडु	35.00	0.00	35.00	1/6/71	11/6/71	2/11/71	31.12.77
उर्व. कोचीन	20.00	0.00	19.89	1/7/71	30.07.71	7/12/71	30.06.77
अन्न भण्डारण	5.00	0.00	5.00	20.07.71	23.08.71	14.11.72	30.09.79
सिंचाई पीचम्प पडे	39.00	0.00	39.00	6/7/71	23.08.71	15.11.71	31.03.77
ऋण मैसूर	40.00	0.00	40.00	21.12.71	7/1/72	25.09.72	30.06.77
उर्वरक–गोरखपुर	10.00	0.00	10.00	21.12.71	7/1/72	5/4/72	31.03.76
रेलवे x I	75.00	0.00	75.00	11.01.72	24.01.72	25.02.72	30.09.74
ऋण–महाराष्ट्र	30.00	0.00	30.00	29.02.72	29.03.72	30.01.73	30.06.76
बिहार होलसेल मार्क	14.00	0.00	14.00	29.02.72	29.03.72	31.07.72	31.12.79
जनसंख्या	21.20	0.00	21.20	30.05.72	14.06.72	9/5/73	30.06.80
औद्योगिक आयात VII	75.00	0.00	75.00	8/6/72	26.09.72	19.10.72	30.11.73
परिवहन प्रेषण	83.00	0.00	83.00	7/3/72	26.09.72	6/12/72	30.06.75
शिक्षा कृषि विश्वविद्यालय	12.00	0.00	12.00	24.10.72	10/11/72	8/6/73	31.12.82
(डी.एफ.सी.) आई.डी.बी.आई I	25.00	0.00	16.56	9/1/73	9/2/73	22.06.73	30.09.79
सार्वजनिक क्षेत्र उर्वरक एन.ए.	58.00	0.00	58.00	30.01.73	9/2/73	11.05.73	31.03.77
विद्युत पारेषण	85.00	0.00	85.00	27.03.73	9/5/73	28.09.73	30.09.78
कृषि मैसूर बाजार	8.00	0.00	8.00	27.03.73	9/5/73	7/9/73	30.06.81
बम्बई-जलपूर्ति	55.00	0.00	55.00	15.05.73	22.01.74	13.03.74	30.06.81
कृषि ऋण मध्य प्रदेश	33.00	0.00	33.00	24.05.73	8/6/73	10.10.73	31.12.77
कृषि ऋण उत्तर प्रदेश	38.00	0.00	38.00	24.05.73	8/6/73	31.10.73	31.12.77
औद्योगिक आयात VIII	100.00	0.00	100.00	7/6/73	25.06.73	30.07.73	30.11.74
दूर संचार V	80.00	0.00	80.00	19.06.73	25.06.73	30.07.73	31.12.78
कलकत्ता शहरी	35.00	0.00	35.00	14.08.73	12/9/73	10.01.74	31.12.79
कृषि ऋण बिहार	32.00	0.00	32.00	23.10.73	29.11.73	29.03.74	31.03.80
रेलवे x II	80.00	0.00	80.00	18.12.73	21.12.73	25.02.74	30.09.75

1	2	3	4	5	6	7	8
कृषि सेव प्रसंस्करण	131.00	1.00	131.00	8.01.74	22.01.74	26.09.74	31.12.81
औद्योगिक आयात -Ix	150.00	0.00	150.00	28.05.74	29.05.74	24.06.74	30.11.75
उर्वरक - ट्राम्बे	50.00	0.00	50.00	18.06.74	19.06.74	21.06.74	30.06.80
कृषि ऋण डेयरी I	30.00	0.00	29.33	13.06.74	19.06.74	23.12.74	30.09.84
राजस्थान नहर (सीएडी)	83.00	0.00	83.00	16.07.74	31.07.74	12/12/74	30.06.83
उर्वरक सिन्दरी	91.00	0.00	91.00	26.11.74	18.12.74	27.02.75	31.03.80
डेयरी-राजस्थान	27.70	0.00	23.32	5/12/74	18.12.74	8/8/75	31.12.83
डेयरी मध्य प्रदेश	16.40	0.00	16.40	5/12/74	18.12.74	23.07.75	31.03.83
सुखा प्रणत क्षेत्र	35.00	0.00	35.00	5/12/74	24.01.75	9/6/75	30.06.81
औद्योगिक आयात x	100.00	0.00	100.00	11.02.75	14.02.75	31.03.75	30.06.76
औद्योगिक आयात x	100.00	0.00	100.00	27.02.75	7/3/75	31.03.75	30.06.76
सिंचाई गोदावरी बांध	45.00	0.00	45.00	11.02.75	7/3/75	9/6/75	30.06.81
कृषि ऋण ए आर सी I	75.00	0.00	75.00	15.04.75	28.04.75	5/8/75	31.12.77
प. बंगाल कृषि विकास	34.00	0.00	34.00	22.04.75	28.04.75	28.08.75	31.03.81
सी ए डी चम्बल (मध्य प्रदेश)	24.00	0.00	24.00	17.06.75	20.06.75	18.09.75	30.06.81
ग्रामीण विद्युतीकरण	57.00	0.00	57.00	8/7/75	23.07.75	23.10.75	31.12.80
रेलवे x III	110.00	0.00	110.00	19.08.75	26.08.75	10.10.75	30.09.78
जलापूर्ति एवं मलव्ययन	40.00	0.00	31.58	19.08.75	25.09.75	6/2/76	31.12.82
उर्वरक उद्योग	105.00	0.00	101.88	16.12.75	31.12.75	1/3/76	31.12.82
विद्युत IV	150.00	0.00	149.87	13.01.76	22.01.76	22.10.76	30.06.83
वानिकी तकनीकी सहायता	4.00	0.00	3.03	30.12.75	26.02.76	17.05.76	31.12.82
कपास विकास	18.00	0.00	17.99	27.01.76	26.02.76	30.11.76	31.03.84
औद्योगिक आयात x I	200.00	0.00	200.00	24.02.76	26.02.76	1/4/76	30.06.78
केरल कृषि विकास	30.00	0.00	30.00	17.02.77	1/4/77	29.06.77	31.03.86
उड़ीसा कृषि	20.00	0.00	18.68	22.02.77	1/4/77	28.06.77	30.06.84
सिंगरोली सुपर थर्मल	150.00	0.00	150.00	1/3/77	1/4/77	28.06.77	30.06.84
मद्रास शहरी	24.00	0.00	24.00	8/3/77	1/4/77	30.6.77	31.12.82
प. बंगाल विस्तार एवं पुनर्स्थापन	12.00	0.00	6.85	22.03.77	1/6/77	30.8.77	31.03.85
गुजरात मत्स्य पालन	4.00	0.00	4.00	31.03.77	22.04.77	19.07.77	30.06.83
विस्तार एवं पुनर्स्थापक-मध्य प्रदेश	10.00	0.00	9.74	12/5/77	1/6/77	2/9/77	30.09.83
ए आर डी सी II	200.00	0.00	200.00	24.05.77	1/6/77	24/08/77	31.12.79
पेरियार वेगाई कृषि	23.00	0.00	23.00	2/6/77	30.06.77	30.09.77	31.12.84
असम कृषि विकास	8.00	0.00	8.00	28.06.77	30.06.77	30.09.77	31.03.85
सी ए डी महाराष्ट्रा	70.00	0.00	70.00	19.07.77	11.10.77	13.01.78	31.03.84
विस्तार एवं अनुसंधान-राजस्थान	13.00	0.00	13.00	19.07.77	14.11.77	6/2/78	30.06.83

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा सिंचाई परि.	58.00	1.00	58.00	6.09.77	11.10.77	16.01.78	31.10.83
अनाज भण्डारण II	107.00	0.00	104.51	15.11.77	6/1/78	17.05.78	30.06.85
कलकत्ता शहरी II	87.00	0.00	87.00	13.12.77	6/1/78	7/4/78	30.06.84
विस्तार एवं अनुसंधान-बिहार	8.00	0.00	4.17	27.12.77	6/1/78	2/5/78	31.03.85
कर्नाटक सिंचाई	126.00	0.00	117.64	4/4/78	12/5/78	10.08.78	31.03.86
कोरबा ताप विद्युत	200.00	0.00	199.92	18.04.78	12/5/78	14.08.78	31.03.86
जम्मू कश्मीर बागवानी परि.	14.00	0.00	6.70	18.05.78	17.07.78	16.01.79	30.06.86
गुजरात सिंचाई परियोजना	85.00	0.00	85.00	23.05.78	17.07.78	31.10.78	30.06.84
समुद्री मछली पकड़ना II	17.50	0.00	9.98	30.05.78	19.06.78	31.10.78	30.09.84
राष्ट्रीय बीज II	16.00	0.00	16.00	30.05.78	17.07.78	20.12.78	31.12.85
राष्ट्रीय डेयरी परियोजना	150.00	0.00	150.00	8/6/78	19.06.78	20.12.78	31.12.85
जलापूर्ति एवं मल व्ययन बम्बई	196.00	0.00	196.00	25.07.78	13.11.78	12/6/79	31.03.88
हरियाणा सिंचाई	111.00	0.00	111.00	8/8/78	16.08.78	14.12.78	31.08.83
रेलवे आधुनिकीकरण	190.00	0.00	190.00	8/8/78	13.11.78	10.01.79	30.09.85
पंजाब जलापूर्ति एवं मल व्ययन	38.00	0.00	35.21	12/9/78	27.10.78	25.01.79	30.09.85
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान	27.00	0.00	19.47	10.10.78	7/12/78	22.01.79	30.09.85
संयुक्त कृषि विस्तार	25.00	0.00	25.00	12/12/78	16.02.79	14.12.79	30.06.85
एन सी डी सी	30.00	0.00	30.00	21.12.78	2/2/79	3/5/79	31.12.84
रामगुन्डम ताप I	200.00	0.00	200.00	4/1/79	2/2/79	22.05.79	31.12.85
पंजाब सिंचाई	129.00	0.00	129.00	29.03.79	30.03.79	20.06.79	30.06.86
महाराष्ट्र जलापूर्ति एवं मल व्ययन	48.00	0.00	48.00	1/5/79	21.06.79	9/11/79	30.06.85
ग्रामीण विद्युतीकरण	175.00	0.00	171.75	22.05.79	21.06.79	17.10.79	31.03.84
उत्तर प्रदेश सामाजिक वानिकी	23.00	0.00	23.00	5/6/79	21.06.79	3/1/80	31.12.84
कृषि ऋण (ए आर डी सी)	250.00	0.00	250.00	12/7/79	20.08.79	2/1/80	30.6.82
महाराष्ट्र सिंचाई II	210.00	0.00	210.00	16.10.79	14.04.80	6/6/80	31.12.85
गुजरात वाणिज्यिक वन	37.00	0.00	37.00	11.12.79	14.04.80	24.06.80	31.12.85
मत्स्य पालन IV—स्थलीय	20.00	0.00	19.35	13.12.79	18.01.80	5/5/80	30.09.88
जनसंख्या II	46.00	0.00	44.24	12/2/80	14.04.80	26.06.80	31.03.88
पोषाहार	32.00	0.00	31.98	15.04.80	12/5/80	5/8/80	31.03.89
जन ट्यूब्वैल उत्तर प्रदेश	18.00	0.00	18.00	15.04.80	12/5/80	27.06.80	31.03.83
गुजरात सिंचाई II	175.00	0.00	159.26	29.04.80	12/5/80	27.06.80	30.04.89
काजू परियोजना	22.00	0.00	15.35	29.04.80	10/6/80	3/9/80	30.09.87
सिंगरोली II	300.00	0.00	300.00	22.05.80	5/6/80	30.07.80	30.06.89
केरल कृषि विस्तार	10.00	0.00	10.00	22.05.80	25.06.80	18.08.80	30.06.86
कलकत्ता शहरी परिवहन	56.00	0.00	44.57	3/6/80	27.10.80	18.12.80	31.12.85

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक रेशमपालन	54.00	0.00	53.95	3.06.80	27.10.80	18.12.80	30.09.88
राजस्थान जलापूर्ति एवं मल व्ययन	80.00	0.00	80.00	19.06.80	25.06.80	29349	31.12.88
फरक्का थर्मल	225.00	0.00	225.00	26.06.80	29532	29506	31.12.88
बिहार ग्रामीण सड़कें	26.70	0.00	26.60	29231	29718	15.01.81	30.06.88
महानदी बांध	63.30	0.00	63.30	29263	29718	29892	31.03.89
मद्रास शहरी -II	32.60	0.00	32.60	16.12.80	14.01.81	29620	31.03.89
म.प्र. एम.ई.डी. सिंचाई	112.60	0.00	106.62	29662	29671	29761	31412.00
दूरसंचार -5	252.40	0.00	239.97	17.03.81	26.03.81	24.06.81	31.12.85
कर्नाटक तालाब	43.50	0.00	43.50	19.03.81	26.03.91	29711	31.03.89
हजीरा उर्वरक	321.50	0.00	320.31	31.03.81	28.10.81	21.01.82	30.06.88
महाराष्ट्र कृषि विस्तार	18.90	0	18.90	21.04.81	7/5/81	22.07.81	30.06.87
तमिलनाडु विस्तार	22.9	0	22.84	23.04.81	7/5/81	22.07.81	30.06.87
म.प्र. कृषि विस्तार	30.3	0.00	30.3	23.04.81	7/5/81	22.07.81	30.06.89
एन.सी.डी.सी. II	101.80	0	95.75	21.05.81	21.07.81	11/11/81	30.06.91
कोरबा थर्मल II	325.6	0.00	314.57	7/7/81	4/2/82	16.03.82	31.12.91
म.प्र. विस्तृत सिंचाई	195.20	0	165.48	15.09.81	24.02.82	16.04.82	30.06.91
पं. बंगाल सामाजिक वानिकी	25.80	0	25.63	6/10/81	24.02.82	9/4/82	31.03.91
शहरी कानपुर	22.20	0	19.24	27.10.81	4/2/82	22.04.82	30.06.87
एन.आर.डी.सी.-4	139.00	0	139.00	23.02.82	24.02.82	25.05.82	30.06.84
आन्ध्र प्रदेश विस्तार	5.30	0	5.30	30.03.82	5.05.82	20.07.82	31.03.89
कलांड सिंचाइ	52.30	0	52.30	24.06.82	6.07.82	21.09.82	31.03.89
जलापूर्ति गुजरात	63.80	0	48.19	6/7/82	9/11/82	8/2/83	31.12.91
हरियाणा और जम्मू कश्मीर सामाजिक	29.4	0	29.4	3/8/82	7/9/82	7/12/82	31.03.91
चम्बल मध्य प्रदेश–II	27.6	0	26.49	7/9/82	1.12.82	1/12/82	31.03.89
स्वर्णरेखा सिंचाई	116.3	0.00	116.3	17.08.92	9/11/82	10/1/83	30.03.89
रेलवे आधुनिकीकरण और अनुरक्षण	184.70	0	184.7	6/11/82	23.12.82	23.02.83	30.09.89
हरियाणा सिंचाई–II	139.0	0	124.0	25.01.83	23.02.83	1/4/83	31.03.92
उ.प्र. ट्यूबवैल II	91.60	0	91.6	8/3/83	31.03.83	25.05.83	31.03.91
ऊपरी इन्द्रावती विद्युत	156.0	0	6.4.00	10/5/83	8/6/83	9/9/83	30.06.95
कलकत्ता शहरी III	136.3	0	75.6	19.05.83	8/6/83	7/10/83	31.03.92
महाराष्ट्र जलापूर्ति	29.6	0	29.03	9/6/83	30.06.83	27.10.83	31.10.91
उड़ीसा मध्यम सिंचाई	97.1	0	61.24	7/7/83	16.10.83	14.12.83	31.10.88
जल समर विकास/वर्षापोषित	29.40	0	19.04	8/12/83	8/2/84	29.06.84	31.12.93
जनसंख्या III	66.30	0	51.17	13.12.83	8/2/84	8/5/84	31.13.93
कर्नाटक सामाजिक वानिकी	25.6	0	23.4	20.12.83	8/2/84	22.05.84	31.03.92

1	2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु जलापूर्ति	35.3	0	35.3	29.03.84	14.11.84	22.02.85	31.12.94
पेरियार वगाई-II	16.60	0	16.6	1.05.84	12/10/84	10.01.85	30.04.91
ऊपरी गंगा सिंचाई	117.50	0	94.38	24.05.84	29.06.84	21.09.84	30.09.94
गुजरात मध्यम II	164.30	0	138.68	12.06.84	29.06.84	21.09.84	31.03.92
एन.सी.डी.सी. III	210.20	0	180.2	19.06.84	12/10/84	10.01.85	30.06.92
केरल वानिकी	30.60	0	24.8	31.07.84	12/12/84	6/3/85	31.03.93
राष्ट्रीय कृषि विस्तार	38.60	0	32.60	2/10/84	12/12/84	11.04.85	31.03.93
बंबई शहरी विकास	137.70	0	93.50	29.01.85	1/3/85	22.08.85	30.09.94
नर्मदा (गुजरात) डी.ए.	99.70	0	99.70	7/3/85	10.05.85	6/1/86	30.06.95
नर्मदा (गुजरात) सी.ए.	149.50	0	144.70	7/3/85	10.05.85	6/1/86	1/7/92
राष्ट्रीय कृषि विस्तार II	50.26	0	38.07	26.03.85	10.05.85	13.12.85	31.03.93
राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी I	166.40	0	155.40	18.06.85	24.09.85	19.02.86	31.03.93
बोधघाट पन-बिजली	12.40	0	5.35	18.06.85	24.09.85	7/11/85	30.06.94
जल संभर मैदान	42.60	7.33	35.27	15.05.90	22.08.90	28.02.91	31.03.99
जनसंख्या प्रशिक्षण (IV II)	67.10	1.25	48.25	17.05.90	23.10.90	8.3.91	30.06.98
दूसरी तमिलनाडु पाषण	73.50	0	50.63	14.06.90	14.09.90	5.12.90	31.12.97
आई सी डी एस I (ओ आर आई एस और ए एन डी एच आर)	73.60	0	57	4/9/90	23.10.90	28.01.91	31.12.97
आंध्र प्रदेश चक्रवात आपातकाल	126.10	0	126.10	4/10/90	23.10.90	26.12.90	31.03.94
कृषि विकास I (तमिलनाडु)	64.10	4.14	59.96	12/3/91	17.04.91	31.07.91	30.09.98
तकनीकी शिक्षा II	213.50	73.93	103.86	28.03.91	16.12.91	29.01.92	30.06.99
महाराष्ट्र ग्रामीण जल	76.40	19.05	57.35	2/5/91	5/6/91	31.07.91	30.06.98
बांध सुरक्षा	96.20	39.69	36.51	14.05.91	10/6/91	11.07.91	30.09.98
औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	23.40	7.97	15.43	30.05.91	8/7/91	6/11/91	30.06.96
स्वास्थ्य I (एन सी एच)	160.90	0	160.90	17.09.91	20.02.92	5/3/92	30.09.96
एस ए एल I	161	0	161	5/12/91	5/12/91	11.12.91	31.12.92
एस ए एल I	22.80	0	22.80	5/12/91	5/12/91	11.12.91	31.12.92
महाराष्ट्र वानिकी	88.90	39.20	38.10	14.01.92	29.01.92	18.05.92	30.09.98
झींगा और मछली पालन	62.90	16.92	10.08	14.01.92	29.01.92	28.05.92	30.06.99
पश्चिम बंगाल वानिकी	24.40	0	24.40	17.03.92	25.03.92	23.06.92	31.12.97
एड्स रोकथाम और	59.80	11.05	48.75	31.03.92	24.04.92	21.09.92	31.03.99
राष्ट्रीय राजमार्ग II	116.20	25.85	90.35	12/5/92	18.06.92	31.08.92	30.06.01
जनसंख्या VIII	57.70	47.37	10.33	18.06.92	4/2/94	31.05.94	30.06.01
रबड़	66.40	23.30	16.70	2/7/92	12/8/93	7/1/94	30.09.99
ए डी पी-राजस्थान	73.10	26.56	46.54	12/11/92	17.12.92	28.01.93	30.09.99

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार पठार	80.70	55.25	25.45	19.11.92	17.12.92	16.03.93	30.06.99
सामाजिक सुरक्षा नेट	62.00	0	62.00	17.12.92	17.12.92	21.12.92	31.08.94
सामाजिक सुरक्षा नेट	63.40	0	63.40	17.12.92	17.12.92	21.12.92	31.08.94
सामाजिक सुरक्षा नेट	144.60	0	144.60	17.12.92	17.12.92	21.12.92	31.12.93
सामाजिक सुरक्षा नेट	84.70	0	84.70	17.12.92	17.12.92	21.12.92	31.08.94
नवीकरणीय स्रोत	81.60	58.15	23.45	17.12.92	5/3/93	6/4/93	31.12.99
झरिया खान अग्नि नियंत्रण	8.60	0	5.65	17.12.92	20.04.93	18.08.93	30.09.97
आई सी डी एस II (बिहार और मध्य प्रदेश)	141.61	107.791	33.811	9.03.93	23.03.93	21.09.93	30.09.001
कर्नाटक डब्ल्यू एस और पर्यावरण/एस	66.30	44.52	21.78	20.04.93	4/6/93	23.02.94	31.12.99
उत्तर प्रदेश प्राथमिक	116.50	30.70	85.80	10/6/93	7/7/93	5/10/93	30.09.00
प० बंगाल लघु सिंचाई	101.00	0	40.20	2/7/85	27.09.85	20.12.85	31.03.94
महाराष्ट्र सिंचाई I	164.20	0	132.20	16.07.85	5/12/85	13.03.86	31.12.96
केरल जलापूर्ति	42.70	0	21.67	16.07.85	24.09.85	9/12/85	31.03.94
प० बंगाल जनसंख्या	51.50	0	37.95	23.07.85	24.09.85	20.12.85	31.03.94
राष्ट्रीय कृषि संसाधन	69.60	0	55.23	22.10.85	25.02.86	21.04.86	30.06.96
गुजरात शहरी	58.50	0	46.74	17.12.85	15.04.86	6/11/86	31.03.95
आन्ध्र प्रदेश सिंचाई II	127.50	0	127.50	20.03.86	28.05.86	2/10/87	30.06.94
बिहार ट्यूबैल	59.50	0	19.50	16.10.86	13.01.87	13.04.87	31.05.94
बंबई III जलापूर्ति	105.50	0	90.40	16.12.86	12.5.87	29.01.88	30.06.96
राष्ट्रीय कृषि विस्तार III	71.70	0	56.20	20.01.87	29.06.87	5/1/88	31.03.95
गुजरात ग्रामीण सड़कें	101.00	0	71.23	17.02.87	12.5.87	27.08.87	31.12.95
राष्ट्रीय जल प्रबन्धन I	93.20	0	93.20	24.03.87	12.5.87	10.08.87	31.03.95
उत्तर प्रदेश शहरी विकास	106.30	0	90.77	21.04.87	21.12.87	26.02.88	31.03.96
मद्रास जलापूर्ति	12.50	0	12.50	17.06.87	21.12.87	17.03.88	31.12.95
सूखा सहायता	156.30	0	156.30	24.11.87	25.11.87	16.12.87	31.03.89
राष्ट्रीय डेयरी II	121.20	0	121.20	15.12.87	13.01.88	8/4/88	31.12.97
तमिलनाडु शहरी	216.50	0	183.71	15.06.88	16.09.88	7.11.88	30.09.97
बंबई एवं मद्रास जनसंख्या	41.00	0	37.28	21.06.88	16.09.88	23.12.88	31.03.96
राष्ट्रीय बीज III	106.60	0	106.60	25.08.88	22.12.88	28.09.89	30.06.96
राज्य सड़कें I	62.20	0	62.20	21.10.88	17.11.88	2/3/89	30.06.95
व्यावसायिक प्रशिक्षण	189.20	12.31	88.99	27.04.89	16.06.89	8/8/89	31.12.98
ऊपरी कृष्णा चरण	119.00	0	119.00	4.5.89	16.06.89	17.08.89	31.12.96
राष्ट्रीय रेशम उत्पादन	113.81	1	82.31	18.05.91	16.06.89	14.09.89	31.12.96
परिवार कल्याण प्रशिक्षण	87.20	0	53.80	29.06.89	11.09.89	23.02.90	31.05.97
प्रौद्योगिकी विकास	44.20	1.64	42.56	12.9.89	8.12.89	1.5.90	31.12.97

1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब सिंचाई और जल निकास	117.70	13.68	100.32	14.12.89	9.2.90	13.03.90	31.07.98
जलसंभर पहाड़	56.80	18.18	38.62	6.3.90	11.01.91	10.05.91	30.06.99
हैदराबाद जल/मल व्यवस्था	63.90	10.19	53.71	27.03.90	23.05.90	28.09.90	31.03.98
तकनीकी शिक्षा I	178.20	23.12	136.68	15.90	13.08.90	5.12.90	30.06.98
उत्तर प्रदेश लवणीय भूमि सुधार	39.50	17.81	21.69	10/6/93	24.06.93	4/8/93	31.03.01
राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण	60.00	26.05	27.55	29.06.93	4/2/94	22.03.94	31.03.00
वानिकी अनुसंधान ई.डी	33.80	20.36	13.44	24.02.94	9/3/94	30.09.94	31.12.99
आन्ध्र प्रदेश वानिकी	55.60	28.41	27.19	24.02.94	9/3/94	29.07.94	30.09.00
जल संसाधन समेकन	187.30	123.07	64.23	29.03.94	6/4/94	24.06.94	31.12.00
महाराष्ट्र भूकम्प	177.00	17.02	138.98	31.03.94	6/4/94	27.06.94	30.06.98
अन्धता नियंत्रण	85.30	66.18	19.12	12.5.94	19.05.94	20.09.94	30.06.01
जनसंख्या -9	62.70	44.09	18.61	16.06.94	24.06.94	31.01.95	31.12.01
औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	17.70	16.36	1.34	26.07.94	21.11.94	1/3/95	31.03.02
जिला प्राथमिक शिक्षा	180.00	112.13	67.87	22.11.94	22.12.94	28.03.95	31.03.02
आन्ध्र प्रदेश प्रथम रैफ स्वास्थ्य	90.70	71.23	19.47	1/12/94	22.12.94	1/3/95	31.03.02
कृषि मानव संसाधन विकास	40.50	29.78	10.72	30.03.95	11.04.95	4/8/95	31.12.00
मध्य प्रदेश वानिकी	39.40	22.95	16.45	30.03.95	11.04.95	29.09.95	31.12.99
असम ग्रामीण आधारभूत	81.00	76.99	4.01	25.05.95	6/6/95	31.08.95	31.12.03
तमिलनाडु डब्ल्यू. आर.सी.पी.	181.90	170.39	11.51	20.06.95	22.09.95	14.12.95	31.03.02
बी.मल. व्यवस्था	15.90	0	15.90	6/7/95	28.12.95	22.03.96	31.12.02
जल विज्ञान परियोजना	90.10	81.27	8.83	22.08.95	22.09.95	20.12.95	31.03.02
उड़ीसा डब्ल्यू आर.सी.पी.	194.80	140.83	53.97	19.12.95	5/1/96	30.01.96	30.09.02
राज्य स्वास्थ्य पद्धति II	235.50	216.85	18.65	21.03.96	18.04.96	27.06.96	31.03.02
आई.एल.एफ.एस.-बुनियादी वित्त	3.40	3.40	0	28.03.96	10/7/96	22/11/96	30.09.01
कोयला पर्यावरण और सामाजिक प्रशासन	43.30	39.04	4.26	16.05.96	5/6/96	23.07.96	30.06.01
जिला प्राथमिक शिक्षा -II	291.70	273.86	17.84	6/6/96	15.07.96	13.10.96	30.06.03
पारिस्थितिकी विकास	19.50	17.13	2.37	5/9/96	30.09.96	27.12.96	30.06.02
पर्यावरण क्षमता निर्माण टी.ए.	34.70	32.54	2.16	23.12.96	14.03.97	13.05.97	30.06.03
तपेदिक नियंत्रण	98.40	94.81	3.59	30.01.97	14.03.97	8/5/97	31.12.02
ग्रामीण महिला विकास	13.50	0	0	27.03.97		30.06.02	
आन्ध्र प्रदेश आपातकाल चक्रवात	72.10	65.78	6.32	6/5/97	3/6/97	9/7/97	31.07.00
आन्ध्र प्रदेश सिंचाई III	108.10	64.58	43.52	20.05.97	3/6/97	3/7/97	31.01.03
मलेरिया नियंत्रण	119.20	115.10	4.10	12/6/97	30.07.97	30.09.97	31.03.03
कोयला क्षेत्र पुनर्वास	1.50	0	0	9/9/97	19.03.98	17.06.98	30.06.03
डी.पी.ई.पी III (बिहार)	111.80	108.46	3.34	4/12/97	23.02.98	30.03.98	30.09.03
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा II	43.70	38.13	5.57	4/12/97	3.03.98	30.03.98	30.09.00

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश वानिकी	391.00	35.591	3.411	9.12.97	30.12.97	19.03.98	31.07.02
राष्ट्रीय कृषि टैक्नोलॉजी	73.80	0	0	17.03.98	22.06.98		31.12.03
केरल वानिकी	28.80	0	0	24.03.98			31.12.02
आन्ध्र प्रदेश अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण	179.40	0	0	25.06.98			31.03.04
तमिलनाडु जलापूर्ति	35.30	0	35.3	29.03.84	14.11.84	22.02.85	31.12.94
पेरियार वगाई II	16.60	0	14.8	1.05.84	12/10/84	10.01.85	31.10.93
बोधघाट-पन बिजली	122.00	0	0.51	17.05.84	1/3/85	18.06.85	30.06.94
प्रणनक स्वास्थ्य I	179.50	174.33	5.17	28.05.97	30.07.97	1/10/97	31.03.03
"डमी फॉर" इंडिया	1.50	0	0	4/10/93	5/10/93	5/10/93	31.07.94
मध्य प्रदेश वानिकी	0.28	0	0	20.04.94	7/7/94	1/8/94	30.06.95
तपेदिक नियंत्रण	1.20	0	0	18.11.94	30.11.94	22.12.94	31.03.97
पारिस्थितिकी विकास	2.00	0	0	30.01.95	31.01.95	9/3/95	28.02.97
मुबई शहरी आधारभूत प्रशिक्षण	2.00	0	0.02	10.02.95	13.02.95	14.03.95	31.12.96
उत्तर प्रदेश वानिकी	0.97	0.85	0.12	29.11.95	20.06.96	24.07.96	31.07.98
उत्तर प्रदेश डी.आई.वी. कृषि सहयोग	1.00	0.80	0.20	21.02.96	5/4/96	22.04.96	30.09.98
ग्रामीण महिलाओं का विकास	0.25	0.06	0.19	22.04.96	20.08.96	12/9/96	31.07.98
केरल वानिकी	0.56	0.56	0	17.12.97	23.12.97	15.01.98	30.09.98

विवरण II

भारत

28 जून, 1998 की स्थिति के अनुसार ऋण स्थिति

आई.डी.ए.

चुनिन्दा चालू 62 ऋण

(राशि मिलियन में)

परियोजना का नाम	असंवितरित राशि	मूल	संवितरित	अनुमोदन तिथि	ह० तिथि	प्रभावी तिथि	समापन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
आ.प्र. आपात चक्रवात	72.10	65.78	6.32	6/5/97	3/6/97	9/7/97	31.07-00
एडीपी-राजस्थान	73.10	26.56	46.54	12/11/92	17.12.92	28.01.93	30.09.99
कृषि विकास I (तमिलनाडु)	64.10	4.14	59.96	12/3/91	17.04.91	31.07.91	30.09.98
कृषि मानव संसाधन विकास	40.50	29.78	10.72	30.03.95	11.04.95	4/8/95	31.12.00
एड्स निरोध	59.80	11.05	48.75	31.03.92	24.04.92	21.09.92	31.03.99
आन्ध्र प्रदेश वानिकी	55.60	28.41	27.19	24.02.94	9/3/94	29.07.94	30.09.00
आ.प्र. I रेफ. स्वास्थ्य एस.	90.70	71.23	19.47	1/12/94	22.12.94	1/3/95	31.03.02
आ.प्र. सिंचाई III	108.10	64.58	43.52	20.05.97	3/6/97	3/7/97	31.01.03
असम ग्रामीण आधारभूत संरचना	81.00	76.99	4.01	25.05.95	6/6/95	31.08.95	31.12.03
बिहार पठार	80.70	55.25	25.45	19.11.92	17.12.92	16.03.93	30.06.99
अंधता नियंत्रण	85.30	66.18	19.12	12/5/94	19.05.94	31.01.95	30.06.01

1	2	3	4	5	6	7	8
कोयला पर्या. और सा. प्र.	43.30	39.04	4.26	16.05.96	5/6/96	23.07.96	30.06.01
कोयला क्षेत्र पुनर्वास	1.50	0.00	0.00	9/9/97	19.03.98	17.06.98	30.06.03
बांध सुरक्षा	96.20	39.69	36.51	14.05.91	10/6/91	1-07-91	30.09.96
जिला प्राथमिक शिक्षा 2	291.70	273.86	17.84	6/6/96	15.07.96	13.10.96	30.06.03
जिला प्राथमिक शिक्षा	180.00	112.13	67.87	22.11.94	22.12.94	28.03.95	31.03.02
डी.पी.ई.पी. III (बिहार)	111.80	108.46	3.34	4/12/97	23.02.98	30.03.98	30.09.03
पारिस्थितिकी विकास	19.50	17.13	2.37	5/9/96	30.09.96	27.12.96	30.06.02
पर्या. क्षमता निर्माण टी.ए.	34.70	32.54	2.16	23.12.96	14.03.97	13.05.97	30.06.03
वानिकी अनुसंधान ई.डी.	33.80	20.36	13.44	24.02.94	9/3/94	30.09.94	31.12.99
हैदराबाद डब्ल्यू.एस.	63.90	10.19	53.71	27.03.90	23.05.90	28.09.90	31.03.96
पन-बिजली परियोजना	90.10	81.27	8.83	22.08.95	22.09.95	20.12.95	31.03.02
आई.सी.डी.एस II (बिहार और मध्य प्रदेश)	141.60	107.79	33.81	9/3/93	23.03.93	21.09.93	30.09.00
आई.एल.एफ.एस. इन्फ्रा वित्त	3.40	3.40	0.00	28.03.96	10/7/96	22.11.96	30.09.01
प्रौद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	23.40	7.97	15.43	30.05.91	8/7/91	6/11/91	30.06.98
प्रौद्योगिक प्रदूषण निवारण	17.70	16.36	1.34	26.07.94	21.11.94	1/3/95	31.03.02
कर्नाटक डब्ल्यू.एस. एण्ड पर्या./एस.	66.30	44.52	21.78	20.04.93	4/6/93	23.02.94	31.12.99
केरल वानिकी	0.56	0.56	0.00	17.12.97	23.12.97	15.01.98	30.09.98
महाराष्ट्र भूंकप	177.00	17.02	138.98	31.03.94	6/4/94	27.06.94	30.06.98
महाराष्ट्र वानिकी	88.90	39.20	38.10	14.01.92	29.01.92	18.05.92	30.09.98
महाराष्ट्र ग्रामीण डब्ल्यूएस.	76.40	19.05	57.35	2/5/91	5/6/91	31.07.91	30.06.98
मलेरिया नियंत्रण	119.20	115.10	4.10	12/6/97	30.07.97	30.09.97	31.03.03
मध्य प्रदेश वानिकी	39.40	22.95	16.45	30.03.95	11.04.95	29.09.95	31.12.99
राष्ट्रीय राजमार्ग II	116.20	25.85	90.35	12/5/92	18.06.92	31.08.92	30.06.01
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन	60.00	26.05	27.55	29.06.93	4/2/94	22.03.94	31.03.00
उड़ीसा डब्लयूआरसीपी.	194.80	140.83	53.97	19.12.95	5/1/96	30.01.96	30.09.02
जनसंख्या प्रशिक्षण (7)	67.10	1.25	48.25	17.05.90	23.10.90	8/3/91	30.06.98
जनसंख्या 9	62.70	44.09	18.61	16.06.94	24.06.94	20.09.94	31.12.01
जनसंख्या 8	57.70	47.37	10.33	18.06.92	4/2/94	31.05.94	30.06.01
सिंचाई तथा जल निकास	117.70	13.68	100.32	14.12.89	9/2/90	13.03.90	31.07.98
नवीनीकरण योग्य संसाधन	81.60	58.15	23.45	17.12.92	5/3/93	6/4/93	31.12.99
प्रज्जनक स्वास्थ्य I	179.50	174.33	5.17	28.05.97	30.07.97	1/10/97	31.03.03
रबर	66.40	23.00	16.70	2/7/92	12/8/93	7/1/94	30.09.99
ग्रामीण महिला विकास	0.25	0.06	0.19	22.04.96	20.08.96	12/9/96	31.07.98
झींगी तथा मत्स्य पालन	62.90	16.92	10.08	14.01.92	29.01.92	28.05.92	30.06.99
राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था II	235.50	216.85	18.65	21.03.96	18.04.96	27.06.96	31.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु डब्ल्यूआरसीपी.	181.90	170.39	11.51	20.06.95	22.09.95	14.12.95	31.03.02
तकनीकी शिक्षा I	78.20	23.12	136.68	1/5/90	13.08.90	5/12/90	30.06.98
तकनीकी शिक्षा II	213.50	73.93	103.86	28.03.91	16.12.91	29.01.92	30.06.99
प्रौद्योगिकी विकास	44.20	1.64	42.56	12/9/89	8/12/89	1/5/90	31.12.97
क्षयरोग नियंत्रण	98.40	94.81	3.59	30.01.97	14.03.97	8/5/97	31.12.02
उत्तर प्रदेश वानिकी	39.00	35.59	3.41	9/12/97	30.12.97	19.03.98	31/7/2002
उत्तर प्रदेश वानिकी	0.97	0.85	0.12	29.11.95	20.06.96	24.07.96	31.07.98
उत्तर प्रदेश प्राथ. शिक्षा II	43.70	38.13	5.57	4/12/97	3/3/98	30.03.98	30.09.00
उ.प्र. कृषि विकास सहायता	1.00	0.80	0.20	21.02.96	5/4/96	22.04.96	30.09.98
उ.प्र. सोडिक लैंडस रिक्ले.	39.50	17.81	21.69	10/6/93	24.06.93	4/8/93	31.03.01
उत्तर प्रदेश प्राथमिक	116.50	30.70	85.80	10/6/93	7/7/93	5/10/93	30.09.00
व्यावसायिक प्रशिक्षण	189.20	12.31	88.99	27.04.89	16.06.89	8/8/89	31.12.98
जल संसाधन समेकन एच	187.30	123.07	64.23	29.03.94	6/4/94	24.06.94	31.12.00
पश्चिमी बंगाल वानिकी	24.40	0.00	24.40	17.03.92	25.03.92	23.06.92	31.12.97
जल संभर पहाड़ी	56.80	18.18	38.62	6/3/90	11.01.91	10.05.91	30.06.99
जल संभर मैदानी	42.60	7.33	35.27	15.05.90	22.08.90	28.02.91	31.03.99

क्वायर ज्यो टेक्सटाइल

2629. **श्री जी.एम. बनातवाला :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने क्वायर ज्यो-टेक्सटाइल के विनिर्माण तथा देश में इसके प्रसार के लिए क्वायर को-ओपरेटिवों के सहायतार्थ केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने क्वायर ज्यो-टेक्सटाइल के विनिर्माण और देश तथा विदेश में इसके प्रचार-प्रसार के लिए क्वायर को-ओपरेटिवों के सहायतार्थ राज्य सरकार को 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ) सरकार क्वायर ज्यो-टेक्सटाइल सहित क्वायर उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। सरकार अपनी अनेक योजनाओं के लिए क्वायर बोर्ड को प्रतिवर्ष बजटीय अनुदान दे रही है। क्वायर ज्यो-टेक्सटाइल को लोकप्रिय बनाने के लिए, क्वायर बोर्ड ने ब्रिटिश और जर्मन क्वायर संस्थाओं के साथ संयुक्त प्रचार कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने जनवरी, 1998 में हनओवर, जर्मनी में आयोजित "डामोटेक्स" विश्व व्यापार मेले में और फरवरी, 1998 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भूमि कटाव नियंत्रण हेतु आयोजित 29वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया है। क्वायर ज्यो-टेक्सटाइल का उपयोग प्रयोगात्मक आधार पर कोंकण रेलवे परियोजना पर किया गया है और इसके अन्तिम परिणामों की प्रतीक्षा है।

सोने का आयात

2630. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान विभिन्न विमानपत्तनों से विमानपत्तन-वार कुल कितना सोना देश में लाया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सीमा शुल्क विभाग ने इन पर कुल कितना राजस्व प्राप्त किया;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे अधिकतर सोना आयात किया गया;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाड़ी देशों के अधिकांश यात्री कतिपय अवैध गिरोहों के लिए वाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयातित सोने की कुल मात्रा और उससे अर्जित राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अधिकांश सोना खाड़ी के देशों और सिंगापुर से आयात किया गया है।

(घ) और (ङ) सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जांच किए गए कुछेक मामलों में, यह दिखाई दिया कि वापस लौटने वाले अनिवासी भारतीयों को वायुयान किराया और/अथवा नकद प्रतिपूर्तियों के रूप में किसी प्रतिफल के लिए सोना ले जाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है। उदारीकृत स्वर्ण आयात योजना के प्रमुख उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ सीमा शुल्क की अदायगी करने पर वैध माध्यमों से सोने के आयात को बढ़ावा देना और सोने की तस्करी के आकर्षण को समाप्त करना शामिल था। यह सूचित किया गया है कि इस योजना को लागू करने से सोने के चोरी-छिपे किए जाने वाले आयातों को रोकने पर वांछित प्रभाव पड़ा है।

विवरण

अनिवासी भारतीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान भारत में सोने के आयात का ब्यौरा

(मात्रा किलोग्राम में)

(लाख रुपयों में)

वर्ष	अहमदाबाद	दिल्ली	मुम्बई	चैन्नाई	कलकत्ता	त्रिवेन्द्रम	कालीकट	अन्य	कुल राजस्व
1995-96	15956.102	80084.518	3083.263	45052.872	65.321	3170.647	67270.260	3544.689	48010.088
1996-97	3248.401	50152.493	87882.174	60866.299	213.422	3468.720	84013.181	5439.703	64962.562
1997-98	1160.672	42183.468	119095.894	72631.457	11754.706	5289.421	102554.932	3876.594	78880.367
विशेष आयात योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान भारत में सोने का आयात									
1995-96	14883.374	6691.469	4680.830	457.400	284.300	0.000	0.000	0.000	5939.425
1996-97	29969.542	4746.755	7505.404	0.000	0.000	0.000	0.000	684.992	9439.473
1997-98	36318.929	9644.244	7651.716	0.000	52.400	0.000	0.000	4803.145	12863.498

प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा 21.12.97 से सोने का आयात (अधिसूचना सं. 80/97- सी.शु.)

वर्ष	आयतित सोने की मात्रा	शुल्क
1997-98	212159	46674.98

विश्व व्यापार संगठन के साथ व्यापार समझौता

2631. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन महीनों के दौरान विश्व व्यापार संगठन के साथ अनेक करारों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस करार के संबंध में देश के व्यापारिक संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

2632. **श्री हरिकेवल प्रसाद** :
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में बैंकों द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई गई ऋण राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त वर्षों में राज्य के किसानों को उपलब्ध कराए गए ऋणों का राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में प्रतिशत क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऋण के लिए किसानों के कितने आवेदन प्राप्त हुए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारी उद्योग की स्थापना

2633. **श्री महेश कनोडिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विश्व बैंक अथवा अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से सरकारी क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में किसी भारी उद्योग को लगाने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, विशेष रूप से गुजरात के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो उसके लिए किए गए बजटीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योग लगाने का ऐसा कोई प्रस्ताव उद्योग मंत्रालय में नहीं है। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, यह निजी निवेशकों और विश्व बैंक/अंतरराष्ट्रीय संगठन के बीच हुई बातचीत और समझौतों पर निर्भर करता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आयकर कटौती

2634. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आय समूह के लोगों के लिए अलग-अलग स्टैंडर्ड डिडक्सन्स हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रथम दृष्टया विभेदकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार काफी कम राहत दे रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह काफी कम राहत बिना आय के मानदंडों के सभी पर लागू करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) कर निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए संगत वित्त वर्ष 1997-98 में अर्जित वेतन आय के लिए मानक कटौती सभी वेतनभोगी करदाताओं के लिए सकल आय का 1/3 अथवा 20,000/- रु०, जो भी कम हो, है।

वित्त विधेयक, 1998 में 1 लाख रुपये तक वेतन आय वाले कर निर्धारिती के लिए मानक कटौती 25,000/- रु० तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक में 5 लाख रु० की वेतन आय वाले कर निर्धारिती के लिए मानक कटौती का लाभ वापस लेने की मांग की गई है। प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं :—

वेतन आय	मानक कटौती
1 लाख रु० तक वेतन आय	33-1/3% अथवा 25,000 रु० जो भी कम हो।
1 लाख रु० से 5 लाख रु० तक वेतन आय	33-1/3% अथवा 20,000/- रु० जो भी कम हो।
5 लाख रु० से अधिक वेतन आय	-शून्य-

(ख) जी, नहीं। यह अधिक न्याय संगत है क्योंकि अधिकतम वेतन वाले ब्रेकेटों में ऐसे व्यक्ति जो अधिक कर का भुगतान कर सकते हैं, के मामले में कर के उदाहरण अधिक हैं।

(ग) निम्न वेतन आय वाले उपार्जकों को पेश आ रही कठिनाइयों को कम करने के लिए मांगी गई राहत प्रदान की जानी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जैसा कि उत्तर (ग) में बताया गया है, निम्न वेतन आय उपार्जकों को पेश आ रही कठिनाइयों को कम करने के लिए मांगी गई राहत प्रदान की जानी हैं। 40,000/- रु० से 50,000/- रु० तक की न्यूनतम प्रारंभिक सीमा में आयकर से छूट में वृद्धि करने और मानक कटौती में 20,000/- रु० से 25,000/-रु० तक की वृद्धि करने के साथ, 1 लाख रु० तक आय वाले वेतन उपार्जकों के मामले में, उन व्यक्तियों द्वारा कोई कर, देय नहीं होगा अथवा नाममात्र का कर देय होगा, जिनकी वेतन आय 1 लाख रु० तक है।

हथकरघा उद्योग के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान

2635. **श्री अजय कुमार एस. सरनायक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार हथकरघा उद्योग के लिए कितने केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कार्यरत हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहायतार्थ अनुसंधान करने हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई और इस राशि को किस प्रकार से खर्च किया गया; और

(ग) क्या हथकरघा उद्योग के विकास हेतु कार्य करने के लिए एक पृथक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत 4 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान एवं 24 बुनकर सेवा केन्द्र (राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है) हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा अनुसंधान में कार्यरत हैं।

(ख) गत 5 वर्षों के दौरान अर्थात् 1993-94 से 1997-98 तक अनुसंधान एवं विकास शीर्ष के अंतर्गत 42.50 करोड़ रुपये प्रदान किये गये जिसका उपयोग बुनाई में तकनीकी विकास, रंगाई, डिजाइन, छपाई एव प्रोसेसिंग इत्यादि में किया गया।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान एवं बुनकर सेवा केन्द्रों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	भा.ह.प्रो.सं./बु.से.के. का स्थान	राज्य
(क) भा. हथकरघा प्रो. संस्थान		
1.	वाराणसी	उ. प्रदेश
2.	जोधपुर	राजस्थान
3.	सेलम	तमिलनाडु
4.	गुवाहाटी	असम
(ख) बुनकर सेवा केन्द्र		
1.	दिल्ली	दिल्ली
2.	मेरठ	उ. प्र.
3.	वाराणसी	उ. प्र.
4.	चमोली	उ. प्र.
5.	जयपुर	राजस्थान
6.	पानीपत	हरियाणा
7.	मुम्बई	महाराष्ट्र
8.	नागपुर	महाराष्ट्र
9.	इन्दौर	म. प्र.
10.	रायपुर	म. प्र.
11.	अहमदाबाद	गुजरात
12.	चैन्नई	तमिलनाडु
13.	कांचीपुरम	तमिलनाडु
14.	सेलम	तमिलनाडु
15.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
16.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
17.	बंगलौर	कर्नाटक
18.	केन्नानोर	केरल
19.	गुवाहाटी	असम
20.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
21.	भागलपुर	बिहार
22.	अगरतला	त्रिपुरा
23.	इम्फाल	मणिपुर
24.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल

आंध्र प्रदेश में बैंकों में "रिमोट कम्प्यूटर लॉक इन टर्मिनल" सुविधा

2636. **श्री एस.एस. ओवेसी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में स्थित उन बैंकों का शाखा-वार ब्यौरा क्या है जिनमें रिमोट कम्प्यूटर लॉक-इन टर्मिनल सुविधा आरम्भ की गई है;

(ख) क्या उक्त सुविधा से बैंकों में रोजगार के अवसर प्रभावित होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में उठाए गए उपचारात्मक कदम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) आन्ध्र प्रदेश में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों, जिनमें "कम्प्यूटर लॉक इन टर्मिनल" सुविधा उपलब्ध है, का शाखा-वार विवरण नीचे दिया गया है :—

सरकारी क्षेत्र के बैंक का नाम	आन्ध्र प्रदेश राज्य में शाखाएं जहां रिमोट कम्प्यूटर लॉक इन टर्मिनल सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
आन्ध्रा बैंक	19 शाखाएं (एस.एस.आई., नाचराम, आई.एफ.डी. चिक्काडापल्ली, दिलसुख नगर, हिमायत नगर, जुबली हिल्स, आमिर पेट, खैरताबाद, एस.आर. नगर, सैफाबाद, वी.न. कालोनी, मसब टेक, सुल्तान बाजार, सोमाजीगुडा, एम.जी. रोड, प्रकाशमनगर, गवर्नरपेट, द्वारका नगर और महारानी पेट)।
केनरा बैंक	6 शाखाएं (बशीरबाग, एम.जी. रोड, आबिद रोड, विदेशी शाखा, औद्योगिक वित्त शाखा और आर.पी. रोड)।
इंडियन ओवरसीज बैंक	3 शाखाएं (हैदराबाद मुख्य, सिकन्दराबाद और विशाखापत्तनम)।
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	5 शाखाएं (पंजागुट्टा, औद्योगिक वित्त शाखा, सनथनगर, आई.डी.बी.आई कुकटपल्ली और रामचन्द्रपुरम)।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय

2637. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तिरुवनन्तपुरम में भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय तथा राज्य की सुविधा के लिए कालीकट, केरल में जोनल कार्यालय स्थापित करने के लिए केरल सरकार के अनुरोध पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव इस समय किस चरण में है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) केरल सरकार की ओर से समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई) का एक नया सर्किल कार्यालय खोलने का अनुरोध किया गया है जिसका स्थानीय प्रधान कार्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित हो। भारतीय स्टेट बैंक का तिरुवनंतपुरम में नया स्थानीय प्रधान कार्यालय और कालीकट में अंचल कार्यालय बनाने का विचार नहीं है क्योंकि मद्रास सर्किल का पुनर्गठन किया गया है और अंचल कार्यालयों के प्रभारी उप महाप्रबंधकों की विवेकाधीन शक्तियों में और ज्यादा वृद्धि कर दी गई है। कुछ शाखाओं को भी सीधे ही स्थानीय प्रधान कार्यालय के नियंत्रणाधीन कर दिया गया है।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना

2638. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषरूप से उड़ीसा का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय देश में विशेष रूप से उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक ऋण

2639. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक पिछले पांच वर्षों के दौरान 700 करोड़ रुपए से अधिक औद्योगिक ऋण की वसूली करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस ऋण की वसूली के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वसूली के लिए देय औद्योगिक ऋणों के संबंध में सूचना एकत्रित नहीं करते हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 1993, मार्च 1994, मार्च 1995, मार्च 1996 और मार्च 1997 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त हुए वर्षों के लिए औद्योगिक अग्रिमों सहित बैंक-वार सकल अनुपयोज्य आस्तियां (एन.पी.ए.) संलग्न विवरण में हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों को सलाह दी गई है कि वे न केवल नए अनुपयोज्य आस्तियां होने की जांच करने बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की विद्यमान एन.पी.ए. (जिसमें औद्योगिक ऋण भी सम्मिलित है) की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करें।

- ऋण वसूली नीति बनाएं जिसमें देयराशियों की वसूली का ढंग, अनुमत छूट/माफी के मानदण्ड आदि निर्धारित किए गए हों।

- समझौता/बट्टा खाते डालने के माध्यम से एन.पी.ए. की कमी, समझौते के माध्यम से निपटान, पारदर्शी और अच्छी प्रकार से तैयार की गई नीति के आधार पर कम खर्च में अधिक वसूली सुनिश्चित हो सके। कुछ बैंकों को समझौता प्रस्तावों की संवीक्षा और सिफारिश करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र निपटान परामर्शदात्री समितियां गठित करने की अनुमति दी गई है।

- प्रधान कार्यालय पर वसूली कक्ष की स्थापना करना, विभिन्न स्तरों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और सभी स्तरों पर निकट से वसूली कार्य निष्पादन की निगरानी करना।

- राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा गया है कि वे ऋण प्रबंधन में विशेष सुधार लाएं, एन.पी.ए. की वसूली करें, लाभप्रदता में सुधार लाएं आदि और कार्य निष्पादनों की बैंक के शीर्ष प्रबंधन साथ ही बोर्ड द्वारा आवधिक रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों के तेजी से न्यायनिर्णयन और वसूली को सुकर बनाने पर विचार करते हुए, सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया है जिससे कि बकाया ऋण की तेजी से वसूली हो सके।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां

बैंक का नाम	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97	
	सकल एनपीए	कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए की प्रतिशतता	सकल एनपीए	कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए की प्रतिशतता	सकल एनपीए	कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए की प्रतिशतता	सकल एनपीए	कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए की प्रतिशतता	सकल एनपीए	कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए की प्रतिशतता
इलाहाबाद बैंक	1207.00	28.78	1025.03	24.74	1235.11	26.88	1256.00	23.98	1302.89	23.93
आन्ध्रा बैंक	396.00	19.22	520.78	23.35	377.65	14.30	332.20	11.61	365.68	11.81
बैंक आफ बड़ौदा	2409.27	18.97	2630.16	18.77	2689.68	16.58	2840.09	16.16	3116.00	17.15
बैंक आफ इंडिया	4262.00	34.66	3772.00	29.96	2961.00	20.66	2434.00	14.49	2275.00	11.78
बैंक आफ महाराष्ट्र	753.99	34.20	847.67	36.23	734.59	25.71	694.26	21.87	749.43	20.67
केनरा बैंक	1947.09	22.10	1653.00	18.22	1523.90	12.93	2647.32	17.93	3323.72	20.26
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2173.00	29.88	2443.00	35.29	2154.78	24.98	2420.00	23.91	2520.00	25.00
कार्पोरेशन बैंक	176.00	14.26	259.01	16.41	260.01	11.69	251.83	9.67	316.78	9.92
देना बैंक	620.00	27.85	564.00	22.51	557.00	17.34	541.00	14.70	674.21	15.10
इंडियन बैंक	1881.00	23.03	2040.51	26.79	2102.41	24.09	3140.00	34.15	3303.00	39.12
इंडियन ओवरसीज बैंक	2272.00	40.43	2175.18	37.75	2001.41	26.85	2020.00	22.59	1317.00	15.80
ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	293.00	12.65	210.95	8.00	221.94	6.14	271.30	5.68	367.56	7.36
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	648.50	37.13	637.28	31.63	619.32	22.53	957.53	27.70	1089.70	30.71
पंजाब नैशनल बैंक	1634.47	15.71	2179.03	21.41	2033.00	17.01	2518.00	18.74	2426.14	16.31
सिंडीकेट बैंक	1558.00	32.67	1409.60	29.40	1452.97	27.48	1311.75	20.97	1291.78	19.32
यूको बैंक	1625.00	24.94	1961.81	34.61	1745.60	29.40	1839.52	24.54	1872.62	28.35
यूनियन बैंक आफ इंडिया	780.00	16.82	693.49	12.87	695.95	9.41	945.86	10.38	987.80	10.38
यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया	949.00	30.83	1509.00	45.95	1309.68	36.90	1401.00	38.00	1398.00	36.20
विजया बैंक	451.00	25.37	532.88	26.96	439.40	17.47	545.38	20.36	511.96	18.73
राष्ट्रीयकृत बैंकों का योग	26038.32	25.52	27064.38	25.84	25114.50	19.98	28366.04	19.52	29209.27	19.05

रबड़ की खरीद

2640. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को यह अनुमति प्रदान कर दी है कि वह प्राप्त की गई प्राकृतिक रबड़ को एडवान्स लाइसेंस धारकों को बेच सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राकृतिक रबड़ की कुछ मात्रा की बिक्री कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्रेता का ब्यौरा क्या है और यह बिक्री किस मूल्य पर की गई;

(घ) क्या ऐसा निर्णय लेने और इस प्रकार की गई बिक्री के पश्चात् प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में गिरावट आई है; और

(ङ) प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में आई गिरावट और किसानों को होने वाली हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एस.टी.सी. द्वारा अब तक एम.आर.एफ., चेन्नई,

जे.के. नई दिल्ली, सिएट, मुम्बई और विक्रांत, मैसूर को 750/- अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन घटा, 500/- रुपये की दर से प्राकृतिक रबड़ की 1267.250 मी. टन की कुल मात्रा बेची गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमत स्थिर करने और रबड़ उत्पादकों को लाभकारी कीमत प्रदान करने के लिए सरकार ने मई, 1998 के मध्य में एस.टी.सी. को प्राकृतिक रबड़ की 20,000 मी. टन की अतिरिक्त मात्रा की खरीद करने के लिए प्राधिकृत किया था।

कोका कोला द्वारा निवेश

2641. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स कोका कोला कम्पनी ने अपने 700 मिलियन अमरीकी डालर के विदेशी पूंजी निवेश में से अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा का निवेश किया है;

(ख) मैसर्स कोका कोला कम्पनी द्वारा भारत में स्थापित की गई अनुषंगी कंपनियों और उसके स्वामित्व वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा ये कंपनियां किस-किस तारीख से मैसर्स कोका कोला के साथ संबद्ध हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) 700 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुमोदित विदेशी इक्विटी के विपरीत मै० कोका कोला द्वारा विदेशी विनिमय में लाये गये कुल निवेश के ब्यौरे तथा सहायक कंपनियों तथा धारक कंपनियों के उनकी संबद्धता की तारीख सहित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

कंपनी का नाम	संबद्धता की तारीख	इक्विटी प्रेषित (यू.एस. डालर में)
हिन्दुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स प्रा० लि०*	21 फरवरी, 1997	71,050,000
भारत कोका-कोला होल्डिंग्स प्रा० लि०**	21 फरवरी, 1997	72,400,000
हिन्दुस्तान कोका-कोला बांटलिंग साउथ वेस्ट प्रा. लि.	14 फरवरी, 1997	--
हिन्दुस्तान कोका-कोला बांटलिंग नार्थ वेस्ट प्रा. लि.	14 फरवरी, 1997	--
भारत कोका-कोला बांटलिंग साउथ ईस्ट प्रा. लि.	14 फरवरी, 1997	--
भारत कोका-कोला बांटलिंग नार्थ ईस्ट प्रा. लि.	14 फरवरी, 1997	--

* हिन्दुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स प्रा० लि०, इंडिया हिन्दुस्तान कोका कोला साउथ वेस्ट प्रा० लि० तथा हिन्दुस्तान कोका कोला नार्थ वेस्ट प्रा० लि० की धारक कंपनी है।

** भारत कोका कोला होल्डिंग्स प्रा० लि०, इंडिया भारत कोका कोला बाटलिंग साउथ ईस्ट प्रा० लि० तथा भारत कोका कोला बाटलिंग नार्थ ईस्ट प्रा० लि० की धारक कंपनी है।

बी.सी.सी.एल. में भूमि संबंधी विवाद

2642. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी.सी.सी.एल. में भूमि संबंधी विवाद के कारण कितना कोयला बंद पड़ा है तथा विवाद के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं और इनमें कितना कोयला बंद पड़ा है;

(ख) भूमि विवाद के कारण औसतन कितने वार्षिक उत्पादन का घाटा होता है;

(ग) समस्त भूमि संबंधी विवाद के चलते कितनी नौकरियों का दावा किया गया है;

(घ) क्या भूमि संबंधी कई ऐसे समझौते हैं जिनका कार्यान्वयन न किए जाने के कारण कार्य में बाधा पड़ रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) भा.को.को.लि. में भूमि संबंधी विवादों के कारण अखनित कोयले की कुल मात्रा 98.47 मि.ट. आकलित की गई है। विवाद के प्रमुख क्षेत्र के नाम और अखनित कोयले से संबंधित मात्रा नीचे दी गई है :—

क्षेत्र का नाम	कोयल की मात्रा (मि.ट. में)
ब्लाक II	39.14
बरोरा	20.38
गोविंदपुर	7.12
कटरास	13.90
सिजुआ	3.23
कुसुंदा	3.90
लोडना	1.80
ई/झारिया	5.10
सी.वी. क्षेत्र	3.90
जोड़	98.47

(ख) इस कारण से हुई कुल औसत वार्षिक उत्पादन की हानि 4.18 मि.ट. आकलित की गई है।

(ग) भूमि विवादों हेतु रोजगार के लिए किए गए कुल दावों की संख्या 3638 है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में औपचारिक रूप से कोई समझौता नहीं किया गया है। किन्तु, अधिग्रहीत भूमि के एवज में रोज़गार दिए जाने से संबंधित मामले क्षेत्रीय अधिकारियों तथा स्थानीय ग्रामवासियों के बीच हुई बैठकों के कार्यवृत्त में उठाए गए हैं, ये मामले चंदन ओ.का.प., खरखारी कोलियरी तथा गोविंदपुरी कोलियरी से संबंधित है।

(च) इस समस्या के समाधान हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों ने जिला प्रशासन तथा स्थानीय ग्रामवासियों की सहायता मांगी है।

[हिन्दी]

हथकरघा वस्त्र का प्रतिशत

2643. **श्री चिन्ता मोहन :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल उत्पादित वस्त्र की तुलना में हथकरघा क्षेत्र द्वारा औसतन कितने वस्त्र का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने हथकरघा कामगारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) 1997-98 के दौरान देश में कुल कपड़े के उत्पादन की तुलना में हथकरघा क्षेत्र द्वारा कपड़े का उत्पादन 21.42 प्रतिशत रहा।

(ख) जी हां।

(ग) कार्यशाला-सह आवास योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यशाला एवं कार्यशाला-सह आवास के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसके लिए वित्तीय संस्थानों/हुडको द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों का विकास

2644. **श्री रंजीब बिस्वाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997-98 के दौरान लघु उद्योगों के द्रुत और स्वस्थ विकास के लिए फिर से पहल की है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1998-99 के दौरान लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के संवर्धन की सुविधाओं तथा आरक्षण नीति सहित नई नीति की पहल का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) जी, हां। लघु औद्योगिक एककों का तीव्र तथा अच्छा विकास ही हमेशा सरकार का लक्ष्य रहा है। मौजूदा नीति की अच्छी ट्यूनिंग के अलावा वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में की गई नई पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं : —

(1) लघु उद्योग एककों के लिए संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश सीमा को 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 300 लाख रुपये तथा अति लघु एककों के लिए 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है ताकि इन्हें और अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके।

(2) इस आंशका को दूर करने के उद्देश्य से कि लघु उद्योग क्षेत्र में बड़े एककों को अधिकतम लाभ होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हिदायतें जारी की हैं कि लघु उद्योग क्षेत्र को सामान्य रूप से उपलब्ध निधियों में से 5 लाख रुपये तक संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश करने वाले एककों को 40 प्रतिशत, 5 से 25 लाख रुपये के बीच निवेश करने वाले एककों को 20 प्रतिशत तथा बाकी एककों को शेष 40 प्रतिशत दिया जायेगा।

(3) वर्ष 1997-98 में 16 एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्रों को अनुमोदित किया गया था।

(4) लघु उद्योग के उत्पादों को वर्ष 1997-98 में सरकारी खर्च पर 9 अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शिनियों में प्रदर्शित किया गया था।

(5) यद्यपि आबिद हुसैन समिति ने आरक्षण नीति को समाप्त करने की सिफारिश की थी, तथापि उक्त नीति जारी रहेगी। फिर भी, आरक्षित मदों की सूची की समीक्षा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के मौजूदा उपबन्धों के अनुसार समय-समय पर की जाती है।

(6) निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुओं (ई.पी.सी.जी.) की प्रारंभिक सीमा में कमी, इलैक्ट्रोनिक्स, वस्त्र, चमड़ा, रत्न तथा आभूषण इत्यादि के लिए शून्य शुल्क योजना, विशिष्ट लाइसेंस के स्थान पर शुल्क का भुगतान करके आपूर्ति हेतु मदों के आयात के लिए निजी बॉण्डिड वेयर हाउस की स्थापना की व्यवस्था तथा निर्यात गोदाम हेतु प्रारंभिक सीमा में कमी करना, 13 अप्रैल 1998 से प्रभावी संशोधित निर्यात आयात नीति के कुछेक उपबंध हैं जिनसे लघु उद्योग निर्यातकों को लाभ मिलेगा।

(7) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत मानदण्डों में छूट दी गई है ताकि पूर्वोत्तर राज्यों में लघु रोजगार उद्यमों के विकास को सरल बनाया जा सकें।

(8) राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों के सहायोग से छोटे औजार कक्षों की स्थापना हेतु एक नई योजना शुरू कर दी गई है।

(9) लघु उद्योग क्षेत्र के ऋण प्रवाह में सुधार किए जाने हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह दी है कि ऐसे लघु क्षेत्र एकक, जिनके लिए बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कार्यकारी पूंजी आधारित कुल निधियों की अपेक्षित सीमा को (जो कि पूर्व में 2 करोड़ रुपये थी) 4 करोड़ रुपये की राशि तक बढ़ा दिया है, उक्त के मामले में सरलीकृत प्रक्रिया के आधार पर तथा उनकी प्रक्षिप्त वार्षिक कुल कारोबार के न्यूनतम 20 प्रतिशत आधार पर संगणित करके कार्यकारी पूंजी की सीमा की सुविधा उपलब्ध की जाये; ताकि लघु उद्योग एककों को ऋण लागत को मध्यम किए जाने की दृष्टि से उत्कृष्ट ऋण दर की तुलना में निम्नतर दर विस्तार का लाभ अच्छे ट्रेक रिकार्ड रखने वाले लघु उद्योग एककों को दिया जा सके और लघु उद्योग की विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं के शाखा प्रबन्धकों को बढ़ी हुई प्रायोजित शक्तियां प्रदान की जा सकें ताकि अधिकांश ऋण प्रस्तावों पर शाखा स्तर पर ही निर्णय लिए जा सकें।

(10) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की "प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि योजना" का दायरा बढ़ा दिया गया है ताकि इसमें गैर निर्यातक लघु उद्योगों/सहायक एककों तथा लघु उद्योग क्षेत्र से बाहर हो जाने वाले लघु उद्योगों/सहायक एककों को भी शामिल किया जा सके।

(11) मिश्रित ऋण योजना की अधिकतम सीमा को पहले के 50,000 रु. से बढ़ाकर 2 लाख रु. किया जाना ताकि छोटे लघु उद्योग एककों को आवधिक ऋणों तथा कार्यशील पूंजी की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(12) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा लघु उद्योगों की निर्यात क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु उन्हें विपणन सहायता, आई एस ओ 9000 प्रमाणन, कारखानागत सेवाओं तथा बिलों की अंतर्देशीय आपूर्ति के प्रति "बिल रि-डिस्काउंटिंग" हेतु नयी योजनाएं शुरू की गयी हैं।

(13) लघु एककों के लिए उत्पाद शुल्क छूट सीमा, जो वर्ष 1988 से 30 लाख रु. थी, को वर्ष 1998-99 के केन्द्रीय बजट में बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक कर दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय का कार्यकरण

2645. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कई संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री से प्रवर्तन निदेशालय के मनमाने कार्यकरण में हस्तक्षेप करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या संसद सदस्यों ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा की गई ज्यादतियों संबंधी शिकायतों के विरुद्ध जांच कराने हेतु इन्हें सीबीआई को भेजा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सभी शिकायतों की जांच करायी है; और

(घ) यदि हां, तो इन जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) माननीय संसद सदस्यों के पत्रों में उल्लिखित मामलों की विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्यापक जांच की गयी है। किसी भी न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की कार्य-प्रणाली पर कोई प्रतिकूल आदेश/टिप्पणी नहीं की है।

खान समिति रिपोर्ट

2646. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के संबंध में खान समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने दिसम्बर 1997 में विकास वित्त संस्थाओं (डी.एफ.आई.) और बैंकों की भूमिका तथा परिचालन में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से एक कार्यकारी दल का गठन किया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एच. खान की अध्यक्षता में कार्यकारी दल के समक्ष निम्नलिखित विचारार्थ विषय प्रस्तुत किए गए थे :—

1. उभरते हुए परिचालनात्मक पर्यायवरण में डी.एफ.आई. और वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, उसके ढांचे और परिचालनों की पुनरीक्षा करना तथा इनमें किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में सुझाव देना।

2. बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान करने और कार्यशील पूंजी वित्त में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उपाय सुझाना।

3. इस बात की जांच करना कि क्या डी.एफ.आई को अल्पावधि निधियों के लिए बढावा दिया जा सकता है तथा क्या इस उद्देश्य के लिए विनियामक ढांचे की आवश्यकता है।

4. पूंजीगत लेखे की परिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए, डी.एफ.आई और वाणिज्यिक बैंकों में संगठनात्मक सुदृढ़ता, मानवे संसाधन, जोखिम प्रबंधन व्यवहार तथा उन्य संबंधित मुद्दों के लिए उपाय सुझाना।

5. ऐसी अन्य सिफारिश करना जिन्हें कार्यकारी दल उचित समझे।

(ग) से (ड) कार्यकारी दल ने अपनी सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 24 अप्रैल, 1998 को प्रस्तुत किया था। सर्वव्यापी बैंकिंग की ओर क्रमिक रूप से अग्रसर होने के उद्देश्य के लिए विनियामक ढांचा तैयार करना, सुदृढ़ एवं कमजोर तथा दो सुदृढ़ सत्ताओं, दोनों बैंकों तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच लाभप्रद विलय की संभावना का पता लगाना, कार्य विशिष्ट विनियामक ढांचा तथा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण ढांचे का विकास, विभिन्न विनियामकों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने तथा उनके पर्यवेक्षण के लिए सुपर विनियामक की स्थापना करना, ऋण वसूली क्षेत्रों में कानूनी सुधारों के कार्यान्वयन को तीव्र करना, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का समेकित पर्यवेक्षण, आरक्षित नकदी ऋण अनुपात को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक कम करना, सांविधिक चलनिधि अनुपात को समाप्त करना तथा रियायती ऋण प्रदान करना आदि कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें हैं। कार्यकारी दल ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सर्वव्यापी बैंकिंग की ओर अग्रसर होने से पहले उनकी ऋण प्रदान करने की नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई अंतरिम सिफारिशें भी की हैं। कार्यकारी दल ने संगठनात्मक कार्यकुशलता और जोखिम प्रबंधन रणनीति में सुधार लाने के लिए भी बहुत सी सिफारिशें की हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों और मानव संसाधन के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी लाई जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकारी दल की सिफारिशों का परीक्षण कर रहा है।

इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता का प्रबंधक

2647. **श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता के एक वरिष्ठ प्रबंधक को गंभीर अनियमितताओं में लिप्त पाया गया था जिससे बैंक को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई जांच की गई है तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इलाहाबाद बैंक की साउदर्न एवेन्यू शाखा, कलकत्ता के एक वरिष्ठ प्रबंधक और चार अन्य कर्मचारियों ने धोखाधड़ी की घटनाएं की हैं।

इलाहाबाद बैंक ने सी.बी.आई. के पास दिनांक 6.3.1991 को एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने जांच शुरू कर दी है। इन अनियमितताओं में शामिल वरिष्ठ प्रबंधक और चार अन्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

[हिन्दी]

पशुधन का बीमा

2648. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जीवन बीमा निगम के अलावा कितनी बीमा कम्पनियां कार्यरत हैं और उन कम्पनियों के क्षेत्रीय कार्यालय कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या ये बीमा कम्पनियां भारत सरकार के नियंत्रण में हैं और यदि हां, तो इनकी कार्य प्रणाली क्या है;

(ग) क्या इन बीमा कम्पनियों द्वारा आई.आर.डी. के अंतर्गत पशुधन बीमा किया जाता है और यदि हां, तो उनकी बीमा करने की प्रक्रिया क्या है;

(घ) इन बीमा कम्पनियों द्वारा पशुओं की मृत्यु होने के बाद बीमा राशि का भुगतान करने में कितना समय लिया जाता है और उक्त कार्य के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ङ) इन बीमा कम्पनियों में कितने मामले कब से लंबित हैं; और

(च) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कम्पनियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) मध्य प्रदेश में मांडला जिले में भारतीय जीवन बीमा निगम की एक शाखा के अतिरिक्त भारतीय साधारण बीमा निगम की एक अनुषंगी कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की भी एक शाखा है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में स्थित है।

(ख) साधारण बीमा निगम और इसकी चारों अनुषंगी कंपनियां समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत बोर्ड द्वारा संचालित कंपनियां हैं। सरकार उनके दैनिक कार्य-प्रचालनों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। इन कंपनियों के बीमा संबंधी कार्यकलापों का अनुवीक्षण बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, हां। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाला सभी प्रकार का पशुधन राज्य सरकार के पक्ष में संबंधित कंपनी द्वारा जारी किए गए एक मास्टर पालिसी करार के अधीन कवर होता है।

(घ) दावेदारों से अपेक्षित दस्तावेजों, जैसे कि पशु के खो जाने/मर जाने की सूचना, दावे का फार्म और निर्धारित फार्म में मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि की प्राप्ति के पश्चात् ही दावों का तत्काल निपटान कर दिया जाता है।

(ङ) मंडला जिले में बीमा कंपनियों के पास कुल 101 मामले लम्बित हैं। इसमें से, 29 मामले वित्तीय वर्ष 1996-97 से और 72 मामले वित्तीय वर्ष 1997-98 से सम्बद्ध हैं।

(च) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि पशु बीमा दावों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए बीमा कंपनियों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) सभी लम्बित पशु बीमा दावों पर कार्रवाई करने के लिए कंपनियों द्वारा विशेष दावा दस्ते गठित किए गए हैं।

(ii) इन दावों का निपटान करने के लिए सभी शाखा कार्यालयों को अधिकृत किया गया है।

(iii) पशु बीमा दावों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए शाखा प्रभारियों को और अधिक वित्तीय शक्तियां दी गई हैं।

(iv) पशु दावों का शीघ्रता से निपटान करने हेतु गुणावगुणों के आधार पर प्रक्रियात्मक/प्रलेखात्मक अपेक्षाओं में भी कुछ रियायत देने पर विचार किया गया है।

[अनुवाद]

सुन्दरगढ़ जलप्रपात का विकास

2649. श्री जुआल उराम : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में प्रसिद्ध जलप्रपात के सम्पूर्ण विकास के लिए उड़ीसा सरकार से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य की उक्त जलप्रपात परियोजना के समग्र विकास के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आई.टी.डी.सी. की शुल्क मुक्त दुकानें

2650. श्री अण्णासाहिब एम.के पाटील : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न स्थानों पर आई.टी.डी.सी. द्वारा कितनी और कब से शुल्क मुक्त दुकानें चलाई जा रही थीं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक द्वारा अर्जित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) इस समय, भारत पर्यटन विकास निगम देश के 6 हवाई अड्डों पर 29 शुल्क मुक्त दुकानें चला रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम ने 1967 में सर्वप्रथम, दिल्ली हवाई अड्डे पर शुल्क मुक्त दुकानें शुरू की थी और इस कार्यकलाप का विस्तार अन्य हवाई अड्डों पर किया गया जिनके नाम हैं :— कलकत्ता (1968), मुम्बई (1969), चेन्नई (1969), त्रिवेन्द्रम (1981) और गोवा (1993)।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए, आय (कारोबार) के स्थान-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

दुकानों का स्थान	कारोबार		
	1995-96	1996-97	1997-98 (अनंतिम) (करोड़ रुपयों में)
दिल्ली	40.10	42.12	46.31
मुम्बई	26.79	26.27	29.61
कलकत्ता	2.86	2.86	2.47
चेन्नई	2.18	2.04	2.22
त्रिवेन्द्रम	1.73	2.12	2.55
गोवा	0.45	0.36	1.19
कुल कारोबार	74.11	77.77	84.35

सरदार सरोवर परियोजना हेतु "ओ.ई.सी.एफ." ऋण

2651. श्री हरिन पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ओ.ई.सी.एफ." ऋण की अनुपलब्धता के कारण सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत गृह हेतु टर्बो जनरेटिंग सेटों की खरीद में विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या "ओ.ई.सी.एफ." ऋण की अनुपलब्धता और मैसर्स सुमितोमों कार्पोरेशन, जापान के साथ लैटर ऑफ क्रेडिट के प्रभावी न होने के संबंध में गतिरोध उत्पन्न हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने जापान से टर्बो जनरेटिंग सेटों के आयात के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सहायता के कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) जापान सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए वर्ष 1986 मे 2.86 येन की पहली किस्त की निर्मुक्ति के बाद ओ.ई.सी.एफ. ऋण की अतिरिक्त ट्रांशों को अनुमोदित नहीं किया। भारत सरकार द्वारा गठित एक टीम टी जी सेटों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता ऋण को अन्तिम रूप देने के लिए मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन के साथ बातचीत कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) गाडगिल सूत्र के ढांचे के अन्दर राज्य आयोजनाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए) प्रदान की जाती है तथा यह किसी विशिष्ट परियोजना से संबंधित नहीं है। अतः अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निर्मुक्ति पर विचार नहीं किया गया।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी

2652. **श्री मोहन रावले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी के कुछ शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कंपनी से 35 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए और एक विदेशी कंपनी को आर्थिक लाभ पहुँचाने में मदद के लिए कुछ मामले दर्ज किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने "यूनाइटेड इंडिया" के चार अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 3.7.1997 को एक आर.सी. सं० 49 (क)/97 दर्ज की है यह मामला 6.76 मिलियन अमरीकी डालर की अवैध रूप से प्राप्ति और पुनर्बीमा दावों के मामले में एक प्राइवेट अभियोजित फर्म को 1.05 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने से संबंधित है।

(ग) इस मामले की अभी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

[हिन्दी]

कानपुर की कपड़ा मिलों के कामगारों द्वारा आंदोलन

2653. **श्री जगदवीर सिंह द्रोण :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अप्रैल, 1998 को कपड़ा मिल कामगार संघ के तत्वावधान में मजदूरों ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कानपुर, उ.प्र. स्थित मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ठेका मजदूरों की समस्याओं को हल करने की दिशा में राज्य सरकार एवं उनके मंत्रालय द्वारा उठाए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) एन.टी.सी. (यू.पी) लि. कानपुर के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में ठेके के श्रमिकों ने 13.4.98 को एक प्रदर्शन किया था।

(ख) ठेके के श्रमिकों की प्रमुख मांगें निम्नानुसार थी :–

(1) ठेके के श्रमिकों को वापस लिया जाना चाहिए, जून 1993 से पिछली मजदूरियों का भुगतान किया जाना चाहिए तथा रोजगार दिया जाना चाहिए।

(2) उन्हें भी मिल कामगारों की तरह मजदूरियों का भुगतान किया जाना चाहिए।

(3) मिलों का पूर्ण क्षमता के साथ शुरू किया जाना चाहिए।

(ग) एन.टी.सी. (यू.पी.) लि. ठेके के श्रमिकों की बहाली के लिए किसी बाध्यता अधीन नहीं है जिन्हें विशिष्ट कार्यमदों के लिए ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त एन.टी.सी. (यू.पी.) लि., एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी है जिसके संबंध में बी.आई.एफ.आर. ने बंद करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी कार्यशील पूंजी की गंभीर कमी का भी सामना कर रही है। अतः यह श्रमिकों की मांगों को नहीं मान सकती है। जिला प्रशासन कानपुर को एन.टी.सी. (यू.पी.) लि. संपत्ति तथा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाने के लिए आग्रह किया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता

2654. **श्री गोरधन भाई जावधभाई जावीया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता हेतु विभिन्न राज्यों के उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त में से मंजूर किए गए आवेदनों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का एककवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के उद्यमियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तथा मंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ग) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान आई.डी.बी.आई द्वारा विभिन्न राज्यों में एककों को संवितरित सहायता के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

बैंकों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संविधियों के प्रावधानों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार एकक-वार ब्यौरों से संबंधित सूचना बताई नहीं जा सकती।

विवरण I

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान आई.डी.बी.आई. द्वारा विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदन पत्र/मंजूर किए गये आवेदन पत्र

राज्य	प्राप्त आवेदन पत्र	मंजूर किए गये आवेदन पत्र
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	470	349
अरूणाचल प्रदेश	1	1
असम	31	26
बिहार	54	37
गोवा	27	18
गुजरात	480	344
हरियाणा	167	102
हिमाचल प्रदेश	56	34
जम्मू व कश्मीर	9	8
कर्नाटक	272	175
केरल	74	46
मध्य प्रदेश	232	161
महाराष्ट्र	857	627
उड़ीसा	48	34
पंजाब	141	93
राजस्थान	287	187
सिक्किम	2	1
तमिलनाडु	511	359
उत्तर प्रदेश	320	203
पश्चिम बंगाल	260	185
रा.रा. दिल्ली	124	72
संघ राज्य क्षेत्र		
चंडीगढ़	12	5
दादरा व नगर हवेली	55	22
दीव व दमन	18	16
पांडिचेरी	15	10
अंडमान और निकोबार	1	1

विवरण II

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के बीच मंजूर तथा संवितरित राज्य वार सहायता

	1995-96		1996-97		1997-98	
	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	1292.35	764.96	996.76	845.20	3014.81	1763.65
अरूणाचल प्रदेश	1.60	0.34	0.00	0.00	5.00	0.00
असम	70.44	43.80	15.35	24.22	14.56	14.71
बिहार	77.17	70.36	96.41	47.50	370.55	329.28
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	598.93	518.69	628.43	260.99	306.07	376.72
गोवा	65.00	12.18	64.19	7.90	65.85	27.06
गुजरात	2811.12	1635.40	2847.43	1879.55	3920.77	3155.03
हरियाणा	306.55	174.91	377.17	227.65	487.46	356.49
हिमाचल प्रदेश	295.68	110.49	35.89	170.32	241.05	194.00
जम्मू व कश्मीर	12.65	3.23	10.72	8.11	3.78	1.09
कर्नाटक	1363.69	570.13	1003.61	593.71	1357.92	1048.91
केरल	97.51	66.72	37.99	73.66	96.10	57.21

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	915.78	500.85	388.76	551.17	2447.81	697.26
महाराष्ट्र	2787.03	1743.27	1996.76	1756.39	4386.79	2641.11
उड़ीसा	96.07	117.15	1072.03	168.23	295.43	126.25
पंजाब	323.79	181.55	227.06	177.20	271.21	283.25
राजस्थान	504.84	419.20	931.04	622.71	760.06	518.68
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
तमिलनाडु	1321.20	1164.07	1242.45	842.51	2957.30	928.90
उत्तर प्रदेश	1315.11	744.97	899.85	1166.95	686.72	676.10
पश्चिम बंगाल	387.58	278.70	504.81	291.86	954.84	795.81
संघ राज्य क्षेत्र	171.59	167.25	148.02	120.94	199.88	155.40
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
चंडीगढ़	10.00	1.30	21.35	20.49	2.90	9.09
दादरा व नगर हवेली	102.99	88.78	78.97	62.99	136.73	93.72
दीव व दमन	18.95	28.27	27.30	14.69	42.75	35.73
पांडिचेरी	39.65	48.90	20.40	22.77	12.50	11.94
कुल	14615.68	9288.22	13469.73	9836.77	22859.96	14146.99

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पर्यटन

2655. **श्री रामदास आठवले :**
डा. उल्लास वासुदेव पाटील :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार से राज्य में यात्री निवास का निर्माण करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान इस उद्देश्य के लिए उक्त राज्य को कितनी धनराशि आंबटित की गई;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए अनुमोदन और वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कतिपय प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकार से यात्री निवास के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकार ने पर्यटक स्थलों के विकास के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :–

1. गणपतिपुले में पर्यटक रिजार्ट का विस्तार
2. शिर्डी में पर्यटक बंगले का विस्तार और उन्नयन
3. औरंगाबाद में पर्यटक बंगले का विस्तार और उन्नयन
4. भण्डारदारा में होलीडे रिजार्ट का उन्नयन
5. पर्दापुर (अजंतागुफा के पास) में होलीडे रिजार्ट का उन्नयन
6. अंजता गुफा रेस्तरां का उन्नयन
7. महाबलेश्वर में होलीडे रिजार्ट का उन्नयन
8. एलीफेंटा उत्सव
9. एल्लौरा उत्सव
10. काला घोड़ा उत्सव
11. कारवीर उत्सव
12. नागपुर में कालीदास उत्सव

उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए, 169.84 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई थी।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

2656. **श्री मोतीलाल वोरा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनंद गांव, उज्जैन, इंदौर, बुरहानपुर तथा भोपाल सहित मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की चलाई जा रही मिलों के नाम क्या हैं;

(ख) इन मिलों में कितने श्रमिकों ने 31 मार्च, 1998 तक स्वैच्छिक सेवानिवृति की मांग की;

(ग) क्या राजनंदगांव तथा बुरहानपुर मिलों को आर्थिक रूप से सक्षम माना गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) मध्य प्रदेश में एन.टी.सी. मिलों के नाम निम्नानुसार हैं :–

1. बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, राजनंदगांव
2. बुरहानपुर तप्ती मिल्स, बुरहानपुर
3. हीरा मिल्स, उज्जैन
4. इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इंदौर
5. कल्याणमल मिल्स, इंदौर

6. न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स, भोपाल

7. स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, इंदौर

(ख) मध्य प्रदेश में एन.टी.सी. मिलों के 6260 कर्मचारियों ने 31 मार्च, 1998 तक स्वैच्छिक सेवानिवृति का लाभ उठाया है।

(ग) राजनंदगांव तथा बुरहानपुर की दो मिलों को आर्थिक रूप से अर्थक्षम नहीं माना गया है।

(घ) और (ङ) इस समय इन मिलों को कार्यशील पूंजी देने की कोई योजना नहीं है।

(च) और (छ) एन.टी.सी. (एम.पी.) लि. का मामला बी.आई.एफ.आर. के संदर्भाधीन है। चूंकि कंपनी को अर्थक्षम नहीं माना गया था, इसलिए बी.आई.एफ.आर. ने बंद करने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया। तथापि बी.आई.एफ.आर. द्वारा अभी अंतिम आदेश निकाले जाने हैं। इस बीच, एन.टी.सी. द्वारा किए गए एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना विचाराधीन है जिसमें निर्धारित अवधि में मिलों की निवल पूंजी के धनात्मक होने की बी.आई.एफ.आर. मानदंड को ध्यान में रखा गया है। सर्वांगीण सुधार योजना को अंतिम रूप देते समय कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

लौह अयस्क का निर्यात

2657. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए, विशेषकर कर्नाटक में कुद्रेमुख से निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा क्या है;

(ख) क्या सरकार को लौह अयस्क के निर्यात के लिए कोई नए आदेश प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए लौह अयस्क की कुल मात्रा और मै० कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लि० (केआईओसीएल) द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क सांद्रण और गोलियों की मात्रा निम्नानुसार हैं :–

(आंकड़े मिलियम टन में)

वर्ष	कुल निर्यात	केआईओसीएल द्वारा निर्यात
1995-96	31.72	6.23
1996-97	27.63	5.56
1997-98	27.66	6.15
(अनं)		

(ख और (ग) खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०, (एमएमटीसी) ने चल रही दीर्घावधि संविदाओं के एक भाग के रूप में 1998-99 के दौरान लौह अयस्क की निम्नलिखित मात्राओं के निर्यात के आर्डर प्राप्त किए हैं :

1. जापान : 7.20 मिलियन टन (एमटी) जिसमें मै० केआईओसीएल द्वारा 1 मी. टन शामिल है।
2. दक्षिण कोरिया : 2.3 मी. टन
3. पाकिस्तान : 0.7 मी. टन

निम्नलिखित आर्डर तत्काल आधार पर प्राप्त हुए हैं :

(क) चीन - 1.5 मिलियम टन

(ख) अन्य - 0.115 मिलियन टन

केआईओसीएल ने 1998-99 के लिए सान्द्रण एवं गोलियों के क्रमशः 3.30 मी. टन और 2.60 मी. टन के निर्यात आर्डर प्राप्त किए हैं।

कर्मचारी निरीक्षण एकक

2658. श्री छत्रपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) में कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस.आई.ए.) को क्या भूमिका सौंपी गई है;

(ख) 1.3.1991 और 1.3.1995 को कर्मचारी निरीक्षण एकक में कुल कितने विभिन्न पद स्वीकृत थे; और

(ग) 1.3.1998 को कर्मचारी निरीक्षण एकक में कितने पद परिचालन में हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) कर्मचारी निरीक्षण एकक को सौंपी गई भूमिका में किफायत की दृष्टि से सरकारी स्थापनाओं में कर्मचारी-संख्या की पुनरीक्षा करना है।

(ख) 1.3.1991 और 1.3.1995 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी निरीक्षण एकक में स्वीकृत विभिन्न कुल पदों की संख्या क्रमशः 165 और 81 थी।

(ग) कर्मचारी निरीक्षण एकक में 1.3.1998 को यथा-विद्यमान परिचालनरत्त कुल पदों की संख्या 79 है।

आंध्र प्रदेश की योजना सहायता

2659. डा. सुगुण कुमारी चलामेला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने 1997 में संसाधनों की कमी को पूरा करने हेतु योजना सहायता के लिए अग्रिम प्रदान करने के लिए निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार ने वित्तीय कठिनाई के कारण विकास संबंधी गतिविधियों को जारी रखने के लिए 393 करोड़ रुपए के अग्रिम के लिए अनुरोध किया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम के रूप में (263 करोड़ रुपए) और वर्ष के दौरान अर्थोपाय अग्रिम की पुनः अदायगी योग्य अग्रिम राशि (72 करोड़ रुपए) द्वारा कुल 335 करोड़ रुपए की राशि दी जाए।

बैंकों में पदोन्नतियां

2660. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधीनस्थ पदों से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति करते समय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने अनुच्छेद 16(4क) की शर्तों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए पूर्व- प्रावधानों में संशोधन करने हेतु कोई आदेश जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले स्थायी अंशकालिक सफाई कर्मी चपरासी संवर्ग में पदोन्नति पाने के लिए हकदार नहीं होते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ङ) बैंक जनशक्ति में अंशकालिक सफाई कर्मियों को बैंक कर्मचारी न माने जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जहां पर लिपिकीय संवर्ग में सीधी भर्ती वर्ष के दौरान भरे जाने वाले कुल रिक्त पदों के 75% से अधिक नहीं होती है, वहां अधीनस्थ संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया जाता है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूर्ण वेतनमान मजदूरी पर स्थाई अंशकालिक सफाई कर्मचारी, अधीनस्थ संवर्ग में परिवर्तित किए जाने के लिए पात्र हैं। 1/3, 1/2 और 3/4 वेतनमान मजदूरी पर अन्य स्थाई अंशकालिक सफाई कर्मचारी ऐसे परिवर्तन के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि वे पूर्ण वेतनमान मजदूरी वाले कर्मचारियों से कनिष्ठ हैं।

(ङ) वेतनमान मजदूरी/तदर्थ मजदूरी पर अंशकालिक सफाई कर्मचारी अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग के कर्मचारियों की तुलना में कम कार्य-समय काम करते हैं। इसके अलावा, इस प्रकार के अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को बैंकों में कार्य करने के अलावा कहीं भी अन्य स्थानीय संगठनों में कार्य करने का अवसर होता है। अतः उन्हें बैंकों की कुल स्टाफ संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

बी.सी.सी.एल. में डीजल की खपत/खरीद

2661. प्रो० रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी.सी.सी.एल. में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में डीजल की खपत हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान डीजल की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में डीजल के खरीद और वितरण में कोई हेराफरी का मामला आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सतर्कता विभाग द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है अथवा की जा रही है;

(च) यदि हां, तो सतर्कता विभाग की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के सचिवालय ने डीजल की खरीदारी और उसके उपयोग में होने वाली किसी भी प्रकार की हेराफेरी को रोकने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(ज) यदि हां, तो इन निर्देशों का किस हद तक अनुसरण किया गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान डीज़ल की खरीद पर व्यय की गई राशि तथा भा.को.को.लि. में डीज़ल की खपत, वर्षवार नीचे दी गई है :–

वर्ष	उपभोग की गई डीज़ल की मात्रा (किलोलीटर में)	व्यय की गई राशि (करोड़ रु० में)
1995-96	46,385	34.51
1996-97	47,894	41.11
1997-98	51,585	56.57

(ग) से (ज) भा.को.को.लि. के बरोरा क्षेत्र में मुराईडीह कोलियरी की डीज़ल वितरक यूनिट में भा.को.को.लि. के सतर्कता विभाग तथा

सी.बी.आई. द्वारा 3 अक्तूबर, 1997 को संयुक्त रूप से की गई अचानक जांच के परिणामस्वरूप, यूनिट के दो अधिकारियों द्वारा 60,104 रु० की राशि के 7456 लीटर डीज़ल के गबन का पता चला। दिनांक 4.3.1998 को, सी.बी.आई. ने इस मामले की जांच हेतु एक नियमित मामला दर्ज किया। सी.बी.आई. द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु भा.को.को.लि. के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने भा.को.को.लि. में डीज़ल के उपयोग तथा अधिप्राप्ति में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच के लिए कंपनी के सभी प्रमुख महाप्रबंधको/महाप्रबंधकों तथा विभागाध्यक्षों को दिनांक 9.3.1998 तथा 2.4.1998 को निर्देश जारी किए गए तथा कंपनी इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए नियमित रूप से प्रबोधन कर रही है।

[अनुवाद]

चीन के साथ व्यापार संबंध

2662. **श्री चंदू लाल अजमीरा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा चीन के साथ व्यापार संबंधों को बनाये रखने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखना एक लगातार चलने वाला प्रयास है। यह संबंध दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करार पर आधारित होता है। करार के उद्देश्यों को आवधिक रूप से मंत्री स्तरीय बैठकें आयोजित करके, अधिकारी स्तर पर समीक्षा करके तथा भारत-चीन व्यापार परिषद की बैठकें आयोजित करके और एक दूसरे के व्यापार मेलों में अधिक से अधिक भागीदारी को बढ़ावा देकर तथा सुविधाएं प्रदान करके एवं दोनों देशों के व्यापारियों के बीच संबंधों में सुधार लाकर प्राप्त किये जाते हैं।

[हिन्दी]

सरकारी निकायों का बन्द किया जाना

2663. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत वर्ष कितने सरकारी निकायों को वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर तथा बेकार और अलाभप्रद मानते हुए बंद करने की सिफारिश की गई;

(ख) क्या उनमें राष्ट्रीय पन विद्युत निगम, केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड भी शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन निकायों के क्रियाकलापों की जांच किस तरह किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) पिछले वर्ष, वित्त मंत्रालय द्वारा गठित ओर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा वित्त सलाहकारों द्वारा अनुवर्ती पत्राचार के अनुसार यथासंशोधित एक समिति द्वारा किए अध्ययन के आधार पर भारत सरकार द्वारा कुछ मंत्रालयों/विभागों की निरर्थक, अनुपयोगी और गैर-जरूरी रूप से चिन्हित की गई कुछ स्कीमों को बंद किया गया है। उन्होंने किसी सरकारी निकाय को बंद किए जाने पर विचार नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

कपड़ा मिलों में कामगारों की दशा

2664. **श्री अनंत कुमार हेगड़े** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सूती वस्त्र मिलों में लंबे समय तक काम करना कामगारों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो सूती वस्त्र मिलों में कामगारों के लिए कार्य दशाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) विशेष स्तर पर कपास की धूल के बीच कार्य करने के परिणामस्वरूप बीसीनोसिस की संभावना हो जाती है जो कि फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत उल्लेखनीय रोग है और इसके लिए कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति योग्य है।

(ख) फैक्ट्री अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए आदर्श नियमों के अंतर्गत उपयुक्त उपबंध पहले से ही विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रेषणीय निदान केन्द्रों, ईएसआई चिकित्सालयों/औषधालयों आदि सहित कामगारों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी विद्यमान हैं।

एच.एम.टी वाच कम्पनी, कर्नाटक

2665. **श्री एम० मल्लिकार्जुनय्या** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच.एम.टी. वाच कंपनी, तुमकुर (कर्नाटक) घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा यह कब से घाटे में चल रही है;

(ग) क्या कंपनी ने अपने अनुषंगी एककों को भुगतान करना बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा कंपनी के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा कंपनी को अपनी अनुषंगी इकाइयों को भुगतान करने के लिए प्रदान की गई अनुदान/सहायता की राशि कितनी है;

(च) क्या कंपनी के कुप्रबंधन की जांच के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(छ) यदि हां, तो इस समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ज) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) एच.एम.टी. वाच फैक्टरी, तुमकुर प्रतिस्पर्द्धा, निम्न क्षमता उपयोगिता और कार्यशील पूंजी की विवशता के कारण 1993-94 से ही घाटा उठाती रही है।

(ग) और (घ) कंपनी अपनी अनुषंगी इकाइयों को नकद प्राप्ति के अनुसार भुगतान करती रही है।

(ङ) सरकार, एच.एम.टी. के निष्पादन की निगरानी और समीक्षा नियमित रूप से करती है।

(च) से (ज) तथ्यों का पता लगाने हेतु श्री पी.के.जे. मेनन की अध्यक्षता में 14.2.94 को एच.एम.टी वाच फैक्टरी, तुमकुर की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति ने 15.4.94 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति की मुख्य सिफारिशों में था कि एच.एम.टी. को चाहिए कि वह अपने कार्यों को मितव्ययी बनाए, क्रय पद्धति को सरल तथा युक्तियुक्त बनाए और गुणवत्ता एवं विपणन तकनीकों को बढ़ाने पर बल दे और सुरक्षा के कड़े प्रबंध करे तथा आर्थिक रूप से अनुपयोगी इकाइयों को धीरे-धीरे बंद कर दे।

एच.एम.टी. ने समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी थी।

बैंकों का जमा और निवेश अनुपात

2666. **श्री तथागत सत्पथी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों का जमा और निवेश अनुपात कितना था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कृषि, लघु उद्योग तथा बड़े उद्योगों में कितनी राशि का निवेश किया गया;

(ग) इसमें से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि का निवेश किया गया और बैंकों द्वारा सीधे निवेशित राशियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य के कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध न कराने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों का कोई अभियान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लि. की नई परियोजनाएं

2667. **श्री प्रदीप कुमार यादव** :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० की स्थापना के बाद से आरंभ की गई नई परियोजनाओं का स्थलवार ब्यौरा क्या है;

(ख) 31.3.1998 तक इनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) आरंभ से ही भा.को.को.लि. द्वारा 40 नई परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। इनमें से सात परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। 29 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और चार परियोजनाओं में कोयले के भंडार समाप्त हो गए हैं, इन परियोजनाओं का विवरण (स्थल, मार्च 1998 तक किया गया व्यय और उसकी स्थिति) संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीयकरण के बाद से भा.को.को.लि. में स्वीकृत नई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं. परियोजना का नाम	राज्य	जिला	कोलफील्ड	क्षेत्र	मार्च, 1998 तक किये गये व्यय (करोड़ रु० में)	स्थिति
1 2	3	4	5	6	7	8
क्रियान्वयनाधीन						
1. ब्लाक-III ओका	बिहार	धनबाद	झरिया	बरोरा	15.23	आग लगने के कारण और डीजीएमएस से अनुमोदन न मिलने के कारण परियोजना का कार्यान्वयन आस्थगित रखा गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	विश्वकर्मा ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	कुसुंडा	0.00	भूमि और पुनर्वास संबंधी समस्या के कारण परियोजना का कार्यान्वयन आस्थगित रखा गया।
3.	सुलुंगा जीनागोरा ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	लोडना	0.00	परियोजना क्रियान्वयनाधीन।
4.	गंगा ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	कुसुंडा	0.00	परियोजना क्रियान्वयनाधीन।
5.	ब्लाक-IV (कोककर) ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	गोविंदपुर	16.93	परियोजना क्रियान्वयनाधीन। भूमि और पुनर्वास संबंधी समस्या विद्यमान है।
6.	पुटकी बलिहारी भू.ग.	बिहार	धनबाद	झरिया	पी.बी.	179.32	क्रियान्वयनाधीन। प्रतिकूल भू-खनन पर भू-खनन परिस्थितियों के कारण प्रौद्योगिकी और क्षमता में संशोधन किया गया।
7.	भवरा XVII सीम भूमिगत	बिहार	धनबाद	झरिया	ईस्ट झारिया	0.53	परियोजना क्रियान्वयनाधीन।
	पूर्ण परियोजनाएं						
8.	ब्लाक-II ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	ब्लाक-II	174.25	भूमि, पनर्वास संबंधी समस्या तथा आग के कारण उत्पादन कम हुआ।
9.	बेनेडीह ब्लाक-II (एनसी)ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	ब्लाक-II	16.23	चालू।
10.	साउथ तिसरा (एनसी) ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	लोडना	13.14	साउथ तिसरा (औग.) के साथ मिला दिया गया है तथा यह चालू है।
11.	बीएल-II (एनसी) जोगकुरीडीह ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	गोविंदपुर	10.71	परियोजना चालू है। भूमि और पुनर्वास संबंधी समस्या विद्यमान है।
12.	नार्थ तिसरा ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	लोडना	11.71	चालू।
13.	कुसुंडा ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	कुसुंडा	13.97	चालू।
14.	ब्लाक-II नूडखुरकी ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	ब्लाक-II	11.30	चालू।
15.	गोलुकडीह ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	बस्ताकोला	13.30	चालू।
16.	धानूडीह (पैंच) ओबी ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	बस्ताकोला	11.78	धानुडीह विस्तार ओ.का. के साथ मिला दिया गया है।
17.	खास कुसुंडा ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	कुसुंडा	2.87	खनन क्रियाकलाप रोक दिया गया जोकि भूमि और पुनर्वास संबंधी समस्याओं के कारण है।
18.	गोधुर ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	कुसुंडा	9.27	चालू।
19.	केरालपुर ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	कटरास	7.75	केरालपुर विस्तार-II के साथ मिला दिया गया।
20.	भवरा (पैच) ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	ईस्ट झारिया	8.63	चालू।
21.	न्यू लैकडीह ओ.का.	बिहार	धनबाद	मुग्मा	सी.वी.	9.43	चालू। भंडार समाप्ति पर है।
22.	जमूनिया ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	ब्लाक-II	8.53	चालू।
23.	गुटवे ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	बरोरा	2.78	अलबियोन/गुटवे विस्तार के साथ मिला दिया गया।
24.	बोरिया/चपलोरिया ओ.का.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धवान	रानीगंज	सी.वी.	13.21	चालू।
25.	अलबियोन बी.जे. (पैच) ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	बरोरा	3.48	अलबियोन/गुटवे विस्तार ओ.का.प. के साथ मिला दिया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	जीनागोरा (पैच) ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	लोडना	3.12	साउथ तिसरा ओ.का.प. के साथ मिला दिया गया।
27.	तीसरा (पैच) ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	लोडना	3.33	साउथ तिसरा ओ.का.प. के साथ मिला दिया गया।
28.	साउथ झरिया ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	कुस्टोरे	2.41	राजापुर विस्तार के साथ मिला दिया गया।
29.	मूनीडीह भूमिगत	बिहार	धनबाद	झरिया	मूनीडीह	179.86	चालू। कठिन भू-खनन परिस्थिति के कारण परियोजना से उत्पादन कम हुआ है।
30.	सुदामडीह भूमिगत	बिहार	धनबाद	झरिया	सुदामडीह	79.68	-वही-
31.	कटरास भूमिगत	बिहार	धनबाद	झरिया	कटरास	91.80	चालू। लांगवाल लौटा लिया गया। परंपरागत रूप से कार्य किया जा रहा है।
32.	नार्थ अमलाबाद भूग.	बिहार	धनबाद	झरिया	ईस्ट झरिया	63.02	चालू। ताप-अपघटन के कारण भंडार में काफी कमी आई है।
33.	भालगोरा भूमिगत	बिहार	धनबाद	झरिया	कुस्टोरे	75.03	चालू। कठिन भू-खनन परिस्थिति के कारण उत्पादन कम हुआ।
34.	भूरंगिया भूमिगत	बिहार	धनबाद	झरिया	महूदा	7.78	सुरक्षा कारणों से खनन क्रियाकलाप बंद किया गया।
35.	मधुबंद क्षेत्र-ए भूमिगत	बिहार	धनबाद	झरिया	बरोरा	8.44	चालू।
36.	मागबंद XVII बी भूग.	बिहार	धनबाद	झरिया	पी.बी.	2.87	चालू।
	समाप्त						
37.	भवरा साउथ ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	ईस्ट झरिया	2.60	कोयले के भंडार की समाप्ति।
38.	निचीतपुर तेतूलमारी ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	सिजुआ	9.36	कोयले के भंडार की समाप्ति।
39.	बसदेवपुर ओ.का.	बिहार	धनबाद	झरिया	सिजुआ	6.55	कोयले के भंडार की समाप्ति।
40.	जूनकूंडर ओ.का.	बिहार	धनबाद	रानीगंज	सी.बी.	6.87	कोयले के भंडार की समाप्ति।

[अनुवाद]

लम्बित अपील

2668. **श्री माधवराव पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण की 40,000 अपीलों में से मुम्बई बैंच के पास 20,000 अपील लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मुम्बई की बार एसोसिएशन ने दिल्ली से मुम्बई बैंच का स्थानांतरण किये जाने का निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) दिनांक 1.5.98 की स्थिति के अनुसार न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित 33632 अपीलों में से मुम्बई पीठ के पास 12774 अपीलें लंबित थी।

(ख) अपीलों का बड़ी संख्या में दायर होना, तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जाना, कानून की व्याख्या तथा पुरानी अपीलों के निपटान पर ज्यादा ध्यान देना आदि कुछ कारण हैं जो अपीलों के बकाया के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) और (घ) मुम्बई की बार एसोसिएशन के अलावा, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष ने भी पीठों के दिल्ली से मुम्बई स्थानांतरण किए जाने का प्रस्ताव रखा है। वर्ष 1996 के दौरान एक पीठ का दिल्ली से स्थानांतरण किया गया था। पीठों का और स्थानांतरण, मुम्बई में सरकारी स्थान की अनुपलब्धता तथा वर्तमान पीठों में स्थान की कमी के कारण नहीं हो सका। निजी स्थान को लीज पर लिए जाने पर उसके किराए के औचित्य, भवन की स्थिति, सुरक्षा तथा निर्धारितियों की सुविधा पर गौर किया जाना अपेक्षित है। अभी तक इस प्रकार का कोई भी उपयुक्त भवन नहीं मिला है।

आर्थिक प्रतिबन्ध

2669. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :**
श्री मगन्ती वेंकटेश्वर राव :
श्री के.एस. राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के परमाणु परीक्षणों के परिणामस्वरूप किन-किन देशों/अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने भारत के विरुद्ध आर्थिक/वाणिज्यिक प्रतिबन्ध लगाये हैं;

(ख) प्रतिबन्ध लगाए जाने से पहले इन देशों/संस्थाओं से सहायता/ऋणों के रूप में देशवार/संस्थावार कितनी राशि मिलने की आशा थी;

(ग) देश की अर्थव्यवस्था/जारी परियोजनाओं पर इन प्रतिबन्धों का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) आर्थिक प्रतिबन्धों के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने इन देशों/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विरुद्ध कोई प्रति-आर्थिक उपाय किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबन्धों की घोषणा की है। कनाडा, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैण्ड, जर्मनी और जापान ने अधिकारिक सहायता को वर्तमान स्तर पर रोक दिया है/सहायता राशि को कम कर दिया है। विश्व बैंक ने कुछ ऋणों पर विचार आस्थगित कर दिया है, यद्यपि अन्य ऋणों को स्वीकृति दे दी है।

(ख) वर्ष 1998-99 के लिए इन देशों/संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता/ऋण के बजट अनुमानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) चूंकि प्रतिबंध/अधिकारिक ऋणों के निलम्बन अधिकांशतः नए ऋणों पर लागू होंगे इसलिए पहले से करार किए गए ऋणों के संवितरण पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। अर्थ-व्यवस्था और चालू परियोजनाओं पर प्रभाव काफी सीमित होने की संभावना है। अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों में अमरीकी सरकार की संस्थाओं द्वारा किसी ऋण, ऋण-गारंटियों अथवा अन्य वित्तीय सहायता पर पाबन्दी भी शामिल है जिनमें 13 मई, 1998 से भारत को अमरीकी निर्यातों के लिए अमरीकी एक्जिम बैंक द्वारा सभी नए ऋणों और ऋण गारंटियों की समाप्ति तथा भारत में अमरीकी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों के लिए यू.एस. ओवरसीज प्राइवेट इंवेस्टमेंट कारपोरेशन (ओ.पी.आई.सी.) की गारंटियों को खत्म करना शामिल है। पहले से स्वीकृत एक्जिम बैंक के ऋण प्रभावित नहीं होंगे। तथापि प्रभाव की सीमा वर्तमान में स्पष्ट नहीं है, अंशतः इसलिए क्योंकि प्रतिबन्धों और सहायता निलम्बनों का सही स्वरूप स्पष्ट नहीं है।

(घ) सरकार की वर्तमान नीति के अनुरूप विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और अनिवासी भारतीयों/विदेशी कारपोरेट निकायों और विदेशी संस्थागत निवेशकों से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं। सरकार ने वृद्धिशील विदेशी संस्थागत इक्विटी निवेश के लिए संरक्षण की अनुमति दी है और किसी कंपनी में पोर्ट-फोलियो धारिताओं के संबंध में विदेशी संस्थागत निवेशक तथा अनिवासी भारतीय/विदेशी कारपोरेट निकायों की सीमाओं को पृथक किया है तथा स्वतन्त्र बनाया है। अनिवासी भारतीय/विदेशी कारपोरेट निकायों की सीमाओं में वृद्धि की गई है। केन्द्रीय बजट 1998-99 में की गई घोषणाओं के अनुसार भारतीय यूनिट ट्रस्ट अनिवासी भारतीयों से डालरों में अभिदान आमंत्रित करने के लिए एक नई "इंडिया मिलियनम स्कीम" शुरू करने की योजना बना रहा है। भारतीय स्टेट बैंक अनिवासी भारतीयों द्वारा, अभिदान हेतु विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित एक नया "रिसरजेंट इंडिया बांड" शुरू करने की योजना बना रहा है। असूचीबद्ध घरेलू ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेश ऋण निधियों द्वारा निवेश का प्रस्ताव किया गया है। बजट में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रक्रियात्मक कार्रवाई तथा क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए भी उपाय प्रस्तावित हैं। इसके अलावा आधारभूत ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए घोषणाएं की गई।

(ङ) नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वैदेशिक ऋण और अनुदान प्राप्तियां
(बजट अनुमान 1998-99)

(करोड़ रुपए में)

देश/संस्था का नाम	वैदेशिक ऋण	वैदेशिक अनुदान*
1	2	3
बहुपक्षीय		
आई.बी.आर.डी.	1527.29	--
आई.डी.ए.	4342.34	--
ए.डी.बी.	1000.85	--
पी.पी.एफ. (डब्लयू. बी.)	10.00	--
द्विपक्षीय		
अमेरिका	--	70.00
डेनमार्क	--	32.11

1	2	3
नीदरलैण्ड	--	85.40
जर्मनी	242.00	50.50
जापान	2703.30	100.00
स्वीडन	--	45.62
स्विस अनुदान (आई.डी.ए.)	--	10.00
जापानी अनुदान (आई.डी.ए. और आई.बी.आर.डी.)	--	5.00

*मित्र देशों और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से अनुदान और वस्तुगत सहायता।

स्रोत : प्राप्ति बजट 1998-99

विदेशी भागीदारी के लिए अब तक न खोले गए क्षेत्रों का खोला जाना

2670. **प्रो. पी.जे. कुरियन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन आर्थिक क्षेत्रों को विदेशी भागीदारी के लिए खोलने की शुरूआत कर दी है जिन्हें अब तक नहीं खोला गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी पूंजी निवेशकों के लिए इन क्षेत्रों को खोलने से क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के प्रति नीति एक गतिशील नीति है, जिसका उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रणाली को उत्तरोत्तर उदार बनाना है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को सार्वभौमिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए इसकी लगातार समीक्षा की जाती है। सरकार ने इस दिशा में अनेक उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

(i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 50% तक स्वतः अनुमोदन के लिए खनन क्षेत्र को खोलना।

(ii) 51% तक स्वतः अनुमोदन के लिए उद्योगों की सूची का विस्तार और कुछ क्षेत्रों को 74% इक्विटी तक स्वतः अनुमोदन के लिए खोलना। स्वतः अनुमोदन के लिए मदों की कुल संख्या को 35 से बढ़ाकर 60 करना।

(iii) बिजली-उत्पादन, पारेषण और पन-बिजली, कोयला/ लिग्नाइट आधारित, तेल आधारित गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से इसके वितरण में विदेशी इक्विटी भागीदारी स्वतः अनुमोदन के अन्तर्गत 100% तक अनुमेय कर दी गई है बशर्ते कि इन परियोजनाओं में विदेशी इक्विटी 1500 करोड़ रु० से अधिक न हो।

(iv) एन.बी.एफ.सी. क्षेत्र में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 15 कार्यकलापों में भिन्न स्तरों पर भाग लेने की अनुमति दी गई है।

(v) नागर विमानन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 11 जून, 1998 को नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के पूर्विकता निर्धारण के आगे और परिशोधन के लिए नीति की लगातार समीक्षा की जाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के उदारीकरण से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाहों के विविधीकृत होने की संभावना है। सुधार प्रक्रिया से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वास्तविक अंतर्प्रवाहों के बीच समय-अन्तराल के कम होने की भी संभावना है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का अंतरण

2671. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**
श्री के. येरननायडू :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण को संचार मंत्रालय को अंतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल) के कर्मचारियों को पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) संचार मंत्रालय से हिन्दुस्तान केबल्स लि. का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया गया है। परन्तु प्रस्ताव अभी प्रारंभिक स्तर पर ही है।

(ग) और (घ) जी, हां। इसके उत्पादों के लिए पर्याप्त क्रयादेशों की कमी तथा इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक वित्तीय समस्याओं के कारण, रूपनारायणपुर इकाई अपने कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधनों का सृजन करने में असमर्थ रही है।

(ङ) संचार मंत्रालय, जो कि हिन्दुस्तान केबल्स लि. का एक मुख्य ग्राहक है, से अनुरोध किया गया है कि वह हिन्दुस्तान केबल्स लि. से जेलीफिल्ड केबल्स के लिए आवश्यक अग्रिम के साथ-साथ पर्याप्त क्रयादेश प्रस्तुत करे। पर्याप्त आदेश मिलने पर कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार की आशा की जाती है।

[हिन्दी]

विनिवेश आयोग

2672. **श्री विजय गोयल :**
डा. सरोजा. वी. :
श्री सुनील खां :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें विनिवेश संबंधी योजनाएं अब तक तैयार कर ली गई हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विनिवेश करने का निर्णय कर लिया है;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक सरकारी उपक्रम में कितने प्रतिशत शेयरों का विनिवेश किया जाना है;

(घ) विनिवेश आयोग द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की संख्या कितनी है तथा उनमें की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आयोग द्वारा कुछेक उपक्रमों में विनिवेश से संबंधित की गई सिफारिशों का विरोध हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों में अब तक विनिवेश किया जा चुका है, उनकी एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने वर्ष 1998-99 के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. (जी.ए.आई.एल.), इण्डियन ऑयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.), विदेश संचार निगम लि. (वी.एस.एन.एल.) और कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (कॉनकार) में अपनी इक्विटी का आंशिक रूप से विनिवेश करने का निर्णय लिया है। पेशकश के ब्यौरे प्रचलित बाजार परिस्थितियों और अन्य घटकों के संदर्भ में समुचित समय पर तैयार किए जायेंगे।

(घ) विनिवेश आयोग ने अब तक सात रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। इन रिपोर्टों में आयोग ने सरकारी क्षेत्र के 41 उपक्रमों के संबंध में विनिवेश, कारोबार-बिक्री, अनुकूल बिक्री, परिसम्पत्तियों की समाप्ति और बिक्री अथवा विनिवेश स्थगित करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें की गई हैं। इसके अतिरिक्त इसने निम्नलिखित मुख्य आम सिफारिशें की हैं :-

(i) विनिवेश निधि की स्थापना।

(ii) बजटीय प्रक्रिया को बजटीय निष्पादन से असंबद्ध करना।

(iii) विनिवेश प्रक्रिया का कार्यान्वयन करने के लिए स्थायी अधिकार प्राप्त दलों का गठन।

(iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की रूपरेखा तैयार करना।

(v) विनिवेश से पूर्व, जहां आवश्यक हो, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान करना, मण्डल प्रबंधन का व्यावसायीकरण और पुनः संरचना करना।

(ङ) और (च) कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के व्यापार संघों ने आयोग की कुछ सिफारिशों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं। इनकी जांच की जाती है और सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के बारे में निर्णय लेते समय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखती है।

विवरण

1. एन्ड्रू यूले एंड कंपनी लि०
2. भारत अर्थमूवर्स लि०
3. भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०
4. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०
5. भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०
6. बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पैट्रोकेमिकल्स लि०
7. सी.एम.सी. लि०
8. कोचीन रिफाइनरीज लि०
9. ड्रेजिंग कारपोरेशन लि०
10. फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लि०
11. एच.एम.टी. लि०
12. हिन्दुस्तान केबल्स लि०
13. हिन्दुस्तान कॉपर लि०
14. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०
15. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०
16. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि०
17. हिन्दुस्तान जिंक लि०
18. इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि०
19. इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि०
20. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०
21. मद्रास रिफाइनरीज लि०
22. महानगर टेलीफोन निगम लि०
23. मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०
24. नेशनल अल्युमीनियम कंपनी लि०

25. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०

26. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०

27. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०

28. राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०

29. शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०

30. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०

31. स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि०

32. विदेश संचार निगम लि०

33. कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया

34. इंडियन ऑयन कारपोरेशन लि०

35. ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि०

36. इंजीनियर्स इंडिया लि०

37. गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लि०

38. इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन

39. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि०

[अनुवाद]

जूट पैकिंग सामग्री अधिनियम, 1987

2673. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**
श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "जूट पैकिंग सामग्री" (पैकिंग सामग्री में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 जो मार्च, 1999 के अंत तक समाप्त हो जाएगा, के वर्तमान प्रावधानों को उदार बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व सरकार का जूट उद्योग से विचार-विमर्श का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पैकिंग सामग्री अधिनियम, जिसमें जूट पैकिंग सामग्री का प्रयोग अनिवार्य है, के उल्लंघन की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) कौन से उद्योग उक्त अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) उक्त अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जे.पी.एम. अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित स्थायी सलाहकार समिति (एस.ए.सी.) ने सम्पूर्ण स्थिति पर नये सिरे से जांच करने तथा आरक्षण जो जून, 99 के अंत में समाप्त होने वाला है पर वर्तमान आदेश यदि आवश्यक हो, की समीक्षा करने के उद्देश्य से हाल ही में तीन बैठकें की हैं।

(ख) और (ग) एस.ए.सी. ने अपनी बैठकें तीन सत्रों में की। 15-5-98 को दूसरे सत्र के दौरान भारतीय पटसन मिल्स एसोसिएशन, पटसन लेमिनेटर्स एसोसिएशन तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न संघों एवं संगठनों को समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया था।

(घ) से (छ) पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के प्रावधानों का अधिनियम के आरंभ से ही खाद्यान्नों तथा चीनी क्षेत्रों द्वारा लगातार अनुपालन किया गया है। यूरिया उद्योग द्वारा अधिनियम का कुछ उल्लंघन हुआ है, जबकि सीमेंट क्षेत्र में पटसन थैलों के प्रयोग को व्यावहारिक रूप से पूर्णतः बंद कर दिया है। सरकार ने अधिनियम के कठोर अनुपालन के लिए सभी यूरिया विनिर्माती एककों को समय-समय पर निर्देश जारी किये हैं। यूरिया क्षेत्र में अधिनियम के पालन द्वारा परिणामी सुधार हुआ है। सरकार विभिन्न कामगार संघों, उपभोक्ता हित संकायों आदि द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर किए गए विभिन्न मुकदमों को समुचित ढंग से लड़ रही है। कुछ वादों में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं तथा उसी समय समान मामलों को उच्चतम न्यायालय में एक साथ करने के लिए सम्माननीय उच्चतम न्यायालय में अंतरण आवेदन भी दायर कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा सहायता

2674. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्ष 1997-98 के दौरान रुग्ण औद्योगिक एककों को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के द्वारा प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है और ये उद्योग कहां-कहां स्थित हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई.आर.बी.आई.) को दिनांक 27 मार्च, 1997 से भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आई.आई.बी.आई.) नामक नई सरकारी कम्पनी में बदल दिया गया था। आई.आई.बी.आई. ने सूचित किया है कि वर्ष 1997-98 में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा राज्यों में स्थित तीन रुग्ण/कमजोर एककों को 5.14 करोड़ रुपए की धनराशि संवितरित की गई थी।

[अनुवाद]

बीड़ी उद्योग

2675. **श्री बाबा बाबूराव परांजपे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनी सिगरेटों के उत्पादन के कारण देश में, विशेषतः मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने बीड़ी उद्योग को बचाने तथा बीड़ी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, नहीं। मध्य प्रदेश सहित बीड़ी का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर और उपकर (सैस) वसूली पर आधारित बीड़ी के उत्पादन संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि देश में बीड़ी के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। 1994 में छोटी सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क में कमी के कारण बीड़ी उद्योग पर दुष्प्रभाव पड़ने की कुछ आशंका हुई थी। तथापि बाद के बजटों में छोटी सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क लगातार बढ़ते हुए 60 रु. प्रति हजार के स्तर से 100 रु० प्रति हजार हो गया है।

(ग) बीड़ी निर्माण को लघु उद्योग के रूप में पंजीकरण योग्य औद्योगिक क्रियाकलाप के बतौर मान्यता प्राप्त है। ये इकाइयां केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लघु क्षेत्र को दिए जाने वाले प्रोत्साहन, छूट और सुविधा के भी पात्र हैं। बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवार के कल्याणार्थ श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य, मकान, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अनेक कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

जलगाँव-अजन्ता गुफा मार्ग को विश्व बैंक की सहायता

2676. **डा. उल्हास वासुदेव पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र से राज्य में जलगाँव-अजन्ता गुफा मार्ग के निर्माण के लिए विश्व बैंक की सहायता के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयकर विभाग में "खेलकूद कोटे" के अंतर्गत भर्ती

2677. **श्री विजय सिंह सोय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में भर्ती के लिए "खेलकूद कोटा" है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विभाग की विशेषकर राज्य, राष्ट्रीय स्तर के पुरुष खिलाड़ियों/महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष योजनाओं, प्रोत्साहनों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में अनुसूचित जनजाति के उन खिलाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें खेल-कूद कोटे के अंतर्गत आयकर विभाग में नौकरी दी गई है; और

(घ) आयकर विभाग में काम करने वाले आदिवासी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को दिए गए विशेष प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) कार्मिक विभाग द्वारा खिलाड़ियों की भर्ती और उन्हें प्रोत्साहन देने से संबंधित नीति बनाई जाती है जो कि आयकर विभाग सहित सभी विभागों में लागू होती है।

(ग) अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित केवल एक खिलाड़ी सुश्री कांति कपिला टोम्पो, आशुलिपिक की खेलकूद कोटे से भर्ती की गई है।

(घ) खिलाड़ियों को दिया जाने वाला विशेष प्रोत्साहन, किसी वर्ग को दिए जाने वाले विशेष प्रोत्साहन के रूप में है और आदिवासी समुदाय के खिलाड़ियों को अलग से कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

पश्चिम बंगाल में पटसन और कपास मिलों का बंद होना

2678. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में कई पटसन तथा कपास मिलें तालाबंदी और अन्य कारणों से बंद हैं;

(ख) इन मिलों को फिर से खोलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या इनमें से किसी मिल का मामला बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का हजारों श्रमिकों को भुखमरी से बचाने के लिए उन मिलों को पुनः खोलने के लिए हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य में 4 पटसन मिलों अर्थात् हेस्टिंग्स, चेवियट, आक्लैंड तथा लूडलो का प्रचालन अस्थायी रूप से स्थगित है। पश्चिम बंगाल में सूती मिलों के संबंध में, 12 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें मुख्यतः वित्तीय कठिनाइयों, तालाबंदी तथा हड़ताल के कारण अस्थायी रूप से बंद थी।

(ख) से (च) इन मिलों को पुनः चालू करना राज्य का मामला है जिसे राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा देखा जा सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए निपटारा करने वाली प्राधिकार है। पश्चिम बंगाल में उपरोक्त 4 में से किसी भी पटसन मिल का मामला बी.आई.एफ.आर. को नहीं भेजा गया है। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा ऐसी मिलों के लिए योजना तैयार तथा स्वीकृत करने, जैसा भी उचित हो, के लिए बी.आई.एफ.आर. को स्थापित किया है। 30.4.1998 की स्थिति के अनुसार, 12 वस्त्र मिलें बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत थी।

[हिन्दी]

वाहनों का बीमा

2679. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीमा कंपनियों द्वारा वाहन बीमा संबंधी दावों का निपटान कितने समय में किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनीवार वाहनों संबंधित कितने दावे दायर किये गये;

(ग) कंपनीवार एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष के अलग-अलग कितने मामले लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे मामलों के निपटान में विलम्ब के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई नियम बनाये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि दावेदार द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं/ अपेक्षाएं पूरी करने और कंपनियों द्वारा सभी संगत दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात् एक महीने की अवधि के अन्दर ही अधिकांश दावों का निपटान कर दिया जाता है।

(ख) कंपनियों द्वारा यथा-सूचित पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए वाहन दावों की संख्या निम्नलिखित है :-

	1994-95	1995-96	1997-98
नेशनल	1,67,805	1,74,861	1,68,082
न्यू इंडिया	1,71,752	2,15,444	2,42,820
ओरिएन्टल	2,03,231	1,84,710	1,79,353
यूनाइटेड इंडिया	1,62,031	2,00,759	2,46,243
जोड़ :	7,04,819	7,75,774	8,36,498

(ग) जैसा कि साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार अवधि-वार लम्बित दावे जिनमें न्यायालय/मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल में दर्ज दावे भी शामिल हैं, निम्नलिखित हैं :-

	नेशनल	न्यू इंडिया	ओरिएन्टल	यूनाइटेड इंडिया
1 वर्ष तक	62,600	73,773	110684	59,367
3 वर्ष तक	33,444	47,788	32467	33,483
3 वर्ष से अधिक	31,469	56,896	4428	24,351
जोड़ :	1,27,513	1,78,457	1,47,579	1,17,201

(घ) से (च) उद्योग के आचरण, अनुशासन और अपील (सी.डी.ए.) नियम में यह व्यवस्था है कि जब भी कोई अधिकारी किसी भी चूक के लिए दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प वस्तुओं के विकास हेतु योजनाएं/विपणन केन्द्र

2680. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री के.पी. नायडू :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से हस्तशिल्प वस्तुओं के विकास के लिए अनेक योजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं/प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन योजनाओं/प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की सम्भावना है;

(च) क्या सरकार का देश में नए हस्तशिल्प विपणन और सेवा विस्तार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और ये कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे; और

(छ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार से कोई योजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि विभिन्न राज्य हस्तशिल्प निगमों से हस्तशिल्प के विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्ष 1997-98 के दौरान प्राप्त ऐसे प्रस्तावों के विस्तृत ब्यौरे तथा उन पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (ङ) कुछेक प्रस्तावों को अनुमोदित न करने का मुख्य कारण अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होना अथवा संबंधित निगम के पास उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित पड़ा होना है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रस्तावों पर कुछ योजनाओं में निधियों की कमी के कारण विचार नहीं किया जा सका तथा उन पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमोदन हेतु विचार किया जाएगा।

(च) और (छ) जी, हां। सरकार का आईजॉल, बड़ौदा अथवा अहमदाबाद, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम तथा वाराणसी में विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों की शुरूआत सभी अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने पर निर्भर करती है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राज्य निगम का नाम	प्राप्त प्रस्ताव की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	रिलीज की गई (लाख रुपये में राशि)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, हैदराबाद	7	4	19.46
2.	असम	असम सरकार विपणन निगम, गुवाहाटी	5	5	15.26
3.	दिल्ली	दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम	1	1	2.25
4.	गोवा	गोवा हस्तशिल्प ग्रामीण एवं लघु उद्योग विकास निगम, पणजी	2	2	1.69
5.	गुजरात	क–गुजरात राज्य हस्तशिल्प विकास निगम	10	7	46.57
		ख–गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम	1	1	1.50
		ग–गुजरात शीप एण्ड वूल विकास निगम	2	2	2.41
6.	हरियाणा	हरियाणा राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, चण्डीगढ़	4	4	16.32
7.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लि., शिमला	7	1	2.20
8.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (एस.एण्ड.ई.) निगम, श्रीनगर	2	2	16.82
9.	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम	4	4	16.69
10.	केरल	केरल हस्तशिल्प विकास निगम	2	2	10.34
11.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लि., भोपाल	8	6	44.31
12.	मणिपुर	मणिपुर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, इम्फाल	3	3	21.24
13.	मिजोरम	मिजोरम हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि., आईजॉल	2	2	6.53
14.	नागालैण्ड	नागालैण्ड हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, दीमापुर	5	5	27.37
15.	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य हस्तशिल्प सहकारिता निगम	6	6	48.06
16.	पंजाब	पंजाब राज्य लघु उद्योग निगम, चण्डीगढ़	5	4	7.16
17.	राजस्थान	राजस्थान लघु उद्योग निगम, जयपुर	3	2	5.69
18.	तमिलनाडु	तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम, चेन्नई	3	3	7.70
19.	त्रिपुरा	त्रिपुरा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, अगरतला	11	10	41.44
20.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, कानपुर	10	4	17.01
21.	पश्चिम बंगाल	पश्चिमी बंगाल हस्तशिल्प विकास निगम, कलकत्ता	10	9	24.53

[हिन्दी]

कोयला कंपनियों में अनियमितताएं

2681. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक वर्ष संसद सदस्यों की ओर से विभिन्न कोयला कंपनियों में व्याप्त, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अन्य अनियमिताओं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा अब तक किन-किन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जुलाई, 1995 से जून, 1998 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान को.इं.लि. मुख्यालय तथा को.इं.लि. की सहायक कंपनियों में चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों सहित संसद सदस्यों के ऐसे पत्रों की संख्या, जो कोयला मंत्रालय में प्राप्त हुए थे, तथा उन पर कोयला मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई नीचे दी गई है : —

		95-96	96-97	97-98	जोड़
(i)	सांसदों द्वारा कोयला मंत्रालय में भेजे गए ऐसे पत्रों की संख्या जिनमें शिकायतें शामिल हैं	8	17	21	46
(ii)	जांच किए जाने हेतु कंपनियों के सतर्कता विभागों को संदर्भगत की गई ऐसी शिकायतों की संख्या	8	17	21	46
(iii)	प्राप्त जांच रिपोर्ट	6	12	5	23
(iv)	कंपनियों से प्रतीक्षित जांच रिपोर्ट	2	5	16	23
(v)	उन मामलों की संख्या जिनमें अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु कोयला मंत्रालय के सुझाव कंपनियों को सम्प्रेषित कर दिए गए हैं तथा उत्तर सांसदों को भेज दिए गए हैं	6	12	5	23

यदि यह आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो कोयला कंपनियों द्वारा किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जाएगी। किन्तु, उपरोक्त मामलों में से एक में को.इं.लि. की सहायक कंपनी के एक बोर्ड स्तर के अधिकारी के विरुद्ध कोयला मंत्रालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।

[अनुवाद]

पर्यटकों की संख्या में कमी

2682. **श्री भर्तृहरि मेहताब :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सुदूर पूर्व से आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बौद्ध संस्कृति के स्थानों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बौद्ध सांस्कृतिक स्थानों/क्षेत्रों में शामिल किए गए उड़ीसा के पर्यटन स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) और (ख) जी, नहीं। पूर्वी एशिया से वर्ष 1996/95 के दौरान पर्यटक आगमन में 31.3% की वृद्धि देखी गई और वर्ष 1997/96 के दौरान 1.6% की वृद्धि देखी गई।

(ग) इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया द्वारा विज्ञापनों, यात्रा मार्टों में भागीदारी द्वारा, ब्रोशरों द्वारा सूचना का प्रसार करके और "भारत जानो" सेमिनारों का आयोजन करके विदेशी बाजारों में बौद्ध परिपथ का संवर्धन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अक्तूबर, नवम्बर, 98 में एक विशेष बौद्ध महोत्सव का आयोजन भी निश्चित किया गया है जोकि अन्य बातों के साथ-साथ बौद्ध तीर्थों और पर्यटन का संवर्धन करेगा।

(घ) पर्यटक स्थलों का विकास करने के लिए उनका अभिनिर्धारण करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होती है। तथापि, ललितगिरि, रत्नागिरि, उदयगिरि और धौली का विदेशी व्यावसायिक बाजारों में संवर्धन किया जा रहा है।

केन्द्र-राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के संबंध में शेखावत समिति की रिपोर्ट

2683. **श्री के.एस. राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व प्रधानमंत्री ने केन्द्र-राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे से संबंधित मामलों को हल करने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत,
मुख्यमंत्री, राजस्थान

सदस्य : डा. अमरेश बागची,
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

श्री एस.आर. हाशिम
सदस्य सचिव, योजना आयोग

यह कार्यबल ऐसे उपायों की जांच और सिफारिश करेगा, जिससे राज्य अतिरिक्त अथवा वैकल्पिक साधनों के साथ-साथ संघ के राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय शक्तियों के अंतरण को शामिल करते हुए और अधिक संसाधनों में वृद्धि करने में अधिक समर्थ हो सकेंगे।

(ग) से (ङ) समिति ने कुछ मुद्दों को शामिल करते हुए भारत सरकार को अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाहपूर्वक इस सिफारिश की जांच कर रही है।

विश्व धर्मायतन न्यास की परिसम्पत्तियां

2684. डा. संजय सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने चन्द्रास्वामी और विश्व धर्मायतन न्यास की परिसम्पत्तियों का आकलन 2300 करोड़ रु० से भी अधिक किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त न्यास के व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं और न्यास को विदेशों से प्राप्त दान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शेष न्यासियों की परिसम्पत्तियों का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) (i) 21-6-1996 की स्थिति के अनुसार विश्व धर्मायतन ट्रस्ट के व्यक्तियों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

(1) श्री चन्द्रास्वामी जी	(2) डा. पी.सी. रेड्डी
(3) श्री आर.सी. जैन	(4) श्री आर.के.एस. सेनगार
(5) डा. सुब्रमनियम स्वामी	(6) श्री विक्रम सिंह
(7) श्री वेणु गोपाल धूत	

(ii) इस ट्रस्ट द्वारा विदेशों से प्राप्त दान की कुल धनराशि 2,29,04,832 रुपये।

(ग) और (घ) श्री प्रताप सी. रेड्डी के मामले में कर निर्धारण वर्ष 1996-97 तक तथा सर्वश्री आर.सी. जैन, सुब्रमनियम स्वामी और वेणुगोपाल नन्द लाल धूत के मामलों में कर निर्धारण वर्ष 1997-98 तक कर निर्धारण किया गया है। चूंकि अन्य तीन न्यासियों के मामले में तलाशी का मामला है, इसलिए अधिनियम के अध्याय XIV-ख के तहत तलाशी मूल्यांकन किया गया है।

निजी विद्युत उत्पादक इकाईयों को मुआवजा

2685. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत का उत्पादन करने वाली प्राइवेट क्षेत्र की इकाइयों के कोल इंडिया लि. को अपने ठेकों में "डिस्ट्रेस क्लास" जोड़ने के लिए अनुरोध किया है ताकि उन्हें समय पर कोयला न मिलने की स्थिति में पुनः मुआवजा मिलना सुनिश्चित हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि० ने पिछले दो वर्षों के दौरान विद्युत का उत्पादन करने वाली ऐसी इकाइयों को कोई मुआवजा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) दो आई.पी.पी. के साथ कोयला आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक विद्युत परियोजना में कोयला कंपनी को अनापूर्ति कोयले के मूल्य के 5% के बराबर क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ेगा बशर्ते कि कम से कम इतने कोयले की आपूर्ति अवश्य की गई हो जो 68.49% पी.एल.एफ. का स्तर तक उत्पादन बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। यदि कोयले की आपूर्ति इस स्तर से भी कम हो जाती है तब कोयला कंपनी को निर्धारित घटक के समवर्ती लागत (एफ.सी.सी.) के बराबर की राशि का भुगतान आई.पी.पी. को करना होगा। दूसरे मामले में भी प्रावधान अधिकांशतः वही हैं लेकिन 68.49% पी.एल.एफ. से कम आपूर्ति होने पर अधिकतम क्षतिपूर्ति, कोयले की कीमत के दुगुने के बराबर देय होगी।

(ग) जी नहीं। संबंधित विद्युत संयंत्र का संचालन वर्ष 2000 ए.डी. के बाद ही आरंभ हो पाएगा।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

औद्योगिक पिछड़ापन

2686. श्री अर्जुन सेठी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गत पचास वर्षों में किए गए भरसक प्रयासों के बावजूद देश के कुछ राज्यों में औद्योगिक पिछड़ेपन के साथ-साथ क्षेत्रीय असंतुलन अभी तक बना हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे असंतुलनों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) आर्थिक सूचकों पर सूचना क्षेत्रीय स्तर पर केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, प्रति व्यक्ति "निवल राज्य घरेलू उत्पाद" संबंधी आंकड़े राज्यों में औद्योगिक पिछड़ेपन में कोई प्रबलन तथा क्षेत्रीय असंतुलन का संकेत नहीं देते हैं।

नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस मुक्ति से स्थानिक निर्णय व्यक्तिगत निवेशकों के वाणिज्यिक आकलन पर निर्भर करते हैं। तथापि, पिछड़े देशों में ढांचात्मक विकास के माध्यम से प्रभावी रूप में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये विकास केन्द्रों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना चलाई गई है। इसी प्रकार विशिष्ट पहाड़ी, दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार परिवहन राज-सहायता योजना चला रही है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिये एक नई औद्योगिक नीति की उस क्षेत्र के विकासार्थ घोषणा की गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र कच्चा सूत अधिनियम

2687. **श्री विट्ठल तुपे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कपास उत्पादकों को बिचौलियों के चंगुल से बचाने और लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र कच्चा सूत अधिनियम (अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण और विपणन) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत केन्द्र सरकार की सहमति से कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त योजना की अवधि पर दो वर्ष का अंतराल देकर अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाने से इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन में बाधा आ रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को इस योजना की अवधि अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाने की सिफारिश करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बुनकरों के लिए घरों का निर्माण

2688. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान देश में बुनकरों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धनराशि का पूर्णरूप से उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक राज्यवार कितने मकानों का निर्माण किया गया है;

(च) क्या कर्नाटक सरकार ने "उपयोगिता प्रमाणपत्र" जारी कर दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यवार, विशेष रूप से कर्नाटक में 1998-99 के दौरान कितनी राशि मंजूर किए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान तमिलनाडु सरकार ने स्वीकृत की गई राशि की तुलना में जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा है जोकि 1200 कार्यशाला-सह-आवासों के निर्माण हेतु राशि दी गई थी। 1997-98 के दौरान जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अन्य राज्यों से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) जी, नहीं।

(छ) कर्नाटक सरकार सहित राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों तथा पूर्व में जारी की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है तथा बजट में निधियों का आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है।

विवरण

बुनकरों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु स्वीकृत की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	274.16
2.	असम	79.17

1	2	3
3.	अरूणाचल प्रदेश	100.62
4.	कर्नाटक	107.40
5.	महाराष्ट्र	56.78
6.	मध्य प्रदेश	200.00
7.	नागालैंड	704.50
8.	उड़ीसा	93.36
9.	राजस्थान	241.00
10.	त्रिपुरा	28.10
11.	तमिलनाडु	220.12
12.	पश्चिम बंगाल	192.50

जन्मभूमि कार्यक्रम को कर से छूट

2689. **श्री के. येरननायडू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को दिए गए दान के लिए 100 प्रतिशत कर मुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय द्वारा इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

कोका-कोला पर उत्पाद शुल्क

2690. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जनवरी, 1998 के "द इकानामिक टाइम्स" में डिफरेंट एक्साइज ड्यूटीज पेड बाई कोला एम एन सीज टू बी प्रोब्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें इस मामले के बारे में क्या तथ्य दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का कोका कोला और पेप्सी कोला कंपनियों के शीतल पेयों पर समान दर से उत्पाद शुल्क लगाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विभिन्न उत्पाद शुल्क की वसूली में विभेदकारी प्रक्रिया अपनाने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकार के राजस्व की हानि हो रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) विभाग के ध्यान में यह बात आयी है कि मैसर्स कोका कोला की सहायक कंपनी मैसर्स ब्रिटको फूड्स कंपनी लिमिटेड ने पेय पदार्थों के क्षारकों/सांद्रणों को उपशीर्ष संख्या 3302.10 के अधीन वर्गीकृत किया है जिन पर 18% की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगता है जबकि पेप्सी फूड्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इसी प्रकार के सांद्रणों को उपशीर्ष 2106.10 के अधीन वर्गीकृत किया जा रहा है जिन पर 40% की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगता है। पेय पदार्थों के क्षारकों/सांद्रणों को उपशीर्ष 2106.10 के अधीन वर्गीकृत करने का प्रस्ताव करते हुए मैसर्स ब्रिटको फूड्स कंपनी लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। क्षेत्राधिकार रखने वाले सहायक आयुक्त ने दिनांक 10.7.97 के अपने न्यायनिर्णयन आदेश में यह निर्णय दिया कि उक्त उत्पाद उपशीर्ष 3302.10 के अधीन वर्गीकरणीय हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे ने सहायक आयुक्त के आदेश की पुनरीक्षा की है तथा इस आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष दिनांक 6.5.98 को एक अपील दायर की है।

(ग) भारत में निर्मित तथा उत्पादित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है तथा कोका कोला एवं पेप्सी कोला कंपनियों द्वारा निर्मित एक समान उत्पादों की शुल्क दर में कोई अंतर नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, विभाग ने विभेदी शुल्क को वसूल करने के लिए एक अपील दायर की है।

बैंक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

2691. **श्री टी.आर. बालू :**
श्री के.एस. राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह बैंक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त निर्णय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर भी लागू होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को अनुदेश जारी किए गए हैं जिसमें उन्हें अपने नियमों/विनियमों को संशोधित करने की सलाह दी गई है ताकि उनके कर्मचारीगण जिस महीने अपनी 60 वर्ष की आयु पूरी करें उस महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से उन्हें सेवानिवृत्ति मिले बशर्ते कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की जन्म तिथि महीने की पहली तारीख होगी वे 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पूर्ववर्ती महीने की अंतिम तिथि के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे जैसे कि केन्द्रीय सरकार के मामलों में होता है। दिशानिर्देश में अगली शर्त यह है कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरान्त किसी अधिकारी/कर्मचारी को सेवा-विस्तार नहीं दिया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के उद्यम विभाग ने भी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम के सभी कार्यपालकों से सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने को कहा है।

असम में पर्यटन का विकास

2692. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को कुछ पर्यटन परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को परियोजना-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(घ) क्या असम में पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध जलिंगा घाटी का भी विकास किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) से (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान असम सरकार ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु 13 परियोजनाएं प्रस्तुत की थीं। पर्यटन मंत्रालय ने इनमें से 288.88 लाख रुपए की 12 परियोजनाएं विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार स्वीकृत की हैं।

(घ) और (ङ) पर्यटक केन्द्रों का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। जलिंगा घाटी के विकास हेतु, राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

विवरण

असम को वर्ष 1997-98 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	कलियांग भौरा (काजीरंगा क्षेत्र) में पर्यटक रिजार्ट एवं जलक्रीड़ा केन्द्र	36.00
2.	तेजपुर में पर्यटक रिजार्ट का उन्नयन	15.00
3.	बारपेटा तीर्थ केन्द्र में यात्री निवास	18.00
4.	चन्दरपुर, गुवाहाटी में पिकनिक स्पाट पर पर्यटक सुविधाओं का विकास	70.50
5.	लम्बसुंग (चाय बगान रिजार्ट) में पारिस्थितिकी पर्यटन रिजार्ट	40.00
6.	भुवन हिल्स, सिल्चर में यात्री निवास	18.00
7.	बोकाखाट में पर्यटक कुटीर	25.00
8.	जखालबांधा में राइनो (गेंडा), भूमि में पर्यटक सुविधाओं का विकास	20.00
9.	भालुकपोंग असम में पर्यटक कुटीर	15.73
10.	बठद्रवा, असम में यात्री निवास	40.00
11.	मंगलडोई, असम में पर्यटक कुटीर	36.65
12.	मेले एवं उत्सव	
	(i) चाय एवं पर्यटन उत्सव	2.00
	(ii) बीहू उत्सव	3.00
	(iii) ब्रह्मपुत्र उत्सव	2.00
	जोड़	288.88

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पता लगाए गए कोयला भंडार

2693. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में कोयला भंडार होने का पता चला है और प्रत्येक कोयला खान से औसतन कितना कोयला निकलने की संभावना है :

(ख) मध्य प्रदेश की उन कोयला खानों के नाम क्या-क्या हैं जहां कोयले की अवैध निकासी, अवैध बिक्री और तस्करी के आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और प्रत्येक मामले में क्या-क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या रीवा डिवीजन की कोयला खानों में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी अन्य राज्यों के हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या रीवा डिवीजन के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कोयले के भंडारों को विनिर्दिष्ट किया गया है :- (i) बिलासपुर (ii) कोरबा (iii) रायगढ़ (iv) सुरगुजा (v) बैकुंठपुर (vi) शहडोल (vii) सिधी (viii) होसंगाबाद (ix) छिंदवारा (x) बैतुल।

मध्य प्रदेश राज्य के अंदर कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों

के विभिन्न खानों से हुए कच्चे कोयले के उत्पादन का (खान-वार) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) को.इं.लि. द्वारा यह सूचित किया गया है कि कोयले का अवैध उत्खनन और कोयले की चोरी/उठाईगिरी संबंधी क्रियाकलाप चोरी-छिपे किए जाते हैं, अतः इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य के पास कोई तथ्यगत सूचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु, कोयले के अवैध उत्खनन, अवैध बिक्री और कोयले की तस्करी के मामले में कंपनी के अनुरोध पर पुलिस प्राधिकारी के पास कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं। को.इं.लि. द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार यह बात सही नहीं है कि रीवा डिवीजन में कोयला खानों के अधिकांश कर्मचारी अन्य राज्यों से संबंधित हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

(आंकड़े '000 टन में)

खान का नाम	कोयले का उत्पादन 1997-98	कोयले का उत्पादन 1996-97	कोयले का उत्पादन 1995-96
1	2	3	4
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०			
धनपुरी भू.ग.	167.5	177.1	170.0
सुभाष इन्कलाइन	226.2	241.8	140.0
अमलाई भू.ग.	112.7	148.1	171.6
न्यू. अमलई	210.0	180.0	90.6
चचाई भू.ग.	150.0	150.5	185.5
विवेक नगर	0.0	3.0	106.3
बंगवार	364.1	360.8	284.3
राजेन्द्र	178.4	163.2	159.9
नवगांव	142.8	139.5	138.1
धनपुरी ओ.का.	1078.5	796.2	932.8
शारदा ओ.का.	461.6	530.0	402.5
अमलई ओ.का.	338.0	415.0	511.1
बईगा ओ.का.	49.5	57.4	62.2
बिरसिंहपुर	151.1	172.3	195.7
नवरोजाबाद वेस्ट	284.4	251.5	242.8
नवरोजाबाद ईस्ट	105.4	111.7	132.8
उमारिया	177.2	201.4	208.3
पाली प्रोजेक्ट	314.3	340.0	360.0
पिनौरा	244.7	206.0	203.3
पिपारिया	130.7	126.4	103.4
विंध्या	178.5	121.9	54.2
जमूना I और 2	07.2	98.5	98.6
जमूना II और 12	139.5	183.6	187.9
जमूना 9 और 10	178.7	186.5	160.5
गोविंदा	165.0	219.6	319.7
मीरा	107.0	77.4	1.7
कुटमा वेस्ट	287.6	329.9	335.1
कोटमा	132.9	158.6	158.1
भद्रा	111.8	131.3	151.0
हरद इन्कलाइन	91.1	91.9	83.1
बरतारी	37.3	13.1	0.0
जमूना ओ.का.	943.1	800.1	971.1
कोटमा ओ.का.	369.6	482.0	253.0
राजनगर	121.5	114.0	140.5
राजनगर आर.ओ.	618.6	663.2	696.5
झीमर	7.2	98.0	104.5
साउथ झीमर	254.6	225.0	168.4
मलगा	374.7	311.0	325.3
साउथ जेकडी. न्यू	124.4	101.9	118.0
बी" सीस	119.9	133.2	144.9
वेस्ट जे.के.डी.	249.5	234.5	225.8
बिजूरी	417.3	352.5	347.0
सोमना इन्कलाइन	317.0	288.0	272.0
पालकिरा	97.4	77.9	70.2
भेराबंद	298.0	303.4	328.0
कुरजा	194.7	154.2	132.6
कपिलधारा	324.4	264.4	184.5
राजनगर ओ.का.	1412.1	1460.1	1553.4
चिरीमिरी भू.ग.	505.3	488.0	481.1
कुरासिया/सोनावानी	291.9	289.0	290.0
कोरिया	231.3	244.3	261.4
वेस्ट चिरीमिरी	301.8	310.1	370.0
दुमनहिल	340.6	333.7	326.5
नार्थ चिरीमिरी	319.0	351.1	380.5
एन.सी.पी.एच.	474.3	534.1	518.8
कुरासिया ओ.का.	740.2	722.9	821.1

1	2	3	4
चिरीमिरी ओ.का.	415.3	386.7	300.5
चुर्चा	455.9	442.8	385.5
कटकोना	485.6	277.8	235.4
चुर्चा वेस्ट	290.0	473.5	444.1
पांडवपारा	166.6	140.2	123.2
झिलीमिली	0.1	0.3	0.0
जयनगर पुराना	342.0	355.9	398.0
जयनगर नया	161.6	169.5	172.6
कुम्दा पुराना	149.4	123.9	114.3
कुम्दा नया	260.0	247.5	220.2
बलरामपुर	260.0	252.9	215.8
विश्रामपुर ओ.का.	1261.1	1250.4	1196.1
डाटगांव	411.3	409.5	403.0
कल्याणी	43.3	26.1	8.6
महामाया	287.0	253.3	179.0
दुग्गा ओ.का.	501.8	402.5	324.0
महान ओ.का.	1.6	0.0	0.0
राजगमर	236.3	212.0	258.9
बंकी	376.4	393.0	440.2
सुरकाछर	348.6	348.5	369.1
झलगी	442.0	577.1	582.9
डेलवाडिया	216.0	239.0	207.0
सिंघाली	141.9	106.0	35.0
पवन इन्कलाइन	115.0	81.0	7.0
मनिकपुर ओ.का.	1914.0	2160.0	2125.0
कुसमुंडा ओ.का.	4489.8	4893.0	5124.0
लक्ष्मण ओ.का.	3300.5	3159.0	3013.0
गेवरा	17881.0	16632.5	15445.0
दीपका	2421.0	2521.0	2513.0
दीपका (औग.)	3023.0	2504.0	2107.0
बहल इन्क्लाइन	148.8	96.8	54.7
मंड इन्क्लाइन	11.1	40.4	41.3
धर्म इन्क्लाइन	141.1	100.4	69.8
बराउड ओ.का.	65.1	51.3	24.1
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०			
पाथाखेरा क्षेत्र			
पाथाखेरा - I भू.ग.	334	329	309
पाथाखेरा - II भू.ग.	265	263	267

1	2	3	4
सतपुरा - I भू.ग.	0	43	116
सतपुरा - II भू.ग.	673	673	684
शोभापुर - I भू.ग.	600	650	625
सरणी भू.ग.	227	146	152
तवा भू.ग.	261	261	278
छत्तरपुर - I भू.ग.	146	117	87
छत्तरपुर - II भू.ग.	187	171	160
पेंच क्षेत्र			
रावनवारा भू.ग.	93	153	167
खारा खास +			
पी.ईस्ट भू.ग.	222	176	183
ई.डी.सी. भू.ग.	41	28	6
गनपती भू.ग.	75	89	96
चांदमेता भू.ग.	56	66	96
इकलहरा भू.ग.	41	67	84
महादेवपुरी भू.ग.	84	93	101
गजनडीह भू.ग.	110	121	124
शिवपुरी भू.ग.	105	110	122
छिंदा भू.ग.	53	57	58
थेसगोरा भू.ग.	116	76	54
मथानी भू.ग.	124	100	88
विष्णुपुरी - I भू.ग.	82	93	70
विष्णुपुरी - II भू.ग.	81	67	56
कुकुरमुंडा/शिवपुरी-I			
पेंच ओ.का.	120	136	135
रावनवारा पेंच ओ.का.	260	263	200
न्यू सेतिया/विष्णुपुरी			
पेंच ओ.का.	111	261	200
पेंच ईस्ट ओ.का.	71	125	40
हरणभाटा ओ.का.	149	83	0
कन्हान क्षेत्र			
मोहन भू.ग.	126	184	174
अम्बारा भू.ग.	132	126	141
सकरी भू.ग.	0	24	38
घोरावारी +			
झरना भू.ग.	281	322	312
दमुआ भू.ग.	61	68	111

1	2	3	4
नंदन-I भू.ग.	226	240	243
नंदन-II भू.ग.	180	158	173
राखीकोल भू.ग.	0	0	35
बंसी भू.ग.	101	76	62
टांडसी भू.ग.	170	161	131
दमुआ ईस्ट भू.ग.	0	0	0
मौरी भू.ग.	118	0	0
मोहन ओ.का.	106	62	35
अम्बारा ओ.का.	5	42	49
घोरावरी +			
न्यू पैथ +	156	29	116
डटला ओ.का.		78	66
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०			
झिंगुर्दा	3,692	3,542	3,230
गोरबी	97	445	816
जयंत	9,420	9,401	7,535
अमलोहरी	3,432	3,422	4,080
गोरबी "बी"	805	601	540
निगाही	4,000	4,202	4,200

[अनुवाद]

आई.टी.डी.सी. में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2694. **श्री के. कृष्णमूर्ति** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.टी.डी.सी. शेयरों के प्रस्तावित विनिवेश को देखते हुए तथा स्टाफ में कमी करने के लिए आई.टी.डी.सी. के अधिकारियों के लिए कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार स्पन सिल्क मिल

2695. **श्री प्रभाष चन्द तिवारी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने भागलपुर जिले में स्थित बिहार स्पन सिल्क मिल, बहादुरपुर को पुनः चालू करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त मिल को पुनः चालू करने तथा उसके आधुनिकीकरण हेतु आर्थिक सहायता कब तक दिए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या असम और कर्नाटक में जापानी प्रौद्योगिकी पर आधारित दो अन्य स्पन मिलें लाभ अर्जित कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) जापानी प्रौद्योगिकी पर आधारित, असम और कर्नाटक में क्रमशः एक स्पन सिल्क मिल तथा 4 अन्य स्पन सिल्क मिल स्थापित हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कर्नाटक में स्थित निजी क्षेत्र की मै० रहीम सिल्क मिल्स नामक एक मिल लाभ कमा रही है।

[अनुवाद]

सिक्किम में पर्यटन

2696. **श्री भीम दाहाल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सिक्किम की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और परियोजना-वार सिक्किम में पर्यटन के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सिक्किम के लिए कोई समेकित पर्यटक विकास योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) सिक्किम सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान जो पर्यटक सिक्किम आए उनकी कुल संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	पर्यटक आगमन
1995	104421
1996	100801
1997	122821

(ख) सिक्किम सरकार को पर्यटन के विकास हेतु केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय से, गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं/ स्कीमों के

लिए स्वीकृत और प्रदान की गई राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार है :-

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	प्रदान की गई राशि
1	2	3	4
वर्ष 1995-96 के दौरान			
1.	लबरांग में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	7.70	3.75
2.	लाचुंग मोनास्ट्री का नवीनीकरण	6.19	4.10
3.	पुष्प महोत्सव 1995	5.00	4.00
4.	फिल्म का निर्माण	10.72	5.36
	जोड़	29.61	17.21
वर्ष 1996-97 के दौरान			
1.	फेंसांग मोनास्ट्री (नवीनीकरण)	30.00	4.00
2.	फोडोंग मोनास्ट्री (नवीनीकरण)	30.00	4.00
3.	प्रचार सामग्री	1.10	0.55
4.	पुष्प प्रदर्शनी महोत्सव	2.00	1.00
5.	चुंगथांग में पर्यटक गृह का निर्माण (उत्तरी सिक्किम)	29.99	9.00
	जोड़	93.09	18.55
वर्ष 1997-98 के दौरान			
1.	तूंग में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	2.70	0.32
2.	नामची में पर्यटक सूचना केन्द्र	10.00	5.00
3.	देवराली चोरटन सिक्किम में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं/जनसुविधाएं	3.50	1.05
4.	गेजिंग में पर्यटक स्वागत केन्द्र	10.00	3.00
5.	पर्यटक सूचना केन्द्र, गंगतोक	10.00	2.68
6.	पामयांत्से मोनास्ट्री का नवीनीकरण	10.00	3.00
7.	त्सिंडिग मोनास्ट्री का नवीनीकरण	10.00	3.00
8.	पुष्प उत्सव	2.00	1.00
9.	हस्तशिल्प प्रदर्शनी	4.00	4.00
	जोड़	62.20	23.05

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास हेतु एक मास्टर योजना तैयार की है। केन्द्रीय पर्यटम मंत्रालय ने राज्य सरकार को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर, दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की है।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन के साथ लम्बित विवादित मामले

2697. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद)** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधी कुछ विवादित मामले विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय के समक्ष लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विवाद निपटान निकाय का निर्णय अपने देश के पक्ष में सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय में लम्बित पड़े भारत के विवादों के बारे में एक विस्तृत विवरण संलग्न है। ये विवाद कानूनी स्वरूप के हैं और इसके लिए समुचित कानूनी उपाय किए जा रहे हैं ताकि हमारे देश के हितों की सुरक्षा की जा सके।

विवरण

डब्ल्यू.टी.ओ. में उन विवादों की स्थिति जिनमें भारत एक शिकायतकर्ता अथवा एक प्रतिवादी के रूप में जुड़ा हुआ है

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	शिकायत का विषय	स्थिति
1	2	3	4
1.	भारत	टर्की : वस्त्र एवं कपड़ा उत्पादों के आयातों पर प्रतिबंध	भारत ने टर्की के साथ परामर्श करने के लिए 21 मार्च, 1996 को अनुरोध किया था। ये परामर्श अप्रैल 1996 में होने निश्चित हुए थे, लेकिन टर्की ने यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के बिना द्विपक्षीय परामर्श करने से इंकार कर दिया था। जब परामर्शों की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी और जब पी.एम.आई., जिनेवा को एक पैनल के गठन की सलाह दी गई थी तब भारत द्वारा पैनल के लिए किए गए अनुरोध पर विवाद निपटान निकाय की दिनांक 13 मार्च, 1998 की बैठक में विचार किया गया था और एक पैनल का गठन किया गया था। भारत को विवाद निपटान निकाय के समक्ष 31 जुलाई, 1998 से पहले अनुरोध प्रस्तुत करना है।

1	2	3	4
2.	मलेशिया, थाईलैण्ड, पाकिस्तान, भारत	संयुक्त राज्य अमरीका : झींगा और झींगा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध	इस मसले पर 8 अक्टूबर, 1996 को परामर्श करने के लिए अनुरोध किया गया था और चूंकि किसी पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर नहीं पहुंचा जा सका था इसलिए, मलेशिया, थाईलैण्ड, पाकिस्तान और भारत के अनुरोध पर पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल ने अपनी सुनवाइयां पूरी कर ली हैं और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे डब्ल्यू.टी.ओ. के सभी सदस्यों में परिचालित करने के पश्चात् अब विवाद निपटान निकाय द्वारा अंगीकार किया जाना है।
3.	यूरोपीय समुदाय	भारत : भेषजीय एवं कृषि रसायन उत्पादों के लिए पेटेंट रसायन	यूरोपीय समुदाय ने 28 अप्रैल, 1997 को परामर्शों के लिए अनुरोध किया था। किन्तु चूंकि इन परामर्शों के फलस्वरूप किसी पारस्परिक रूप से सहमत समाधान पर नहीं पहुंचा जा सका था इसलिए 3 अक्तूबर, 1997 को यूरोपीय समुदाय ने एक पैनल के गठन का अनुरोध किया था और इस अनुरोध पर ही एस.बी. की 16 अक्तूबर, 1997 को हुई बैठक में विचार किया गया था जब भारत ने पैनल के गठन किए जाने का विरोध किया था। डी.एस.यू. के प्रावधानों के अनुसार इसके अगले अनुरोध पर एक पैनल का गठन स्वतः ही हो गया था। यूरोपीय समुदाय ने आरोप लगाया है कि भारत ने ट्रिप्स करार के अनुच्छेद 70.8 और 70.9 का पालन नहीं किया है। यूरोपीय समुदाय ने 12 फरवरी, 1998 को डब्ल्यू.टी.ओ. में डी.एल.बी. के समक्ष अपना पहला अनुरोध प्रस्तुत किया। भारत ने 5 मार्च, 1998 को अपना जवाबी अनुरोध प्रस्तुत किया और पहली महत्वपूर्ण बैठक 24 मार्च, 1998 को आयोजित की गई थी। भारत और यूरोपीय समुदाय द्वारा दूसरा अनुरोध 16 अप्रैल, 1998 को किया गया था और दूसरी महत्वपूर्ण बैठक 29 अप्रैल, 1998 को आयोजित की गई थी।
4.	संयुक्त राज्य	भारत : कृषि वस्त्र और औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध	संयुक्त राज्य ने 15 जुलाई, 1977 को विचार-विमर्श के लिए अनुरोध किया। 17 सितंबर, 1977 को विचार-विमर्श किए गए। 6 अक्तूबर, 1977 को संयुक्त राज्य ने एक पैनल गठित करने का अनुरोध किया। तथापि चल रहे सफल विचार विमर्शों को ध्यान में रखते हुए 6 अक्तूबर, 1977 को हुई डी.एस.बी. की बैठक में पैनल का गठन नहीं किया गया। 18 नवंबर, 1977 को डी.एफ.बी. की अगली बैठक में संयुक्त राज्य के अनुरोध पर स्वतः ही एक पैनल का गठन कर दिया गया। संयुक्त राज्य ने 31 मार्च, 1998 को अपना पहला अनुरोध प्रस्तुत किया और भारत ने 1 मई, 1998 को प्रतिवाद प्रस्तुत किया। पहली वास्तविक बैठक 7 और 8 मई, 1998 को हुई। भारत और यू.एस.ए. द्वारा दूसरे अनुरोध 5 जून, 1998 को प्रस्तुत किए गए तथा दूसरी वास्तविक बैठक 22 और 23 जून, 1998 को हुई।
5.	यूरोपीय समुदाय	भारत : अपरिष्कृत खालों तथा चमड़ियों सहित उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध	यूरोपीय समुदाय ने गाट के अनुच्छेद XXIII.I तथा डी.एफ.यू. के अनुच्छेद 14 के अनुसरण में एग्जिम, नीति (1997-2002) का प्रावधान 19 नवंबर, 1977 को विचारविमर्श के लिए अनुरोध किया जिसमें अनेक वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष रूप से खालों और चमड़ियों के निर्यात के लिए निषेधात्मक सूची निर्धारित की गई है, जिनके लिए डी.जी.एफ.टी. द्वारा मंजूर किए गए निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता है। ई.सी. ने आरोप लगाया है कि इन उत्पादों के लिए लाइसेंस को व्यवस्थित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह प्रतिबंध अस्थायी है और न ही इस बात का प्रमाण है कि उनका उद्देश्य भारत को निर्यात के लिए उत्पादों की अत्यधिक कमी की स्थिति को राहत देना है। अतः ई.सी. ने इस बात का दावा किया है कि यह परम्परा गाट 1994 के तहत भारत के दायित्व का उल्लंघन करती है और विशेष रूप से गाट 1994 को अनुच्छेद XI के प्रावधान का उल्लंघन करती है हालांकि यह जरूरी नहीं है कि उक्त उल्लंघन अनन्य रूप से हुआ हो। वार्ताओं का पहला दौर जनवरी 1998 में हुआ था।

1	2	3	4
6.	भारत	यूरोपीय समुदाय : भारत के चावल निर्यात के लिए संचयी वसूली प्रणाली लागू करना	भारत ने गाट, 1994 के अनुच्छेद VII के कार्यान्वयन संबंधी करार के अनुच्छेद 19, आयात लाइसैंसिंग क्रियाविधि संबंधी करार के अनुच्छेद 6, कृषि संबंधी करार के अनुच्छेद 19, व्यापार के तकनीकी अवरोधों संबंधी करार के अनुच्छेद 14 तथा सैनीटरी तथा फाइथेसेनीटरी उपायों के प्रयोग संबंधी करार के अनुच्छेद II के अनुसरण में आयोग द्वारा शुरू किए गए 18 अप्रैल के विनियम संख्या 703/97 के क्यूमूलेटिव रिकवरी सिस्टम को लागू करने के संबंध में यूरोपीय समुदाय के साथ विचारविमर्श का अनुरोध किया। इस बारे में हाल ही में जिनेवा में 23 जून, 1998 को विचार-विमर्श हुए।

[अनुवाद]

बैंकों को स्वायत्तता

2698. **श्री आर. साम्बासिवा राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को और अधिक स्वायत्तता तथा अधिकार प्रदान करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों के कुशल कार्यकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य कौन-कौन से परिवर्तन किए जाने का विचार है; और

(ग) इनके कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है और बैंकों को स्वायत्तता प्रदान करने से उनके कार्यकरण और बैंकों में बढ़ती धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए किस हद तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अफीम उत्पादकों द्वारा ज्ञापन

2699. **श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अफीम उत्पादकों ने अपनी समस्याओं के बारे में कोई ज्ञापन सरकार को प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) फसल वर्ष, 1998-99 के लिए अफीम नीति तैयार करते समय अफीम उत्पादकों द्वारा की गई शिकायतों को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

ढांचागत सुविधा विकास वित्त निगम

2700. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ढांचागत सुविधा विकास वित्त निगम को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान का दर्जा देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। वित्त मंत्री ने 1998-99 के अपने बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की है कि ढांचागत सुविधा विकास वित्त कंपनी लि० (आईडीएफसी) को, अन्य अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं को प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों और निधियां जुटाने के लाभों के मामले में इन संस्थाओं के समकक्ष बनाने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों का वेतनमान

2701. **श्री भेरूलाल मीणा :**
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों की यूनियनों/संगठनों ने अपने वेतनमान में संशोधन की मांग की है जिन्हें अब संशोधित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि दिनांक 1 अगस्त, 1997 से वेतन और अन्य भत्तों को संशोधित करने के विषय में कुछ एक यूनियनों/संगठनों से उन्हें मांगपत्र प्राप्त हुआ है। साधारण बीमा निगम द्वारा उनकी सभी यूनियनों/संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही प्रस्तावों को मूर्त रूप देकर उन्हें सरकार के पास अनुमोदनार्थ भेजा जाएगा। साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि इस स्थिति में प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट करना कठिन होगा।

परिवहन राज सहायता

2702. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्यमियों द्वारा केन्द्र सरकार से सीधे परिवहन राज सहायता के दावे का प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) परिवहन राज सहायता योजना, संवितरण/प्रतिपूर्ति आधार पर कार्य करती है अर्थात् राज सहायता दावों की पहले राज्य सरकार द्वारा छानबीन की जाती है तथा उन्हें पात्र एककों को वितरित कर दिया जाता है। तत्पश्चात् केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा किया जाता है। तथापि, राज्य स्तरीय समिति द्वारा एकल स्तरीय छानबीन के पश्चात् यथापेक्षित मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा एककों को सीधा भुगतान करने के लिए दिनांक 29 सितम्बर, 95 की अधिसूचना सं. II (I)/95-डी.बी.ए-I के तहत उक्त योजना के अधीन एक उपबन्ध शामिल किया गया है।

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

2703. **श्री वी.वी. राघवन :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने निजी शैक्षणिक संस्थानों, जिनमें राजधानी के स्कूल भी शामिल हैं, द्वारा बरती गई कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में दिल्ली सरकार से कोई अध्ययन रिपोर्ट मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दिल्ली सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में दिल्ली सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कुछ विद्यालयों का निरीक्षण किया है, जहां दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम और नियमावली, 1973 के उपबन्धों के संदर्भ में वित्तीय अनियमितताएं पाई गई । वित्तीय अनियमितताएं दर्शाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा इस ब्यूरो को अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके लिए उन्हें अनुस्मरण कराया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया है कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 18(5) के अन्तर्गत प्रत्येक गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय के लेखापरीक्षित वित्तीय लेखों सहित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी। यह बताया गया है कि बहुत से मामलों में विद्यालय का प्रबंध ऐसी समितियों/न्यासों द्वारा किया जा रहा है जिनमें सदस्य परिवारों के लोग और उनके सहयोगी हैं तथा समितियों/न्यासों को वित्तीय लेखे प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने के लिए दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने यह भी नोट किया कि कुछ मामलों में समितियों/न्यास गैर-मान्यता प्राप्त/अप्राधिकृत नर्सरी कक्षाएं चला रही हैं जिनके ऊपर इनका व्यावहारिक रूप से कोई अंकुश और नियंत्रण नहीं है और इस प्रकार विद्यार्थियों से एकत्र की गई निधि का लेखाजोखा नहीं रखा जाता है और यहां तक कि बाद में विद्यार्थियों को उनके संबंधित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बड़ी कक्षाओं में सामूहिक रूप से दाखिल किया जाता है।

भारतीय चाय निगम के श्रमिकों को मजदूरी

2704. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय चाय निगम के कामगारों को काफी लम्बे समय से वेतन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इनको वेतन दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) भारतीय चाय व्यापार निगम (टी.टी.सी.आई), जो एस.टी.सी. की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, घाटे वाली कम्पनी होने के कारण गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है और वह अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रही है। दिनांक 31.1.97 की स्थिति के अनुसार उक्त कम्पनी की कुल देनदारी लगभग 36 करोड़ रुपये आंकी गई है। निगम ने निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया है :—

(क) निगम के शेयरों की समग्र बिक्री;

(ख) यदि उपर्युक्त (क) को सम्भव नहीं पाया जाता है तो मौजूदा कम्पनी का विभाजन; और

(ग) यदि उपर्युक्त (क) और (ख) पर दिए गए विकल्प व्यावहारिक नहीं पाये जाते हैं तो एस.टी.सी. द्वारा परिसमापन संबंधी कार्रवाइयां शुरू करना।

टी.टी.सी.आई. उपर्युक्त (क) और (ख) पर दिये गये विकल्पों को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहा है।

विदेशी बैंक

2705. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी बैंकों ने पश्चिम बंगाल में अपनी शाखाओं को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक ने अपनी पुनर्वितरण योजना के अन्तर्गत कलकत्ता में अठारह शाखाओं में से पांच शाखाएं बन्द कर दी हैं/उनका विलयन कर दिया है। शाखाओं को बन्द करने/उनका विलयन करने के पीछे तर्क इस प्रकार है :—

1. बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा से निकटता,

2. प्रत्याशित स्तर से कम कार्यनिष्पादन, और

3. भावी संभावनाएं कम होना।

सिटी बैंक ने वाणिज्यिक महत्व के आधार पर कलकत्ता में दो शाखाओं में से एक शाखा को बन्द कर दिया है।

विस्फोटक अधिनियम, 1884 में संशोधन

2706. **श्री विजय कुमार "विजय" :**
श्री अनूपलाल यादव :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले नब्बे वर्षों के दौरान अर्जित किए गए अनुभवों को देखते हुए भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संशोधन विधेयक को कब तक संसद के समक्ष लाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) फिलहाल भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 में संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस अधिनियम से संबद्ध उपबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ऐसा अंतिम संशोधन 1983 में हुआ था।

प्लांटेशन कम्पनियां

2707. **श्री पी.आर. किन्डिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने कई प्लांटेशन कम्पनियों को यह नियामक निदेश जारी किए हैं कि जब तक निवेश करने वाली जनता को सुरक्षोपाय उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड के स्वीकार्य क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं कर लेते तब तक जनता से जमाराशि स्वीकार नहीं करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आदेश के बावजूद कई प्लांटेशन कम्पनियां "सेबी" द्वारा निर्धारित कोई भी क्रेडिट रेटिंग प्राप्त किए बिना अभी भी जनता से जमाराशि स्वीकार कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इन प्लांटेशन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या दण्डात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने गंगोपाध्याय समिति की रिपोर्ट की जांच की है जोकि भोले-भाले निवेशकों को गुमराह करने के लिए प्लांटेशन कम्पनियों द्वारा दर्शाई जा रही वृक्षों की विकास दर का जोरदार विरोध करती है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। 'सेबी' ने सूचित किया है कि सामूहिक निवेश योजनाओं के लिए विनियम बनाने हेतु गठित डा. दवे समिति की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर सेबी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी प्लांटेशन कम्पनी मौजूदा योजनाओं के अन्तर्गत निवेशकों से कोई धन नहीं जुटाएगी जब तक कि योजनाओं को किसी मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त न हो।

(ग) और (घ) सेबी ने बताया है कि जहां भी उन्हें बिना क्रेडिट रेटिंग प्राप्त किए जमाराशि जुटाने वाली प्लांटेशन कम्पनियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, ऐसी कम्पनियों को अपनी लेखा बहियों पर लेखापरीक्षकों के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सेबी यथावश्यक कानूनी कार्रवाई सहित उचित कदम भी उठा रहा है।

(ङ) और (च) गंगोपाध्याय समिति की रिपोर्ट पर सामूहिक निवेश योजना से संबंधित डा. दवे समिति द्वारा चर्चा की गई है। सेबी ने सूचित किया है कि इन योजनाओं हेतु निर्माणाधीन विनियम गंगोपाध्याय रिपोर्ट में व्यक्त की गई चिन्ताओं का निवारण करेंगे।

आई.एफ.सी.आई. में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

2708. **प्रो. जोगेन्द्र कवाडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तथा इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित रिक्तियों का कोई "बैकलाग" है;

(ग) यदि हां, तो पदवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का विचार इन पदों को विशेष अभियान के तहत भरने का है; और

(ङ) यदि हां, तो रिक्त पदों के कब तक भर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या 1049 है जिसमें 157 कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा 13 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति के हैं।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुंगा सिल्क

2709. **डा. जयन्त रंगपी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान मुंगा सिल्क का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरणीय बीमारियों के कारण मुंगा सिल्क के उत्पादन को खतरा पैदा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या मुंगा सिल्क उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई प्रस्तावित विशिष्ट योजना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मूंगा अपरिष्कृत रेशम का राज्यवार उत्पादन नीचे दिया गया है। वर्ष 1997-98 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं जोकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनः पुष्टि के अध्यधीन हैं।

(टन में)

	1995-96	1996-97	1997-98 (अनंतिम)
असम	86.00	72.00	60.00
अरूणाचल प्रदेश	0.10	0.14	0.16
मणिपुर	0.20	0.06	नगण्य
मिजोरम	नगण्य	नगण्य	नगण्य
मेघालय	0.94	1.14	2.00
नागालैण्ड	0.06	नगण्य	नगण्य
प. बंगाल	0.05	0.08	0.09
कुल	87.35	73.42	62.25

(ख) मूंगा रेशम कीटों का पालन सोम और सोआलु रोपणों से बाहर किया जाता है जो कि नाशीकीट और प्रिडेटर्स और जलवायु संबंधी विभिन्न परिस्थितियों में पलते हैं जिनसे वायरल, फुंगल और बैक्टीरियल रोग आदि की संभावना रहती है जो कि कुछ कीटपालन में दृष्टिगत होती है। रोगों का असामान्य रूप से फूट पड़ने की कोई सूचना नहीं है जिससे कि उत्तरपूर्व में मूंगा रेशम का उत्पादन प्रभावित हुआ हो।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड मूंगा रेशम कीट पालकों को बहु गुणन और वितरण के लिए रोग मुक्त मूल बीज की आपूर्ति करता है।

क्षेत्रीय मूंगा अनुसंधान केन्द्र ने रोगों के साथ-साथ मूंगा रेशम कीट और उसके आतंरिक पौधों दोनों के नाशी जीवों और परभक्षियों की घटना तथा उनके प्रबंधन पर अध्ययन किए हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत बोको (असम) स्थित क्षेत्रीय मूंगा अनुसंधान केन्द्र द्वारा बनाए गए मूंगा रेशम कीट रोगों, नाशीजीवों और प्रभक्षियों के एकीकृत प्रबंधन के साथ-साथ मूंगा रेशम कीट पालन की उन्नत प्रौद्योगिकी के एक पैकेज की सिफारिश राज्य रेशम उत्पादन विभागों को की गयी है ताकि वे उसे मूंगा रेशम कीट पालकों के बीच शुरू करें। इसके अतिरिक्त एक रोग मानीटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है जिसमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उत्पादन विभाग के अनुसंधान और तकनीकी कार्मिक शामिल हैं। यह प्रकोष्ठ रेशम कीट की फसलों का निरीक्षण करके रोग नियंत्रण को मानीटर करेगा और फसल के नुकसान को रोकने के लिए स्थल पर ही उपचारिक उपायों के बारे में सुझाव देगा।

(घ) भारत सरकार ने 6 उत्प्रेरक विकासात्मक योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है जो कि इस प्रकार है :-

(i) मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना, (2) मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना (3) बीज बहुगुणन अवस्थापना के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता देना,

(4) क्वालिटी के मूंगा बीज का उत्पादन करने के लिए निजी अनाज भंडारकों को सहायता देने की प्रायोगिक योजना, (5) मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई प्रक्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए गैरसरकारी संगठनों/सहकारी समिति जैसी एजेंसियों को सहायता प्रदान करना तथा पूर्वोत्तर राज्यों में मूंगा रेशम उत्पादन के विकास के लिए मूंगा के लिए फसल बीमा सहायता।

चूक खाता

2710. **श्री जंगबहादुर सिंह पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक ऑफ इंडिया की दिल्ली/नई दिल्ली शाखाओं में चूक खाता में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चूक खातों की कुल संख्या कितनी है और बैंक की नई दिल्ली स्थित प्रत्येक शाखाओं में उनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) क्या इन चूक खातों के लिए कर्मचारियों की कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने चूक खातों को बढ़ने से रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऐसी सूचना अर्थात् बैंक शाखा-वार और राज्य-वार जैसी सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, गत तीन वर्षों (अद्यतन उपलब्ध) के लिए बैंक आफ इंडिया की अनुपयोज्य आस्तियां नीचे दी गई हैं :—

(करोड़ रुपए)

	सकल एनपीए	सकल अग्रिमों का %
1995-96	2434.00	14.49
1996-97	2275.00	11.78
1997-98	2669.00	11.55

(ग) से (ङ) एनपीए हो जाने के कारण त्रुटिपूर्ण ऋण मूल्यांकन, वितरण के समय मंजूरी की शर्तों की अनुपालना न करना, अपर्याप्त पर्यवेक्षण, जानबूझकर चूक करना, प्रौद्योगिक में परिवर्तन के कारण इकाई की अनर्थक्षमता अथवा रुग्णता, मांग पैटर्न, परियोजना को पूरा करने में देरी जिसके कारण लागत/समय अधिक लगता है, पर्यावरणीय तत्व जैसे प्रदूषण, केन्द्रीय परिस्थितिकी नुकसान, आर्थिक धीमी गति और अन्य आर्थिक पहलू हैं।

न केवल नए एनपीए के विस्तार की जांच करने अपितु विद्यमान एनपीए की वसूली को सुनिश्चित करने हेतु उपाए प्रारम्भ किए गए हैं।

(i) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के पास ऋण वसूली नीति के दस्तावेज होते हैं जो निदेशक मंडल द्वारा तैयार और विधिवत रूप से पुनरीक्षित होते हैं।

(ii) बैंकों से कहा गया है कि वे बातचीत द्वारा निपटान के माध्यम से अपने एनपीए को कम करें जिससे कि कम खर्च पर अधिक वसूली हो सके। तथापि, इस संबंध में समझौता स्तर पर पहुंचने से पहले पूर्वोपाय किए जाने चाहिए जो निर्धारित किए गए हैं।

(iii) महाप्रबंधक के अन्तर्गत प्रधान कार्यालय में वसूली कक्ष स्थापित किए गए हैं और बैंकों द्वारा शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वसूली में शाखाओं के कार्यनिष्पादन की मासिक आधीर पर प्रधान कार्यालय द्वारा निगरानी की जाती है और तिमाही आधार पर प्रगति की सूचना निदेशक मंडल को दी जाती है।

(iv) कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, पटना और जबलपुर में ऋण वसूली अधिकरण और मुम्बई में एक अपीलीय अधिकरण स्थापित किया गया है जिससे कि बैंक की देयराशियों की वसूली में तेजी लाई जा सके।

(v) 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के चूककर्ताओं/मुकद्मा दायर किए गए खातों की सूची का संकलन करना और उन्हें सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को परिचालित करना।

(vi) स्टाफ की जबाबदेही निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल ने बैंकों में प्रचलित प्रणाली के विशेष संदर्भ में 300 शीर्ष एनपीए की पुनरीक्षा की है।

कॉयर कोपरेटिव स्कीम

2711. **श्री जी.एम. बनातवाला** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रायोजित सहकारिता योजना को जारी रखने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या इस योजना में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) जी, हां। केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहकारीकरण को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित येाजना को जारी रखने का अनुरोध किया है। यद्यपि केरल सरकार का मौजूदा योजना में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है, तथापि इस योजना को विद्यमान मापदंडों

पर ही जारी रखने तथा योजना में कोई परिवर्तन करने से पहले इस कार्यक्रम को अन्य राज्यों में भी शुरू करने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 1997-98 के दौरान, सरकार द्वारा कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के लिए एकीकृत कैंयर विकास परियोजनायें उसी मापदंड और उन्हीं शर्तों पर मंजूर की गई थी जो आठवीं योजना के दौरान इस योजना पर लागू थी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में आपूर्तिकर्त्ताओं की नियुक्ति

2712. **डा. विजय सोनकर शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग सरकारी विभागों, इत्यादि में तौलियों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं की नियुक्ति नहीं कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप अन्य स्थानों पर विनिर्मित हथकरघा तौलिए उन्हें उच्च दरों पर बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सरकारी विभागों के लिए खादी के तौलियों के आपूर्तिकर्त्ताओं की नियुक्ति नहीं की जा रही है क्योंकि खादी के तौलियों को आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के दर-अनुबंध में शामिल नहीं किया गया है। हैंडलूम के तौलियों को आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के दर-अनुबंध में शामिल किया गया है। तथापि, खादी के तौलियों को उनकी निविदाओं में खरीद तथा मूल्य में वरीयता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, खादी के तौलियों की आपूर्ति, उपयोगकर्ता विभागों की प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रमाणित संस्थाओं के माध्यम से सरकारी विभागों को भी की जाती है।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी के तौलियों को दर-अनुबंध में शामिल किये जाने हेतु आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से अनुरोध किया है। आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने बी. आईएस. विशिष्टीकरण पर जोर दिया है जिन्हें तैयार किया जा रहा है।

बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

2713. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल** :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) विगत दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन बैंकों में बैंकवार जमाराशि कितनी रही;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य में इन बैंकों द्वारा स्वीकृत की गई ऋण की राशि कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा किसानों को कितना ऋण स्वीकृत किया गया तथा वास्तव में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान किसानों द्वारा ऋण की कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जैसा कि बिहार के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.1997 और 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार इस समय बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या और इनमें जमाराशियों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को संवितरित की गई राशि और इन बैंकों द्वारा (बैंकवार) संवितरित की गई कुल ऋण राशि के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र समेत प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋणों की बैंकवार वसूली के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

मार्च, 1997 और मार्च, 1998 के अंत की स्थिति के अनुसार बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या और जमाराशियां

(राशि लाख रु० में)

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	के अनुसार जमा 31-3-1997	31-03-1998
1	2	3	4
1. भारतीय स्टेट बैंक	918	719980	864272
2. स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर	9	5072	6969
3. स्टेट बैंक आफ पटियाला	1	1979	
4. इलाहाबाद बैंक	225	116000	138501
5. आन्ध्रा बैंक	3	2768	2768

1	2	3	4
6. बैंक आफ बड़ौदा	98	54859	66481
7. बैंक आफ इंडिया	386	224355	268372
8. बैंक आफ महाराष्ट्र	1	636	1093
9. केनरा बैंक	103	117832	139511
10. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	371	194800	229004
11. कारपोरेशन बैंक	3	5148	5148
12. देना बैंक	9	5288	5498
13. इंडियन बैंक	27	17450	23583
14. इंडियन ओवरसीज बैंक	17	22344	27741
15. ओरि. बैंक आफ कामर्स	6	4123	4123
16. पंजाब नेशनल बैंक	439	210425	244772
17. पंजाब एंड सिंध बैंक	10	6823	7194
18. सिंडीकेट बैंक	22	16164	18795
19. यूनियन बैंक आफ इंडिया	79	56417	65513
20. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	110	56780	67550
21. यूको बैंक	201	93193	99174
22. विजया बैंक	8	8457	11770
योग	3046	1940901	2297824

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंक-वार कुल संवितरण और कृषि क्षेत्र को संवितरण

(राशि लाख रु० में)

वाणिज्यिक बैंक का नाम	कुल संवितरण			कृषि को संवितरण		
	सिर्फ पीएस	पीएस+एनपीएस		पीएस+एनपीएस		
	1995-96		1996-97			1997-98
1 2	3	4	5	6	7	8
1. भारतीय स्टेट बैंक	18094	59911	76547	8273	12847	10878
2. स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर	56	220	223	1	3	1
3. स्टेट बैंक आफ पटियाला	--	89	6	--	--	--
4. इलाहाबाद बैंक	1752	3152	3374	589	905	890
5. आन्ध्रा बैंक	9	45	119	--	--	2
6. बैंक आफ बड़ौदा	1001	2055	1591	620	804	763
7. बैंक आफ इंडिया	5932	31316	14581	1782	4167	4389
8. बैंक आफ महाराष्ट्र	23	31	137	--	--	--
9. केनरा बैंक	5234	23505	86095	1982	2010	1837
10. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	4580	11571	11923	1617	2094	2576
11. कारपोरेशन बैंक	120	140	--	--	5	--
12. देना बैंक	--	271	550	--	4	100
13. इंडियन बैंक	255	200	223	108	112	101
14. इंडियन ओवरसीज बैंक	288	904	463	56	73	61
15. ओरि. बैंक आफ कामर्स	108	259	--	2	5	--
16. पंजाब नेशनल बैंक	7059	15207	14305	2756	4248	4478
17. सिंडिकेट बैंक	178	1013	119	99	71	98
18. यूनियन बैंक आफ इंडिया	2433	4100	530	802	1042	1059
19. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	192	1450	6741	116	134	202
20. यूको बैंक	1530	2267	1686	545	529	525
21. विजया बैंक	810	316	297	97	98	145
जोड़	49783	158406	148118	19396	29247	28210

पीएस – प्राथमिकता क्षेत्र

एनपीएस – गैर प्राथमिकता क्षेत्र

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र सहित प्राथमिकता क्षेत्रों के तहत बैंक-वार ऋणों की वसूली

(राशि लाख रु० में)

बैंक का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
1. भारतीय स्टेट बैंक	16663	21827	23860
2. स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर	--	1946	4439
3. स्टेट बैंक आफ इंदौर			
4. स्टेट बैंक आफ पटियाला	8012	--	--
5. इलाहाबाद बैंक	2039	1399	0780
6. आन्ध्रा बैंक	0005	0019	--
7. बैंक आफ बड़ौदा	8756	1349	1098
8. बैंक आफ इंडिया	4014	6377	6554
9. बैंक आफ महाराष्ट्र	8002	0006	0008
10. केनरा बैंक	1247	3366	3333
11. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	4284	8972	4193
12. कारपोरेशन बैंक	0001	0038	--
13. देना बैंक	0028	0020	0118
14. इंडियन बैंक	0109	8164	0154
15. इंडियन ओवरसीज बैंक	0032	0032	0065
16. ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	0008	0021	--
17. पंजाब नेशनल बैंक	11773	13554	8347

1	2	3	4
18. पंजाब एंड सिंध बैंक	0015	0051	0858
19. सिंडिकेट बैंक	0089	0149	0149
20. यूनियन बैंक आफ इंडिया	1000	0971	1220
21. यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया	0820	8687	0532
22. यूको बैंक	1514	1486	8282
23. विजया बैंक	0132	0080	0200
जोड़	44543	53714	55398

रेशम के धागे की कमी

2714. **श्री अजय कुमार एस. सरनायक** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बुनकरों के लिए रेशम के धागे की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को कब तक पूरा कर दिया जाएगा; और

(ग) सरकार द्वारा रेशम के धागे के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। तथापि, निर्यातक अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत निर्यात के लिए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्वालिटी के रेशम यार्न का आयात कर रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेशम यार्न की औसत कीमत से कीमत में किसी प्रकार की ऐसी विशेष वृद्धि होने का पता नहीं चलता जिससे सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़े। वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान चरका और फिलेचर यार्न की औसत कीमत निम्नानुसार है :—

(रु. प्रति कि.ग्रा.)

	1995-96	1996-97	1997-98
चरका	1038	1120	1044
फिलेचर	1262	1333	1303

सिडबी द्वारा निधियों का संवितरण

2715. **श्री एस.एस. ओवेसी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिडबी द्वारा अपनी स्थापना के बाद 31 मार्च, 1996 तक योजना-वार और राज्यवार कुल कितनी राशि संवितरित की गई;

(ख) राज्यों को निधियों के संवितरण में व्यापक अंतर के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी राज्यों को समान संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अपनी स्थापना से 31 मार्च, 1996 तक 16876 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है। 31मार्च, 1996 तक सिडबी द्वारा संवितरित योजना-वार और राज्यवार वित्तीय सहायता क्रमशः विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) और (ग) सिडबी, राज्य-वार संसाधन आबंटित करने की प्रणाली का अनुसरण नहीं करता है। वह देश के सभी राज्यों में लघु उद्योगों को आवश्यकता पर आधारित वित्तीय सहायता दृष्टिकोण के सिद्धान्त का पालन करता है। सिडबी यह भी सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है कि कोई भी लाभप्रद परियोजना जो देश के किसी भाग से भी आयी हो, उसे निधियों की कमी के कारण मना न किया जाए। सिडबी ने सूचित किया है कि संबंधित राज्यों में औद्योगिक विकास का स्तर, उद्यमकर्त्ता आधार, संबंधित राज्य में राज्य सरकार द्वारा उद्योग को उपलब्ध कराया गया प्रोत्साहन, राज्य में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं और राज्य में ऋण खपाने की क्षमता से नये तथ्यों के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों के बीच निधियों के संवितरण में असमानता हो सकती है।

विवरण I

अपने प्रारम्भ से 31 मार्च, 1996 तक सिडबी का योजना-वार संवितरण

(करोड़ रुपए)

	1990-96 संवितरण
1	2
पुनर्वित्त	9396.81
बिलों की पुनर्भुनाई	1071.99
बिलों की देशी आपूर्ति के विरुद्ध	
बिलों की पुनर्भुनाई	4264.18
बिलों का प्रत्यक्ष भुनाई	282.71
प्रत्यक्ष वित्तीय योजना	4.83
जोखिम पूंजी	
संस्थाओं को संसाधन सहायता	760.48
एम.एफ.एफ/डीसीएस/एनएसआईसी को पट्टे के लिए वित्तीय सहायता	53.91
गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को पट्टे के लिए वित्तीय सहायता	992.08

1	2
इक्विटी वित्तीय सहायता	
बीज पूंजी (सामान्य)	1.31
राष्ट्रीय इक्विटी निधि	13.79
भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-रोजगार	16.16
महिला उद्यम निधि	6.91
संवर्धन और विकासशील के अन्तर्गत वित्तीय सहायता कार्यकलाप	12.09
योग	16876.45

विवरण II

अपने प्रारम्भ से 31 मार्च, 1996 तक सिडबी का राज्य-वार संवितरण

(करोड़ रुपए)

	सभी योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता 1990-96 संवितरण
1	2
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	170.82
उड़ीसा	234.79
सिक्किम	7.47
पश्चिम बंगाल	585.04
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.43
पूर्वोत्तर क्षेत्र	
अरुणाचल प्रदेश	3.71
असम	64.09
मणिपुर	10.59
मेघालय	12.44
मिजोरम	5.82
नागालैण्ड	5.92
त्रिपुरा	10.07
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	771.32
हिमाचल प्रदेश	129.74
जम्मू एवं कश्मीर	63.05
पंजाब	655.67
राजस्थान	676.70
उत्तर प्रदेश	1229.24
चंडीगढ	22.99
	1074.64

1	2
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	
पश्चिमी क्षेत्र	
गोवा	136.80
गुजरात	2112.03
मध्य प्रदेश	590.56
महाराष्ट्र	2627.59
दादर एवं नागर हवेली	4.79
दमन एवं दीव	7.25
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	918.93
कर्नाटक	1608.18
केरल	738.59
तमिलनाडु	2203.36
लक्षद्वीप	0.09
पांडिचेरी	24.19
योग	16706.89

** इसमें विभिन्न संगठनों/संस्थाओं को सिडबी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता सम्मिलित नहीं है।*

मालाबार पर्यटन क्षेत्र

2716. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेकल रिसोर्ट को वायनाड, कालीकट, कन्नूर, मालापुरम और पालाक्काड़ जिलों से जोड़ते हुए "मालाबार पर्यटन क्षेत्र" को पर्यटन नक्शों तथा अन्य विभागीय प्रकाशनों में शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) और (ख) केरल में विनिर्दिष्ट (पर्यटक) परिपथ हैं: "कोचीन-टेकड़ी-मुदराई-रामेश्वरम"

बेकल बीच को अलग से एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। भारत सरकार और केरल राज्य सरकार ने केरल के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर कई पर्यटन ब्रोशर बनाए एवं प्रकाशित किए हैं।

उड़ीसा में निर्यातोन्मुखी एकक

2717. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये एकक कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) उड़ीसा में 53 अनुमोदित निर्यातोन्मुखी इकाईयां हैं, जिसमें से 8 इकाईयां पहले से ही उत्पादन कर रही हैं और 4 इकाईयां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। जहां तक शेष इकाईयों का संबंध है, यह उद्यमियों पर निर्भर करता है कि वे भवन निर्माण, मशीनरी, कच्ची सामग्री और उसकी उपयोगिताओं का प्रावधान करने के रूप में उक्त इकाईयों की स्थापना करें और उत्पादन शुरू करने के लिए अन्य कदमों को उठाएं। भारत सरकार, उद्यमियों से जब कभी भी प्रस्ताव प्राप्त होता है, सीमाशुल्क बांडिंग की सुविधा प्रदान करती है।

खानों में पानी भरना

2718. **श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी.सी.सी.एल. की खानों में पानी भर जाने के कारण डूब गई प्रमुख कोयला खानों तथा अन्य खानों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या संग्रहीत जल भराव तथा उसकी मात्रा के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो निकाले गए पानी तथा प्रत्येक वर्ष उपयोग किए गए पानी की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जिला प्रशासन की सहायता से धर्मबंध कोयला खान से समीपवर्ती स्थानों के उपयोग के लिए पानी के निकासी करने तथा खान को जलमुक्त करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) भा.को.को.लि. में जल के एकत्र होने के कारण जलमग्न प्रमुख कोलियरियों के नाम तथा उनके जलमग्न होने की तिथि निम्न है :

(i)	गैसलीटांड	सितम्बर, 1995
(ii)	तेतूरिया	सितम्बर, 1995
(iii)	धर्माबंद	सितम्बर, 1993
(iv)	भूरंगिया	दिसम्बर, 1994
(v)	ई.सी.सी. कंडुडीह	सितम्बर, 1995

(ख) गैसलीटांड कोलियरी के मामले को छोड़कर, जहां वर्तमान में 529 मिलियन गैलन एकत्रित जल का अनुमान है, उक्त खानों में एकत्रित जल का कोई अनुमान नहीं किया गया है। अस्थायी आकलन के अनुसार गैर-मानसून के महीनों में 200 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से गैसलीटांड खान में जल का रिसाव हो रहा है, जो कि मानसून के चरम-सीमा के दौरान बढ़कर लगभग 2700 गैलन प्रति मिनट हो जाता है।

(ग) 1997-98 में गैसलीटांड खान में जल की निकासी 15 मिलियन गैलन थी। अन्य खानों से निकासी किए गए जल के मापने की कोई व्यवस्था नहीं है। खान से निकासी किये गए जल को अंततः दामोदर नदी में छोड़ा जाता है, जहां से विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से स्थानीय आबादी को जल की आपूर्ति की जाती है।

(घ) और (ङ) धर्माबंद खान से नियमित रूप से जल की निकासी की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा अनुरोध किये जाने पर खानों से निकासी किए गए जल की कुछ मात्रा को स्थानीय आबादी के उपयोग के लिए छोड़ा जाता है, यह एक नियमित स्वरूप की व्यवस्था है।

पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापारिक संबंध

2719. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार और निवेश की स्थिति का मोटे तौर पर जायजा लेने और उनकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल भेजने का विचार है; और

(घ) यदि हां, इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार में विस्तार करने के लिए सरकार सतत् प्रयास करती है। जिन क्षेत्रों में व्यापार में वृद्धि की सम्भावना है इनमें शामिल हैं :– स्वर्ण एवं आभूषण, तेल-खाद्य मशीनरी और उपस्कर, प्राइमरी और अर्द्ध-परिष्कृत लौह तथा इस्पात, काटन यार्न, फैब्रिक एवं मेड अप्स, मांस एवं मांस उत्पाद, धातुओं के उत्पाद, औषधियां तथा भेषजीय पदार्थ और इलैक्ट्रॉनिक्स वस्तुएँ।

(ग) और (घ) व्यापार उद्योग और सरकार के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त शिष्टमंडल निकट भविष्य में कुछ पूर्वी एशियाई देशों के दौरे पर भेजने का प्रस्ताव है जो उन देशों में इस समय चल रहे आर्थिक हालात में व्यापार और निवेशों को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाएगा।

विदेशी बैंकों द्वारा ओवर ड्राफ्ट की सुविधा

2720. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा भारत पर लगाए प्रतिबंधों के बाद अमरीका के क्लियरिंग बैंकों ने भारतीय स्टेट बैंक और बैंक आफ बड़ौदा की शाखाओं को "इन्ट्रा-डे" ओवर ड्राफ्ट की सुविधा देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीकी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों को ओवर ड्राफ्ट की सुविधा से वंचित कर दिए जाने के कारण भारतीय बैंक किस हद तक प्रभावित हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में तथा अमरीका के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध कायम रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एक अग्रणी अमरीकी समाशोधन बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के न्यूयार्क कार्यालय को प्रदान की गई "इन्ट्रा-डे" ओवरड्राफ्ट सुविधाएं वापस ले ली हैं। परन्तु, बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को सूचित किया है कि इस सुविधा का वापस लिया जाना पूर्णतया अस्थायी है। इस उपाय से भारतीय स्टेट बैंक पर प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उसके पास डालर के पर्याप्त संसाधन हैं। बैंक आफ बड़ौदा के मामले में, किसी भी अमरीकी समाशोधन बैंक ने भारत के खिलाफ अमरीकी प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप इस सुविधा पर रोक नहीं लगाई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों ने यह सुनिश्चित करने के उपाय किए हैं कि उनके पास पर्याप्त चल-निधि है। कई अमरीकी बैंकों द्वारा व्यापार और विदेशी मुद्रा जैसे संपर्ककर्त्ता बैंकिंग उत्पादों के लिए ऋण प्रदान करने एवं अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के प्रवाह को सुगम बनाने का कार्य जारी है। इस प्रकार, प्रतिबंधों का भारतीय बैंकों के परिचालनों पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

नाबार्ड का निदेशक मंडल

2721. **श्री मोइनुल हसन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाबार्ड अधिनियम, 1981 के खण्ड 6 (1) (ग) में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद भी गत 15 वर्षों से नाबार्ड निदेशक मंडल में सहकारी बैंकों में काम करने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न देने का क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार द्वारा नाबार्ड बोर्ड में सहकारी बैंकों में काम कर चुके दो व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा नाबार्ड के निदेशक बोर्ड में तीन निदेशक नियुक्त किए जाने हैं, जिनमें से दो सहकारी बैंकों के कार्य का अनुभव रखने वाले तथा एक वाणिज्यिक बैंकों के कार्य का अनुभव रखने वाला होगा। इस समय उपर्युक्त श्रेणी के अन्तर्गत नाबार्ड के निदेशक बोर्ड में दो रिक्त पद हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

डिजाइनों की गुणवत्ता में सुधार

2722. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में फ्रीलांस डिजाइनर के डिजाइनों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत किन राज्यों से डिजाइनरों का चयन किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्यात के उद्देश्य से सूती हथकरघा डिजाइन तैयार करने के लिए कुछ विदेशी डिजाइनरों का भी चयन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) हथकरघा क्षेत्र में स्वतंत्र डिजाइनरों को शामिल करने के लिए 1996-97 से योजना प्रचालन में है। योजना में हथकरघा उत्पादों की विपणन योग्यता में सुधार करने के लिए डिजाइनों के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

योजना में दिए गए मानकों के आधार पर समग्र भारत के डिजाइनरों का चयन किया जाता है।

(घ) और (ङ) 1996-97 के दौरान आरम्भ की गई "निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास तथा उनके विपणन" हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा लागत हिस्सा आधार पर विदेशी डिजाइनरों को काम में लगाने हेतु सहायता के लिए प्रावधान किया गया है। डिजाइन विकास में निर्यात उद्देश्यों के लिए सूती हथकरघा को शामिल किया जा सकता है। योजना में डिजाइन के लिए निवेश, उत्पाद विकास तथा निर्यात के लिए विपणन का प्रावधान किया गया है।

कोल इंडिया लि. की पेयजल परियोजनाएं

2723. **श्री कमल नाथ** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता तथा मात्रा की आपूर्ति में सुधार के लिए शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं तथा योजनाओं का कोलफील्ड-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किस तारीख को ये मंजूर की गई तथा इनकी वर्तमान

स्थिति क्या है तथा इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन योजनाओं को लागू करने में अब तक कुल कितना खर्च किया गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) को.इं.लि. और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा कोयलाधारी क्षेत्र-वार पेयजल की आपूर्ति की मात्रा तथा गुणवत्ता में सुधार किए जाने हेतु आरंभ की गई योजनाएं/परियोजनाएं, उनकी स्वीकृति की तारीख तथा अभी तक किए गए कुल व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	कंपनी	परियोजना तथा योजनाओं का ब्यौरा	स्वीकृति की तिथि, वर्तमान स्थिति तथा कमी के कारण	किया गया कुल व्यय (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	ई.को.लि.	(क) रानीगंज कोयला क्षेत्र डब्ल्यू/एस योजनाएं भाग-I	राष्ट्रीयकरण से पूर्व—सी.एम.डब्ल्यू.ओ. के माध्यम से ई.को.लि. 23 कोलियरियों को जल प्रदान कर रही है।	
		(ख) -तदैव- भाग-II	फरवरी 1995-ई.को.लि. 15 कोलियरियों को जल प्रदान कर रही है। योजना के कार्यान्वयन में प.बंगाल सरकार द्वारा विलंब हुआ है, जिसका कारण, जैसा कि उनके द्वारा बतलाया गया है, निधियों की कमी है।	4279.99
		(ग) चिरकुंडा-कुमारधूबी डब्ल्यू/एस योजना	फरवरी, 1987-ई.को.लि. 3 कोलियरियों को जल प्रदान कर रही है।	
2.	भा.को.को.लि.	(क) (i) जल शोधन संयंत्र-संख्या 84 (राष्ट्रीयकरण के बाद से) 12.85 एम.जी.डी. बिहार सरकार	कार्यरत	860.00
		(ii) गहरे बोरवैल-संख्या 100 (लगभग) 1,115 (एम.जी.डी.)	-तदैव-	70.00
		(ख) (i) परियोजना वरूण	कार्य आंशिक रूप से पूर्ण हो गया है।	498.50
		(ii) भवरा में जल शोधन संयंत्र	कार्य प्रगति पर है।	86.70
		(iii) भा.को.को.लि. के विभिन्न क्षेत्रों में जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु लघु-अवधि योजनाएं	-तदैव-	155.00
				1670.20
3.	से.को.लि.	(क) अरमदा सिरका, जी.एम. यूनिट हेतु अरमदा डब्ल्यू/एस. योजना	15.1.1993—पाईप की आपूर्ति में विलंब तथा शेष कार्यों में स्थानीय अस्त-व्यस्तता के कारण विलंब—पूर्ण किए जाने की संभावित तारीख 31.7.1998	62.00
		(ख) गिद्धी "आर" की डब्लू/एस. योजना	फरवरी-97—कार्य पूर्ण किया जा चुका है।	32.23
		(ग) बी.के. घोरी में आईडब्लूएसएस	10.6.1991—भूमि संबंधी समस्या के कारण विलंब—पूर्ण किए जाने की संभावित तारीख 31.10.98	60.00
		(घ) केबीएस फेस-II कारगली हेतु आईडब्ल्यूएसएस	5.9.1986—कार्य अपूर्ण, मूल अनुबंध समाप्त, पूर्ण किए जाने की संभावित तारीख 31.3.1993	19.68

1	2	3	4	5
		(ङ) कुजू एवं हजारीबाग	1.9.1982–भूमि का अधिग्रहण न किए जाने तथा कन्वेइग मैन्स की चोरी के कारण विलंब–पूर्ण किए जाने की संभावित तिथि 31.10.1998	1300.00
		(च) डब्ल्यू/एस योजना जिरांगडीह	28.10.1995–कार्य प्रगति पर है, पूर्ण किए जाने की संभावित तिथि 31.8.1998	52.60
		(छ) डब्ल्यू/एस गोविन्दपुर	15.10.1992–कार्य प्रगति पर है–पूर्ण किए जाने की संभावित तिथि 31.8.1998	10.00
		(ज) (i) करकेटा पर अशोएका, रोहिणी, पू. डीह हेतु आईडब्ल्यूएसएस	17.9.1994–कार्य प्रगति पर है, पूर्ण किए जाने की संभावित तिथि 30.9.1998	70.00
		(ii) स्टोरेज रिजरवायर	-तदैव-	50.00
				1655.91
4.	वे.को.लि.	(क) 1993-94 से 1996-97 के दौरान वेकोलि के विभिन्न क्षेत्रों में 50 पेयजल आपूर्ति योजनाएं प्रारंभ की गई है।	38 योजनाएं पूर्ण हो गई और 31.3.97 से चालू कर दी गई जो 13.95 मि. गैलन जल प्रतिदिन का उत्पादन करती है। 12 योजनाओं के मामले में कार्य निर्धारित समयावधि के अनुसार प्रगति पर है।	1278.16
		(ख) 1997-98 के दौरान 12 जलआपूर्ति योजनाएं आरंभ की गई।	दो योजनाएं पूरी की ली गई हैं तथा शेष योजनाओं 1998-99 के दौरान पूरी कर ली जाएंगी तथा चालू कर दिया जाएगा।	393.00
5.	सा.ई.को.लि.	(क) कुसमुंडा-2.00 मि. गै. प्रतिदिन क्षमता	82-83 कार्यान्वित	लगभग 290
		(ख) गेवरा-1.00 मि. गै. प्रतिदिन क्षमता	89-90 कार्यान्वित	लगभग 370
		(ग) चिरीमिरी-2.00 मि. गै. प्रतिदिन क्षमता	88-89 कार्यान्वित	लगभग 770
		(घ) हसदेव-2.50 मि. गै. प्रतिदिन क्षमता	81-82 कार्यान्वित	लगभग 250
		(ङ) बैकुंठपुर-0.50 मि. गै. प्रतिदिन क्षमता	82-83 कार्यान्वित	लगभग 120
		(च) भटगांव-0.50 मि. गै. प्रतिदिन क्षमता	86-87 कार्यान्वित	लगभग 140
		(छ) सोहागपुर-फेस-I-1.00 मि.गै. प्रतिदिन क्षमता	83-84 कार्यान्वित	लगभग 150
		फेस-II-1.00 मि.गै. प्रतिदिन क्षमता	86-87 कार्यान्वित	लगभग 250
		(ज) जोहिला-0.50 मि.गै. प्रतिदिन क्षमता	87-88 कार्यान्वित	लगभग 140
		(झ) जे.एंड के.-1.00 मि.गै. प्रतिदिन क्षमता	87-88 कार्यान्वित	लगभग 220
				लगभग 2700
6.	ना.को.लि.	(क) आठ खनन परियोजनाओं तथा एक केंद्रीय कार्यशाला हेतु आईडब्लूएसएस मि. गै. प्रतिदिन क्षमता	जून, 1982-पूर्ण	लगभग 2530
		(ख) शेष दो परियोजनाओं तथा नाकोलि के मुख्यालय को आईडब्लूएसएस के साथ एनटीपीसी के माध्यम से रिंहद जल भंडार से जल प्राप्त कर रहा है तथा जल के शोधन के बाद उसकी आपूर्ति की जा रही है।	चरण-I-जून, 1994 चरण-II-जुलाई, 1998 (कार्य प्रगति पर है) पूर्ण किए जाने की समयावधि-अप्रैल, 1999	लगभग 900
				लगभग 3430
7.	म.को.लि.	**तलचेर कोलफील्ड्स**		
		(क) 4.90 मि. गै. प्रतिदिन की क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र का निर्माण-आईडब्लूएसएस फेस-I, तलचर	दिसम्बर, 83 - पूर्ण	61.00
		(ख) इन्टेक वैल	दिसम्बर, 83 - पूर्ण	35.00

1	2	3	4	5
		(ग) सीआई पाइप लाइन की व्यवस्था तथा उन्हें बिछाना	मार्च, 1983 - पूर्ण	58.00
		(घ) तलचर में आई डब्लू डब्लू एस एस फेस-II हेतु ह्यूम स्टील पाइप का पी. एंड एल.	7.4.1993 - पूर्ण	876.84
		(ङ) आईडब्लू एसएस फेस-I हेतु पांच मि. गैलन प्रतिदिन की क्षमता को शुरू करना।	6.8.1996 - कार्य प्रगति पर है।	105.70
		(च) तलचर हेतु पांच मि. गैलन प्रतिदन की क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र हेतु इन्टेक वैल का डिजाइन और निर्माण	6.9.1996 - निर्माणाधीन	14.70
		घाटी कोयला क्षेत्र		
		(छ) घाटी क्षेत्र में 2.00 मि. गै. प्रतिदिन की क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र का निर्माण	20.11.1988 - पूर्ण	80.00
		(ज) पाइप लाइनों को बिछाना	20.11.1988 - पूर्ण	247.00
		(झ) आई.बी. घाटी क्षेत्र में लखनपुर ग्रुप की खानों हेतु स्टील ह्यूम पाइप की व्यवस्था, आपूर्ति, उन्हें बिछाना, उनको जोड़ना तथा उनकी जांच।	7.4.1993 - पूर्ण	588.00
		(ट) बेलपहाड आई डब्लू एस एस हेतु 1.6 मि.गै. प्रतिदिन की क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र को शुरू करना।	2.12.1994 - पूर्ण	207.48
		म.को.लि., सम्बलपुर		
		(ठ) मकोलि मुख्यालय में टर्न-की आधार पर 1.35 मि. गै. प्रतिदिन के जल शोधन की डिजाइन, आपूर्ति तथा चालू किया जाना।	6.7.1994 - पूर्ण	24.44
				2298.16

8. सीएमपीडीआईएल : सीएमपीडीआईएल कालोनियों में नगर निगम जलापूर्ति के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कुछ कालोनियों में जलापूर्ति में वृद्धि किए जाने हेतु कुछ बोरवेल खुदवाए गए हैं।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा नई कोयला खानें खोलना

2724. **श्री नरेश पुगलीया :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का कुछ खानों को बंद करने और नई जगहों पर नई खानें खोदने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बंद की जाने वाली कोयला खानों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) नई जगहों पर खोली जाने वाली कोयला खानों तथा उन पर आने वाले संभावित खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना लाभ/घाटा हुआ ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी खानें, जिन्हें वे.को.लि. द्वारा बंद किए जाने की योजना है, उनके बंद किए जाने के कारण तथा स्थल का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

क्र. सं.	खान का नाम	स्थल	बंद किए जाने के कारण
(i)	छिंदा भूमिगत	मध्य प्रदेश के छिंदवारा जिले में पेंच क्षेत्र	ओपनकास्ट खान में परिवर्तित किया जा रहा है।
(ii)	रावनवारा भूमिगत	-वही-	कोयले के भंडारों की समाप्ति
(iii)	एकलेहरा भूमिगत	-वही-	-वही-

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान (31.2.2002 तक) वे.को.लि. द्वारा 26 भूमिगत (भू.ग.) और ओपनकास्ट (ओ.का.) कोयला खानों को खोले जाने की योजना है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में

दिया गया है। 26 खानों के लिए अपेक्षित 1900 करोड़ रु० के पूंजीगत निवेश की कुल राशि में से 970 करोड़ रु० की राशि को नौवीं योजना अवधि के दौरान खर्च करने की योजना है। किन्तु, इनमें से कई नई खानें वित्तीय रूप से तब तक अव्यवहार्य हैं, जब तक कि इन खानों से कोयला प्राप्त करने वाले उपभोक्ता अतिरिक्त लागत आधार पर कोयले के प्रेषण के लिए लाभकारी कीमतों के भुगतान करने पर सहमत न हों।

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वे.को.लि. द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रु. में)

1995-96	1996-97	1997-98
96.59	525.21	650.00

(अंतिम, लेखा परीक्षा की शर्त पर)

विवरण

नौवीं योजना अवधि के दौरान वे.को.लि. द्वारा खोले जाने के लिए आयोजित नई खानें

क्र. सं.	खान का नाम	क्या खान भूमिगत है, अथवा ओपनकास्ट	अपेक्षित कुल पूंजीगत निवेश (करोड़ रु० में)	नौवीं योजना अवधि के दौरान अपेक्षित पूंजीगत निवेश (करोड़ रु० में)	उस कोयला क्षेत्र का नाम, जहां प्रस्तावित खान स्थित है
1.	सोनेर विस्तार	भू.ग.	47.56	40.00	कम्पटी/सिलेवारा, महाराष्ट्र
2.	धुरवासा	ओ.का	57.11	38.73	वर्धा घाटी, महाराष्ट्र
3.	निरगुडा	ओ.का.	88.84	75.28	-वही-
4.	कोलगांव	ओ.का.	59.69	49.06	-वही-
5.	अदासा	भू.ग.	37.53	14.58	कम्पटी/सिलेवारा, महाराष्ट्र
6.	कम्पटी भू.ग. से ओ.का.	ओ.का.	96.65	40.00	-वही-
7.	भट्टडीह विस्तार	ओ.का.	96.00	60.00	वर्धा घाटी, महाराष्ट्र
8.	घटरोहाना	ओ.का.	78.00	50.00	कम्पटी/सिलेवारा, महाराष्ट्र
9.	मकरधोकरा-I	ओ.का.	64.00	60.00	उमरेर, महाराष्ट्र
10.	नंद - I	भू.ग.	60.24	14.07	-वही-
11.	वागहोदा	भू.ग.	47.00	10.00	कम्पटी/सिलेवारा, महाराष्ट्र
12.	नवीनकुंदा विस्तार	ओ.का.	80.00	48.00	वर्धा घाटी, महाराष्ट्र
13.	न्यू माजरी दीप	ओ.का.	160.00	50.00	-वही-
14.	टावा	भू.ग.	98.07	48.00	पाथाखेरा, मध्य प्रदेश
15.	छत्तरपुर - III	भू.ग.	54.24	18.10	-वही-
16.	उरधान	ओ.का.	125.22	109.72	पेंच/कन्हान, मध्य प्रदेश
17.	धनकासा	भू.ग.	60.00	35.00	-वही-
18.	जमुनिया	भू.ग.	50.00	10.00	-वही-
19.	मंडला-साउथ	भू.ग.	70.00	5.00	-वही-
20.	थेसगोरा-बी	भू.ग.	35.00	10.00	-वही-
21.	कुम्बेरखानी	भू.ग.	52.35	22.55	वर्धा घाटी, महाराष्ट्र
22.	गौरी दीप	ओ.का.	100.00	47.00	-वही-
23.	जुनकुंदा	ओ.का.	94.59	55.63	-वही-
24.	चिंचला	भू.ग.	48.99	11.37	-वही-
25.	नकोदा विस्तार	भू.ग.	60.00	10.50	-वही-
26.	बीना	ओ.का.	90.00	47.00	कम्पटी/सिलेवारा, महाराष्ट्र
	कुल जोड़ :		1901.08	971.59	

तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन का विकास

2725. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**
श्री रंजीब बिस्वाल :
श्री विट्ठल तुपे :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के तटवर्ती क्षत्रों में पर्यटन संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार और तारीख-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) तटवर्ती राज्यों द्वारा इस प्रयोजन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से तटवर्ती क्षेत्र के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) और (ख) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा तटीय क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र में पर्यटन रिजार्ट का विस्तार करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने तटीय क्षेत्र में सिंधुदुर्ग जिले को भी पर्यटन के विकास हेतु एक विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में अभिनिर्धारित किया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान तटीय क्षेत्रों में पर्यटन आधारिक संरचना का विकास

क्र. सं.	परियोजना/स्कीम	स्वीकृत राशि (रु० लाखों में)
1.	2	3
	गोवा 1995-96	
1.	मीरामार में बीच रिजार्ट	42.00
2.	कालागूंट में बीच रिजार्ट	36.00
3.	मारगाओं में पर्यटक परिसर	38.44
4.	जन सुविधाएं :— कंडोलिम, वेगेटर, बेनोलिम, मेयम झील के निकट डेबोलिम रामनाथी	20.00
5.	महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर हाई मास्ट प्रदीप्तिकरण प्रणाली, केंडोलिम और बेनोलिम समुद्रतटों का जंक्शन	18.00
6.	बीच कलीनरों की खरीद-2	9.30
7.	जलक्रीड़ा उपकरणों की खरीद (सेकोलिम डेम साइट के लिए)	
8.	भोजन और संस्कृति उत्सव	5.00
9.	कार्निवाल उत्सव	5.00
10.	सिगमो उत्सव, 96	3.45
11.	प्रचार सामग्री के निर्माण हेतु सहायता	3.86
	1996-97	
1.	पुराने गोवा में रेस्तरां का निर्माण	19.07
2.	वास्को और मारगोओ में हाई मास्ट प्रदीप्तिकरण	11.39
3.	गेटामारान	60.60
4.	कार्निवाल उत्सव	1.00
5.	सिगमों उत्सव	2.00
6.	समुद्री भोजन और सांस्कृतिक उत्सव	0.50
	1997-98	
1.	गोवा के महत्वपूर्ण स्थलों पर जनसुविधाएं इस प्रकार हैं :–	
	मापुसा	9.77
	मारगोआ	9.77
	वास्को	9.77
	बीचोलिम	9.77
	बोंडा	9.77
	अजुंना बीच	9.77
2.	केनाकोना में पर्यटक स्वागत केन्द्र और सुविधा केन्द्र	25.00
3.	मारगोआ में पर्यटक स्वागत और सुविधा केन्द्र	25.00
4.	वाकिंग टुअर्स के लिए संकेत पट	10.00
5.	खोर्जुवन किला और बारडेज तालुपसा, गोवा के आल्दोवा के परिवेश का नवीनीकरण	20.00
6.	अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन उत्सव (गोवा भोजन और सांस्कृतिक उत्सव का नया नाम)	2.00
7.	कार्निवाल	2.00
8.	सिगमो	2.00
	गुजरात - 1996-97	
1.	पोरबंदर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	12.18

1	2	3
	कर्नाटक - 1995-96	
1.	मंगलौर में उत्तल में जनसुविधाएं	4.41
	केरल - 1995-96	
1.	कुमीली में यात्री निवास	35.00
2.	अंगमाली में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	18.90
3.	कुमारगम में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	20.82
4.	तिरूवनन्तपुरम और कोचीन के लिए दो काराओं की खरीद	42.90
5.	नीलाम्बुर (मालेपुरम जिला) में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	20.82
6.	खौजीकोड में एक कारवां की खरीद	21.00
	1997-98	
1.	नल्लीकटे हेरिटेज भवन का उन्नयन (इक्विटी स्कीम के अंतर्गत)	39.00
2.	कोमारा कोम में पर्यटक परिसर	40.00
3.	नेलियामपाथी पालाक्कड में यात्री निवास	40.00
4.	करूनागापल्ली, कोल्कर में मार्गस्थ सुख सुविधाएं	30.00
5.	थानेरम्मुकोम में मार्गस्थ सुविधाएं	35.00
6.	अल्पूजा में नेहरू शताब्दी पवेलियन	35.00
7.	राईस बोट की खरीद	48.00
8.	तिरूवनन्तपुरम के सचिवालय भवन में प्रकाश पुंज व्यवस्था	5.00
	महाराष्ट्र 1996-97	
1.	निम्न पर कोकानी गृह :–	
	(क) हरिहरेश्वर, जिला रायगढ़	6.00
	(ख) गणपतिपुले, जिला रत्नगीर	6.00
2.	कुन्वेश्वर में पर्यटक परिसर	45.32
3.	ग्राम पुगर्ली में पर्यटक परिसर और शिल्प केन्द्र	45.56
4.	पिंगुली जिला सिंधुदुर्ग में पर्यटक परिसर का निर्माण	45.56
	1997-98	
1.	गणपतिपुले में पर्यटक रिजार्ट का विस्तार	35.00
	उड़ीसा 1995-96	
1.	बदरमा में पर्यटक कुटीर	36.41
2.	बारकुल में फ्लोटिंग रेस्तरां	42.89
3.	कीच कलीनिंग उपकरण, पुरी	9.30
	1996-97	
1.	सतपारा में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं केन्द्र	25.00

1	2	3
2.	फोरेसट लॉज का उन्नयन, डंगामल	8.86
3.	रामाचांदी में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	8.86
	1997-98	
1.	बालासोर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	40.00
2.	कालीजाल द्वीपसमूह में जन सुविधाएं	13.76
3.	गोपालपुर समुद्रतट पर जन सुविधाएं	13.12
4.	समुद्रतट महोत्सव	5.00
5.	कोणार्क नृत्य उत्सव	5.00
	तमिलनाडु 1995-96	
1.	चेन्नई कोसमोपोलिटन गोल्फ कोर्स का उन्नयन	35.00
2.	महाबलीपुरम नृत्य उत्सव 967 के लिए सहायता	4.66
	1996-97	
1.	पुमपुहार पर्यटक परिसर का एकीकृत विकास	30.00
2.	कन्याकुमारी में व्यू टावर	30.00
3.	माम्मलापुरम में नृत्य उत्सव	1.00
	1997-98	
1.	चेन्नई में पर्यटक परिसर	45.00
2.	सैंट जार्ज किला, चेन्नई में प्रकाशपुंज व्यवस्था	5.74
3.	मामलापुरम में नृत्य उत्सव	2.00
	आन्ध्र प्रदेश 1995-96	
1.	विशाखा उत्सव, 96	4.46
	1996-97	
1.	विशाखा उत्सव	0.25
	1997-98	
1.	विशाखा उत्सव	1.00
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 1995-96	
1.	कर्मटांग में यात्री निवास	35.00
2.	सेल्यूलर जेल की प्रकाशपुंज व्यवस्था	10.00
	1996-97	
1.	द्वीपसमूह पर्यटन स्थल	2.00
	1997-98	
1.	सेल्यूलर जेल में ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन	60.00
	दादर और नगर हवेली 1996-97	
1.	कौंचा में हेल्थ रिजोर्ट	47.44
2.	सिलवासा में यात्री निवास	37.42
	1997-98	
1.	बाणगंगा द्वीप दादरा का प्रदीप्तिकरण	5.20
	दमन एवं दीव 1995-96	
1.	काचीगम, दमन में पर्यटक कुटीरें	18.17

1	2	3
2.	केवदी, दीव में पर्यटक कुटीरें	26.04
3.	प्रचार सामग्री हेतु सहायता	4.00
1996-97		
1.	कदईया टैंक, दमन का विकास	15.00
1997-98		
1.	मालाल खानें, दमन और दीव में एफ आर पी कुटीरें	20.00
2.	दमन और दीव के तीन समुद्रतटों पर पर्यटक स्वागत केन्द्र और पुलिस सहायता के बूथ	11.00
3.	दमन गंगा गार्डन काचीगम, दमन में पर्यटक कुटीरें	18.17
4.	दमन और दीव बंदरगाह पर पर्यटक स्वागत केन्द्र	11.00
लक्षद्वीप 1995-96		
1.	जलक्रीड़ा उपकरण	24.65
1996-97		
1.	मिनीकाय में पर्यटक परिसर	45.86
2.	कदमट में पर्यटक हट्स का उन्नयन	30.75
3.	जलक्रीड़ा उपकरण	47.18
1997-98		
1.	ग्लास बोट्स	5.00
पांडिचेरी 1995-96		
1.	थिरूनलर में पर्यटक ओर जनसुविधाएं	15.00
2.	हेरिटेज स्मारक की प्रकाशपुंज व्यवस्था	2.58
3.	हेरिटेज भवन की डी-वेली की प्रकाशपुंज व्यवस्था	8.56
4.	योग उत्सव के लिए सहायता	2.00
1996-97		
1.	पांडियेरी का उत्सव	2.00
2.	फ्रांसीसी योग उत्सव	2.00
1997-98		
1.	थिरूनलर में यात्री निवास	25.00
2.	भारती पार्क की प्रकाशपुंज व्यवस्था	1.65
3.	जलक्रीड़ा उपकरण	6.99
4.	फिटी डी पांडियेरी/योग उत्सव	2.00

[हिन्दी]

वस्त्र मिलों का बंद होना

2726. **श्री जयसिंहजी चौहान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मई, 1998 के "राष्ट्रीय सहारा" में "बड़ी तादाद में कपड़ा मिलों के बंद होने की आशंका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए हैं/किए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : (क) जी, हां। यह स्पष्ट किया जाता है कि 30.4.98 तक की स्थिति अनुसार आई डी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल को स्थायी रूप से बंद नहीं किया गया था। तथापि, 51 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें परिसमापन अधीन बंद हुई बतलाई गई हैं तथा 172 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें मुख्यतः वित्तीय कठिनाइयों, श्रमिक समस्याओं, विद्युत आपूर्ति की कटौती आदि करने के कारण अस्थायी रूप से बंद बतलाई गई हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा ऐसी मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए यथोचित योजनाएं बनाने तथा उनकी स्वीकृति देने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना की है।

[अनुवाद]

कोयले का आयात

2727. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापान से कोयले का आयात करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान के किसी प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में हाल ही में देश का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो जापान प्रतिनिधिमंडल से हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) सरकार का किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोयले का आयात करने का प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान आयात नीति के अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा अपने आवश्यकतानुसार कोयले का स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है तथा इस संबंध में वे अपनी वणिज्यिक सूझबूझ का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि जापान से किसी प्रतिनिधिमंडल के दौरा किए जाने की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

''ग'' और ''घ'' श्रेणी के कोयले के बिक्री

2728. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रैल, 1996 के दौरान ई.सी.एल., बी.सी. सी.एल. तथा सी.सी.एल. को ''ग'' और ''घ'' श्रेणी का कोयला सिर्फ बिजली क्षेत्र को बिक्री करने के अनुदेश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयला कंपनियों ने इन अनुदेशों का पालन किया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ''ग'' तथा ''घ'' श्रेणी के कोयले का सुपुर्दगी आदेश 1994-95 तथा उसके बाद भूमि अर्जन के बदले दिए गए ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) सरकार ने अप्रैल, 1996 में कोयला कंपनियों को निर्देश दिए कि कोयले के सभी ग्रेड, जिन्हें ई.को.लि., भा.को.को.लि., से.को.लि. और ना.को.लि. में अधिसूचित कीमतों द्वारा अधिशासित किया जाना जारी है, को विद्युत क्षेत्र में आंबटित किया जाए। इसमें बाद में जुलाई, 1996 में संशोधन करके उर्वरक क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। अन्य कोयला कंपनियों में भी अधिसूचित कीमतों द्वारा अधिशासित कोयले के संबंध में, आंबटन संबंधी प्रथम प्राथमिकता विद्युत क्षेत्र को दी जाती है। इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरान्त ही इन कोयले को अन्य क्षेत्रों के संयोजित उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। अन्य उपभोक्ताओं को ऐसे ग्रेड का कोयला दिया जाए जिसकी कीमत विनियंत्रित कर दी गई है।

(ख) सामान्यता, ऐसे निम्न ग्रेड का कोयला सस्ता होता है और इसे विद्युत उत्पादन के प्रयोग में लाया जाता है। कोल इंडिया लि. की उपर्युक्त सहायक कंपनियों में इन ग्रेडों के कोयले का उत्पादन, इन कोयला क्षेत्रों से संयोजित विद्युत केन्द्रों की मांग से कम होता है। चूंकि विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति प्राथमिकता आधार पर की जाती है, अतः इन ग्रेडों के कोयले का अधिमानित आंबटन किए जाने के निर्देश जारी किए गए।

(ग) से (ङ) सरकार ने फरवरी, 1997 में ''ए'', ''बी'' और ''सी'' ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों और उसके विवरण को विनियंत्रित कर दिया है। इसके उपरान्त 12.3.1997 को ''डी'' ग्रेड के अकोककर कोयले को भी विनियंत्रित कर दिया गया है।

अतः अप्रैल, 1996 में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 23.4.1996 से 12.3.1997 के दौरान ई.को.लि., भा.को.को.लि., से.को.लि. और ना.को.लि. से ''डी'' ग्रेड के अकोककर कोयले की आपूर्ति विद्युत क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया।

कोल इंडिया लि. ने सूचना दी है कि भा.को.को.लि., से.को.लि., ना.को.लि. द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है, लेकिन ई.को.लि. ने 23.4.1996 से 12.3.1997 के दौरान रोजगार देने के बदले में और माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के आदेशानुसार भू-वंचितों को ''डी'' ग्रेड का कोयला जारी किया।

[अनुवाद]

पर्यटन विकास हेतु योजनाएं

2729. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय योजनाओं के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन के विकास हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई गई तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया और वर्तमान योजना वर्ष में कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु बहुत कम राशि आवंटित की गई है जिसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय विषमता की शिकायतें मिल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास पर्यटन के विकास हेतु व्यय की गई राशि का कोई क्षेत्र वार ब्यौरा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कटरा और वैष्णों देवी के विकास हेतु कोई राशि व्यय की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रदान की गई राज्य वार केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पर्यटन विभाग ने हैमीज में गोम्पास के नवीकरण, नुब्रा में पर्यटक परिसर, लेह में पेथब मठ के सौन्दर्यकरण, लेह में चोगलामसर में चिंतन (एकाग्रचित होकर प्रार्थना करना) सुविधाएं, जम्मू में पर्यटक स्वागत केन्द्र के उन्नयन, कटरा में पर्यटक आवास के निर्माण, बाबा ऋषि में यात्रिका, पटनी टॉप में यात्रा निवास, लद्दाख उत्सव, पूजा उत्सव और मनसार उत्सव के लिए 227.06 लाख रुपए की निधि प्रदान की है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विवरण अनुबंध के अनुसार।

(च) और (छ) वर्ष 1992-93 के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने कटरा और वैष्णों देवी के विकास के लिए कटरा में पर्यटक परिसर, भवन में यात्री निवास, कटरा में तीर्थ यात्री शेड्स और कटरा एवं भवन में तम्बुओं में आवास की स्वीकृति दी है और वर्ष 1995-96 के दौरान कटरा में, अतिरिक्त पर्यटक आवास की स्वीकृति दी है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रदान की गई राज्य-वार सहायता

क्र.स.	राज्य	1995-96		1996-97		1997-98	
		स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	आंध्र प्रदेश	14.52	10.99	125.50	20.37	206.76	69.10
2.	असम	70.24	39.00	155.96	32.66	288.88	94.20
3.	अरूणाचल प्रदेश	52.26	25.50	2.00	1.75	271.00	82.50
4.	बिहार	115.84	53.53	72.53	18.22	233.07	76.38
5.	गोवा	221.55	121.32	101.46	50.98	144.62	42.08
6.	गुजरात	7.98	7.28	82.21	35.12	111.84	41.90
7.	हरियाणा	126.91	99.29	146.23	80.47	108.24	44.83
8.	हिमाचल प्रदेश	485.91	300.75	196.93	88.33	119.00	37.50
9.	जम्मू एवं कश्मीर	99.09	51.60	88.47	30.00	293.35	86.25
10.	कर्नाटक	229.36	148.00	356.86	151.65	130.78	44.16
11.	केरल	209.94	86.95	235.59	126.50	282.00	106.50
12.	मध्य प्रदेश	--	--	--	--	119.31	49.22
13.	महाराष्ट्र	63.75	37.89	187.69	84.00	169.84	49.14
14.	मणिपुर	75.81	36.28	51.90	22.00	186.11	56.35
15.	मेघालय	4.08	2.04	88.81	32.50	85.70	28.05
16.	मिजोरम	100.86	68.94	107.18	40.44	142.45	43.50
17.	नागालैण्ड	51.58	39.76	100.62	70.00	116.90	40.58
18.	उड़ीसा	108.86	54.00	453.28	116.99	557.05	18.00
19.	पंजाब	140.49	67.57	47.83	18.66	52.87	15.72
20.	राजस्थान	230.75	109.95	103.89	39.50	107.33	52.27
21.	सिक्किम	29.61	17.21	93.09	18.55	65.20	24.55
22.	तमिलनाडु	250.11	127.44	190.20	102.10	59.74	22.86
23.	त्रिपुरा	25.60	22.67	105.40	56.60	126.68	40.16
24.	उत्तर प्रदेश	31.10	25.55	237.78	91.45	221.10	76.17
25.	पश्चिम बंगाल	184.881	106.20	199.72	61.25	157.76	45.65
26.	अंडमान एवं निकोबार	45.00	20.00	2.00	1.00	60.00	60.00
27.	चंडीगढ़	17.20	10.86	3.00	1.50	--	--
28.	दादर एवं नगर हवेली	--	--	84.66	60.23	5.20	2.60
29.	दिल्ली	28.23	17.77	6.28	5.28	229.43	79.22
30.	दमन	48.21	23.39	15.00	6.00	60.17	17.25
31.	लक्षद्वीप	24.65	24.65	123.81	51.00	5.00	2.50
32.	पांडिचेरी	28.12	13.30	4.00	2.00	35.64	12.83
	कुल जोड़	3122.49	1769.68	3769.88	1517.10	4752.96	1623.02

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों के लिए रेल आरक्षण

2730. श्री रामपाल सिंह
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई व्यवस्था की है जिससे विदेशी पर्यटक भारत आने से पूर्व रेलवे में अपना आरक्षण करा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रेलवे ने एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स को इण्ड्रेल पासों, लग्जरी ट्रेनों, साप्ताहांत पैकेजों और अन्य विदेशी उत्पादों की बिक्री के लिए विक्रय अभिकर्ता नियुक्त किया है। भारतीय रेलवे इन एयर कैरियरों से विदेशी पर्यटक कोटे के तहत आरक्षण हेतु प्राप्त अनुरोधों को प्राथमिकता देगा। क्रियान्वयन की योजना तैयार की जा रही है और यह व्यवस्था शीघ्र ही लागू हो जाएगी।

[अनुवाद]

मसाला बोर्ड का विभाजन

2731. **श्री पी. उपेन्द्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्च, हल्दी और इमली के विपणन और निर्यात के लिए व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मसाला बोर्ड का विभाजन करने और इन सामग्रियों के संबंध में कार्यवाही करने हेतु विजयवाड़ा में मुख्यालय के साथ एक पृथक बोर्ड स्थापित करने की मांग है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1997-98 के दौरान भारत से किए गए मिर्च, हिल्दी और इमली के निर्यातों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

मद	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
मिर्च	43,450	14013.25
हल्दी	24,900	7510.00
इमली	6,813	1277.65

(अप्रैल-दिसम्बर) (स्रोत : मसाला बोर्ड)

(ग) जी, हां।

(घ) मसाला बोर्ड का हैदराबाद में एक आंचलिक कार्यालय और गूंटूर में एक क्षेत्रीय कार्यालय है जो बोर्ड के कार्यकलापों, खासकर फसलोत्तर हैण्डलिंग और मसालों के गुणवत्ता सुधार के क्षेत्र में कार्यान्वयन/निगरानी करते हैं। इन वस्तुओं के लिए एक पृथक बोर्ड की स्थापना करने से कार्यकलापों की अनावश्यक पुनरावृत्ति होगी और इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

निर्यात में गिरावट

2732. **श्री रंजीब बिस्वाल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किए गए परिधानों, पटसन उत्पादों, वस्त्र उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों की अपेक्षा उक्त अवधि में पटसन उत्पादों, परिधानों और वस्त्र उत्पादों के निर्यात में बड़ी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) वस्त्र मंत्रालय के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1997-98 के दौरान वस्त्रों के निर्यात में समग्र वृद्धि डालरों के रूप में लगभग 4.6 प्रतिशत थी। वर्ष 1996-97 और 1995-96 के दौरान वृद्धि क्रमशः 10.8 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्रों और परिधानों के निर्यात जिनमें (पटसन हस्तशिल्प तथा कयर शामिल हैं) निम्नानुसार हुए हैं:

वर्ष	मूल्य अमरीकी मिलियन डालरों में
1995-96	10,685.07
1996-97	11,839.13
1997-98	12,389.91

वस्त्रों और परिधानों के निर्यात अधिकांश सभी देशों को किए जाते हैं।

वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत सामान के आयात का प्राधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

यूरोपीय संघ द्वारा एंटीबायोटिक्स पर पाटन-रोधी शुल्क

2733. **श्री तारिक अनवर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ द्वारा भारत के एंटी बायोटिक्स के निर्यात पर अनंतिम पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस शुल्क से प्रभावित होने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं। यूरोपीय आयोग ने भारत से होने वाले तीन एंटीबायोटिक्स के आयात पर दिनांक 11.6.98 से अनन्तिम प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाया है।

(ख) इस शुल्क से प्रभावित होने वाली कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं :— बायोकैम सिनर्जी लि. इन्दौर, हर्षिता लि. नई दिल्ली, कोप्रान लि. मुम्बई, रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि०, नई दिल्ली, ल्यूपिन लेबोरेट्रीज लि., मुम्बई और आर्चिड कैमिकल्स एन्ड फार्मेस्युटिकल्स लि., चैन्नई।

[हिन्दी]

बौद्ध पर्यटन स्थलों के लिए जापानी सहायता

2734. **श्री मोहन सिंह :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों के आगमन को सुविधाजनक बनाने हेतु कुशीनगर, काकरहवा, सारनाथ, बोधगया और राजगीर जैसे बौद्ध पर्यटन स्थलों को विमान सेवा के साथ-साथ सड़क और रेल मार्ग से जोड़ने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या बौद्ध पर्यटन स्थलों पर विदेशी पर्यटकों के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए जापान सरकार ने किसी पैकेज का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार ने, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के विनिर्दिष्ट बौद्ध पर्यटन परिपथों में अवसंरचना विकास के लिए ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फण्ड, जापान से दिसम्बर, 1988 में सरल ऋण समझौता किया है। कुल 7.7 बिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता है। परियोजना की अवधि जनवरी, 1999 तक है। इसके तहत शामिल उत्तर प्रदेश के स्थलों में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा तथा श्रावस्ती तथा बिहार के स्थलों में बोधगया, नालन्दा, राजगीर और वैशाली हैं। इस परियोजना के प्रमुख घटक हैं — राष्ट्रीय और राज्य मार्गों का सुदृढीकरण, भू-सुन्दरीकरण, जल एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार तथा मार्गस्थ सुविधाओं की व्यवस्था।

[अनुवाद]

शहद उत्पादन उद्योग

2735. **श्री एन. डेनिस :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शहद उत्पादन के स्थानों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश में शहद उत्पादन उद्योग के उन्नयन के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) देश में शहद का उत्पादन करने वाले राज्यों का पिछले दो वर्षों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सीमान्त धन योजना के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग आयोग संस्थाओं और व्यक्तियों से प्राप्त जीव्यक्षम परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1997-98 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6.66 लाख रुपये अनुदान के रूप में और 4.26 लाख रुपये ऋण के रूप में संवितरित किये। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शहद उद्योग के विकास और स्वरोजगार का सृजन करने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन विकास कार्यक्रम एन.पी.बी.डी. भी शुरू किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पूर्वोत्तर परिषद् के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाणिज्यिक दोहन हेतु मधुमक्खी पालन विकास संबंधी क्षेत्रीय परियोजना को भी स्वीकृत किया है।

विवरण

शहद का उत्पादन

(मूल्य लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष	
		1996-97	1997-98 (अ)
1	2	3	4
I.	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	158.77	174.53
2.	असम	206.79	227.31
3.	बिहार	517.76	569.14

1	2	3	4
4.	गोआ	00.10	0.10
5.	हरियाणा	29.37	32.28
6.	हिमाचल प्रदेश	36.76	40.41
7.	जम्मू और कश्मीर	105.18	115.62
8.	कर्नाटक	89.31	98.17
9.	केरल	259.87	285.66
10.	मध्य प्रदेश	15.20	16.71
11.	महाराष्ट्र	70.22	77.19
12.	मणिपुर	81.99	90.13
13.	मेघालय	88.53	97.32
14.	मिजोरम	1.73	1.90
15.	नागालैंड	18.45	20.28
16.	उड़ीसा	298.05	327.63
17.	पंजाब	43.16	47.44
18.	सिक्किम	2.82	3.11
19.	तमिलनाडु	617.23	678.48
20.	त्रिपुरा	5.30	5.83
21.	उत्तर प्रदेश	110.27	121.21
	जोड़	3180.76	3496.40
II.	संघ शासित प्रदेश		
1.	दिल्ली	1.96	2.15
	जोड़	1.96	2.15
	कुल जोड़	3182.72	3498.55

टिप्पणी (अ) अनन्तिम

[हिन्दी]

सी.सी.एल. द्वारा मुआवजे का भुगतान

2736. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे का तत्काल भुगतान करने के लिए विभिन्न गांवों में शिविर लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस गांव में शिविर लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) प्रस्तावित शिविर कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे का तत्काल भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) कोल इंडिया लिमिटेड की दूसरी सहायक कम्पनियों विशेषरूप से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. इस उद्देश्य से अगले 3 महीनों में निम्नलिखित 7 गांवों में शिविर आयोजित करेगी :

1. फुसरी	2. केडला
3. अमलो	4. ईचकडीह
5. तितारियाखार	6. बेंती
7. किश्तो	

(घ) ग्रामवासियों की पूर्व अनुमति प्राप्त हो जाने पर मुआवजे के भुगतान हेतु भुगतान शिविर आयोजित किए जाते हैं। भुगतान शिविर के आयोजन के बारे में मुखिया तथा सरपंच को पहले से सूचना दे दी जाती है। इस प्रकार के शिविरों में उन सभी मामलों में मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता है, जिन पर कोई विवाद नहीं होता है। मुआवजे की राशि तथा हकदारी के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो उस मामले को सी.बी.ए. अधिनियम के यू/एस 14 (2) के अंतर्गत गठित ट्रिब्यूनल को संदर्भगत कर दिया जाता है तथा आकलित मुआवजे को वहां जमा करा दिया जाता है।

(ङ) भारत कोकिंग कोल लि. सहित को.इं.लि. की अन्य सहायक कंपनियों द्वारा मुआवजे के भुगतान हेतु उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :–

एल.ए. अधिनियम के अंतर्गत अधिगृहित की गई भूमि हेतु

जिला प्राधिकारी द्वारा मुआवजे की राशि निर्धारित की जाती है और कोयला कंपनियों द्वारा मांग किए जाने पर उक्त राशि जिला कलक्टर के पास जमा कर दी जाती है। जिला कलक्टर इसके वितरण की व्यवस्था करते हैं।

सी.बी.ए. अधिनियम के अंतर्गत अधिगृहित की गई भूमि हेतु

1. को.इं.लि. की पनुर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति तथा सी.बी.ए. अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कोयला कंपनियां मुआवजे का आकलन करती हैं। किसी मामले में कोई समस्या आने पर राज्य सरकार की सहायता ली जाती है।

2. मुआवजे की सूची कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

3. मुआवजे के भुगतान के बारे में भू-वंचितों को पूर्व सूचना/नोटिस भेज दी जाती है।

4. मुआवजे की राशि अथवा हकदारी के बारे में यदि कोई विवाद हो, तो उस मामले को ट्रिब्यूनल को संदर्भगत कर दिया जाता है तथा वह राशि वहां जमा करा दी जाती है।

कोयला खानों में आग से हुई हानि

2737. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों से विभिन्न कारणों, विशेष रूप से आग लगने से विभिन्न कोयला कंपनियों को अब तक कुल कितनी मुद्रा का नुकसान हुआ;

(ख) आग बुझाने पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इस संबंध में कहां तक सफलता मिली है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) 1996-97 के लेखा-परीक्षित लेखा के अनुसार कोल इंडिया लि. की विभिन्न सहायक कंपनियों में संचित हानि का ब्यौरा निम्न है :—

ई.को.लि.	-	1186.72 करोड़ रु.
भा.को.को.लि.	-	1513.58 करोड़ रु.

यह हानि निम्नलिखित विभिन्न कारणों से होती है जैसे कि पुराने तथा अत्यधिक रूप से उत्खनित खदानें, संश्लिष्ट भू-खनन परिस्थिति, अत्यधिक श्रमशक्ति, आग, धंसाव आदि। खान में लगे आग से कोल इंडिया लि. के विभिन्न सहायक कंपनियों में लगभग 200 करोड़ रु० की कुल हानि हुई है।

(ख) अब तक, कोयला खानों में आग बुझाने/रोकने के लिए कोल इंडिया लि. की सहायक कपंनियों के द्वारा लगभग 145 करोड रु० की राशि खर्च की गई है।

(ग) विभिन्न सहायक कपंनियों में आग के उपशमन संबंधी उपाय से मिली सफलता का ब्यौरा निम्न है :—

भा.को.को.लि. : राष्ट्रीयकरण के समय 70 विनिर्दिष्ट आगों में से 10 स्थलों पर लगी आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है। शेष आगों को यद्यपि पूरी तरह से बुझाई नहीं गई है, अधिकाशंतः नियंत्रण में हैं। आग से प्रभावित भूतल क्षेत्र (1986 के अनुमान के अनुसार) 17.32 वर्ग कि.मी. थी जोकि (1996 के अनुमान के अनुसार) 9 वर्ग कि.मी. हो गया है। आग के कारण 1804 मिलियन टन (1986 अनुमान) फंसे कोयले में कमी आई है तथा यह 1455 मिलियन टन (1996 अनुमान) हो गया है।

ना.को.लि. : आग नियंत्रण में है।

ई.को.लि., से.को.लि., वे.को.लि., सा.ई.को.लि., म.को.लि. और ना.ई.को : भूमिगत खानों में आग को अलग-थलग कर दिया गया है तथा उन पर निगरानी रखी जा रही है। एक बार आग को बुझा लेने के बाद उन क्षेत्रों को फिर से खोल दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पाटन रोधी शुल्क

2738. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "पी.टी.ए." तथा अन्य वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क के मुद्दे पर स्पष्ट और अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच मतभेद हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मुद्दे पर सरकार का वर्तमान रवैया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया गणराज्य से आयातित पी.टी.ए. पर अभिहित प्राधिकारी की अंतिम सिफारिशों के आधार पर दिनांक 28 अप्रैल, 1998 की अधिसूचना सं० 13/98-सी० शु० द्वारा प्रति-पाटन शुल्क लगाया गया था। ऐसे कुछेक अन्य मामले हैं जिनमें अभिहित प्राधिकारी ने प्रति-पाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है और जो अन्तिम निर्णय हेतु लंबित पड़े हैं। उन पर निर्णय लेने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रति-पाटन शुल्क लगाने से संबंधित कानूनी उपबन्धों के अधीन, अभिहित प्राधिकारी द्वारा घरेलू विनिर्माण उद्योग से प्राप्त सिफारिशों के परिणामस्वरूप की गई जांच-पड़ताल के आधार पर सिफारिशें की जाती हैं इन सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय में विचार किया जाता है जिसे यह निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है कि अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाए अथवा नहीं।

यदि किसी विषय पर किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो मामले को वाणिज्य मंत्रालय को वापस भेज दिया जाता है, और उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद ही अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2739. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की

स्थापना करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बैंक को स्थापित करने संबंधी स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए कई वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन-पत्रों को अलग-अलग मामलों, (स्टैंड अलोन) के आधार पर ठीक करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन किया जाए। तदनुसार, वर्ष 1994-98 की अवधि के दौरान 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 151 बैंकों को व्यापक पुनर्गठन के लिए लिया गया, जिसमें उनके तुलन-पत्रों को ठीक करना तथा नई पूंजी शामिल करना सम्मिलित था। केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिए बजटीय सहायता के रूप में 774 करोड़ रुपए की राशि दी है। इस कार्य का उद्देश्य इस समय कमजोर एवं रुग्ण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकेन्द्रीकृत ग्रामीण बैंकिंग के वित्तीय रूप से सक्षम एवं प्रभावशाली साधन के रूप में बदलना रहा है।

आयकर विभाग के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ

2740. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 28 जनवरी, 1998 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार भूतपूर्व प्रधान मंत्री के निदेशानुसार आयकर विभाग की छवि को निखारने के लिए एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रकोष्ठ ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं और सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा अब तक कितने भ्रष्ट अधिकारियों का पता लगाया गया है; और

(ग) आयकर विभाग के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र के बैंक

2741. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों ने ऋण देने के मामले में अपनी स्थिति में सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी बैंकों की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों के खराब कार्य निष्पादन के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) दिनांक 31.3.97 और 27.3.98 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है। वर्ष 1997 के लिए भेजे गए आंकड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र पर आधारित हैं जबकि 27.3.98 को भेजे गए आंकड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए फार्म "ए" पर आधारित हैं।

(करोड़ रुपए)

	31.3.97	बढ़त	27.3.98	बढ़त
राष्ट्रीयकृत बैंक	137389	+7975 6.16%	158085	+20696 15.06%
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	30406	+6806 28.83%	33791	+3385 11.13%

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) पर विचार करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

व्यापार मेला

2742. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा वर्ष 1992-98 के दौरान आयोजित, प्रायोजित और मेजबानी किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक व्यापार मेले में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक व्यापार मेले के बन्दोबस्त और देखरेख पर कुल

कितना व्यय हुआ;

(घ) प्रत्येक व्यापार मेले से कितनी धनराशि का लाभार्जन हुआ;

(ङ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में भारत में कुछ व्यापार मेलों का आयोजन/प्रायोजन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई.टी.पी.ओ.) द्वारा 1992-98 की अवधि के दौरान आयोजित किए गए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए है।

(ङ) से (च) आई.टी.पी.ओ. तथा फिक्की द्वारा सरकार के विशिष्ट आदेश पर प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आईटीएफ, 98 के समनुरूप नवंबर, 1998 में एक जी-77 तथा चीन व्यापार मेले तथा व्यापार सम्मेलन का संयुक्त रूप से आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1998-99 (जुलाई-मार्च) के दौरान आई.टी.पी.ओ. द्वारा भारत में आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित मेलों/प्रदर्शनियों की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण -I

1992-93 से 1997-98 के दौरान भारत में आयोजित किए गए मेले

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	मेलों का नाम/तिथियां	भागीदार देशों का विवरण	आय	डायरेक्ट व्यय	अधिशेष/ घाटा (-)
1	2	3	4	5	6
क.	**1992-93**				
1.	कन्ज्यूमेक्स 2-10 मई, 1992	--	21.98	18.34	3.64
2.	सजावट 1-9 अगस्त, 1992	--	17.95	12.73	5.22
3.	भारतीय स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य-रक्षा प्रदर्शनी 2-8 सितम्बर, 1992	जर्मनी, जापान	23.64	11.85	11.79
4.	इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया 23-29 सितम्बर, 1992	--	88.59	16.95	71.64
5.	भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 14-27 नवम्बर, 1992	जर्मनी, हांगकांग, इंग्लैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ताईवान	498.49	173.28	325.21
6.	टेक्स इंण्डिया 23 दिसम्बर 92 3 जनवरी,1993	--	48.81	16.23	32.58
7.	भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला '93 31 जनवरी-4 फरवरी '93	अफगानिस्तान, क्यूबा, वियतनाम, ईरान, श्रीलंका, साइप्रस, बंगलादेश, फिलीस्तीन, नेपाल, दक्षिण कोरिया, हंगरी, रूमानिया, रूस, चेकोस्लोवाकिया, ताइवान, जापान, चीन, फिनलैण्ड	160.50	60.78	99.72
8.	प्रिन्टपैक 2-9 मार्च 1993	आस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैण्ड, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, चेकोस्लोवाकिया, यू.एस., संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया	108.51	12.15	96.36
9.	आहार 2-9 मार्च 1993	फ्रांस, चीन, स्वीडन, जर्मनी, इटली	47.92	15.90	32.02
		कुल	1016.39	338.21	678.18

1	2	3	4	5	6
ख.	1993-94				
1.	वाटर इंडिया 23-29 अप्रैल 1993	संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, उक्रेन	21.92	13.33	8.59
2.	कन्ज्यूमेक्स '93 8-15 मई 1993	--	22.09	14.38	7.71
3.	सजावट 31 जुलाई-8 अगस्त 1993	--	17.73	14.91	2.82
4.	अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी 1-5 सितम्बर, 1993	संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.के., इजराइल, इटली	19.62	9.23	10.39
5.	जूता मेला '93 17-19 अक्तूबर 1993	--	73.66	18.51	54.85
6.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला '93 14-27 नवम्बर 1993	रूमानिया, ताइवान, कोरिया, जापान, पाकिस्तान, हांगकांग, नेपाल, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, साइप्रस, बंगलादेश, उक्रेन, भूटान, अफगानिस्तान	573.85	178.63	395.22
7.	टेक्स इण्डिया 1993-94 26 दिसम्बर 1993–13 जनवरी 1994	--	48.77	23.05	25.72
8.	राष्ट्रीय बाल मेला '93 26 दिसम्बर 1993–13 जनवरी 1994	--	20.84	27.82	(-)6.98
9.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 31 जनवरी–4 फरवरी 94	इटली, इंग्लैण्ड, हांगकांग, बेल्जियम, यू.के., जर्मनी, यू.एस.ए., स्विट्जरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, ग्रीस, फ्रांस, ताइवान, नेपाल, चैक गणराज्य, श्रीलंका, आस्ट्रिया, पाकिस्तान, स्काटलैंड, प. जर्मनी, आयरलैण्ड, सिंगापुर, ब्राजील, नीदरलैण्ड, जापान और कोरिया	208.42	80.69	127.73
		कुल	1006.90	380.85	626.05
ग.	1994-95				
1.	कन्ज्यूमेक्स '94 13-22 मई 1994	--	38.49	19.32	19.17
2.	सजावट '94 29 जुलाई-7 अगस्त 1994	--	30.91	23.14	7.77
3.	इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया '94 7-11 सितम्बर, 1994	हांगकांग, जर्मनी, यू.एस.ए., यू.के., जापान, स्पेन, ताइवान, इजराइल, ट्यूनिशिया, स्विट्जरलैण्ड	102.16	23.06	79.10
4.	जूता मेला '94 17-19 अक्तूबर 1994	--	72.12	23.06	48.06
5.	जूता संघटक '94 19-21 अक्तूबर 1994	बेल्जियम, जर्मनी, इटली, यू.के., यू.एस.ए.	43.05	27.29	15.76
6.	भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला '94 14-27 नवम्बर 1994	अर्जेन्टीना, बंगलादेश, भूटान, क्यूबा, साइप्रस, चीन, जापान, नेपाल, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, फिलिस्तीन, वियतनाम, अफगानिस्तान	748.83	232.75	516.08

1	2	3	4	5	6
7.	टेक्स इंडिया 1994-95 24 दिसम्बर 1994–1 जनवरी 1995	--	49.63	24.81	24.82
8.	राष्ट्रीय बाल मेला 24 दिसम्बर 1994–1 जनवरी 1995	--	24.54	28.15	(-)3.61
9.	एग्रोएक्स्पो 8-14 मार्च 1995	इजराइल, नेपाल, नीदरलैण्ड, यूएसए, उज्बेकिस्तान	134.41	26.92	107.49
10.	आहार '95 8-14 मार्च 1995	फ्रांस, यूएई, जर्मनी, इटली, फिनलैण्ड, यूके, हांगकांग	123.02	40.09	82.93
11.	अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा सामान मेला '95 कलकत्ता, 24-26 मार्च 1995	--	34.43	40.22	(-)5.79
12.	राष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु मेला 23 दिसम्बर 1994–7 जनवरी 1995	--	47.11	76.32	(-)29.21
13.	टेक्स स्टाइल इण्डिया 95 18--21 जनवरी 1995	--	187.24	216.54	(-)29.30
14.	भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 95 31 जनवरी-4 फरवरी '95	अर्जेन्टिना, आस्ट्रिया, बंगलादेश, ब्राजील, बेल्जियम, चीन, चेक गणराज्य, फिनलैण्ड, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, सिंगापुर, ग्रीस, जर्मनी, हांगकांग, जापान, केन्या, कोरिया, मैक्सिको, रूस, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रिका, स्विट्जरलैण्ड, ताइवान, स्पेन, यू.के. एवं यू.एस.ए.	241.33	114.25	127.08
		कुल	1877.27	915.92	961.35
ध.	1995-97				
1.	कन्ज्यूमेक्स '95 12-21 मई 1995	--	48.97	27.63	21.34
2.	सजावट '95 11-20 अगस्त 1995	--	55.28	34.35	20.93
3.	दिल्ली पुस्तक मेला 12-20 अगस्त, 1995	यू.एस.ए., यू.के. फ्रांस, बंगलादेश, क्रोशिया, ईरान, कुवैत, श्रीलंका	31.05	33.32	(-)2.27
4.	जूता मेला 17-19 अक्तूबर 1995	--	91.03	23.48	67.55
5.	जूता संघटक '95 19-21 अक्तूबर, 1995	यू.के., इटली, जर्मनी, द० कोरिया, ताइवान, हांगकांग, साइप्रस, आस्ट्रिया	54.46	21.59	32.89
6.	प्रकाश 95 29 अक्तूबर–3 नव. '95	इटली, जर्मनी, इंग्लैण्ड, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, ताइवान, कोरिया, जापान, नीदरलैण्ड, आस्ट्रिया, हंगरी	104.73	49.90	54.83
7.	भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला '95 14-27 नवम्बर, 1995	अफगानिस्तान, बंगलादेश, चीन, साइप्रस, हांगकांग, केन्या, नेपाल, रूस, रोमानिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, फिलीस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, ताइवान, तुर्की, वियतनाम	922.70	273.92	648.78
8.	अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी 11-14 दिसम्बर, 1995	यू.के, जर्मनी यू.एस.ए., इजराइल, इटली, जापान	43.21	36.99	6.22

1	2	3	4	5	6
9.	टेक्स इण्डिया 1995 22-31 दिसम्बर, 1995	--	47.37	36.11	10.96
10.	राष्ट्रीय बाल मेला 22-31 दिसम्बर, 1995	--	22.63	30.34	(-) 7.71
11.	राष्ट्रीय उपभोक्ता मेला बंगलौर 23 दिसम्बर 95- 7 जनवरी, 96	--	44.33	62.42	(-) 10.09
12.	सार्क व्यापार मेला 9-14 जनवरी, 96	बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका	67.12	61.84	5.28
13.	प्रिन्टपैक '96 12-17 जनवरी, 1996	बेल्जियम, चेक गणराज्य, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, स्विट्जरलैण्ड, ताइवान, यू.के., यू.एस.ए.	237.52	51.72	185.80
14.	भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, चेन्नई 31 जनवरी–4 फरवरी '96	अर्जेन्टिना, आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेल्जियम, ब्राजील, चीन, चेक गणराज्य, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, आयरलैण्ड, इटली, जापान, केन्या, मैक्सिको, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, रूस, कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, द. अफ्रिका, स्विट्जरलैण्ड, ताइवान, यू.के. एवं यू.एस.ए.	287.12	104.04	183.08
15.	टेक्स स्टाइल्स इंडिया, मुम्बई 11-14 फरवरी, 96	थाइलैण्ड	195.79	295.74	(-)99.95
16.	अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा वस्तु मेला '96 2-4 मार्च, 1996	--	28.86	38.57	(-)9.71
17.	आहार '96 8-11 मार्च 1996	--	83.51	37.88	45.63
18.	ग्रामवास '95 15 नवम्बर 1995 से 31 जनवरी 1996	--	0.00	15.58	(-)15.58
		कुल	23.65.38	1235.42	1129.96
ख	1996-97				
1.	कन्ज्यूमेक्स '96 5-14 जुलाई 1996	--	68.21	37.15	31.06
2.	दिल्ली पुस्तक मेला 10-18 अगस्त 1996	पाकिस्तान, ईरान, यूनेस्को	37.62	29.74	7.88
3.	मिस्टिक इण्डिया '96 13-17 सितम्बर 1996	--	27.19	40.42	(-)13.23
4.	जूता मेला 17-19 अक्तूबर	--	62.62	27.56	40.06
5.	जूता संघटक 19-21 अक्तूबर, 1996	यू.के., इटली, रूस, थाइलैंड, ताइवान, यू.एस.ए., कोरिया, मैक्सिको, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मेलशिया साइप्रस	67.22	26.41	35.81
6.	भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला '96 14-27 नवम्बर, 1996	अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, ब्राजील, क्यूबा, साइप्रस, चेक गणराज्य, ग्रीस, हांगकांग, ईरान, केन्या, नेपाल, पौलैण्ड, रोमानिया, श्रीलंका, फिलीस्तीन राज्य, ट्यूनीशिया, वियतनाम	1067.36	227.07	840.29

1	2	3	4	5	6
7.	राष्ट्रीय बाल मेला 20 दिसम्बर 1996 से 3 जनवरी 1997	--	24.91	42.10	(-) 17.19
8.	विन्टर शो 20 दिसम्बर, 96 से 3 जनवरी, 97	--	102.31	43.37	58.94
9.	टेक्सटाइल इण्डिया 97 28-31 जनवरी, 97	--	198.62	159.80	41.82
10.	भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, चेन्नई 31 जनवरी - 4 फरवरी, 1997	अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, चीन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, केन्या, मैक्सिको, सिंगापुर, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, यू.के., यू.एस.ए.	286.16	159.61	126.55
11.	अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा वस्तु मेला 15-17 मार्च, 97	--	31.50	44.86	(-)13..36
12.	आहार 97 11-15 मार्च, 97	यू.एस.ए., हांगकांग, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पाकिस्तान सिंगापुर, मलेशिया, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, ब्राजील, क्यूबा, साइप्रस, चेक गणराज्य, ग्रीस, ईरान, केन्या, नेपाल, पौलैंड, रोमानिया, श्रीलंका, ट्यूनीशिया, वियतनाम, फिलीस्तीन	93.88	32.37	61.51
		कुल	2067.60	867.46	1200.14
ख.	**1997-98**				
1.	सामाजिक विकास मेला 12-20 अप्रैल, 1997	--	55.00	57.61	(-)2.61
2.	कन्जूमेक्स-97 10-18 मई, 1997	--	91.17	39.81	51.36
3.	जूता संघटक '97 28-31 जुलाई, 1997	ताइवान, इटली, साइप्रस, मलेशिया	43.69	35.91	7.78
4.	दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय जूता मेला 28-31 जुलाई, 1997	--	43.67	37.18	6.49
5.	सजावट 9-17 अगस्त, 1997	--	71.33	39.45	31.88
6.	दिल्ली पुस्तक मेला 9-17 अगस्त, 1997	पाकिस्तान, कोरिया, जिम्बाब्वे, जर्मनी, ईरान	54.08	39.44	14.64
7.	फिल्म फेयर 23-31 अगस्त, 1997	श्रीलंका, यू.एस.ए. जर्मनी, मारिशस	62.00	171.00	(-)109.00
8.	मिस्टिक इण्डिया 20-26 अक्तूबर, 1997	--	30.06	33.10	(-) 3.04
9.	भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 1997 14-27 नवम्बर 1997	रोमानिया, ईरान, रूस, ताइवान, इजिप्ट, नेपाल, ट्यूनेशिया, ब्राजील, हांगकांग, श्रीलंका, बंगलादेश, साइप्रस	1345.74	344.74	1001.00
10.	अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी 18-30 दिसम्बर 1997	इटली	42.51	31.80	10.71

1	2	3	4	5	6
11.	विन्टर शो 20 दिसम्बर '97 से 4 जनवरी 1998	--	111.49	34.52	76.97
12.	राष्ट्रीय बाल मेला 20 दिसम्बर 1997 से 4 जनवरी 1998	--	29.82	22.23	7.59
13.	टेक्सस्टाइल्स 29 जनवरी-1 फरवरी 1998	फिलिपीन्स, ताइवान, इटली	227.67	165.34	62.33
14.	भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, चेन्नई 5-9 फरवरी 1998	आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टीना, आस्ट्रिया, बंगलादेश, ब्राजील, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, आयरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नार्वे, पुर्तगाल, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड, टर्की, थाइलैंड, ताइवान, यू.के.,यू.एस.ए, यू.ए.ई.	202.20	157.20	45.00
15.	आहार 16-20 मार्च, 1998	जर्मनी, इटली, टर्की, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, बेल्जियम पौलैण्ड, सिंगापुर, यू.एस.ए. और यू.ए.ई.	100.00	48.23	51.77
16.	अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा वस्तु मेला, कलकत्ता 7-9 मार्च, 1998	--	32.00	59.60	(-) 27.60
		कुल	2542.43	1317.16	1225.27

टिप्पणी : वर्ष 1997-98 के आय और व्यय के आंकड़े अनन्तिम हैं, अन्तिम रूप देने के लिए लेखा विभाग के पास लम्बित हैं।

विवरण-II

1992-93 से 1997-98 के दौरान आई.टी.पी.ओ. द्वारा विदेशों में आयोजित एकल भारतीय प्रदर्शनियां/क्रेता-विक्रेता सम्मेलन

(लाख रुपये में)

		आय	डायरेक्ट व्यय	अधिशेष/घाटा (-)
1	2	3	4	5
1992-93				
1.	भारतीय प्रदर्शनी, मारीशस	41.92	66.46	(-) 24.54
2.	भारतीय प्रदर्शनी, कीव (यूक्रेन)	29.64	40.12	(-) 10.48
3.	बीएसएम-फैशन गार्मेन्ट ओसाका	104.54	52.09	52.49
1993-94				
1.	बी.एस.एम.-होम फर्नीशिंग, ओसाका	45.95	29.03	16.92
2.	बी.एस.एम.-फैशन गार्मेन्ट, ओसाका	81.40	41.42	39.98
1994-95				
1.	भारतीय प्रदर्शनी, मास्को (रूस)	222.48	178.48	44.00
2.	भारतीय प्रदर्शनी, सेंट पीटर्सबर्ग (रूस)	75.66	65.82	9.84
3.	भारतीय प्रदर्शनी, जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका)	362.66	450.26	(-) 87.60
4.	भारतीय प्रदर्शनी, यागोन (म्यांनमार)	41.81	82.40	(-) 40.59
5.	बी.एस.एम.—बहु उत्पाद, दुबई (यूएई)	144.91	78.63	66.28

1	2	3	4	5
6.	बी.एस.एम.–होम फर्नीशिंग, टोकियो	63.89	34.60	29.29
7.	बी.एस.एम.–गार्मेन्ट एवं फैशन असेसरीज, ओसाका (जापान)	96.86	53.47	43.39
1995-96				
1.	भारतीय प्रदर्शनी, लुसाका (जाम्बिया)	28.00	65.15	(-) 37.15
2.	भारतीय प्रदर्शनी, ताशकन्द (उजबेकिस्तान)	75.90	84.05	(-) 8.15
3.	भारतीय व्यापार प्रदर्शनी, जकार्ता (इन्डोनेशिया)	68.34	118.94	(-) 50.60
4.	बी.एस.एम.–गार्मेन्ट एवं फैशन असेसरी, ओसाका (जापान)	130.85	65.85	65.00
5.	बी.एस.एम.–होम फर्नीशिंग, टोकियो (जापान)	80.59	52.19	38.40
6.	बी.एस.एम.–भवन निर्माण सामग्री, ओसाका (जापान)	24.89	29.00	(-) 4.11
7.	बी.एस.एम.–बहु उत्पाद, एलेपो, सीरिया	4.66	4.81	(-) 0.15
1996-97				
1.	भारतीय प्रदर्शनी, अल्माटी (कजाकिस्तान)	71.92	116.73	(-) 44.81
2.	भारतीय प्रदर्शनी, साओ पालो (ब्राजील)	159.97	265.94	(-) 106.97
3.	भारतीय प्रदर्शनी, काठमांडू (नेपाल)	175.38	154.57	(+) 20.81
4.	बी.एस.एम.–होम फर्नीशिंग, ओसाका (जापान)	92.60	53.30	(+) 39.30
5.	बी.एस.एम.–गार्मेन्ट फैशन असेसरीज, ओसाका (जापान)	116.60	69.09	(+) 47.51
6.	बी.एस.एम.–भवन निर्माण सामग्री, ओसाका (जापान)	17.51	22.35	(-) 4.84
7.	बी.एस.एम.–टेक्सटाइल एवं गार्मेन्ट, केपटाउन (दक्षिण अफ्रीका)	43.96	35.12	(+) 8.84
8.	भारतीय उत्पाद, ब्यूनस आयर्स	71.05	141.33	(-) 70.30
9.	एक्सपो इण्डिया '96 दुबई (यूएई)	169.16	151.04	(+) 18.12
1997-98				
1.	भारतीय प्रदर्शनी, मास्को (रूस)	46.30	76.92	(-) 30.62
2.	भारतीय प्रदर्शनी, यागोन (म्यांमार)	40.59	97.56	(-) 56.97
3.	भारतीय प्रदर्शनी, मैक्सिको सिटी (मैक्सिको)	104.00	147.32	(-) 43.32
4.	बी.एस.एम.–होम फर्नीशिंग, टोकियो (जापान)	88.66	49.05	(+) 39.61
5.	बी.एस.एम.–गार्मेन्ट एवं फैशन अससेरी, ओसाका (जापान)	49.66	26.32	(+) 23.34
6.	बी.एस.एम.–गार्मेन्ट, टोकियो (जापान)	105.62	61.80	(+) 43.82
7.	बी.एस.एम.–टेक्सटाइल एवं गार्मेन्ट, केपटाउन, (दक्षिण अफ्रीका)	20.14	20.14	--

नोट : वर्ष 1997-98 हेतु आंकड़े संशोधित अनुमान पर आधारित हैं क्योंकि इस वर्ष के वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण-III

आई.टी.पी.ओ. द्वारा 1998-99 (जुलाई-मार्च) के दौरान भारत में आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित मेलों/प्रदर्शनियों की सूची

मेले का नाम एवं तिथियां	आयोजन स्थल	प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुएं
1	2	3
जूता संघटक '98 2-4 जुलाई 1998	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	जूते बनाने में काम आने वाले सोल, इनसोल, टो-पफ, काउण्टर, क्लिंकिंग नाइफ, टैक, हील स्ट्रैप, अडेसिव, रसायन आदि हिस्से, सामग्री एवं असेसरी।

1	2	3
दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय जूता मेला 2-5 जुलाई, 1998	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के जूते-चप्पल, पुरुषों एवं महिलाओं की ड्रेसें, होराची शू और सैण्डल, कोल्हापुरी चप्पल, बेलरीन सेण्डल आदि।
सजावट 8-16 अगस्त, 1998	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	उपहार वस्तुएं, कृत्रिम फूल एवं पौधे, क्राकरी और कटलरी, चमड़े का सामान, खिलौने, घरेलू उपकरण, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण उपकरण एवं बिजली का सामान आदि।
दिल्ली पुस्तक मेला 8-16 अगस्त, 1998	प्रगत मैदान, नई दिल्ली	शिक्षण-सहायक सामग्री, दृश्य-श्रव्य सामग्री, कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के निर्माता, वितरक, प्रकाशक, पुस्तक-विक्रेता, प्रकाशन कार्य से संबंधित सरकारी एवं स्वायत्त संस्थाएं।
मिस्टिक इण्डिया 7-15 अक्तूबर, 1998	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी तथा प्राकृतिक चिकित्सा, अकूपंचर व अकूप्रेशर वैकल्पिक चिकित्सा, ऐड्स, कैंसर, पोलियो आदि रोग निरोधी उपाय, ह्रदय-सुरक्षा-कार्यक्रम, योग, ध्यान, ज्योतिष हस्तरेखा शास्त्र, अंक विज्ञान एवं वास्तु, स्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ तथा प्राकृतिक सुरक्षा उपकरण आदि।
आई आई टी एफ '98 14-27 नवम्बर, 1998	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	उद्योग, व्यापार, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधानों से संबंधित सभी पहलू। विशेष प्रदर्शन-टेकमार्ट,-लघु उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकियां, उत्तम रहन-सहन, हडकोबिल्डटेक, खिलौना प्रदर्शन आदि।
राष्ट्रीय बाल मेला 24 नवम्बर 1998	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	बच्चों के परिधान, खिलौने, शिक्षण-सहायक सामग्री, पत्रिकाएं, कार्ड, पोस्टर तथा स्टेशनरी का सामान, संगीत उपकरण, दृश्य-श्रव्य उपकरण, विद्यालय उपकरण, नर्सरियों एवं बालकक्षों का सजावटी सामान तथा बच्चों को भाने वाली अन्य वस्तुएं।
विन्टर शो 24 दिसम्बर 98–2 जनवरी, 99	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, उपहार वस्तुएं, कपड़े, उत्तम रहन-सहन के घरेलू उपकरण आदि।

[हिन्दी]

बिहार से फलों और सब्जियों का निर्यात

2743. **श्री रामटहल चौधरी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार से निर्यात किए गए फलों और सब्जियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फल और सब्जी उत्पादक राज्यों में बिहार का प्रथम स्थान है;

(ग) क्या फलों और सब्जियों के उत्पादन की तुलना में निर्यात की प्रतिशतता संतोषजनक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक नई योजना बनाकर फलों और सब्जियों के निर्यात में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) राज्य-वार निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) सब्जियों का उत्पादन करने वाले राज्यों में बिहार का प्रथम स्थान है। फलों में इसका छठा स्थान है।

(ग) फलों और सब्जियों के उत्पादन की तुलना में उनके निर्यात की प्रतिशतता से संबंधित राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) बिहार में उत्पादित फलों और सब्जियों का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं :—

(i) लीची की फसल-पूर्व तथा फसलोत्तर प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण आयोजित करना।

(ii) समुद्री मार्ग द्वारा रीफर कंटेनरों के माध्यम से बिहार से लीची के परेषण पर प्रयोग करना।

इसके अलावा, राज्य सरकार के साथ परामर्श करके राज्य से बागवानी उत्पादों के निर्यात की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का स्थापित किया जाना

2744. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विद्युतकरघा सेवा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित केन्द्रों के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इनके चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) क्या उन स्थानों को कोई प्राथमिकता प्रदान की गई है जहां रुग्ण कपड़ा मिलों के बंद होने के कारण श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में चीनी मिलों के लिए लाइसेंस

2745. **श्री भर्तृहरि मेहताब** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा में चीनी मिलें स्थापित किए जाने हेतु 1990 से स्थानवार कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) इन मिलों की मिलवार पिराई क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में भी निर्यातोन्मुख इकाइयां स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के तहत उड़ीसा राज्य में चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए कुल 4 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे। वर्ष 1990 से मई, 1998 तक चीनी के विनिर्माण के लिए जारी किये गये लाइसेंसों के वर्षवार विवरण, मिलवार, क्षमता सहित अवस्थिति-वार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1990 से मई, 1998 के दौरान उड़ीसा राज्य में चीनी के विनिर्माण के लिए जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा

वर्ष	क्र. सं.	उपक्रम का नाम तथा लाइसेंस की किस्म	अवस्थिति	*टी.सी.डी. में पिराई क्षमता
1990		शून्य		
1991		शून्य		
1992	1.	मै. शक्ति शूगर लि. (एन.यू.)	गांव हरिपत धनकनाल सदर, धनकनाल	2500
1993	2.	मै. वेस्टर्न इंडिया शुगर तथा कैमिकल्स इण्ड. लि. (एन.यू.)	धर्मगढ, कालाहांडी	2500
1994	3.	मै. पोन्नी शुगर एंड कैमिकल लि. (एन.यू.)	देवगांव, थूसरा, बोलांगीर	2500
	4.	मै. अस्का कोप. शुगर इण्ड. लि. (एस.ई.)	नूआगाम/अस्का गंजम	2500 (विस्तार के पश्चात्)
1995		शून्य		
1996		शून्य		
1997		शून्य		
1998 (मई तक)		शून्य		

* टी.सी.डी. = टन पिराई प्रति दिन
एन. यू. = नया उपक्रम
एस.ई. = पर्याप्त विस्तार

म्युचुअल फंडों संबंधी समिति

2746. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्युचुअल फंड, उसमें भमिका निभाने वाली न्यासियों संबंधी पी.के. कौल समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से वर्ष 1992-93 में हुए प्रतिभूति घोटाले की जांच से सामने आये म्युचुअल फंड की धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए उद्दिष्ट तथा अन्य सामान्य सिफारिशें क्या-क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि पी.के. कौल समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 मई, 1998 को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशों में ये शामिल हैं :

(i) अनुपालन प्रक्रिया से संबंधित सभी दस्तावेज परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी (ए.एम.सी.) के निदेशक मंडल द्वारा प्रमाणित/स्वीकृत होने चाहिए। न्यासी बोर्ड ए.एम.सी. से प्राप्त समस्त सूचना/दस्तावेजों का पुनरीक्षण करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन बोर्डों में प्रायोजक के नामित व्यक्ति अनुपालन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी हों; .

(ii) न्यासियों को सीधे जवाबदेह बनाने के लिए, म्युचुअल फंड विनियमों के अंतर्गत न्यासियों की परिभाषा को संशोधित किया जाए ताकि उसे इस प्रकार पढ़ा जाए-न्यासी बोर्ड अथवा न्यासी कंपनी जो ट्रस्ट में म्युचुअल फंड की संपत्ति को यूनिट धारकों के लाभ के लिए धारित करे;

(iii) न्यासियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अप्रैल की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतियों में सभी लेन-देन सूचित करने चाहिए तथा वर्ष के अंत में अपनी धारिताओं में परिवर्तन भी सूचित करने चाहिए। न्यासियों के लिए सम्यक् तत्परता अपेक्षाएं निर्धारित की जानी चाहिए;

(iv) न्यासी बोर्ड के एक-तिहाई गैर-चक्रानुक्रमी निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए;

(v) न्यासी बोर्ड की बैठक दो महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए;

(vi) संबंधनों के साथ प्रतिभूति लेन-देन, स्वतंत्र निदेशकों का चयन तथा नामांकन, प्रायोजकों को आदि किया गया शुल्क आदि, से जुड़े क्षेत्रों को शामिल करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए।

यूको बैंक का निष्पादन

2747. **श्री के.एस. राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यूकों बैंक प्रबंधन की संगठनात्मक कमजोरी, कार्यात्मक कमियों तथा खराब कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में आई कमियों, खामियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कारण से यूको बैंक को विगत तीन वर्षों से घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी खामियों के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने कुप्रबंधन को ठीक करने तथा खामियों के निराकरण के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क), (ख), (ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक, (आर.बी.आई.) भारत में कार्यरत बैंकों का, वार्षिक वित्तीय निरीक्षण करता है। ऐसे निरीक्षणों में प्रबंधन गुणवत्ता का मूल्यांकन, व्यावसायिक कार्यनिष्पादन परिचालानात्मक तरीके आदि शामिल हैं। आर.बी.आई. ने सूचित किया है कि वर्ष 1996-97 के लिए यूको बैंक में वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के आधार पर कुछ प्रबंधन/संगठनात्मक कमजोरियां पाई गई थीं। आर.बी.आई. द्वारा बैंकों की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट के निष्कर्षों पर संबद्ध बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श किया जाता है तथा आर.बी.आई. के निष्कर्षों की अनुपालना के लिए आवश्यक उपाय सुझाए जाते हैं। वार्षिक वित्तीय निरीक्षण तथा इसके निष्कर्षों की अनुपालना एक सतत् प्रक्रिया है। बैंक ने संघों/एसोसिएशनों के साथ समझौता ज्ञापन के आधार पर एक पुनरूज्जीवन योजना रणनीति (एसआरपी) तैयार की है। एस आर पी के अन्तर्गत बैंकों के कार्यनिष्पादन की निदेशक मण्डल द्वारा निगरानी की जा रही है तथा आरबीआई/सरकार द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों को मुख्यतः अधिक अनुपयोज्य आस्तियों/अधिक परिचालन लागत के कारण हानि हुई है। यह यूको बैंक पर भी लागू होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान यूको बैंक को हुई हानि के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(रुपए करोड़ में)

	परिचालानात्मक लाभ/हानि	निवल लाभ/हानि
1995-96	-26.13	-236.66
1996-97	-72.76	-176.23
1997-98	15.02	-96.00

अनुप्रयोज्य आस्तियां

2748. **श्री अनंत गंगाराम गीते :**
श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियां (एनपीए) से संबंधित अद्यतन आंकड़ों का संकलन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1998 तक बैंक-वार अनुप्रयोज्य आस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक क्षेत्र, मध्यम और लघु उद्योग, व्यापार और वाणिज्यिक कारोबार, कृषि क्षेत्र और अन्य श्रेणियों के अंतर्गत अनुप्रयोज्य आस्तियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुप्रयोज्य आस्तियों को दोबारा प्राप्त करने हेतु क्या नीति बनायी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुप्रयोज्य अस्तियों (क्षेत्र-वार आंकड़ों सहित) से संबंधित अद्यतन आंकड़े (दिनांक 30.3.1998 के अनुसार) उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कुछ बैंकों को अपने वार्षिक खातों को अभी अंतिम रूप देना है तथापि, दिनांक 31.3.97 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक आंकड़ा निगरानी प्रणाली से पूछे गए ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तथापि, दिनांक 31.3.97 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के एककों गैर-प्राथमिकता क्षेत्र एककों और प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/ बैंकों के अनुपयोज्य आस्तियों की नई घटना को न केवल रोकने के लिए बल्कि अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। ये कदम हैं :—

(i) ऋण वसूली नीति के तैयार और बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित कागजात सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के पास होते हैं।

(ii) बैंकों से कहा गया है कि वे न्यूनतम खर्च में अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए बातचीत और समझौते के माध्यम से अपनी अनुपयोज्य आस्तियों में कमी लाएं। तथापि, समझौता स्तर प्राप्त करते समय इस संबंध में निर्धारित सावधानी बरती जानी चाहिए।

(iii) प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक के अधीन वसूली कक्षों की स्थापना की गई है और बैंकों के शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वसूली कार्य में शाखाओं के कार्य निष्पदान की प्रधान कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर निगरानी की जाती है और प्रगति की सूचना तिमाही आधार पर निदेशक मंडल को दी जाती है।

(iv) बैंक की देयराशियों की त्वरित वसूलियों के लिए कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलूर, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, पटना और जबलपुर में ऋण वसूली अधिकरण और मुम्बई में अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई है।

(v) 1 करोड़ रु० और अधिक के चूककर्ताओं/मुकदमा दायर खातों की सूची का संकलन करना और सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में उसका परिचालन करना।

(vi) कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए बैंकों में प्रचलित प्रणाली के विशेष संदर्भ में निदेशक मंडल ने 300 शीर्ष अनुपयोज्य आस्तियों की पुनरीक्षा की।

(vii) बैंक, यदि वे चाहें तो, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां स्थापित कर सकते हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंक–31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र-वार अनुप्रयोज्य आस्तियां (एन.पी.ए)

(क्रोड़ रुपये)

बैंक का नाम	31.3.97 की स्थिति के अनुसार कुल एनपीए	सरकारी क्षेत्र की इकाइयां		गैर - प्राथमिकता क्षेत्र		प्राथमिकता क्षेत्र	
		राशि	कुल का %	राशि	कुल का %	राशि	कुल का %
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय स्टेट बैंक	10961.54	659.00	6.01	4612.54	42.08	5690.00	51.91
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	454.99	41.38	9.09	177.40	38.99	236.21	51.92
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	849.42	60.97	7.18	490.01	57.69	298.44	35.13
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	266.76	0.82	0.31	82.47	30.92	183.47	68.78
स्टेट बैंक आफ मैसूर	467.06	0.00	0.00	202.15	43.28	264.91	56.72
स्टेट बैंक आफ पटियाला	454.80	20.91	4.60	213.54	46.95	220.35	48.45
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	326.40	6.06	1.86	156.96	48.09	163.38	50.06
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	586.85	39.98	6.81	356.42	60.73	190.45	32.45
भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए कुल	14367.82	829.12	5.77	6291.49	43.79	7247.21	50.44

1	2	3	4	5	6	7	8
इलाहाबाद बैंक	1302.89	44.45	3.41	533.81	40.97	724.63	55.62
आन्ध्र बैंक	365.68	160.92	44.01	9.45	2.58	195.31	53.41
बैंक आफ बड़ौदा	3116.00	15.00	0.48	1695.00	54.40	1406.00	45.12
बैंक आफ इंडिया	2275.00	22.00	0.97	1162.00	51.08	1091.00	47.96
बैंक आफ महाराष्ट्र	749.43	9.79	1.31	326.96	43.63	412.68	55.07
केनरा बैंक	3323.72	41.00	1.23	2015.72	60.65	1267.00	38.12
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	2520.00	31.00	1.23	986.00	39.13	1503.00	59.64
कार्पोरेशन बैंक	316.78	5.42	1.71	139.27	43.96	172.09	54.32
देना बैंक	674.21	0.00	0.00	416.86	61.83	257.35	38.17
इंडियन बैंक	3303.00	26.00	0.79	2174.00	65.82	1103.00	33.39
इंडियन ओवरसीज बैंक	1317.00	94.00	7.14	733.00	55.66	490.00	37.21
ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	367.56	3.75	1.02	188.67	51.33	175.14	47.65
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1089.70	22.00	2.02	631.98	58.00	435.72	39.99
पंजाब नैशनल बैंक	2428.14	0.00	0.00	935.84	38.57	1490.30	61.43
सिंडिकेट बैंक	1291.78	35.88	2.78	686.40	53.14	569.50	44.09
यूको बैंक	1872.62	39.75	2.12	1051.46	56.15	781.41	41.73
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	987.80	0.00	0.00	322.03	32.60	665.77	67.40
युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	1398.00	79.00	5.65	755.00	54.01	564.00	40.34
विजया बैंक	511.96	2.10	0.41	286.51	55.96	223.35	43.63
राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए कुल	29209.27	632.06	2.16	15049.96	51.52	13527.25	46.31
सरकारी क्षेत्र बैंक के लिए कुल	43577.09	1461.18	3.35	21341.45	48.97	20774.46	47.67

बुनकरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

2749. **श्री के.सी. कोंडय्या :**
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में बुनकरों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी केन्द्रीय योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) कर्नाटक में वर्ष 1997-98 के दौरान बुनकरों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) बनुकरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करने हेतु क्या कर्नाटक सरकार ने कोई विशेष सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले दो वर्षों में देश में विशेषकर बिहार में बुनकरों के कल्याण हेतु किन्हीं नई योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) बुनकरों के लिए ऐसी कोई योजना को अंतिम रूप देते समय क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ज) यदि हां, तो बुनकरों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्यवार क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत 1997-98 के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार को निम्नलिखित राशि जारी की गई है :–

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	कर्नाटक राज्य सरकार को जारी की गई राशि
1.	कार्यशाला-सह-आवास योजना	53.70
2.	थ्रिफ्ट फंड योजना	10.00
3.	स्वास्थ्य पैकेज योजना	28.50

इसके साथ-साथ कर्नाटक राज्य द्वारा समूह बीमा योजना कार्यान्वित की गई है, यद्यपि 1997-98 में इस योजना के अंतर्गत उन्होंने सहायता प्राप्त नहीं की है।

(ग) और (घ) कल्याण योजना के अंतर्गत कर्नाटक सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिक सहायता प्राप्त की जा रही है। विभिन्न राज्यों द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है।

(ङ) जी, हां। राज्य में हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए 1997-98 के दौरान बिहार सहित सभी राज्यों में हथकरघा बनुकरों के लिए एक नई बीमा योजना आरंभ की जा चुकी है।

(च) नई योजना के अंतर्गत बुनकरों को शामिल करने के लिए वार्षिक निधिकरण नमूना निम्नलिखित है :–

केन्द्रीय अंशदान द्वारा	60 रुपये
राज्य अंशदान द्वारा	40 रुपये
बनुकरों के अंशदान द्वारा	20 रुपये

नई बीमा योजना जिसके अंतर्गत हानि तथा बाढ़ के कारण घरों की क्षति, अग्नि, भूचाल आदि, घरों जैसे करघों के सामान को नुकसान, कच्चा माल आदि, चिकित्सा विस्तार एवं दुर्घटना मृत्यु के मुकाबले वैयक्तिक दुर्घटना बीमा शामिल है।

(छ) हथकरघा पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति जिसने कई राज्यों का दौरा किया था तथा राज्य सरकारों तथा अन्य के साथ परामर्श किया था, के द्वारा दिसम्बर, 1996 में दी गई सिफारिशों के अनुसरण में यह योजना तैयार की गई थी।

(ज) राज्य सरकारों को समय-समय पर ध्यान दिलाया जाता है कि कल्याण योजनाओं के अंतर्गत सहायता हेतु व्यवहार्य प्रस्ताव भेजें।

चाय का निर्यात

2750. **श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय का प्रतिवर्ष कितना निर्यात किया गया;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों से राज्यवार कितनी चाय का निर्यात किया गया;

(ग) भारत ने किन-किन देशों को चाय का निर्यात किया;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय के निर्यात से प्रतिवर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जित करने में पूर्वोत्तर राज्यों का राज्यवार हिस्सा क्या था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से हुए चाय के निर्यातों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

वर्ष	निर्यात		
	मात्रा	मूल्य	
	(मिलियन कि.ग्रा.)	(करोड़ रुपये)	(मिलियन अमरीकी डालर)
1995-96	167.47	1244.52	372.08
1996-97	169.04	1301.46	366.62
1997-98*	211.76	1953.91	525.74

* अनुमानित

भारतीय चाय का निर्यात विश्व के 80 से भी अधिक देशों में किया जाता है। भारतीय चाय के प्रमुख आयातक हैं:– रूसी संघ, यू.के., जर्मनी, पोलैण्ड, ए.आर.ई., यू.ए.ई. और सऊदी अरब।

चाय का निर्यात मुख्यतः मिश्रित रूप से अर्थात् खुले (बल्क) रुप में या पैकेट में किया जाता है और मिश्रण के पश्चात् चाय के उद्‌गम का पता नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार, उत्पादन के उद्‌गम द्वारा चाय के निर्यात (मात्रा और मूल्य, दोनों रूप में) की पहचान नहीं की जा सकती है।

चाय की खेती

2751. **श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नए क्षेत्रों में चाय की खेती को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए क्षेत्रों में चाय की खेती की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अनेक तकनीकी सर्वेक्षण करने के पश्चात् निम्नलिखित क्षेत्रों को चाय की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया है। इनको चाय की खेती के विस्तारण के लिए गैर-परम्परागत क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है : –

(1) अरूणाचल प्रदेश (2) नागालैंड (3) मणिपुर (4) सिक्किम (5) मिजोरम (6) मेघालय (7) उड़ीसा (8) केरल का इदुकी जिला (9) कर्नाटक का कोडागू जिला (10) तमिलनाडु का कोडैकनाल जिला

(11) उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मण्डल (12) केरल का विनाड जिला (13) असम की एन सी पहाड़ियां (14) त्रिपुरा राज्य के दक्षिणी जिले (15) असम का कारबी अंगलौंग जिला (16) हिमाचल प्रदेश के चंबा और मण्डी जिले।

(ङ) और (च) गैर-परम्परागत क्षेत्र के रूप में घोषित अभिज्ञात उपयुक्त क्षेत्रों में चाय की खेती को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से चाय बोर्ड ने गैर-परम्परागत क्षेत्रों के लिए नई चाय इकाई वित्त योजना वर्ष 1982 के दौरान शुरू की थी। इस योजना में समीपस्थ क्षेत्र में एक विनिर्माण इकाई के प्रावधान के साथ कम से कम 200 हैक्टेयर क्षेत्र वाली व्यापक एवं व्यवहार्य चाय परियोजनाओं के लिए रोपण हेतु ऋण एवं इमदाद प्रदान करने की व्यवस्था थी।

नौवीं पंचवर्षीय योजना से नई चाय इकाई वित्तीय योजना के स्थान पर दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं जो इस प्रकार हैं (i) झूम खेती पर नियंत्रण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चाय विकास योजना, और (ii) नई क्षेत्र विकास योजना। जबकि पहली योजना केवल पूर्वोत्तर के गैर-परम्परागत राज्यों के लिए लागू है, दूसरी योजना किसी भी राज्य के गैर-परम्परागत क्षेत्रों में चाय रोपण के लिए उपयुक्त है। इन योजनाओं में 40,000 रु० प्रति हैक्टेयर इमदाद देने का प्रावधान है।

चाय बोर्ड गैर-परम्परागत क्षेत्रों में चाय विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, अगर इन्हें सरकारी क्षेत्र में या पंजीकृत सहकारी संस्थाओं द्वारा स्थापित किया जाता है तो अनुमानित लागत का 50% ऐसे ऋण के रूप में उपलब्ध कराने को एक योजना का भी संचालन करता है, जिसका पुनर्भुगतान आसान किश्तों में और आसान शर्तों पर किया जा सकता है। गैर-परम्परागत क्षेत्रों में लघु पौधशालाओं की स्थापना के लिए भी चाय बोर्ड द्वारा पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

सीमेंट उद्योग

2752. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रीवा डिवीजन में सीमेंट उद्योगों की कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक सीमेंट उद्योग के लिए कितना उत्पादन लक्ष्य रखा गया है;

(ख) निजी लोगों से अधिग्रहित की गई कुल भूमि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है तथा उक्त उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार ने कितनी भूमि का आबंटन किया है;

(ग) प्रत्येक उद्योग को स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल ऋण का ब्यौरा क्या है तथा विहित शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या उक्त उद्योगों द्वारा स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मध्य प्रदेश के रीवा डिवीजन (सतना समूह) में 6 बड़े सीमेंट संयंत्र हैं। उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रत्येक सीमेंट इकाई के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ख) से (ङ) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखी जाती है।

हथकरघा बुनकर

2753. **श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हथकरघा बुनकरों द्वारा निर्मित उत्पादनों की खरीद का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भागलपुर में हथकरघा बुनकरों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए कोई कपास-सूत बैंक स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर बुनकरों की समस्या को सरकार ने किस प्रकार हल किया तथा उन्हें किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई/की जा रही है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : (क) भारत सरकार के निर्णयानुसार केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों/निकायों के प्रयोग हेतु विभिन्न हथकरघा कपड़ों की खरीद वस्त्र मंत्रालय में विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा अधिसूचित एकल निविदा पद्धति के अंतर्गत हथकरघा इकाइयों तक सीमित रहेगी।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। परंतु योग्य निकाय मिल गेट मूल्य योजना के दिशा-निदेशानुसार यार्न बैंक स्थापित करने हेतु सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) सरकार की विभिन्न हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी जा रही है जिसमें निवेश आपूर्ति, प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, तकनीकी विकास, विपणन इत्यादि हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर बुनकरों के कल्याण हेतु भी सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

जर्मनी से सहायता

2754. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी ने भारत सहित कुछ राष्ट्रों को दी जाने वाली सहायता में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्णय से इस समय चल रही परियोजनाओं पर किस हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) जर्मन सरकार ने परमाणु परीक्षणों के प्रत्युत्तर में भारत तथा पाकिस्तान के साथ विकास सहयोग संबंधी अंतः सरकारी वार्ताएं रद्द कर दी हैं तथापि, भारत में चालू परियोजनाओं के लिए सहायता में कोई कटौती नहीं की गई है।

कोयले की मांग पर रोक

2755. **श्री गुरुदास कामत** :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादक कंपनियों की ओर से की जाने वाली कोयले की मांग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय का सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, रेलवे तथा कोयला कंपनियों के साथ परामर्श किए जाने के बाद प्रत्येक तापीय विद्युत गृह हेतु कोयले की मांग का अनुमान लगाया जाता है तथा उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

ट्रेवल एजेंसियों द्वारा धोखाधड़ी

2756. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1998 के "द पायोनियर" में "टाउट्स सेंड कुंभ टूरिस्ट्स टू जे एंड के" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे नकली पर्यटक एजेंटों/दलालों के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) जी, हां।

(ख) प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, दो इटालियन पर्यटक, जो हरिद्वार में कुम्भ मेले को देखने जाना चाहते थे, को दिल्ली निवासी कुछ यात्री अभिकर्ताओं ने धोखा दिया और उन्होंने इन पर्यटकों को यह कह कर श्रीनगर भेज दिया कि उत्तर प्रदेश में कथित दंगों के कारण मेले का स्थान बदल दिया गया है।

(ग) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय, एयरपोर्ट प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस आदि जैसे विभिन्नि अभिकरणों से अनअध्यावसायिक अभिकर्ताओं/दलालों के कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए नियमित रूप से बातचीत करता रहता है। यात्रा अभिकर्ता द्वारा धोखा देने के संबंध में यह विशेष मामला जो कि दिनांक 10 जून, 1998 के पायोनियर समाचार पत्र में बताया गया है और प्रथम साक्ष्य में एक आपराधिक मामला बनता है, इसे पुलिस आयुक्त, पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और आयुक्त एवं सचिव (पर्यटन) जम्मू व कश्मीर सरकार को तत्काल कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया गया।

किसानों को ऋण

2757. **श्री ए.सी. जोस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को दिए गए ऋण का भुगतान न की गई राशि पर किसी प्रकार की छूट प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के बजट भाषण में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित घोषणा की गई थी :

"किसानों को प्रायः ऐसी परिस्थितियों की वजह से जो उनके वश में नहीं है, ऋणों की चिरकालिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कर्जदारी के लिए उन्हें जेल की यातना तक दी जाती है। कर्ज वापसी की संस्कृति में जहां सुधार लाया जाना चाहिए, वहीं यह सरकार ऐसी स्थितियां पैदा करने के लिए कृतसंकल्प है जिससे किसी भी किसान को कर्ज वापसी में चूक के लिए जेल न जाना पड़े अथवा आत्महत्या करने के लिए विवश न होना पड़े। भारतीय रिजर्व बैंक बकाया कर्जों के पुराने मामलों के समस्या रहित निस्तारण के लिए बैंकों को उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा बैंकों को उचित मामलों में संचित ब्याज पर उपयुक्त राहत प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नई प्रक्रिया से बैंकिंग क्षेत्र के गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों को बकाया मात्रा में कमी करने में भी मदद मिलेगी।"

[हिन्दी]

लालमटिया खानों के विस्थापितों के लिए रोजगार

2758. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लालमटिया खान से विस्थापित कई लोग अभी भी बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लालमटिया खान के शेष विस्थापित लोगों को कब तक रोजगार दिए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) लालमटिया खानों में (राजमहल परियोजना) परियोजना प्रभावित परिवारों की अद्यतन संख्या 317 है। कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन 317 परिवारों के सभी 1006 योग्य व्यक्तियों को नौकरी दे दी गई है।

भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड के कार्यालयों को बन्द किया जाना

2759. **श्री जोगेन्द्र कवाडे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का विचार गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, पुणे और कोच्चि स्थित अपने कार्यालयों का दर्जा घटाने अथवा बन्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आई.एफ.सी.आई.) ने सूचित किया है कि गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, पुणे तथा कोच्चि के आई एफ सी आई कार्यालय को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आई एफ सी आई के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित इसकी पुनर्निर्माण योजना के अनुसार विभिन्न कार्यालयों के व्यापार संबंधी कार्यों को पुनर्गठित किया गया है और आई.एफ.सी.आई. के उक्त कार्यालय विपणन तथा कारोबार विकास, ग्राहक संबधों, निरीक्षण, वसूली तथा संसाधन जुटाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों आदि को पहले से ही कर रहे हैं।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र के बैंकों की सेवा शर्तें

2760. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के बैंकों के मार्ग निर्देश हेतु सेवा संबंधी मामलों के संबंध में सरकार द्वारा जारी कोई समेकित निर्देश/मार्गनिर्देश नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन कर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करता है अर्थात् मनमाना और भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है;

(घ) यदि हां, तो प्रबंधन की मनमानी और भेदभावपूर्ण कार्यवाही तथा उनके अधिकार के दुरुपयोग के खिलाफ निजी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के पास क्या सुरक्षा उपाय हैं;

(ङ) क्या निजी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए नियम बनाए जाने को कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) बैंकों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र के बैंकों की कर्मचारी यूनियनों की भागीदारी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (छ) निजी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तें उनके प्रबंधन द्वारा तय की जाती हैं और इस मामले में सरकार द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। बैंक, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, सेवा भर्ती शर्तें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। तदनुसार, सभी बैंकों का वेतन ढांचा तथा सेवा संबंधी शर्तें भिन्न हो सकती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंक "राज्य" नहीं हैं। बैंकों द्वारा निर्धारित किए गए सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने वाले नियमों से सामान्यतः शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र मिलाता है। यूनियनों और प्रबंधकों के बीच विवाद को निपटाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए श्रम न्यायालय के तंत्र का उपयोग किया जाता है।

मसालों और नकदी फसलों का अवैध आयात

2761. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सूखे मेवे के नाम पर नेपाल से भारत को आयात किए जा रहे मसालों और नकदी फसलों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(ग) हमारे किसानों/उत्पादक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना राजस्व विभाग के माध्यम से सीमा-शुल्क गृहों से एकत्र की जा रही है और यथा-समय पटल पर रख दी जाएगी।

रूस से हीरों की खरीद

2762. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार रूस से हीरे खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में रूस से कोई बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) तराशे तथा पालिश किए गए हीरों के भारतीय विनिर्माता रूस सहित विविध स्रोतों से अपरिष्कृत हीरों की खरीद करते हैं। हाल ही में, स्वर्ण एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् से एक शिष्टमंडल ने स्वर्ण एवं आभूषण क्षेत्र में जानकारी के आदान-प्रदान के लिए रूस का दौरा किया था।

एस.बी.आई के अधिकारियों का निलम्बन

2763. **श्री जी.एम. बनातवाला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने राष्ट्रीय उर्वरक लि. और सी.आर. बी. कैपिटल घोटाले में कथित रूप से शामिल कुछ वरिष्ठ कार्यकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो घोटालेवार ऐसे कार्यकारियों की संख्या क्या है जिनके विरुद्ध निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं;

(ग) प्रत्येक घोटाले के संबंध में वरिष्ठ कार्यकारियों की संख्या क्या है जिनके विरुद्ध निलंबन आदेश वापस लिए गए;

(घ) प्रत्येक घोटाले में निलंबन आदेश वापस लिए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बाहय जांच एजेंसियों द्वारा जांच पूरी किए जाने के पहले ही आदेश वापस ले लिए गए थे; और

(च) यदि हां, तो घोटालेवार आदेश वापस लिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (च) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ने राष्ट्रीय उर्वरक लि. द्वारा यूरिया के निर्यात के लिए विप्रेषणों में अनियमितताओं के लिए चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। बैंक के अपीलीय प्राधिकरण, जहां संबंधित अधिकारियों ने अपने निलंबन के विरुद्ध अपील की थी, ने आदेश दिया कि अनुशासनिक कार्यवाही, यदि कोई हो, के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के निलबंन को हटा लिया जाए। इस कार्यवाही को बाहय जांच एजेंसियों द्वारा जांच पूरी किए जाने के पश्चात् पुनः शुरू किया जा सकता है। यद्यपि, बैंक का आंतरिक जांच कार्य पूरा हो चुका है, बैंक का यह मानना है कि इस मामले के कोई भी ठोस अनुशासनिक कार्रवाई बाहय एजेंसियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही की जाएगी।

सीआरबी कैपिटल मार्केट्स लि० द्वारा जारी किए गए वारंटों को सममूल्य पर भुनाए जाने से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में, भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों की हड़ताल के पश्चात् उनके निलंबन के आदेशों की पुनरीक्षा की गई थी और अपीलीय प्राधिकरण ने सीबीआई की लंबित जांच और अपने निलंबन के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा दायर अपीलों सहित मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के पश्चात् निलंबन का प्रतिसंहरण करने का निर्णय लिया था। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ बड़ी दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

पटसन उत्पादन में अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से अनुदान

2764. **श्री मोइनुल हसन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से प्राप्त 80 करोड़ रुपए के अनुदान का अधिकांश अंश पटसन उत्पादों के विविधीकरण में अनुसंधान करने की बजाय अन्य प्रयोजनों के लिए व्यय किया गया;

(ख) क्या उक्त अनुदान के उपयोगीकरण के मामले में मानदण्ड के घोर उल्लंघन की जांच करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एक उच्च अधिकार प्राप्त दल भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो पटसन विकास संबंधी अनुसंधान कार्य के लिए देश में विभिन्न अग्रणी पटसन अनुसंधान संस्थाओं और पटसन की निजी मिलों को भुगतान हेतु दिए गए उक्त अनुदान में से मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरों, विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता कार्यक्रम के तहत गत आठ वर्षों के दौरान अनुसंधान संस्थाओं और निजी पटसन मिलों को प्राप्त उक्त राशि का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) पटसन के विकास पर अनुसंधान करने के लिए देश में विभिन्न पटसन अनुसंधान संस्थानों को रिलीज की गयी राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

निजी पटसन मिलों को किया जाने वाला भुगतान अनुदान नहीं होता है, अपितु ऋण के रूप में होता है। निजी मिलों और उद्यमियों को की गयी सहायता को दर्शाने वाले ब्यौरे विवरण II और III में दिए गए हैं।

परियोजना संबंधित क्रियाकलापों के लिए मंत्रालय के दो अधिकारियों के विदेशी दौरों पर 19,193 अमरीकी डालर की राशि खर्च हुई।

विवरण I

राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम, बजट 1993–98

(अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	संस्थान	1993	1994	1995	1996	1997	1998	कुल
1.	बोम्बे टैक्सटाइल रिसर्च एसो.-पोलीमर	271,926	375,004	132,697	702252	-138163	7122	1350838
2.	इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसो.-कम्पोजिट्स	453,834	706,159	138,895	487452	29722	0	1816062
3.	जूट कार्पोरेशन आफ इंडिया	72,271	73,385	19,487	59285	8296	6705	239429
4.	साउथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन	343,685	233,191	57,133	-2192	93775	0	725592
5.	इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसो.–टैक्सटाइल	508,967	653,508	661,554	270017	315399	248813	2658278
6.	अहमदाबाद टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसो.	1158,619	109,735	262,801	99749	2757	0	1633661
7.	प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट	386,332	305,301	341,747	262807	204060	223839	1724086
8.	बॉम्बे टैक्सटाइल रिसर्च एसो–यूनीप्रोडक्ट	762,913	96,745	2,115	1667	353	0	859563
9.	पी एस जी कालेज आफ टैक्नोलाजी	5	28,246	19,115	146956	18350	0	212672
10.	इंस्टीट्यूट आफ जूट टैक्नोलाजी	0	1	4,103	291697	-36072	5770	268499
11.	वूल रिसर्च एसोसिएशन	181,545	127,222	189,450	2601	22996	0	524014
12.	जूट मैन्यूफैक्चरर्स डेवलमैंट काउंसिल	530,963	26,323	420,204	240567	272645	87809	1525865
13.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग	13	8,880	182,180	121951	3012	0	316036
14.	स्माल स्केज जूट मिल्स काम्पलैक्स	230,610	409,099	243,741	-144	16280	13079	918565
15.	सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट	18,670	697	0	0	0	0	19367
16.	सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट–त्रिबेनी टीश्यू	543	467,468	47,566	141798	255754	105386	1018515
17.	इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन–जियोजूट	0	0	83,924	45341	19308	1800	166573
18.	डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रोनिक्स	0	0	92,533	124408	1266	1500	219727
19.	जूट हैंडीक्राफ्ट	0	0	135,961	87866	473676	65153	762658
20.	जूट हैंडलूम्स	0	0	71,099	69014	69460	77000	286573
21.	इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन–जूट बैग्स	0	0	0	1706	0	0	1706
22.	टैक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट आफ टैक्सटाइल एंड साईंस	0	0	135,051	135979	34558	3762	309370
23.	नेशनल सेंटर फार जूट डाइवरसिफिकेशन	0	0	53,112	128121	1216295	208900	1606428
24.	इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसो.–मशीनरी	0	0	0	0	0	194000	194000
25.	डिपार्टमेंट आफ बायोटैक्नोलाजी	0	0	0	137302	293912	68786	500000
26.	इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसो.–स्टीम एक्सप्लोशन	0	0	0	84476	57449	0	141925
	योग	4,926,816	3,568,318	3,290,238	3,643,876	3235108	1335644	20000000

विवरण II

राष्ट्रीस पटसन विकास कार्यक्रम
उद्यमियों को सहायता–1995 पूर्व

(लाख रु० में)

क्र. सं.	इकाई	राशि
1.	ईस्टर्न जुवूल	45.63
2.	बी.सी.ओ. फैब्रिक्स	46.36
3.	पायोनीर इंडिया	43.12
4.	अरिहन्त	44.58
5.	सिद्धा	36.53
6.	के.एल.बी.	42.49
7.	चंपदानी	239.49
8.	एन.जे.एम.सी.	175.00
9.	यूनी प्रोडक्ट्स	237.50
10.	असपिनवाल	48.80
11.	डब्ल्यू.बी. प्लाईवूड्स	16.00
12.	अरबिंदो	111.61
13.	ड्यूरोफलेक्स	59.32
14.	त्रिबेणी टिश्यूस	90.00
15.	टिप्को	83.54
16.	फाइबर कंपोजिट्स	54.44
	योग	1374.41

विवरण III

पटसन उद्यमी सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता

क्र. सं.	इकाई का नाम	एनसीजेड का ऋण लाख रुपयों में
1	2	3
1.	श्री लक्ष्मी श्रीनिवास	30.00
2.	ऋषभ जूटिक्स	30.00
3.	रत्नाम जूट प्रा. लि.	30.00
4.	श्री सीताराम जूट ट्विन	30.00
5.	ईस्टर्न जुवूल टैक्स.	30.00
6.	गणपती यार्न प्रोडक्ट्स	14.44
7.	मनषा इंडस्ट्रीज	15.00
8.	राजा टैक्सटाइल्स	2.65
9.	इन्डस. इन्सुल	48.00
10.	डाई लाईट इंड.	40.20
11.	एक्सेल कंपोजिट	50.00
12.	यूनिक इंड.	13.99
13.	फ.एम.आर.मैक	11.20
14.	आर्टफेड	3.40
15.	मेघना लैमिनेशन्स	50.00
16.	सुपर फाइबर लिमिटेड	30.00
17.	श्री सहारा स्पै. (द्वितीय चरण)	16.50
18.	एपेक्स यार्न प्रा. लि.	30.00
19.	एच.ए.जे. कंक्रीट	8.10
20.	चटर्जी जूट	10.30
21.	कृष्णावेणी जूट	12.84
22.	पवन राज इंटरप्राइजिज	27.99
23.	एस.के.एस.एन. जूट	30.00
24.	देबरत्न जूट	15.00
25.	जाथम फैब्रिक्स लि.	19.15
26.	गाला साहा	0.18
27.	मोनचा हैंडीक्राफ्टस	0.43
28.	श्री साई लक्ष्मी वूलन	6.82
29.	ओसकार्ड	3.50
30.	अशोक काव.	15.00
31.	अलांता गोड्यूलर	15.80
32.	अर्थवर्थ	0.47
33.	कार्थिक टैक्सटाइल्स	15.00
34.	महामाया स्पिनटैक्स	23.00
35.	श्री सहारा स्पिनर्स	11.19
36.	जुयेदा स्पिनर्स	8.80
37.	भोलानाथ इंटरनेशनल	20.78
38.	श्री प्रकाश टैक्सटाइल्स	30.00
39.	ज्योति जूट प्रोडक्ट्स	28.76
40.	असम जूट प्रोडक्ट्स	6.00
41.	एस.के. फाइब्रोस इंड प्रा. लिमिटेड	16.70
42.	वारालक्ष्मी जूट मिल्स	28.12
43.	सीताराम लक्ष्मी जूट	30.00
44.	कलपतरू स्पिनिंग मिल्स	30.00

1	2	3
45.	स्टैन्डर्ड फ्रिक्शन	22.15
46.	कॉस्याक्राफ्ट इंडस्ट्रीज	50.00
47.	जे.के. जूट मिल्स	33.98
48.	टाइटन एग्रो बोर्ईस	26.80
49.	यादागिरी ड्यूरिज	0.89
50.	स्वामी टैक्स.	10.70
51.	हैदराबाद पवरैलस कं०	12.00
52.	सराफ जूटेक्स	0.22
53.	इंडिगो फैशन प्रा. लि.	10.00
54.	बी.एन. इंडस्ट्रीज	0.45
55.	पूजा उद्योग	5.10
56.	बिहार हैन्डलूम	3.22
57.	श्री विभास सरकार	1.27
58.	हिबराई व पैर्क्स	2.04
59.	ज्योति टैक्स.	0.66
60.	साऊदर्न टैक्सटाइल्स	4.67
61.	संकर-ए-ट्रेडर्स	2.87
62.	राय फैब्रिक्स	0.63
63.	सौजन्य इको-फैब्रिक्स	2.65

[हिन्दी]

विदेश व्यापार

2765. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान किन-किन देशों के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) उक्त वृद्धि का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अन्य देशों के साथ भी व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंडएस) से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जिन देशों के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई है और डालर के रूप में उक्त वृद्धि की प्रतिशतता निम्नानुसार है:

देश	प्रतिशत वृद्धि
बेल्जियम	8.62
फ्रांस	2.86
यूनान	5.51
आयरलैंड	26.98
इटली	5.04
पुर्तगाल	30.65
युनाइटिड किंगडम	4.72
स्विट्जरलैंड	105.82
नेपाल	10.74
आस्ट्रेलिया	12.89
चीन	34.08
हांगकांग	1.42
मलेशिया	5.98
संयुक्त अरब अमीरात	4.03
इस्राइल	36.38
मिस्र	102.74
दक्षिणी अफ्रीका	36.00
कनाडा	26.58
संयुक्त राज्य अमरीका	0.23
ब्राजील	18.60
रूस	8.99
शेष सी आई एस देश	34.04
दक्षिण अमरीका	15.19

(ग) से (ङ) बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय प्रयासों के माध्यम से निर्यातों का संवर्धन करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। संयुक्त आयोग की बैठकों के दौरान आवधिक रूप से विचार-विमर्श, देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान, महत्वपूर्ण देशों में विशेष व्यापार मेलों में भागीदारी आदि ऐसे उपाय हैं जो व्यापारिक सहभागियों के साथ द्विपक्षीय रूप से व्यापार संबंधों को स दृढ़ करने के लिए निरंतर किए जा रहे हैं। सार्क अधिमानी व्यापार संबंध (साप्टा) के तहत द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन करने के लिए आयात शुल्कों को कम किया जा रहा है और गैर-टैरिफ अवरोधों को समाप्त किया जा रहा है। मध्यावधि कार्यनीति में लैटिन अमरीका, सीआईएस देशों तथा अफ्रीका आदि जैसे उभर रहे बाजारों के साथ हमारे व्यापार को विशेष दिशात्मक ध्यान दिया जा रहा है। जैसाकि कि आंकड़ों से पता चलता है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा सी आई एस देशों को हमारे निर्यात तेजी से बढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

घरेलू ऋण

2766. **कर्नल सोना राम चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा घरेलू ऋणदाताओं से प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष घरेलू ऋणदाताओं को अदा किए गए ब्याज और मूलधन की राशि क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान घरेलू ऋणदाताओं को देय ऋण और ब्याज की राशि क्या है; और

(घ) घरेलू ऋण संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार की आन्तरिक ऋण और अन्य देयताओं के बारे में स्थिति निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए)

	1995-96	1996-97	1997-98 (सं.अ.)	1998-99 (ब.अ.)
(i) 31 मार्च की समाप्ति पर बकाया आंतरिक ऋण और अन्य देयताएं	554984	621437	718299	810911
(ii) मूलधन की वापसी अदायगी*	66888	65444	74885	92595
(iii) ब्याज का भुगतान	45631	55255	61550	70808

** 91 दिवसीय/14 दिवसीय/28 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की चुकौती, अर्थोपाय अग्रिमों, प्रारक्षित निधियों तथा बगैर ब्याज की जमाराशियों और उचंत लेनदेनों को छोड़कर।*

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

2767. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित अनेक राज्य ओवरड्राफ्ट की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो हरेक राज्यों के ओवरड्राफ्ट की राशि क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हरेक राज्य के लिए सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्यों ने निर्धारित सीमा से अधिक राशि निकाली है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को बाजार से ऋण द्वारा धनराशि जुटाने की अनुमति दी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क), (ख), (ङ) और (च) कुछ राज्य आवधिक अर्थोपाय समस्याओं के दौर से गुजरे हैं। राज्य सरकारों की नकद शेष और ओवरड्राफ्ट की स्थिति (अगर कोई हैं तो) दिन पर दिन तथा राज्यवार बदल सकती है। महाराष्ट्र सरकार आज की तारीख तक ओवरड्राफ्ट (अधिक निकासी) की स्थिति में नहीं है। राज्य और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच विनिमय दोनों के आपसी समझौते के आधार पर होता है। चूंकि यह संबंध बैंकर और ग्राहक (भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार) के मध्य का है, अतः भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जाती।

(ग) और (घ) जी, हां। विस्तार के साथ विवरण-I संलग्न है।

(छ) और (ज) भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए बाजार से उधार लेने के कार्यक्रम के राज्यवार बंटवारे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कुछ राज्यों द्वारा उनके अर्थोपाय के संबंध में आवेदन किए जाने के आधार पर भारत सरकार ने अप्रैल 1998 में उन्हें बाजार से उधार लेकर संसाधन जुटाने की स्वीकृति दे दी। राज्य सरकारों ने 1998-99 के लिए बाजार से उधार कार्यक्रम के प्रथम चरण में 12.15 प्रतिशत वार्षिक की कूपन दर से दस साल के कागज बेचकर 5129.56 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। प्रथम चरण के तहत् जुटाये गये बाजार ऋण की राज्यवार सूची विवरण-II में सलंग्न है।

विवरण-I

1.8.96 से राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों के लिए संशोधित सीमाएं

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	भारतीय रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम बकाया	सामान्य (कालम 3 के 168 गुना)	विशेष (कालम 3 के 64 गुना)	विशेष (परिचालात्मक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.00	168.00	64.00	32.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.10	16.80	6.40	3.20
3.	असम	0.40	67.20	25.60	12.68
4.	बिहार	0.70	117.60	44.80	44.80
5.	गोवा	0.10	16.80	6.40	2.51
6.	गुजरात	0.70	117.60	44.80	15.91
7.	हरियाणा	0.30	50.46	19.20	8.80
8.	हिमाचल प्रदेश	0.20	33.60	12.80	0.07

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू और कश्मीर*				
10.	कर्नाटक	0.80	134.40	51.20	25.80
11.	केरल	0.80	100.60	36.40	11.40
12.	मध्य प्रदेश	0.80	134.40	51.20	25.80
13.	महाराष्ट्र	1.50	252.00	98.00	27.87
14.	मणिपुर	0.10	18.80	8.40	2..0-
15.	मेघालय	0.10	18.80	8.40	0..83
16.	मिजोरम	0.10	18.80	8.40	--
17.	नागालैंड	0.10	18.80	8.40	--
18.	उड़ीसा	0.80	100.80	38.40	18.20
19.	पंजाब	0.80	100.80	38.40	38.40
20.	राजस्थान	0.80	100.80	38.40	37.12
21.	सिक्किम*				
22.	तमिलनाडु	1.10	184.80	70.40	35.20
23.	त्रिपुरा	0.10	18.80	8.40	--
24.	उत्तर प्रदेश	1.70	285.80	108.80	54.40
25.	पश्चिम बंगाल	1.00	188.00	84.00	80.78
		13.30	2234.40	851.20	480.04

* *भारतीय रिजर्व बैंक से संबद्ध नहीं।*

विवरण-II

वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा पहले चरण में बाजार से लिए गए ऋण

क्र.सं.	राज्य	राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	381.12
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.00
3.	असम	200.00
4.	गोवा	21.17
5.	गुजरात	210.00
6.	हरियाणा	170.00
7.	हिमाचल प्रदेश	50.00
8.	जम्मू और कश्मीर	80.00
9.	कर्नाटक	275.75
10.	केरल	301.82
11.	मध्य प्रदेश	303.89
12.	महाराष्ट्र	563.81
13.	मणिपुर	20.0
14.	मेघालय	30.00
15.	मिजोरम	15.00
16.	नागालैंड	50.00
17.	उड़ीसा	216.42
18.	पंजाब	200.00
19.	राजस्थान	442.29
20.	सिक्किम	16.00
21.	तमिलनाडु	389.59
22.	त्रिपुरा	25.00
23.	उत्तर प्रदेश	748.74
24.	पश्चिम बंगाल	435.16
	योग	5129.56

गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा

2768. **श्री जयसिंह जी चौहान :**
श्री हरीभाई चौधरी :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में परियोजना-वार कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(घ) इन परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर शुरू किया जाना था;

(ङ) अभी तक लागू की गई और पूरी की गई परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं और इनमें से प्रत्येक परियोजना पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) शेष परियोजनाओं को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं प्राप्त हुई और स्वीकृत की गई। आबंटित की गई राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं :–

(लाख रुपयों में)

1	2	3
1.	लालसरोवर में पर्यटक परिसर	38.63
2.	भुज में पर्यटक स्वागत-केन्द्र	18.78

1	2	3
3.	अदेशर में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	17.80
4.	धौलावीरा में पर्यटक सुविधाएं	19.65
5.	रानी की बाव, पाटन में कैफेटेरिया	12.98
6.	नवरात्रि उत्सव	2.00
7.	पतंग उत्सव	2.00
	कुल	**111.84**

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में, पर्यटन के संवर्धन के लिए 25 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। परियोजनाओं के नाम एवं स्थान संलग्न विवरण में नीचे दिए गए हैं।

(ङ) निम्नलिखित 9 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और पूरी की गई हैं :–

(लाख रुपए में)

1.	तारनेतर के लिए कैंपिंग उपकरण	15.90
2.	सिरिट टाइप लैंड-सेलिंग याच की दो एककें (यूनिटें)	4.48
3.	नवरात्रि उत्सव	1.85
4.	तारनेतर मेला	2.69
4.	प्रचार सहायता	5.00
6.	रायल आरियंट एक्सप्रेस पर ब्रोशर के लिए सहायता	5.00
7.	तारनेतर उत्सव	1.69
8.	कच्छ उत्सव के लिए सहायता	3.52
9.	प्रचार सामग्री के उत्पादन के लिए सहायता	4.46

(च) शेष 16 परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

विवरण

गुजरात राज्य के लिए स्वीकृत परियोजना/स्कीमें

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	तारनेतर के लिए कैंपिंग उपकरण	1992-93	15.90
2.	प्रचार सहायता	1992-93	5.00
3.	नाल सरोवर में पर्यटक परिसर	1993-94	19.68
4.	पोरबंदर में कैफेटैरिया	1993-94	14.60
5.	लैंड सेलिंग याच की दो यूनिटें	1993-94	4.48
6.	नवरात्रि उत्सव	1993-94	1.85
7.	तारनेतर मेला	1993-94	2.69
8.	प्रचार सहायता	1993-94	5.00
9.	गुजरात में जलक्रीड़ा उपकरण की खरीद	1993-94	10.00
10.	कुडा (भावनगर जिला) में पर्यटक लॉज	1994-95	14.50
11.	रायल आरियंट एक्सप्रेस पर ब्रोशर के लिए सहायता	1994-95	5.00
12.	तारनेतर उत्सव	1994-95	1.69
13.	कच्छ उत्सव के लिए सहायता	1995-96	3.52
14.	प्रचार सामग्री के उत्पादन के लिए सहायता	1995-96	4.46
15.	द्वारका में द्वारिकाधीश मंदिर की प्रकाशपुंज व्यवस्था	1996-97	8.21
16.	अदलज में स्टीपवैल स्मारक का सौंदर्यीकरण	1996-97	8.32
17.	अम्बाजी में जन सुविधाएं	1996-97	8.78
18.	जामनगर में लखौटा महल की प्रकाशपुंज व्यवस्था	1996-97	8.76
19.	जूनागढ़ में पर्यटक स्वागत केन्द्र	1996-97	12.18
20.	पोरबंदर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	1996-97	12.18
21.	जूनागढ़ में उपाकोट में जनसुविधाएं	1996-97	8.78
22.	प्रचार सहायता	1996-97	10.00
23.	नवरात्रि उत्सव	1996-97	4.00
24.	सोमनाथ उत्सव	1996-97	0.50
25.	तारनेतर उत्सव	1996-97	0.50

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

2769. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में बड़े और मध्यम स्तर के कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनमें कितना पूंजी निवेश किया गया है और उनमें कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार लाभ अथवा घाटे में चल रही इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आज से लगभग चार वर्ष पूर्व तत्कालीन उद्योग मंत्री ने जम्मू की अपनी यात्रा के दौरान जम्मू में सरकारी क्षेत्र की कुछ मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का वायदा किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालयों के अनुसार उनकी एक सूची 8.6.1998 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1996-97 के खण्ड-I परिशिष्ट-III (पृष्ठ विवरण 207 से पृष्ठ विवरण 213) में दी गई

है। सकल परिसम्पत्ति के रूप में पूंजी निवेश की राज्यवार सूचना तथा कर्मचारियों की संख्या लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1996-97 के खण्ड-I तालिका 1.25 (पृष्ठ 31) में दी गई है।

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम लाभ अथवा हानि में प्रचालन कर रहे थे, उन.) संख्या नीचे दी गई है :–

प्रचालनरत सरकारी क्षेत्र प्रचालनरत उपक्रमों की कुल संख्या	1994-95	1995-96	1996-97
(i) लाभ वाले	130	132	129
(ii) हानि वाले	109	102	104
(iii) न लाभ न हानि वाले	2	5	3
सरकारी क्षेत्र के प्रचालनरत उपक्रमों की कुल संख्या	241	239	236

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पटाखों के लिए लाइसेन्स

2770. **डा. विजय सोनकर शास्त्री :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पटाखे बेचने के लिए विस्फोटक नियंत्रक ने स्थाई थोक बिक्री लाइसेन्स जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पटाखों आदि के भण्डार की लाइसेन्स प्राप्त क्षमता सहित लाइसेन्सों की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या पटाखों के निर्माता इनके डीलरों की लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक मात्रा में पटाखे भेजते हैं और क्या विस्फोटक नियंत्रक ने इस मामले की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विस्फोटक नियंत्रक द्वारा देश में कितने निरीक्षण कराए गए और कितने ऐसे डीलर पाए गए जो लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन करते थे; और

(च) लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं और डीलरों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) विस्फोटक नियमावली 1983 के तहत देश भर में श्रेणी-7, खण्ड-2 और उप-खंड-I के 1000 कि.ग्रा. तक तथा श्रेणी-7, खंड-2 और उप-खंड-2 के 100 कि.ग्रा. तक के पटाखों को रखने, उनकी बिक्री एवं विनिर्माण हेतु लाइसेंस जारी करने का अधिकार विस्फोटक विभाग में विस्फोटक नियंत्रक को प्रदान किया गया है।

विभाग द्वारा कुल 2711 लाइसेंस प्रदान किये गये हैं। ये लाइसेंस फार्म संख्या-24 में जारी किये जाते हैं जिसमें लाइसेंस क्षमता तथा अन्य शर्तों का उल्लेख किया जाता है, जिनके तहत लाइसेंस जारी किया जाता है।

(ग) और (घ) विस्फोटक नियमावली, 1983 के नियम 32(5) के तहत पटाखों के परिवहन को परिवहन लाइसेंस से मुक्त रखा गया है। अतः पटाखों के विनिर्माता उनके द्वारा भेजे गये पटाखों की मात्रा के बारे में विस्फोटक विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते। तथापि, विस्फोटक नियमावली, 1983 का नियम 127 लाइसेंस-क्षमता से अधिक भंडारण किये गये पटाखों के मामलों पर लागू होता है।

(ङ) और (च) गत तीन वर्षों के दौरान, विभाग ने 1994-95 में 550, 1995-96 में 587 तथा 1996-97 में 833 निरीक्षण किये। विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6ङ(3) तथा विस्फोटक नियमावली 1983 का नियम 167, लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकरण को नियमों का उल्लंघन करने की दशा में लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकरण को नियमों का उल्लंघन की दशा में लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

आयकर सीमा

2771. **श्री तारिक अनवर :**
प्रो. पी.जे. कुरियन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर सीमा के 40,000 रु० से 50,000 के निर्धारण पर आयकरदाताओं के वेतनभोगी वर्ग में क्षोभ है;

(ख) क्या वेतनभोगी आयकरदाताओं के लिए आयकर की दर का निर्धारण करते समय परिवार के भरण-पोषण की लागत को ध्यान में रखा जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को 50,000 रु० की अपेक्षा 100,000 रु० तक सीमा बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर की दरों को कम करने पर और विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। निम्न आय वर्गों में वेतनभोगी आयकरदाताओं द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों पर उचित ध्यान दिया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

(च) 1 लाख रुपये तक की वेतन आय वाले व्यक्तियों के लिए मानक कटौती को 20,000 रु० से बढ़ाकर 25,000 रु० तक किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। मानक कटौती और कर बचतों पर रिबेट प्राप्त करने के बाद 1 लाख रु० तक की आय पाने वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा अथवा नाममात्र कर की अदायगी करनी होगी।

वेतनभोगी वर्ग के लिए ही कर की दरों में कोई कमी करना न तो न्याय-संगत है और न ही व्यवहार्य है। कर की दरें पहले ही कम हैं। कर की दरों में और कमी करने से कर आधार के नष्ट होने की सम्भावना है और राजस्व जुटाने संबंधी प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

कपास की ओटाई

2772. **श्री माधवराव पाटील :**
श्री विट्ठल तुपे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास की ओटाई करने के लिए सुविधाएं पर्याप्त तथा अपेक्षित स्तर की नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कपास की ओटाई के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : (क) और (ख) जबकि स्थापित क्षमता के रूप में कपास जिनिंग की सुविधाएं पर्याप्त हैं फिर भी गुणवत्ता प्राचलों के अनुसार उनमें कमी है जिसका मुख्य कारण अप्रचलित मशीनें, घटिया अनुरक्षण तथा अनुप्रयुक्त कार्य पद्धति आदि हैं।

(ग) भारतीय कपास निगम लि० (सी.सी.आई) मौजूदा जिनिंग और प्रेसिंग एककों में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने और उन्नत प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए एक कार्य योजना को क्रियान्वित कर रहा है तथा इस प्रयोजन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के एक पैकेज की पेशकश करता है। प्रस्तावित कपास विकास प्रौद्योगिकी मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य कपास जिनिंग तथा प्रेसिंग एककों का आधुनिकीकरण करना भी है।

मारुति उद्योग

2773. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री नृपेन गोस्वामी :
श्री पी.आर. किन्डिया :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और सुजुकी मोटर कारपोरेशन के बीच समझौता होने से पहले मारुति उद्योग लिमिटेड को विश्वास में लिया गया था और महान्यायावादी की राय मांगी गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड के चेयरमेन और प्रबंध निदेशक की बारी-बारी से नियुक्ति के संबंध में पूर्व सरकार के निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संयुक्त उद्यम में अपनी भागीदारी को 10 प्रतिशत कम करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और संयुक्त उद्यम को बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) मारुति उद्योग लिमिटेड में सुजुकी मोटर्स कारपोरेशन का कुल निवेश कितना है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) सरकार ने महसूस किया है कि विवाद पूर्णतः वाणिज्यिक था और, चूंकि, मतभेद से संबंधित मामला दो शेयरधारकों के बीच था, इसलिए इसे प्रशासनिक तौर पर सुलझाया जा सकता था। मतभेदों को शीघ्रता से निपटाने और व्यापार विकास के अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देने, मारुति उद्योग में प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने और इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए, भारत सरकार और सुजुकी मोटर कारपोरेशन, जो मारुति उद्योग लि० में दो प्रमुख शेयरधारक हैं, के बीच विवाद को सुलझाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(घ) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपरोक्त (घ) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(च) 103.41 करोड़ रुपये में से 66.15 करोड़ रुपये की इक्विटी है और शेष सुजुकी मोटर कारपोरेशन की इक्विटी को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत बढ़ाते समय उनके द्वारा दिया गया प्रीमियम है।

[हिन्दी]

मसाला बोर्ड की योजनाएं

2774. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड ने प्रसंस्कृत मसाला पैकिंग एककों और ऑयाल रेजिन एककों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे लघु उद्योग एककों को कोई सहायता उपलब्ध करायी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) मसाला बोर्ड प्रसंस्कृत मसाला पैकिंग एककों और ऑयाल रेसिन (ओलियोरेसिन) एककों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है :–

(i) जो ब्राण्ड मसाला बोर्ड में पंजीकृत है उन ब्राण्ड नामों के साथ पैकट के रूप में मसालों के निर्यातकों को पैकेजिंग सुधार बार-कोडिंग पंजीयन के लिए सहायता;

(ii) निर्यात के लिए उपयुक्त पैकेजों के विकास के लिए भारतीय पैकेजिंग संस्थान या निजी परामर्शदाताओं के जरिए सहायता;

(iii) "लोगो" पैकों में मसालों के निर्यात के लिए पैकेजिंग लागत की आंशिक प्रतिपूर्ति; और

(iv) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और प्रक्रिया उन्नयन के लिए अनुदान सहायता।

[अनुवाद]

राज्य हथकरघा विकास निगम को वित्तीय सहायता

2775. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत :**
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार परियोजना पैकेज योजना, समेकित हथकरघा ग्रामीण विकास योजना जैसी विभिन्न चालू योजनाओं तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत राज्य हथकरघा विकास निगम और हथकरघा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्यवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार दी जाने वाली सहायता के लिए कौन से मानदंड अपनाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : (क) जी, हां। प्रोजैक्ट पैकेज योजना जिसके तहत हथकरघा निगमों तथा सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जाती है, उसे संशोधित किया गया है और एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना जो 1997-98 के दौरान बंद कर दी गई थी उसके घटकों को सम्मिलित करके इसके क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का विवरण संलग्न है।

(ग) हथकरघा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिकाएं जारी की गई हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर योजनाओं की मार्गदर्शिकाओं के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

राज्य हथकरघा विकास निगमों को वित्तीय सहायता

समूह बीमा निगम		1995-96	1996-97	1997-98
1.	अरूणाचल प्रदेश	--	--	--
2.	आन्ध्र प्रदेश	4.01	16.00	--
3.	असम	--	--	--
4.	बिहार	4.04	--	--
5.	गुजरात	--	4.43	--
6.	हरियाणा	--	--	--
7.	हिमाचल प्रदेश	--	--	--
8.	जम्मू व कश्मीर	--	--	--
9.	कर्नाटक	10.00	10.00	--
10.	केरल	--	--	--
11.	मध्य प्रदेश	--	--	2.92
12.	मणिपुर	--	0.60	--
13.	महाराष्ट्र	--	--	--
14.	मिजोरम	--	--	--
15.	नागालैंड	--	--	--
16.	उड़ीसा	10.00	10.00	--
17.	पंजाब	--	--	--
18.	राजस्थान	--	--	--
19.	तमिलनाडु	26.05	27.28	33.69
20.	त्रिपुरा	--	--	--
21.	उत्तर प्रदेश	10.00	--	--
22.	पश्चिम बंगाल	3.00	2.00	3.00
23.	मेघालय	--	--	--
24.	सिक्किम	--	--	--

गत तीन वर्षों (योजना 1995–98) के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं. राज्य का नाम	कार्यशाला-सह-आवास			प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम		
	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1. अरूणाचल प्रदेश	--	--	50.31	--	--	--
2. आन्ध्र प्रदेश	225.74	381.18	146.54	287.41	627.04	508.84
3. असम	140.00	--	39.59	321.21	671.17	672.30
4. बिहार	100.00	--	--	77.18	--	--
5. पंजाब	--	--	--	6.20	16.51	2.01
6. हरियाणा	--	--	--	7.50	15.85	10.10
7. हिमाचल प्रदेश	26.00	24.72	--	51.33	53.43	74.87
8. जम्मू व कश्मीर	14.56	--	--	47.05	--	116.43
9. कर्नाटक	227.78	100.00	53.70	12.14	51.55	44.65
10. केरल	50.00	50.00	--	233.95	126.30	425.85
11. मध्य प्रदेश	93.52	--	200.00	165.16	39.53	64.52
12. महाराष्ट्र	24.00	14.08	28.35	94.28	6.00	--
13. मणिपुर	--	80.00	--	8.25	65.15	--
14. मिजोरम	--	--	--	10.00	--	10.00
15. नागालैंड	--	164.78	352.25	37.84	340.71	552.26
16. उड़ीसा	--	55.64	90.36	144.28	131.11	45.05
17. मेघालय	--	1.40	--	--	--	--
18. पंजाब	--	--	--	--	--	--
19. राजस्थान	7.40	18.20	120.50	336.94	17.76	--
20. तमिलनाडु	140.00	140.00	110.06	220.83	76.30	389.17
21. त्रिपुरा	40.00	--	14.05	83.20	38.70	6.40
22. उत्तर प्रदेश	100.00	--	--	66.70	27.85	385.25
23. पश्चिम बंगाल	110.00	--	96.25	62.43	2.63	23.03
24. सिक्किम	--	--	--	--	--	--

विवरण

गत तीन वर्षों (योजना 1995–98) के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वास्थ्य पैकेज स्कीम			थ्रिफ्ट फण्ड स्कीम		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरूणाचल प्रदेश	--	--	50.35	--	--	--
2.	आन्ध्र प्रदेश	188.15	270.09	--	81.50	90.60	135.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	53.50	20.15	--	--	--	--
4.	बिहार	75.00	--	--	--	--	--
5.	गुजरात	16.00	--	2.60	--	1.00	--
6.	हरियाणा	--	7.88	--	--	--	--
7.	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	--	--	--
8.	जम्मू व कश्मीर	--	--	--	--	--	--
9.	कर्नाटक	--	--	28.50	5.00	14.00	10.00
10.	केरल	55.00	--	--	--	--	--
11.	मध्य प्रदेश	11.16	--	16.60	--	11.49	7.10
12.	महाराष्ट्र	28.50	--	10.50	11.19	--	--
13.	मणिपुर	--	--	--	--	--	--
14.	मिजोरम	--	--	--	--	--	--
15.	नागालैंड	--	69.23	--	--	--	--
16.	उड़ीसा	--	--	33.00	30.00	--	30.00
17.	मेघालय	--	--	--	--	--	--
18.	पंजाब	--	--	--	--	--	--
19.	राजस्थान	25.50	--	--	1.00	2.00	--
20.	तमिलनाडु	79.84	3.50	110.16	192.14	140.05	180.00
21.	त्रिपुरा	22.90	--	10.58	--	--	0.23
22.	उत्तर प्रदेश	--	--	--	22.50	--	1.14
23.	पश्चिम बंगाल	--	--	--	12.00	--	27.00
24.	सिक्किम	--	--	18.80	--	--	--

गत तीन वर्षों (योजना 1995-96–1997-98) के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एच.डी.सी./क्यू.डी.यू.			मार्जिन मनी		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरूणाचल प्रदेश	--	--	--	--	--	--
2.	आन्ध्र प्रदेश	217.82	671.67	460.34	68.00	82.50	--
3.	असम	84.49	--	--	16.50	--	--
4.	बिहार	114.41	4.00	6.00	40.11	5.50	--
5.	गुजरात	8.25	0.15	--	0.44	1.99	--
6.	हरियाणा	4.00	--	5.00	--	--	--
7.	हिमाचल प्रदेश	26.19	23.99	2.84	2.19	2.06	2.22
8.	जम्मू व कश्मीर	3.04	--	--	4.37	2.75	--

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	कर्नाटक	26.70	12.51	--	--	31.58	--
10.	केरल	116.05	86.95	4.06	31.03	30.40	12.85
11.	मध्य प्रदेश	31.87	--	--	6.14	2.80	--
12.	महाराष्ट्र	26.48	--	--	1.00	1.00	--
13.	मणिपुर	132.00	--	--	63.50	48.00	--
14.	मिजोरम	--	--	--	10.87	0.50	--
15.	नागालैंड	8.00	239.91	315.63	12.00	34.00	2.50
16.	उड़ीसा	153.84	84.43	24.11	28.00	38.00	--
17.	मेघालय	--	--	--	--	--	--
18.	पंजाब	--	--	--	0.50	--	--
19.	राजस्थान	2.24	--	--	--	--	--
20.	तमिलनाडु	449.11	114.20	116.07	7.81	13.45	33.80
21.	त्रिपुरा	17.87	2.38	--	9.50	--	--
22.	उत्तर प्रदेश	140.13	104.83	9.58	47.53	47.13	1.00
23.	पश्चिम बंगाल	165.85	--	6.00	0.50	7.50	--
24.	सिक्किम	--	--	--	--	--	--

गत तीन वर्षों (गैर-योजना 1995-98) के दौरान विभिन्न योजनाओं में विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशि

(लाख रुपये में)

		एम.डी.ए. स्कीम			जनता कपड़ा/हैंक यार्न स्कीम		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	810.15	808.90	37.57	188.03	108.19	121.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	--	--	--	--	--	6.61
3.	असम	82.26	167.97	81.76	612.88	341.15	400.55
4.	बिहार	107.57	--	--	135.66	87.72	40.08
5.	गुजरात	8.01	216.78	63.81	49.61	6.54	34.70
6.	हरियाणा	73.61	79.65	25.84	--	--	--
7.	हिमाचल प्रदेश	39.85	43.41	36.81	--	--	--
8.	जम्मू व कश्मीर	84.54	115.23	183.84	55.60	7.71	31.33
9.	कर्नाटक	256.70	309.89	244.08	695.48	760.24	615.40
10.	केरल	338.99	158.96	319.46	102.48	--	--
11.	मध्य प्रदेश	53.33	143.15	278.25	297.52	102.95	36.76
12.	महाराष्ट्र	95.63	62.34	--	612.61	342.71	170.17
13.	मणिपुर	--	2.08	--	7.06	--	--
14.	मिजोरम	--	--	--	1.67	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	नागालैंड	--	--	--	7.96	--	--
16.	उड़ीसा	377.01	300.31	290.90	775.29	157.34	--
17.	मेघालय	--	1.26	--	--	--	--
18.	पंजाब	30.56	29.35	35.22	2.66	--	--
19.	राजस्थान	33.07	74.45	60.34	113.03	49.54	33.67
20.	तमिलनाडु	1867.94	2026.97	766.00	1699.40	962.35	1151.96
21.	त्रिपुरा	17.40	17.40	18.10	36.97	51.61	10.96
22.	उत्तर प्रदेश	415.58	409.32	319.50	686.91	211.89	--
23.	पश्चिम बंगाल	208.31	268.38	365.92	1369.17	271.23	134.28
24.	सिक्किम	--	--	--	--	--	--

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं में विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्यात योग्य उत्पादों का विकास एवं उनका विपणन	
		1996-97	1997-98
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	--	14.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	--	--
3.	असम	17.50	--
4.	बिहार	--	--
5.	गुजरात	--	12.50
6.	हरियाणा	14.00	--
7.	हिमाचल प्रदेश	--	5.00
8.	जम्मू व कश्मीर	2.54	8.75
9.	कर्नाटक	--	--
10.	केरल	6.50	11.00
11.	मध्य प्रदेश	7.00	27.75
12.	महाराष्ट्र	--	--
13.	मणिपुर	--	--
14.	मिजोरम	--	--
15.	नागालैंड	--	--
16.	उड़ीसा	--	--
17.	मेघालय	--	--
18.	पंजाब	--	--
19.	राजस्थान	--	--
20.	तमिलनाडु	--	13.50
21.	त्रिपुरा	17.50	--
22.	उत्तर प्रदेश	10.02	58.78
23.	पश्चिम बंगाल	--	33.50
24.	सिक्किम	--	--

नोट : योजना 1996-97 से शुरू की गई ।

विद्युतकरघा मिलों का निर्यात कोटा

2776. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला शोलापुर (महाराष्ट्र) की विद्युत करघा मिलों की ओर से इन मिलों के लिए निर्यात कोटा को 10 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए अनुरोध करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें ऐसे अन्य निर्यातकों जिन्हें ड्यूटी ड्राबैक की सुविधा उपलब्ध है, के समतुल्य दर्जा प्रदान करने हेतु उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनकी अन्य मांगें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : (क) सरकार को फिलहाल शोलापुर (महाराष्ट्र) जिले की विद्युतकरघा मिलों से 10 प्रतिशत से निर्यात कोटा को बढ़ाने के लिए अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयकर अधिनियम के अंतर्गत "नॉट आर्डिनरी रेजीडेन्ट" का दर्जा

2777. **श्री के.एस. राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत "नॉट आर्डिनरी रेजीडेन्ट" दर्जे की परिभाषा में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या लक्ष्य प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। आयकर अधिनियम, 1961 से "नॉट आर्डिनरी रेजीडेंट" के दर्जे को हटाने का प्रस्ताव संसद में 1 जून, 1998 को प्रस्तुत वित्त (सं. 2) विधेयक, 1998 के खण्ड 6 के उपबन्धों में निहित है।

(ग) यह प्रस्ताव मूलरूप से आयकर अधिनियम में 1938 में शामिल किया गया था ताकि अन्य बातों के साथ-साथ यूरोपीय अधिकारियों को भारत में उनके ठहरने के आरंभिक वर्षों में राहत प्रदान की जा सके। इस दर्जे द्वारा उन व्यक्तियों, जो दो वर्षों के लिए विदेश में रहते हैं, जो विदेशी आय पर अगले नौ वर्ष के लिए कर से छूट देकर लाभ प्रदान किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय

2778. **श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय अपने स्वयं के भवनों में कार्यरत हैं;

(ख) क्या महत्वपूर्ण विभागों, जैसे इश्यू डिपार्टमेंट, बैंकिंग ऋण लेखा विभाग, जमा लेखा विभाग, सार्वजनिक ऋण लेखा विभाग इत्यादि को इन शाखाओं में खोला गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त विभागों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के सोलह कार्यालय अपने स्वयं के भवनों में चल रहे हैं। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जम्मू और कोच्चि को छोड़कर अन्य सभी कार्यालयों में निर्गम एवं बैंकिंग विभाग अर्थात् जमा लेखा, सार्वजनिक लेखा विभाग तथा सार्वजनिक ऋण कार्यालय हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू में निर्गम एवं बैंकिंग विभाग खोलने का निर्णय लिया है। कोच्चि कार्यालय में एक विभाग अर्थात् विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग तथा आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग का एक प्रकोष्ठ पहले से ही कार्य कर रहे हैं। चूंकि केरल राज्य के लिए तिरूवनन्तपुरम में एक पूर्ण कार्यालय पहले ही है, अतः कोच्चि में अन्य विभाग आवश्यक नहीं समझे गए।

(घ) जम्मू कार्यालय में पूर्ण यांत्रिक संगठन शुरू करने से पहले कुछ मुद्दे हल किए जाने हैं, अतः कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

विवरण

राज्य	भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय स्थल
1. आन्ध्र प्रदेश राज्य	हैदराबाद
2. असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य	गुवाहाटी
3. बिहार राज्य	पटना
4. दिल्ली राज्य	नई दिल्ली
5. गुजरात राज्य	अहमदाबाद
6. जम्मू और कश्मीर राज्य	जम्मू
7. कर्नाटक राज्य	बैंगलूर
8. केरल राज्य तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	तिरूवनन्तपुरम
9. महराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	मुम्बई नागपुर
10. मध्य प्रदेश राज्य	भोपाल
11. उड़ीसा राज्य	भुवनेश्वर
12. राजस्थान राज्य	जयपुर
13. तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी	चेन्नई
14. उत्तर प्रदेश राज्य	कानपुर
15. पश्चिम बंगाल राज्य, सिक्किम और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार	कलकत्ता
16. पंजाब राज्य, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	चंडीगढ़

असम को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता

2779. **श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने राज्य में कुछ विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायतार्थ कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए असम सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा जो गहन रूप से विचाराधीन हैं, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त प्रस्तावों में से कुछ प्रस्तावों को दाता देशों के समक्ष निधि सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है, जबकि शेष प्रस्तावों के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए असम सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (करोड़ रुपए में)
1.	डेयरी उद्योग का विकास	25.39
2.	दस्तकार प्रशिक्षण हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का आधुनिकीकरण	12.00
3.	चतला हावर में मत्स्यपालन क्षेत्र	20.89
4.	गुवाहाटी नगरपालिका क्षेत्र तूफान एवं जल निकासी सुधार परियोजना	161.00
5.	ग्रेटर गुवाहाटी की जलापूर्ति योजना	444.61
6.	असम में विद्युत क्षेत्र सुधारों हेतु नैदानिक अध्ययन	0.67

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग की स्थापना

2780. **श्री चन्द्रमणी त्रिपाठी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कुछ शर्तों के अधीन मध्य प्रदेश में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए जे.पी. सीमेंट उद्योग और प्रिजम तथा रासी सीमेंट उद्योग को मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उपर्युक्त सीमेंट उद्योग द्वारा अनियंत्रित धूल और प्रदूषण फैलाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) संशोधित औद्योगिक नीति के अनुसार, सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है तथा उद्यमी, औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन भरने के बाद देश में सीमेंट संयत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं तत्पश्चात्, उद्योग मंत्रालय से किसी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, पर्यावरण मंत्रालय ने जय पी बेला सीमेंट, रीवा को उनके सीमेंट संयत्र के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा की शर्त पर पर्यावरण संबंधी अनुमोदन दे दिया है तथा प्रिस्म सीमेंट को दिनांक 27.1.94 का ई.आई.ए. अधिसूचना के दायरे से छूट प्रदान कर दी गई है क्योंकि उन्होंने 27.1.97 से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वस्त्र संवर्द्धन परिषद द्वारा निर्यात लक्ष्यों में संशोधन

2781. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र संवर्द्धन परिषद निर्यात के संबंध में लक्ष्यों को संशोधित करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र उद्योग ने इस संबंध में एक कार्य-योजना तैयार करने के लिए भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्धारित 20% निर्यात विकास दर प्राप्त करने में ये उपाय किस सीमा तक सहायक सिद्ध होंगे ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : (क) से (ङ) वर्ष 1998-99 के लिए निर्यात लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषदों को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार किया गया था। इस बैठक में वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषदों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

वर्ष 1998-99 के लिए 14,275 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धि से लगभग 15 प्रतिशत अधिक है।

मद	1998-99 के लिए लक्ष्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
सिले-सिलाए परिधान	5900
सूती वस्त्र	4175
मानव निर्मित वस्त्र	1200
रेशम वस्त्र	300
ऊनी वस्त्र	365
हस्तशिल्प	2035
पटसन	230
कयर	70

वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी निर्यात संवर्द्धन परिषदों को उपयुक्त योजनाएं बनाने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें निर्यातकों को क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत सामान के आयात के लिए प्राधिकृत करना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

ऐसी आशा है कि वर्ष 1998-99 के लिए वस्त्र निर्यात के लिए निर्धारित समग्र लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा।

विदेशी सहायता को नियमित करने के लिए मानदण्ड

2782. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में सरकार द्वारा विदेशी सहायता को विनियमित करने में कोई कठिनाइयां और बाधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी सहायता को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्पष्ट मानदण्ड तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारी उद्योग

2783. **श्री एस.एस. ओवेसी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योगों के क्षेत्र में कुल उत्पादन का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के कुल निर्यात में भारी उद्योगों का कितना भाग है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे उद्योगों में नियोजित व्यक्तियों की औसत संख्या तथा मार्च, 1998 के अंत तक इनमें पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय देश में उक्त उद्योगों की कितनी इकाइयां कार्य कर रही हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत 48 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के उत्पादन की कीमत 1996-97 तथा 1997-98 (अनन्तिम) में क्रमशः 10559 करोड़ रु. तथा 11044 करोड़ रु. थी।

(ग) 1997-98 के दौरान इन उद्यमों की कुल निर्यात से प्राप्ति 1641 करोड़ रु. थी जो कुल निर्यात का 1.4% बनती है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उद्यमों में नियमित कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

31.3.95	210951
31.3.96	201080
31.3.97	192737

उपर्युक्त 48 इकाइयों में 31.3.97 की स्थिति के अनुसार पूंजी निवेश (सकल ब्लाक) 6611 करोड़ रु. था।

[हिन्दी]

"ग" और "घ" श्रेणी के कोयलों का उत्पादन तथा आपूर्ति

2784. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा कंपनी-वार "ग" और "घ" श्रेणी के कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) 31.3.1996 को कोल इंडिया लि. की अनुषंगी इकाइयों के पास "ग" और "घ" श्रेणी का वह स्टॉक कितना था जो वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान बेचा गया था;

(ग) 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान इन अनुषंगी इकाइयों से विद्युत क्षेत्र द्वारा "ग" तथा "घ" श्रेणी के कुल कितने कोयले की मांग की गई थी; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान मांग की तुलना में इन अनुषंगी इकाइयों द्वारा एककवार "ग" और "घ" श्रेणी के कुल कितने कोयले की आपूर्ति की गई ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. की विभिन्न सहयोगी कंपनियों द्वारा वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान "सी" और "डी" ग्रेड के कोयले का किया गया उत्पादन और 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार इन ग्रेडों के स्टाक का ब्यौरा निम्न है : —

(आंकड़े लाख टन में)

31.3.1996 की स्थिति के अनुसार

कंपनी	उत्पादन 1996-97		उत्पादन 1997-98 (अनंतिम)		स्टाक	
	ग्रेड "सी"	ग्रेड "डी"	ग्रेड "सी"	ग्रेड "डी"	ग्रेड "सी"	ग्रेड "डी"
1	2	3	4	5	6	7
ईकोलि	48.18	12.62	48.02	10.14	4.80	1.80
भाकोकोलि	23.30	29.37	30.62	28.75	3.54	4.21

1	2	3	4	5	6	7
सेकोलि	13.02	7.70	17.16	12.51	3.43	5.84
नाकोलि	173.35	37.31	162.72	42.98	7.62	2.09
वेकोलि	78.57	184.08	82.94	189.45	4.96	5.89
साईकोलि	87.07	44.49	87.33	38.40	9.87	7.05
मकोलि	9.23	18.25	9.28	16.65	0.81	1.52
जोड़	432.72	334.42	438.07	338.07	35.03	28.40

(ग) देश में विद्युत गृहों को संयोजन की मंजूरी स्थाई संयोजन समिति (अल्पावधि) द्वारा तिमाही आधार पर दी जाती है जिसमें वैयक्तिक विद्युत गृहों को मंजूर की गई दीर्घावधि संयोजन और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए) की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है। स्थाई संयोजन समिति द्वारा ऐसा संयोजन ग्रेडवार नहीं दिया जाता है अपितु यह कोयला क्षेत्र-वार दिया जाता है।

(घ) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान विद्युत क्षेत्र को किए गए "सी" और "डी" ग्रेड के कोयले के कंपनी-वार प्रेषण का ब्यौरा निम्न है :—

विद्युत क्षेत्र को किए गए प्रेषण (मिलियन टन में)

(अनंतिम)

कंपनी	1996-97		1997-98	
	ग्रेड "सी"	ग्रेड "डी"	ग्रेड "सी"	ग्रेड "डी"
ईकोलि	2.10	0.85	2.1	0.68
भाकोकोलि	1.55	1.54	1.87	1.50
सेकोलि	1.23	0.50	1.05	0.55
नाकोलि	17.00	3.62	16.01	3.92
वेकोलि	4.97	17.21	5.59	17.71
साईकोलि	5.67	1.15	6.02	1.41
मकोलि	0.05	0.24	0.035	0.115
जोड़	32.48	25.11	32.675	25.885

[अनुवाद]

बैंकों में धोखाधड़ी

2785. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जयपुर स्थित कुछ बैंकों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किये हैं जहां जाली दस्तावेजों के आधार पर अस्तित्वहीन व्यवसायों के लिए लाखों रुपए के ऋण मंजूर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के संबंध में तथ्य क्या हैं और ऐसे बैंकों और इनकी शाखाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उन्होंने, श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा जयपुर स्थित स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक आफ बड़ौदा की कुछ शाखाओं से धोखाधड़ी किए जाने के मामलों की जांच करने के लिए, 1998 में पांच नियमित मामले दर्ज किए हैं जिन्हें अस्तित्वहीन संस्थाओं के लिए तथा जाली अभिलेखों के आधार पर/सरकारी पद के दुरूपयोगस्वरूप ऋण स्वीकृत किए गए थे। इन शाखाओं के नाम तथा इन्हें स्वीकृत किए गए ऋण की राशि इस प्रकार है :—

क्र. सं.	शाखा का नाम	स्वीकृत की गई ऋण राशि
1.	चौड़ा रास्ता शाखा, जयपुर स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	3.40 लाख
2.	एम.आई. रोड शाखा, जयपुर, इंडियन ओवरसीज बैंक	2.52 लाख
3.	आई.बी.बी. शाखा, रामगंज बाजार जयपुर, बैंक आफ बड़ौदा	14.00 लाख
4.	बैस गोडाउन शाखा, जयपुर, बैंक आफ बड़ौदा	2.75 लाख
5.	जौहरी बाजार शाखा, जयपुर, बैंक आफ बड़ौदा	1.10 लाख

सी.बी.आई. ने सूचित किया है कि इन मामलों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

आई.एफ.सी.आई. में पेंशन योजनाएं

2786. **प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आई.एफ.सी. आई.) के कर्मचारियों का वेतन अग्रिम वेतन, कल्याणकारी योजनाएं तथा अन्य सेवा शर्तें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) और भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के कर्मचारियों के समकक्ष हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पेंशन योजना भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक की तर्ज पर 1994 में आरंभ की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.)/बैंकिंग डिवीजन द्वारा अनुमति न मिलने के कारण

आई.एफ.सी.आई. से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब तक पेंशन वितरित नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कब तक पेंशन दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि० (आई.एफ.सी.आई.) ने सूचित किया है कि उनके कर्मचारियों के वेतन, अग्रिम, कल्याण योजनाएं और अन्य सेवा शर्तें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई) के कर्मचारियों के समान हैं।

(ख) से (घ) आई.एफ.सी.आई ने बताया है कि उसने मोटेतौर पर आई.डी.बी.आई. द्वारा लागू की गई पेंशन योजना के अनुरूप ही एक पेंशन योजना तैयार की थी। तथापि, पेंशन संबंधी लाभों का संवितरण कतिपय औपचारिकताओं के पूरा न हो पाने के कारण अभी शुरू नहीं किया गया है। पेंशन योजना का परिचालन करते समय आई.एफ.सी. आई ने बताया है कि विभिन्न औपचारिकताओं के पूरा होने के पश्चात् ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन शुरू किया जाएगा। चूंकि पेंशन देने के लिए आई.एफ.सी.आई, जीवन बीमा निगम से वार्षिकियां खरीद सकता है, इसलिए पेंशन देने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से अनुमति अपेक्षित नहीं है। सूचनानुसार आई.एफ.सी.आई. पेंशन संबंधी लाभों का संवितरण सुनिश्चित करने हेतु जल्द से जल्द आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करवाने के लिए कदम उठा रहा है।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास केन्द्र

2787. **श्री जयसिंह जी चौहान :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री नृपेन गोस्वामी :
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :
श्री विजय संकेश्वर :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्यवार और स्थानवार कितने औद्योगिक विकास केन्द्र मंजूर किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं/कार्य कर रहे हैं;

(ग) सरकार ने अब तक प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए कुल कितनी राशि जारी की है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में और विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) विकास केन्द्र योजना, 1998 के तहत देश भर में विकसित किये जाने हेतु 71 विकास केन्द्र आबंटित किए गये हैं। राज्यवार और स्थान-वार स्वीकृत विकास केन्द्रों की सूची तथा उन्हें जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन 71 विकास केन्द्रों में से 66 केन्द्रों को भारत सरकार अन्तिम रूप से अनुमोदित कर चुकी है ताकि राज्य सरकारें/उनकी एजेंसियां उनका कार्यान्वयन कर सकें।

(घ) से (च) गोवा राज्य सरकार से फरवरी, 1997 में, विकास केन्द्र योजना के तहत इलैक्ट्रिक सिटी (वर्ना पठार) में पहले ही अनुमोदित एक विकास केन्द्र के अतिरिक्त उत्तरी गोआ के पर्निम में एक विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव प्रात हुआ था।

चूंकि विकास केन्द्र योजना के तहत पहले ही विभिन्न राज्यों के लिए औद्योगिक केन्द्रों को निर्धारित और आबंटित किया जा चुका है, अतः देश के किसी भी भाग में नये विकास केन्द्र स्थापित नहीं किये जा रहे हैं।

विवरण

राज्य-वार तथा स्थान-वार स्वीकृत विकास केन्द्रों की सूची तथा जारी की गयी केन्द्रीय सहायता

क्र. सं.	विकास केन्द्र तथा जिले का नाम	जारी की गयी केंद्रीय सहायता (रुपए लाख में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	हिन्दुपुर (अनन्तपुर)	200
2.	खम्माम (खम्माम)	50
3.	ओंगोले (प्रकाशम)	450
4.	विजयानगरम्-बोब्बीली (विजयानगरम्)	440
अरुणाचल प्रदेश		
5.	निक्लोक गोरलंग (पूर्वी सियांग)	50
असम		
6.	चारीदुवार (सोनीतपुर)	50
7.	मटिया (गोलापाड़ा)	50
8.	सोनापुर (कामरूप)	--
बिहार		
9.	बेगुसराय (बेगुसराय)	300
10.	भागलपुर (भागलपुर)	50
11.	छपरा (छपरा)	50
12.	दरभंगा (दरभंगा)	50
13.	हजारीबाग (हजारीबाग)	200
14.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	50

1	2	3
गोवा		
15.	इलेक्ट्रोनिक सिटी (वेरना-प्लेट्यु)	674
गुजरात		
16.	गांधीधाम (कच्छ)	100
17.	पालनपुर (बनासकान्ठा)	100
18.	वगरा (बड़ौच)	1000
हरियाणा		
19.	बावल (रिवाड़ी)	1000
20.	साहा (अम्बाला)	50
हिमाचल प्रदेश		
21.	कांगड़ा (कांगड़ा)	450
जम्मू और कश्मीर		
22.	ओमसुरा-लस्सीपुरा (बड्गांव-पुलवामा)	50
23.	सम्बा (जम्मू)	600
कर्नाटक		
24.	धारवाड़ (धारवाड़)	1000
25.	रायचुर (रायचुर)	680
26.	हस्सन (हस्सन)	1000
केरल		
27.	अलेप्पी-पटनमथीता (अलेप्पी-पटनमथीता)	468
28.	कन्नुर-कोझीकोड-मलापुर (कन्नुर-कोझीकोड-मलापुरम)	1000
मध्य प्रदेश		
29.	बोरई (दुर्ग)	668
30.	चैनपुरा (गुना)	100
31.	घिरोंगी (भिण्ड)	1000
32.	बेडा (धार)	1000
33.	सतलापुर (रायसेन)	435
34.	सिल्तारा (रायपुर)	1000
महाराष्ट्र		
35.	अकोला (अकोला)	750
36.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)	400
37.	धुले (धुले)	200
38.	रत्नागिरी (रत्नागिरी)	440
39.	नांदेड़ (नांदेड़)	550
मणिपुर		
40.	लामलाई-नपेट (इम्फाल ईस्ट)	50
मेघालय		
41.	मेन्डीपठार (ईस्ट गारो हिल्स)	50
मिजोरम		
42.	लुअंगमुअल (ऐजवाल)	50
नागालैंड		
43.	गनेशनगर (कोहिमा)	50
उड़ीसा		
44.	चतरपुर (चतरपुर)	50
45.	डुबरी (कटक)	50
46.	झाड़सुगड़ा (झाड़सुगड़ा)	50
47.	*केसिंगा (कालाहांडी)	--
पांडिचेरी		
48.	पोलागांव (कराईकल)	50
पंजाब		
49.	भटिंडा (भटिंडा)	1000
50.	पठानकोट (गुरदासपुर)	1000
राजस्थान		
51.	अबु-रोड़ (सिरोही)	1000
52.	भिलवाड़ा (भिलवाड़ा)	50
53.	बीकानेर (बीकानेर)	350
54.	झलावर (झलावर)	300
55.	धौलपुर (धौलपुर)	320
सिक्किम		
56.	*मझीतर (रंगपो ईस्ट)	--
तमिलनाडु		
57.	इरोड (पेरीयर)	1000
58.	*नन्निलाम (तंजावुर)	--
59.	तिरूनैलवेली (तिरूनैलवेली-कट्टबोम्मन)	930
त्रिपुरा		
60.	बोधझंग नगर (त्रिपुरा-वेस्ट)	50
उत्तर प्रदेश		
61.	बचौली-बुजुर्ग (झांसी)	50
62.	बंथरा (शाहजहांपुर)	50
63.	चौधपुर (मुरादाबाद)	50
64.	द्विबियापुर (इटावा)	50
65.	खुर्जा (बुलंदशहर)	420
66.	मुंगरा सथारिया (जौनपुर)	450
67.	साहजनवा (गोरखपुर)	1000
68*	शिवराजपुर-पदमपुर (पौड़ी गढ़वाल)	50

1	2	3
पश्चिम बंगाल		
69.	बोलपुर (बीरभूमि)	50
70.	जलपाईगुड़ी (जलपाईगुड़ी)	50
71.	मालदा (मालदा)	50

* परियोजना रिपोर्टों/संशोधित परियोजना रिपोर्टों की राज्य सरकारों से प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन

2788. **श्री चमन लाल गुप्त :**
श्री विजय गोयल :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उग्रवादी गतिविधियों के कारण जम्मू और कश्मीर में पर्यटन अत्यधिक प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक वार्षिक हानि का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी हानि हुई है;

(घ) पर्यटन उद्योग को पहले की भांति समृद्ध बनाने के लिए तैयार की गई कार्य योजना यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों ने जम्मू और कश्मीर आना शुरू कर दिया है, यदि हां, तो कितने पर्यटक यहां आ रहे हैं; और

(च) लद्दाख क्षेत्र में भी पर्यटकों को आकृर्षित करने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) से (ग) कश्मीर घाटी में विद्रोह अवधि के दौरान पर्यटक यातायात में भारी कमी आयी है। इसके अतिरिक्त वैष्णो देवी के धार्मिक पर्यटक यातायात में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। कश्मीर घाटी में पर्यटन उद्योग को हुए नुकसान का आकलन पर्यटक यातायात में कमी से किया जा सकता है। सबंधित विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	पर्यटकों की संख्या			वर्ष 1989 की तुलना में ह्रास प्रतिशत
	घरेलू	विदेशी	कुल	
1	2	3	4	5
1989	490215	67762	557977	--
1993	--	8026	8026	99
1994	500	9314	9814	98
1995	322	8198	8520	98
1996	375	9592	9967	98
1997	7027	9111	16138	97
1998			11185	

(विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों के पांच महीनों का योग)

(घ) पर्यटन उद्योग को बनाए रखने संबंधी कार्य योजना में शामिल हैं– पर्यटक आकर्षणों का नवीकरण और अवसंरचना सुविधाएं, राहत उपायों के माध्यम से पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ 50,000 रुपए तक के ऋणों को बट्टे खाते (माफ) करना।

(ङ) जम्मू और कश्मीर में पर्यटक यातायात में वर्ष 1996 की तुलना में वर्ष 1997 के दौरान 1.3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। जम्मू कश्मीर में वर्ष 1996 और 1997 के दौरान क्रमशः 4482072 और 4540387 पर्यटक आए। वर्ष 1998 के मई के अन्त तक कश्मीर घाटी में कुल 11185 पर्यटकों के आने का अनुमान है।

(च) गत तीन वर्षों के दौरान लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों में शामिल हैं–लेह स्थित पेथुब मोनास्ट्री का सौन्दर्यीकरण, लेह स्थित चोगल्मसार के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य केन्द्र में साधना-सुविधा, हेमीस स्थित गोम्पास का नवीकरण और नूबरा में पर्यटक परिसर का निर्माण। सरकार ने लेह में संगोष्ठी/सम्मेलन केन्द्र की स्थापना के लिए सम्भाव्यता अध्ययन कराने के भी उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त, लद्दाख उत्सव के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी मुहैया करायी गयी है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़ापन दूर करने हेतु आयोग

2789. **डा. विजय सोनकर शास्त्री :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साठ के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जैसे कुछ जिलों में पिछड़ापन दूर करने के लिए उपाय सुझाने के लिए आयोग नियुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो आयोग का उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना था;

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ये जिले अभी तक पिछड़े हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) 1968 में स्थापित दो कार्य दलों की सिफारिश पर योजना आयोग ने वित्तीय संस्थानों

और राज्य सरकारों के परामर्श से 246 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा पाया और उन्हें रियायती वित्त सुविधा पाने का पात्र बनाया।

तीन मुख्य योजनाएं नामतः–

(1) परिवहन राजसहायता योजना,

(2) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, और

(3) रियायती वित्त योजना

शुरू की गई ताकि चुनिंदा अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को अनेक रियायत/प्रोत्साहन दिये जा सकें। ऊपर क्रम सं. (2) और (3) पर दी गई योजनाएं समाप्त हो गई जबकि क्रम सं. (1) पर उल्लिखित योजना अर्थात् परिवहन राज्य-सहायता योजना अभी भी अधिसूचित क्षेत्रों में लागू है।

उत्तर प्रदेश स्थित जौनपुर जिला चुनिंदा पिछड़े जिलों की श्रेणी "क" में पड़ता था। जौनपुर जिले ने केन्द्रीय निवेश सहायता योजना और रियायती वित्त योजना के लाभ लिए हैं। परिवहन राजसहायता योजना जौनपुर जिले को उपलब्ध नहीं है।

तथापि, विकास केन्द्र योजना, 1998 के तहत जनवरी, 1993 में जौनपुर जिले के मुंगरा सथारिया में एक विकास केन्द्र मंजूर किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपनी 7 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना के तहत पिछड़े आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 आई.ए. के तहत लाभ देने के लिए श्रेणी "क" में 53 पिछड़े जिलों को और श्रेणी "ख" में 70 पिछड़े जिलों को निर्दिष्ट किया है, जो इन अधिसूचित पिछड़े जिलों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों पर लागू होगा। जौनपुर जिला श्रेणी "ख" में आता है।

पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के विकास सहित राज्य के समग्र विकास की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार उनके प्रयासों में यथा-संभव मदद करती है।

पटसन उत्पादों को बढ़ावा देना

2790. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटसन उत्पादों और पटसन उत्पादन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या योजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ग) क्या पटसन उत्पादन बढ़ाने और पटसन उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कोई नई योजना कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं को किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : (क) से (घ) सरकार पटसन तथा पटसन उत्पादों दोनों का ही उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। कच्चे पटसन के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं : –

(1) पटसन/मेस्टा उपजाने वाले विभिन्न राज्यों में कच्चे पटसन की न्यूनतम समर्थन कीमत का निर्धारण।

(2) उपजकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय पटसन निगम को कीमत समर्थन प्रचालन का कार्य सौंपना।

(3) सात पटसन और एक मेस्टा उपजाने वाले राज्यों के 47 जिलों में विशेष पटसन विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

सरकार ने पटसन उत्पाद बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं : –

(1) सरकारी खाते पर खरीदे गए खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए पटसन बोरों की लागत जमा खरीद जारी रखना।

(2) पटसन निर्यात की चुनिंदा थ्रस्ट मदों पर बाह्य सहायता स्वीकृत करना।

(3) उद्यमियों को उनके पटसन विविधीकृत क्रियाकलापों को बढ़ाने में सहायता देने के लिए पटसन उद्यमी सहायता योजना शुरू करना।

(4) विविधीकरण, अनुसंधान और विकास व मानव संसाधन विकास क्रियाकलापों के लिए एन.डी.पी. सहायता राष्ट्रीय पटसन कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

(5) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और प्रदर्शनियों में पटसन विनिर्माण विकास परिषद की सहभागिता।

(ङ) पटसन के सामान का उत्पादन करने वाले राज्यों के साथ-साथ देश के सभी पटसन और मेस्टा उपजकर्ता राज्यों में ऊपर वर्णित कदम और योजनायें क्रियान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

आई.टी.डी.सी. द्वारा अपनी इकाइयों में निवेश

2791. **श्री माधवराव पाटील :**
श्री विट्ठल तुपे :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम

द्वारा देश में अपनी इकाइयों में किए गए निवेश का वर्षवार, राज्यवार एवं एककवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने देश में विशेषकर महाराष्ट्र में अपनी इकाइयों के विकास हेतु कोई नई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक योजना में महाराष्ट्र में नए होटल खोलने की किसी योजना पर बल नहीं दिया गया है। तथापि, इसमें चण्डीगढ़ में 100 कमरों वाले एक पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का योजनागत प्रावधान शामिल है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा देश में स्थित इसकी इकाइयों पर किए गए इकाईवार/राज्यवार योजनागत व्यय

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	योजनागत व्यय 1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	**बिहार**			
	होटल रांची अशोक, रांची (जे.वी.)	--	103.00	--
	होटल बोधगया अशोक, बोधगया	0.63	25.14	14.18
	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	6.60	--	--
	परिवहन एकक, पटना	3.65	--	--
	जोड़	**10.88**	**133.04**	**14.18**
2.	**हिमाचल प्रदेश**			
	होटल मनाली अशोक, मनाली	--	0.54	7.20
3.	**जम्मू एवं कश्मीर**			
	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	1.72	5.10	2.46
4.	**कर्नाटक**			
	होटन अशोक, बंगलौर	50.74	27.24	29.26
	होटल हसन अशोक, हसन	7.11	--	7.66
	ललित महल पैलेस, मैसूर	17.38	11.98	--
	परिवहन एकक, बंगलौर	8.04	--	--
	जोड़	**83.27**	**39.22**	**36.92**
5.	**केरल**			
	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट, कोवलम	74.69	39.62	16.71
6.	**मध्य प्रदेश**			
	भोपाल स्थित होटल (जे.वी.)	--	215.82	2.66
	होटल खुजराहो अशोक	12.92	15.41	6.71
	जोड़	**12.92**	**231.23**	**9.37**
7.	**महाराष्ट्र**			
	होटल औरंगाबाद अशोक	17.60	--	0.62
	शुल्क मुक्त दुकान, मुम्बई	8.08	--	--
	परिवहन एकक, मुम्बई	14.03	--	--
	परिवहन एकक, औरंगाबाद	1.64	--	--
	जोड़	**41.35**	**--**	**0.62**
8.	**उड़ीसा**			
	होटल नीलाचल अशोक, पुरी	--	447.50	0.77
	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	6.80	3.89	3.85
	जोड़	**6.80**	**451.39**	**4.62**
9.	**राजस्थान**			
	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	21.40	41.68	16.79
	एल.वी.पी. होटल, उदयपुर	49.06	35.52	24.30
	भारतपुर फोरेस्ट लॉज	12.59	3.00	--
	जोड़	**83.05**	**80.20**	**41.09**
10.	**तमिलनाडु**			
	होटल मदुरै अशोक, मदुरै	--	--	11.88
	टैम्पल बे, माम्मलापुरम	25.66	49.05	18.60
	परिवहन एकक, मद्रास	9.51	--	--
	जोड़	**35.17**	**49.05**	**30.48**
11.	**उत्तर प्रदेश**			
	होटल वाराणसी अशोक	2.73	2.71	6.43
	होटल आगरा अशोक	7.54	8.44	12.97
	ताज रेस्तरां आगरा	0.01	--	--
	परिवहन एकक, वाराणसी	0.04	--	--
	कोसी रेस्तरां, कोसी	0.75	--	0.64
	जोड़	**19.07**	**11.15**	**20.04**

1	2	3	4	5
12.	**पश्चिम बंगाल**			
	एयरपोर्ट होटल, कलकत्ता	89.92	10.35	0.38
	परिवहन एकक कलकत्ता	12.84	--	--
	जोड़	**102.76**	**10.35**	**0.38**
13.	**दिल्ली**			
	अशोक होटल	428.02	387.33	447.14
	सम्राट होटल	98.58	43.94	295.17
	कनिष्क होटल	86.56	69.16	56.75
	कुतुब होटल	97.29	42.08	85.95
	जनपथ होटल	32.49	43.77	48.15
	अशोक यात्री निवास	24.68	33.98	67.88
	लोदी होटल	30.23	--	317.34
	रंजीत होटल	24.55	9.73	21.06
	शुल्क मुक्त दुकान, दिल्ली	--	3.58	--
	अशोक ट्रेवल एंड टुअर्स	34.13	--	--
	जोड़	**856.13**	**633.57**	**1339.44**
14.	**चण्डीगढ़**			
	चण्डीगढ़ में होटल	56.24	44.88	26.16
15.	**पांडिचेरी**			
	होटल पांडिचेरी अशोक (जे.वी.)	--	0.15	--
	कुल जोड़	**1384.45**	**1729.49**	**1549.67**

[अनुवाद]

केरल में पर्यटन का विकास

2792. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल के समुद्री तटों पर पर्यटन के विकास के लिए कोई आबंटन किया है;

(ख) केरल के उत्तरी भाग में बेकेल फोर्ट कान्नानूर समुद्रतट मुझअपीलंगढ समुद्रतट तथा कप्पड़ समुद्रतट पर पर्यटन विकास परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या केरल में समुद्रतट पर पर्यटन के विकास में किसी विदेशी एजेंसी ने रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) और (ख) भारत सरकार, पर्यटन विभाग ने केरल राज्य में समुद्रतटों पर पर्यटन विकास की निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1.	काप्पड में बीच रिजार्ट	67.24
2.	वरकाला में बीच रिजार्ट	95.00
3.	पारवार में बीच रिजार्ट	26.13
4.	चेरथाला में बीच रिजार्ट	24.69
5.	बेकाल रिजार्ट	190.00
		403.06

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत करघा मिलों की ओर से अभ्यावेदन

2793. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में विश्वविख्यात शोलापुर टावल और चापा की विनिर्माता जिला शोलापुर, महाराष्ट्र की हथकरघा मिलों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने, लघुक्षेत्र को उपलब्ध छूट की सीमा बढ़ाने और निर्यात कोटे को कम से कम 10 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक बढ़ाने एवं उन्हें ऐसे अन्य निर्यातकों, जिन्हें ड्यूटी ड्राबैक/बैंक सुविधा उपलब्ध है, के समतुल्य दर्जा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त सुविधाओं की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी अन्य मांगें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) सरकार को शोलापुर जिला यंत्रमग धारक संघ से दिनांक 17 अप्रैल, 1998 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) उनके द्वारा की गई अन्य मांगों का संबंध 2 अश्व शक्ति तक की मशीनों की सहायता से टैरी टॉवल बनाने के फैब्रिकों की रंगाई को छूट देने, सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के बजाए शोलापुर यंत्रमग धारक संघ द्वारा जारी प्रति अदायगी प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए मॉडबेट क्रैडिट न लेने संबंधी प्रमाण पत्र को स्वीकार करने, हथकरघा कामगार आयात योजना आरंभ करने और यंत्रमग कामगार घरकुल योजना को वित्तीय सहायता देने से है।

(ग) टैरी टॉवल बनाने के अप्रसंस्कृत फैब्रिकों और उनसे तैलियों पर कुल मिला कर मामूली सा उत्पाद शुल्क लगता है जो 2.5% से 8% तक होता है। इसके अतिरिक्त इस माल को सामान्य लघु उद्योग छूट योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है जिसमें एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये तक के मूल्य की निकासी पर उत्पाद शुल्क से छूट की व्यवस्था है। 50 लाख रुपये और 100 लाख रुपये के बीच की निकासियों पर 5% की दर से रियायती शुल्क लागू होता है। इस प्रकार, लघु क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं का समुचित रूप से ध्यान रखा जाता है।

2 अश्व शक्ति तक की मशीनों की सहायता से टैरी टॉवल बनाने के फैब्रिकों की रंगाई के लिए शुल्क से छूट देने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से ऐसी छूटों पर निगरानी रखना संभव नहीं है।

जहां तक प्रति अदायगी प्राप्त करने के लिए प्रयोजन के लिए मॉडवेट क्रैडिट न लेने संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने का प्रश्न है, क्षेत्राधिकार रखने वाले के.उ.शु. प्राधिकारियों से ऐसा प्रमाणन करवाने हेतु पहले ही उपबंध विद्यमान हैं। विभाग से भिन्न किसी एजेंसी को इस प्रकार का प्रमाण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

जहां तक उनके अन्य अनुरोधों का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है।

अल्पकालिक निवेश

2794. **डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारत में अल्पकालिक निवेश के खिलाफ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी घाटे को कम करने, सुधार प्रक्रिया तेज करने और अर्थव्यवस्था में तेजी से खुलापन लाने संबंधी उपायों सहित भारतीय अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने के उपायों के बारे में विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ सहमत है;

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा अन्य क्या उपाय सुझाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने विश्व बैंक के सभी सुझावों पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो स्वीकार किए गए और लागू किए जाने वाले सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) जी, हां। विश्व बैंक ने हाल ही में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :

(i) विदेशी ऋण का बारीकी से अनुवीक्षण और सभी सरकारी बैंकों में एक उचित सीमा तक विदेशी उधारों को सीमित रखा जाए;

(ii) घरेलू और विदेशी निधिकरण पर प्रारक्षित निधियों की आवश्यकताओं तथा कराधान को एक-समान रखा जाए;

(iii) आर्थिक सहायता को घटाकर तथा कराधार को बढ़ाकर सरकारी घाटे में कटौती करना;

(iv) प्राइवेट क्षेत्र पर अत्यधिक महत्व देते हुए और विदेशी तथा आन्तरिक बाजारों का तेजी से उपनियमन करते हुए बुनियादी मानव विकास तथा आधारभूत ढांचे के प्रति सरकार को पुनः सुव्यवस्थित बनाना।

(घ) और (ङ) सरकार को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से अनेक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिनमें सुझाव दिए गए हैं। भारत सरकार के निर्णय उन रिपोर्टों पर आधारित नहीं हैं बल्कि वे सरकार की नीतियों तथा प्राथमिकताओं के आधार पर लिए गए हैं।

इस्लामाबाद में दक्षिण एशियाई संघ की बैठक

2795. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने इस्लामाबाद में हो रहे दो दिवसीय दक्षेस की बैठक में हिस्सा लिया;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई चर्चा के मुख्य बिन्दु क्या थे;

(ग) सम्मेलन के परिणाम क्या रहे;

(घ) क्या सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई निगरानी निकाय स्थापित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां। वाणिज्य मंत्री ने सार्क देशों के वाणिज्य मंत्रियों की 29-30 अप्रैल, 1998 को इस्लामाबाद में हुई दूसरी बैठक में एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था।

(ख) और (ग) इस बैठक में हुए विचार-विमर्श टैरिफों में कमी करके और गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त करके सीमा-शुल्क क्रियाविधियों एवं विनियमों को सरल और कारगर बना कर, एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) के स्थान पर सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र अपनाकर, परिवहन अवस्थापना एवं पारगमन सुविधाओं में सुधार करके, दोहरे कराधान के परिहार सहित सार्क अन्तर्क्षेत्रीय निवेश का संवर्धन करके और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) और विश्व सीमा-शुल्क संगठन (डब्ल्यू.सी.ओ.) के संदर्भ में विभिन्न मुद्दों पर सार्क सदस्य देशों के बीच एक आम दृष्टिकोण विकसित करके सार्क अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार के लिए सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर केन्द्रित थे।

इस बैठक में साप्टा के मौजूदा अनुपात में सुधार से लेकर बौद्धिक संपदा अधिकारों की राष्ट्रीय प्रणालियों के सुमेलीकरण, व्यापार सेवाओं का उदारीकरण, मानकों एवं गुणवत्ता नियंत्रण के तहत मूल मानदंडों के सुमेलीकरण की संभावनाओं का भी पता लगाया गया था।

(घ) और (ङ) यह निर्णय लिया गया था कि सार्क देशों के वाणिज्य मंत्रियों की भावी बैठकों को सार्क क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य में आ रहे गैर-टैरिफ अवरोधों और ढांचागत रुकावटों को हटाने के

प्रयासों सहित प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में सार्क की भावी पहलों में प्राप्त हुई प्रगति को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाएगा।

कोयले की उत्पादन लागत

2796. **श्री एस.एस. ओवेसी :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के उत्पादन में वृद्धि करके इसकी उत्पादन लागत को कम करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या देश में उत्पादित कोयला आयातित कोयले से महंगा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने कोयले की उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कोयले के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ इसके उत्पादन लागत को कम करने का प्रयत्न एक सतत् प्रक्रिया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से तथा विद्यमान खानों की बेहतर उपयोगिता क्षमता का उपयोग करते हुए नई खानों को खोले जाने के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है।

(ङ) भारत में प्रति टन कोयले के उत्पादन की लागत की तुलना किसी अन्य कोयला उत्पादक देशों से की जा सकती है तथापि, देश के कई तटवर्तीय क्षेत्रों में आयातित कोयले की प्रति यूनिट ऊष्मा कीमत इन स्थलों पर घरेलू कोयले की प्रति यूनिट ऊष्मा कीमत से कम है। देशी कोयले पर विभिन्न प्रकार के घरेलू कर लगाए जाते हैं, जैसे रायल्टी, उपकर, बिक्री की और रेलवे भाडे की उच्च लागत। जबकि तटवर्तीय स्थलों पर आयातित कोयले पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ-साथ इन्डोनेशिया की मुद्रा में हाल ही में हुए अवमूल्यन से भी भारत के कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में इंडोनेशिया का कोयला सस्ता हो गया है।

(च) कोयला कंपनियां कोयले की उत्पादन लागत को कम करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही हैं, जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :– उत्पादन में सुधार, कोयला खानों की प्रौद्योगिकी को प्रोन्नत करना, श्रमशक्ति को सुनियोजित करना, क्षमता उपयोगिता में सुधार, कोयला परियोजनाओं को समय से पूरा करने में आई बाधाओं को दूर करना, युक्तिसंगत योजना बनाना, व्यय में किफायत करना, विभिन्न निवेशों की समय से उपलब्धता और अच्छे औद्योगिक संबंध बनाना।

जाली चैक

2797. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गिरोह जाली चैकों द्वारा धन निकालकर बैंकों को लाखों-करोड़ों रुपए का धोखा दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकवार कितने मामले सामने में आए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नमक उद्योग

2798. **श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मानव के आहार के लिए आवश्यक तत्व आयोडीन के अभाव से उत्पन्न होने वाली बीमारी घेंघा तथा अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु चलाई जा रही मुहिम के एक भाग के रूप में आयोडीन युक्त नमक के आने से अनेक लघु नमक उत्पादक अपने रोजगार से वंचित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक बन्दोबस्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। मानव के आहार के लिए आवश्यक तत्व आयोडीन के अभाव से उत्पन्न होने वाली बीमारी घेंघा तथा अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु चलाई जा रही मुहिम के एक भाग के रूप में आयोडीन युक्त नमक के आने से लघु नमक उत्पादक अपने रोजगार से वंचित नहीं हुए हैं। वास्तव में नमक के आयोडीनीकरण से श्रमिकों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नही उठता।

गरीबी उन्मूलन कोष

2799. **डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत द्वारा गरीबी उन्मूलन कोष के दुरूपयोग के बारे में ध्यान दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने भारत को शीघ्र ही गरीबी उन्मूलन के लिए नई रणनीति बनाने के लिए कहा है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि यद्यपि पूर्व एशिया में गरीब लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है फिर भी भारत में गरीबी दूर करने में प्रगति काफी धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से लिए गए ऋण का समुचित प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हां। विश्व बैंक ने संकेत दिया है कि भारत की अपेक्षा पूर्वी एशिया में गरीबी में तेजी से गिरावट आई है।

(घ) भारत ने गरीबी को कम करने तथा विश्व बैंक ऋण का उपयोग करने के लिए आधारभूत संरचना तथा मानव संसाधनों में और अधिक निवेश करने के लिए कदम उठाए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लेखा परीक्षा

2800. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक देश के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की शाखा या केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षा करने के लिए निरीक्षण के दूसरे चरण तथा पूछताछ प्रणाली अपनाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरे देश की उन लेखा परीक्षा फर्मों की सूची तैयार की है जिन्हें लेखा परीक्षा का काम सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक देश की सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की अनियमितताओं को रोकने में किस सीमा तक सफल रहा है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के स्थल पर वार्षिक निरीक्षण के अतिरिक्त स्थलेतर निगरानी पहले ही शुरू कर दी गई है। स्थलेतर निगरानी के प्रयोजन के लिए, बैंकों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, उनकी संवीक्षा की जाती है और निष्कर्षों की सूचना बैंकों को दी जाती है। बैंकों में लेखा-परीक्षा, निरीक्षण और अनुपालन संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए बैंकों में निदेशक बोर्ड की लेखा परीक्षा समितियां भी गठित की गई हैं। परन्तु, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की शाखा या केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षा करने के लिए पूछताछ प्रणाली शुरू करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) विद्यमान प्रणाली के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षा करने के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा तैयार की गई पात्र फर्मों की सूची से लेखापरीक्षा फर्मों का पैनल तैयार किया जाता है। स्थायी परामर्शदात्री समिति के परामर्श और सरकार की सहमति से इस पैनल को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। चार्टर्ड लेखाकार फर्मों के पैनल की संस्तुति संबंधित बैंकों को की जाती है, जो चार्टर्ड लेखाकार फर्मों की नियुक्ति अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से करते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा फर्मों का पैनल भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची से तैयार किया जाता है। प्रत्येक बैंक द्वारा यथापेक्षित लेखापरीक्षा हेतु संबंधित फर्मों के नामों की सूचना आगे कार्रवाई हेतु संबंधित बैंकों को दी जाती है। बैंकों के नाम और वर्ष 1997-98 के लिए सांविधिक केन्द्रीय और शाखा लेखापरीक्षा के लिए चुने गए लेखापरीक्षकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के कार्यनिष्पादन की कारगर निगरानी के लिए केन्द्रीभूत बैंकिंग पर्यवेक्षण प्रणाली विकसित की है। 1994 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के गठन के बाद बैंकों के निरीक्षण को वार्षिक बना दिया गया है। इस नियमित निरीक्षण के अतिरिक्त, बाजार रिपोर्टों आदि के आधार पर विशेष संवीक्षा/जांच की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार के सभी महत्वपूर्ण अनुदेशों/मार्गनिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी को "अनुपालन अधिकारी" के रूप में पदनामित करने की प्रणाली शुरू की गई है। बैंकों को समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली शुरू करने के लिए भी कहा गया है, जिसमें बैंक के 50 प्रतिशत कारोबार की निरंतर आधार पर समवर्ती लेखापरीक्षा की जाती है। राजकोषीय परिचालनों और विदेशी मुद्रा परिचालनों की भी पूर्ण रूपेण लेखा-परीक्षा की जाती है। बैंकों में निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समितियां भी गठित की गई हैं। बैंकों में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के खराब कार्यनिष्पादन के कतिपय क्षेत्रों, अंतर शाखा समाधान, बहियों के तुलन आदि की भी निगरानी करता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों को, बैंकों के लेखों की वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, आय की पहचान, परिसम्पत्ति के वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन, बैंक द्वारा किए गए पूंजी पर्याप्तता अनुपात के मूल्यांकन के प्रमाणीकरण, बैंक के राजकोषीय परिचालन, बैंक के निवेश के समाधान आदि को प्रमाणित करना होता है। निरीक्षण के दौरान, यदि इन मदों के संबंध में या सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण में कोई कमी पाई जाती है, तो उस मामले की सूचना बैंक को दे दी जाती है ताकि वे उस मामले को संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ उचित रूप से उठा सकें।

विवरण

वर्ष 1997-98 के लिए संस्तुत सांविधिक केन्द्रीय और शाखा लेखा परीक्षकों का बैंकवार ब्यौरा

बैंक का नाम	सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक	सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक
1	2	3
1. इलाहाबाद बैंक	6	448
2. आन्ध्रा बैंक	5	335
3. बैंक आफ बड़ौदा	6	832
4. बैंक आफ इंडिया	6	810
5. बैंक आफ महाराष्ट्र	5	357
6. केनरा बैंक	6	869
7. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	6	821
8. कार्पोरेशन बैंक	5	195
9. देना बैंक	5	276
10. इंडियन बैंक	6	564
11. इंडियन ओवरसीज बैंक	6	504
12. ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	6	247
13. पंजाब नेशनल बैंक	6	1149
14. पंजाब एंड सिंध बैंक	5	244
15. सिंडिकेट बैंक	6	527
16. यूनियन बैंक आफ इंडिया	6	661
17. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	6	333
18. यूको बैंक	6	503
19. विजया बैंक	5	288
योग	108	9963
20. भारतीय स्टेट बैंक	13	2778
21. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	5	255
22. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	5	302
23. स्टेट बैंक आफ इंदौर	4	134
24. स्टेट बैंक आफ मैसूर	4	198
25. स्टेट बैंक आफ पटियाला	5	257
26. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4	135
27. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	5	267
योग	45	4326
कुल योग	153	14289

बागवानी वस्तुओं का निर्यात

2801. **श्री एस.एस. ओवेसी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से चाय तथा अन्य बागवानी वस्तुओं का निर्यात स्थिर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देशवार कितनी मात्रा में इन वस्तुओं का निर्यात हुआ तथा इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) इन वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) उपलब्ध निर्यात संबंधी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार बागान फसलों के निर्यातों में हाल में मिश्रित रुख दिखाई देता है। जहां चाय और इलायची (छोटी) में क्रमशः वृद्धि/नाममात्र की वृद्धि दिखाई देती है, वहाँ कॉफी के निर्यातों में पिछले वर्ष की तुलना में 1997-98 में गिरावट का रुख प्रदर्शित हुआ है।

बागान फसलों सहित विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "फोरेन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया" नामक मासिक प्रकाशन में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) संबंधित वस्तु बोर्डों द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से पुनर्रोपण, विस्तार रोपण और अनुसंधान जैसे क्रिया कलापों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न विकासात्मक योजनाएं लागू की जा रही हैं। निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं : विदेश में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रचार अभियान चलाना, बाजार सर्वेक्षण करना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, ब्रांडों का संवर्धन करना आदि।

लघु बचत योजनाएं

2802. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु बचत जुटाने संबंधी योजना राज्यों को स्थानान्तरित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं। लघु बचत संग्रहणों को राज्यों को अन्तरित किए जाने का कोई प्रस्ताव भारत

सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, श्री बी.एस. शेखावत की अध्यक्षता वाले विशेष कृत्तिक बल ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। इस कृत्तिक बल की अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों के सेवाकाल का बढ़ाया जाना

2803. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आपके मंत्रालय/विभाग में निदेशक स्तर के कितने सेवानिवृत्त/सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया गया;

(ख) क्या अधिकारियों के बढ़ाए गए सेवाकाल सी.सी.ए. द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के विरुद्ध था;

(ग) यदि हां, तो उनका सेवा काल बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक राजकोष को कितनी धनराशि का नुकसान हुआ ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र मंत्रालय (खास) तथा उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में निदेशक स्तर का कोई भी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन बैंक घोटाला

2804. **श्री नरेश पुगलीया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह इंडियन बैंक घोटाले की पुनः जांच करके उसकी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) इंडियन बैंक के मामले से संबंधित एक जनहित याचिका जनवरी 1997 में उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी। इस याधिका में कई प्रकार की राहतें देने की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 1997 में यह याचिका स्वीकार कर ली जो इसमें वर्णित तथ्यों से पता चले अपराधों की विधि के अनुसार त्वरित जांच करने और/या न्यायनिर्णयन के द्वारा मांगी गई राहत तक सीमित है। समय-समय पर उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई की गई थी। जबकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कतिपय खातों में हुई अनियमितताओं की जांच शुरू की है, इंडियन बैंक ने भी प्रक्रियात्मक चूकों के लिए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की है। उच्चतम न्यायालय ने 21 जुलाई, 1998 को इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख तय की है।

कर अपवंचन के कारण राजस्व का घाटा

2805. **श्री देवेन्द्र बहादुर राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर अपवंचन के कारण हुए राजस्व घाटे की राशि का अनुमान लगाया है;

(ख) क्या सरकार ने कर अपंचन औद्योगिक समूहों/संस्थाओं का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है; और

(ङ) कर अपवंचन को रोकने के लिए उठाए गए मुख्य उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सरकार अपनी प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से औद्योगिक घरानों तथा संस्थाओं सहित कर अपवंचकों पर कड़ी निगरानी रखती है। जब कभी भी कर अपवंचन के किसी मामले का पता लगता है, विधि के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ङ) सरकार कर अपवंचन को रोकने के लिए समय-समय पर जैसा कि उपयुक्त समझा जाता है; आवश्यक विधायी, राजकोषीय एवं प्रशासनिक उपाय करती रही है। इसमें कर की दरों एवं प्रक्रिया को घटाना/युक्तिसंगत बनाना तथा रोकड़ के लेन-देन को नियंत्रित करना, खातों के अनिवार्य रख-रखाव तथा लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान तथा कर अपवंचकों के खिलाफ मुकदमें की कार्रवाई करना शामिल है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार 4 जुलाई, 1998/13 आषाढ़, 1920 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।